शुक्रवार 15 मार्च

24 फाल्गुन 1906 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 2, दूसरा सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 3, शुक्रवार, 15 मार्च, 1985/24 फाल्गुन, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 46 और 56	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22-98
तारांकित प्रश्न संख्या : 47 से 55 और 57 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 211 से 243, 245 से 256, 258 से 271, 273 से 299, 301 से 312 और 314 से 322	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	98-103
सभा का कार्य	103-105
कार्य-मंत्रणा समिति	106
दूसरा प्रतिवेदन	
समितियों के लिये निर्वाचन	106-108
(एक) कॉफी बोर्ड	106
(दो) रबड़ बोर्ड	106-107
(तीन) तम्बाकू बोर्ड	107-108
राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा---(जारी)	108-141
श्री ई० अय्यापु रेड्डी	
श्री मूल चंद डागा	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

श्री आर० अन्नानम्बी
श्री गिरधारी लाल व्यास
श्री अब्दुल रशीद काबुली
श्री हरीश रावत
श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल
श्री एस० कृष्ण कुमार
श्री के० आर० नारायणन
श्री जियाउर्रहमान अंसारी
(भाषण अपूर्ण)

विधेयक—पुरःस्थापित 142-149, 154-155

(एक) धर्म के नाम में भूमि पर अधिक्रमण हटाना विधेयक
श्री बी० वी० देसाई 142

(दो) धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकना विधेयक
श्री बी० वी० देसाई 142

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 326 में संशोधन)
श्री सत्यगोपाल मिश्र 142

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 31 का अन्तः स्थापना आदि)
श्री सैफुद्दीन चौधरी 142-143

(पांच) धर्मनिरपेक्षता प्रोन्नति विधेयक
श्री सैफुद्दीन चौधरी 143

(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16क का अन्तः स्थापन)
श्रीमती गीता मुखर्जी 143

(सात) विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक
श्रीमती गीता मुखर्जी 143-144

(आठ) बाल श्रमिक नियोजन विनियमन विधेयक
श्रीमती गीता मुखर्जी 144

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन)
श्रीमती गीता मुखर्जी 144

(दस) दण्ड प्रकिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 125 और 127 में संशोधन)
श्री जी० एम० बनातवाला 144-145

(ग्यारह) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 4 में संशोधन)
श्री जी० एम० बनातवाला 145

(बारह) धर्म की स्वतंत्रता (निर्बन्धनों को हटाना) विधेयक

विषय पृष्ठ

(तेरह) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (हमीरपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक
प्रो० नारायण चंद पराशर 145-146

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 366 में संशोधन, आदि)
प्रो० नारायण चंद पराशर 146

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची में संशोधन)
प्रो० नारायण चंद पराशर 146

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 60 और 159 में संशोधन)
प्रो० नारायण चंद पराशर 146-147

(सत्तरह) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 18क का अन्तःस्थापन)
श्री सत्यगोपाल मिश्र 147

(अठारह) श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी 147

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 326 में संशोधन)
श्री पूर्णचन्द्र मलिक 147-148

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 155 में संशोधन आदि)
श्री सुधीर राय 148

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 में संशोधन)
श्री सुरेश कुरुप 148

(बाईस) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक
प्रो० पी० जे० कुरियन 148-149

(तेईस) इंडियन टोबेको कम्शनी लिमिटेड (प्रबंध ग्रहण) विधेयक
श्री राम भगत पासवान 149

(चौबीस) एक-कुटुम्ब एक-नौकरी मानदण्ड विधेयक
श्री राम भगत पासवान 149

(पच्चीस) औद्योगिक कर्मकार बीमा विधेयक
श्री अजीत कुमार साहा 154-155

(छब्बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 31 ख में संशोशन)
श्री अजीत कुमार साहा 155

विधेयक—वापस लिये गये 150-154

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 102 में संशोधन आदि) 150

दल-बदल निवारण विधेयक 150-154

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अष्टम अनुसूची में संशोधन) 155-185

विषय पृष्ठ

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सत्यगोपाल मिश्र

श्री राम प्यारे पनिका

डा० ए० कलानिधि

श्री मूल चन्द डागा

श्री आनन्द पाठक

श्री वृद्धि चन्द्र जैन

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन

श्री प्रियरंजन दास मुंशी

श्री ए० सी० शनमुगम

सदस्य द्वारा त्याग पत्र 185

श्री नर बहादुर भंडारी

श्रीलंका में स्थिति के बारे में वक्तव्य 185-187

श्री खुर्शीद आलम खां

चीनी उद्योग के लिये तीसरे मजूरी बोर्ड के गठन के बारे में वक्तव्य 187

श्री टी० अंजैया

लोक सभा

शुक्रवार, 15 मार्च 1985/24 फाल्गुन 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भरपूर फसल के बावजूद चाय की कीमतों का अधिक होना

*41. श्री विजय कुमार यादव : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 1983 और 1984 के लगातार दो वर्षों में चाय की भरपूर फसल पैदा हुई थी;

(ख) क्या भरपूर पैदावार के बावजूद देश में चाय की कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान चाय के उत्पादन और उसकी कीमतों की घटक-बढ़त का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) . स्थिरता की अवधि के बाद 1983 तथा 1984 में भारत में चाय उत्पादन में भारी वृद्धियां हुई जैसा कि निम्नलिखित आकड़ों से देखा जा सकता है :

उत्पादन मि० कि० ग्राम में

1980	1981	1982	1983	1984
570	560	561	589	644

तथापि, चाय की कीमतें सामान्य तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय पूर्ति तथा मांग की स्थिति द्वारा निर्धारित होती हैं। और विगत कुछ वर्षों में विश्व पूर्ति की तुलना में चाय की विश्व खपत के आधिक्य को देखते हुए गत दो वर्षों में विश्व भर में भारी कीमत वृद्धि हुई है।

स्थिरता की अवधि के बाद 1983 में भारत में भी कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं परन्तु निर्यातों के विनियमन द्वारा विश्व कीमतों में वृद्धि की तुलना में घरेलू बाजार में खपत में आई चाय के सम्बन्ध में भारत में कीमत वृद्धि को प्रतिबंधित करना सम्भव हुआ है। सी० टी० सी० चाय (जो कि घरेलू खपत का बड़ा भाग होती है) की औसत कीमत भारतीय नीलामियों में 1980 में 12.88 रु० प्रति किग्रा०, 1981 में 13 77 रु० प्रति किग्रा० से 1982 में 15.27 रु० प्रति किग्रा० के बीच रही। जनवरी, 1983 में 17.98 रु० की तुलना में जनवरी, 1984 में कीमतें 25.27 रु० थी और प्रचलित कीमत 26 रु० प्रति किग्रा० है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो बातें कही गई हैं, वे तो समझ में आने लायक बातें नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर क्या करें ?

श्री विजय कुमार यादव : मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मान्यवर, समझ का कोई इलाज नहीं है।

श्री विजय कुमार यादव : चाय की कीमतों में पिछले वर्षों में लगातर तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है और हमारे देश के अन्दर जो गरीबी है, अगर लोगों को इस बढ़ती हुई कीमत की वजह से चाय नहीं मिले तो यह बहुत दुख की बात है।

कहा जाता है कि सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर चाय की कीमतें घटती और बढ़ती हैं। पिछले दो साल के आंकड़े मंत्री महोदय ने दिये हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हमारे यहां चाय का प्रोडक्शन काफी बढ़ा है। 1983 में 24 मिलियन के० जी० और 1984 में 55 मिलियन के० जी० चाय के प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी हुई है। उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ 1983 में 2 रुपया 71 पैसे और 1984 में 7 रुपये 29 पैसे की वृद्धि चाय में हुई है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि हमारे यहां जो एक्सपोर्ट की पालिसी है और जो हमारे मैन्युफैक्चर्स हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, जिसकी वजह से अपनी मार्किट में जो चाय बच भी जाती है, चूंकि उस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं है, इसकी वजह से ये गड़बड़िया हैं।

1984 में 644.52 मिलियन के० जी० पैदावार हुई और एक्सपोर्ट 215 मिलियन के० जी० हुआ। हमारे देश में होम डिमांड लगभग 400 मिलियन के० जी० की है। उस मांग को पूरा कर दिया जाये तो करीब 30 मिलियन के० जी० की बचत हो जाती है। फिर भी चाय के दाम में यह बढ़ोत्तरी हुई। मैं जानना चाहता हूं कि जो कुछ कायदे कानून हैं मैन्युफैक्चरर के लिए कि वह टी बोर्ड के साथ रजिस्ट्रर करायें।

क्या सभी मैनुफैक्चरर रजिस्टर कराते हैं ?

क्या यह बात सही नहीं है कि जो चाय हमारे यहां देश में बच जाती है उसकी स्मगलिंग पाकिस्तान तथा अन्य मुल्कों को होती है ? क्या यह बात भी सही है कि जो टी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे अपने को टी-बोर्ड के साथ रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, इसलिए गवर्नमेन्ट के लिए मुमकिन नहीं है कि उसको इस बात की जानकारी हो पाए कि कंज्यूमर्स को किस प्रकार से आपूर्ति होती है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हमारे देश में चाय की कीमतों पर चाय की विश्व में मांग और सप्लाई की स्थिति के आधार पर असर पड़ता है क्योंकि भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है। "अंकटाड" ने एक अध्ययन किया था और उन्होंने यह पाया कि अगर विश्व में चाय की सप्लाई स्थिति में अन्तर एक प्रतिशत हो तो चाय की कीमतों में 7 प्रतिशत अन्तर आ जायगा।

यह सही है कि हमारे देश में चाय के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन श्रीलंका में उत्पन्न समस्याओं और अन्य उत्पादक देशों की मौसम स्थितियों के कारण विश्व के दूसरे हिस्सों में उत्पादन इतना अधिक नहीं हुआ। अतः जब हम विश्व खपत के लिए चाय की उपलब्धता, देखते हैं तो उसमें कुछ कमी आई है। वास्तव में यह कमी 1982-83 तथा 1981-82 में क्रमशः 370 लाख टन और 190 लाख टन थी। अब हमारी समस्या यह है, जैसा मैंने पहले बताया, कि क्योंकि हम सबसे बड़े चाय के निर्यातक हैं और हमें विश्व बाजार की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है—हमारे बाजार विद्यमान हैं—प्रश्न यह है कि क्या हमें अपने बाजार न खोकर एक दीर्घकालीन और संगत चाय निर्यात नीति रखनी चाहिए या हमें विदेशी मुद्रा अर्जित करने के बारे में भूल जाना चाहिए तथा देश के आंतरिक बाजार की मांग को पूरा करना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि हमें दोनों ही पहलुओं पर विचार करना होगा। हमारी नीति हमेशा निर्यात को बढ़ाने तथा साथ ही घरेलू खपत के लिये चाय की उपलब्ध कराने की रही है। लेकिन अगर हम विश्व में चाय की कीमतों की बढ़ोतरी की तस्वीर देखें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े दे सकता हूं :

1983-84 में भारत में कीमत—1983 में—24.13 रुपये थी, और कीमत बढ़कर 26.09 रुपये तक हुई, जबकि बंगलादेश में यह 45.19 रुपये से बढ़कर 55.05 रुपये तक पहुंची। में केवल तीन उदाहरण दूंगा :

1983 में लन्दन में यह 149.58 रुपये से बढ़कर·····

[हिन्दी]

श्री विजयकुमार यादव : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मैंने यह पूछा था कि हमारे देश में जो 400 मिलियन किलोग्राम चाय का कंजम्शन है उसके अलावा भी लगभग 30 मिलियन किलोग्राम चाय बच जाती है, क्या यह बात सही नहीं है कि इस चाय की तस्करी पाकिस्तान तथा दूसरे मुल्कों को होती है जिसको सरकार रोक नहीं पाती है ? इसके

साथ-साथ जो टी-मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो टी-बोर्ड के साथ रजिस्टर कराना चाहिए और सरकार को टी-मूवमेन्ट का लेखा-जोखा रखना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं—इसका जवाब तो मंत्री जी दे नहीं पा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग पर नहीं आया हूं। मैं आपके प्रश्न के दूसरे भाग का जरूर जवाब दूंगा। मैंने हमेशा सदन को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है·····

अध्यक्ष महोदय : आप इनकी दोनों बातों तथा तस्करी होती है या नहीं पर तसल्ली करा दें।

श्री पी० ए० संगमा : यह सच नहीं है कि वे चाय बोर्ड के पास पंजीकृत नहीं है। इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। वे चाय बोर्ड के पास पंजीकृत हैं। दूसरे, जहां तक तस्करी का सम्बन्ध है ऐसी कोई घटना हमारे नोटिस में नहीं लायी गई है। अगर माननीय सदस्य के पास इसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट है तो इसको देने के लिये उनका स्वागत है। हम उसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : सारी मशीनरी तो सरकार के पास है और मंत्री जी हमसे स्मगलिंग की जानकारी करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो अपनी अनभिज्ञता बतलाई है।

श्री विजय कुमार यादव : मैं जानना चाहता हूं कि देश में जो गरीबी है उसमें चाय ही एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी हासिल करना चाहता है, तो सरकार इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठा रही है जिससे कि आम लोगों को चाय सुलभ हो सके और क्या सरकार चाय के दामों में कमी करने का भी प्रयास कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : यह सब आंकड़े देकर हम अपने आपको बचाने की कोशिश यह कहकर नहीं कर रहे हैं कि हम चाय की कीमतों में बढ़ोतरी होने देंगे और वह देश के लिए अच्छी होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि इन हालात में हमारे लिए कीमतों को कम करना मुश्किल है। लेकिन देश में चाय की कीमतों कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। चाय के निर्यात की उज्ज्वल संभावना और विश्व के बाहर इसका और अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए हमने निर्यात को नियमित किया है। लेकिन हमने चाय के निर्यात को नियमित किया है तथा कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : विश्व के बाहर नहीं बल्कि भारत के बाहर।

(व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में यह माना है कि चाय की

भरपूर फसल हुई है। उन्होंने देश में एक किलोग्राम चाय की कीमतों में वृद्धि का भी उल्लेख किया है। जनवरी 1983 में यह कीमत 18 रुपये के लगभग थी और अब उनके अपने विवरण के अनुसार यह 26 रुपये है। इसका अर्थ यह हुआ कि 8 रुपये बढ़ गए हैं, लगभग 50 प्रतिशत। अब, यह सिर्फ तीन कारणों से समझा जा सकता है। चाय के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। उनके अनुसार चाय की कीमत विश्व बाजार में बहुत अधिक है; हम उसके लिए बहुत अच्छी कीमत ले रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी-कितनी चाय का निर्यात किया गया था और उसमें कितना अन्तर था तथा उससे हमने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई। दूसरा कारण यह हो सकता है कि देश के अन्दर चाय की मांग और अधिक हो गई है, जिस पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारी जनता की उपभोग शक्ति सीमित है, क्योंकि हम एक निश्चित सीमा से आगे नहीं जा सकते।

मैं चाहता हूं कि इस संबंध में वह हमें स्थिति से अवगत कराएं। तीसरी बात जो मंत्री महोदय बताने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि चाय, गैर-परम्परागत मार्गों से भी देश से गायब हुई है। जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उन्होंने तस्करी की ओर इशारा किया है। इस बात का पता लगाने के लिए कि कितनी चाय गैर परम्परागत मार्गों के माध्यम से गायब हुई—

हमें इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी जाए कि कितनी चाय का उत्पादन हुआ, कितनी चाय निर्यात की गई तथा देश में कितनी चाय का उपभोग हुआ। इत्यादि।

श्री पी० ए० संगमा : वास्तव में उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों का उल्लेख मूल उत्तर में किया गया है और पिछले पांच वर्षों के आंकड़े दिए गए हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है 1983 में 208,480 लाख किलो चाय का निर्यात किया गया और हमें इससे 516.82 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। उस समय प्रति किलो मूल्य वसूली 24.79 रुपए थी; 1984 में देश से 2147.30 लाख किलो चाय का निर्यात किया गया। यह अधिक नहीं है क्योंकि 2080 लाख किलो से निर्यात बढ़कर केवल 2140 लाख किलो हुआ लेकिन मूल्य वसूली काफी अधिक हुई क्योंकि मूल्य 24 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 34 रुपये प्रति किलो तक हो गया था और इस तरह हमें 744.92 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हुई। अत: यह कोई बुरा कार्य-निष्पादन नहीं है।

श्री जी० जी० स्वैल : कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। चाय की जितनी मात्रा विदेशों में निर्यात की गई वह कोई अधिक नहीं थी लेकिन विश्व के अन्य देशों में चाय की कीमत बढ़ने के कारण ही निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हुई। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चाय के उपभोग में भी वृद्धि हुई है। क्या यह सभी आंकड़े निर्यात आंकड़े और वे उपभोग आंकड़े चाय उत्पादन से संबद्ध है क्या इस दिशा में कोई यथार्थ विश्लेषण किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उत्पादन में वृद्धि तो हुई है लेकिन देश में चाय उपभोग में वृद्धि के कारण उत्पादन की मात्रा भी प्राय: समान ही रही है। 1975 में चाय उत्पादन 4870 लाख किलो था और 1983 में चाय उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इसके अनुमानित

आंकड़े 5870 लाख किलो के लगभग थे। लेकिन जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है 1975 में 2180 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया और 1983 में 2080 लाख किलो चाय निर्यात हुई। निर्यात के आंकड़े लगभग समान रहे। उत्पादन बढ़ा है लेकिन आंतरिक उपभोग बढ़ने के कारण देश में चाय की खपत भी बढ़ी है।

चाय गरीब आदमी का पेय है इसीलिए इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हुए सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब चाय की कीमतें बढ़ी थी तो हमने सी० टी० सी० चाय पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और चाय उद्योग से कहा था कि वह स्वेच्छा से मूल्य नियंत्रित करें और जो उन्होंने किया भी और कुछ बड़े शहरों में स्वीकृत मूल्यों पर पैकेज चाय बेची भी गई। यदि आप देखें तो अगस्त से जब से यह उपाय किए गए चाय की कीमतों पर असर पड़ा। अगस्त में चाय का मूल्य 30 रुपए 30 पैसे प्रति किलो था और दिसम्बर में यह कम होकर 26 रुपए 77 पैसे हो गया। अभी भी मूल्य अधिक है लेकिन इन उपायों के परिणामस्वरूप चाय की कीमत में कमी आई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गरीब लोग पैकेज चाय नहीं खरीदते खुली चाय खरीदते हैं।

श्री शरद शंकर डिघे : मंत्री महोदय ने कहा है कि निर्यात को नियमित करके भारत में मूल्य वृद्धि में कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है फिर भी आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि जनवरी, 1983 से मूल्य 17 रुपये 98 पैसे प्रति किलो से बढ़कर आज 26 रुपए हो गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने की दृष्टि से सरकार का विचार कुछ कड़े उपाय अपनाने का है ताकि मूल्यों में और वृद्धि न हो अथवा उनमें कमी लाई जा सके।

श्री पी० ए० संगमा : हमने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है और 1985 के लिए अपनी विपणन नीति की भी घोषणा कर दी है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह विपणन नीति क्या है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : जहां तक व्यापार के विस्तृत विवरण का सम्बन्ध है यह कहा गया है कि 1984 में भी चाय की नीलामी कीमत 26 रुपए प्रति किलो थी। हालांकि मैं यह महसूस करती हूं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है फिर भी मैं एक बात जानना चाहती हूं क्या मंत्रियों को इस बात की जानकारी है कि आज बाजार में सी० टी० सी० चाय के क्या दाम हैं ? क्या वे जानते हैं कि सी० टी० सी० चाय की सबसे घटिया किस्म भी 40 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है ? मैं यह जानना चाहती हूं कि 40 से 45 रुपये तक की कीमत न्यूनतम है। यदि ऐसी स्थिति है तो 26 रुपए प्रति किलो की नीलामी कीमत से हम जैसे लोगों को क्या फायदा है क्योंकि हम तो इसे 40-45 रुपये की कीमत पर खरीद रहे हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? अन्य मामलों में अधिक कुछ नहीं किया गया है। लेकिन इस मामले में हम यह जानना चाहते हैं कि हमको किस प्रकार चाय कम दाम पर मिल सकती है अन्यथा हमारे लिए सस्ती दर पर चाय का इन्तजाम किया जाए।

श्री पी० ए० संगमा : मैं इस बात से पूर्णतया अवगत हूं कि चाय के दाम बढ़ गए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि मैं भी चाय पीने वालों में से हूं। जैसा कि मैंने बताया कि इस स्थिति में हमारे लिए चाय की कीमत को उस हद तक कम करना जितना उपभोक्ता चाहते हैं या मैं चाहता हूं संभव नहीं है। चाय को उचित दाम पर देश में उपलब्ध कराने के लिए हम स्वयं निर्यात पर नियंत्रण रख रहे हैं।

चाय की उत्पादन लागत भी अत्यधिक रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नीलामी मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्री पी० ए० संगमा : मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सी० टी० सी० चाय के विभिन्न ग्रेडों के उपभोक्ता मूल्य स्थानीय करों को शामिल न करते हुए निम्नलिखित हैं :—

अप्रैल-जून 1983—रैड लेबल—28.76
सुपर डस्ट—30.47
यैलो लेबल—28.66
रूबी डस्ट—30.48
अप्रैल-जून 1984—रेड लेबल—32.00
सुपर डस्ट—35.67
यैलो लेबल—30.88
रूबी डस्ट—35.68

अधिक उत्पादन के कारण सूत का निर्यात

*42. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कपास का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यकता से अधिक उत्पादन को देखते हुए सरकार का विचार सूत के निर्यात करने का है;

(ग) 1985-86 के वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कपास और सूत का निर्यात करने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) . पिछले कुछ वर्षों के दौरान रुई की लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल वाली किस्मों का उत्पादन, हमारी घरेलू आवश्यकताओं से अधिक रहा है। रुई का निर्यात मांग, पूर्ति तथा रुई की कीमतों के रुख के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चालू मौसम

(1 सितम्बर, 1984—31 अगस्त, 1985) के दौरान अभी तक सरकार ने निर्यात के लिये रुई की लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल वाली किस्मों की 1.00 लाख गांठें रिलीज की हैं। कलेंडर वर्ष, 1985 के दौरान 41 एस से 60 एस काउंट वाले सूती यार्न के 6 मिलियन कि० ग्रा० की सीमा तक निर्यात की अनुमति दी गई है; जबकि 61 एस और अधिक काउंट वाले यार्न की बिना किसी मात्रा सम्बन्धी रोक के अनुमति है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान रुई का उत्पादन आवश्यकताओं से अधिक रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि प्रतिवर्ष रुई की औसत कितनी मात्रा का आधिक्य रहा। अंतराष्ट्रीय बुलेटिन में इसकी कीमत क्या है। इसकी जहाज पर्यन्त निशुल्क और बीमा लागत भाड़ा कीमत क्या है ? क्या मंत्री महोदय इस संबंध में मुझे बुलेटिन की एक प्रति देने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्या ने यह प्रश्न पूछा है हालांकि उड़ीसा में रुई नहीं उगाई जाती। मुझे यह प्रश्न पूछना चाहिए था। उन्हें इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी होगी—यदि रुई की कीमत गिर रही है तो आप इसे अधिक मात्रा में निर्यात क्यों नहीं करते ?

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक इस वर्ष का संबंध है, अनुमानित उत्पादन—अध्यक्ष महोदय इसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उन्होंने कई बार इस संबंध में बात की है— 84.75 लाख गांठें है। पिछला स्टाक 16 लाख गांठों का है इस प्रकार कुल मिलाकर 100.75 लाख गांठों का स्टाक हमारे पास होगा। आशा है इसमें से लगभग 86.65 लाख गांठों का मिलों द्वारा उपभोग किया जाएगा। जहां तक निर्यात का संबंध है वह केवल लम्बे तथा अधिक लम्बे रेशे वाली किस्मों से संबंधित है। हमारे पास इस समय अनुमानतया 2.86 लाख गांठें फालतू हैं जिसमें से एक लाख गांठों के निर्यात की अब तक अनुमति दी जा चुकी है। जहां तक मध्यम रेशे का संबंध है वास्तव में उस 7000 गांठों की कमी है। इसलिए इनका निर्यात नाम मात्र का रहा है। मुझे खेद है कि इस वक्त बीमा भाड़ा लागत के सही आंकड़े मेरे पास नहीं है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : लेकिन कीमत क्या है मैं समझ नहीं पाई। क्या यह कीमत हमारे पत्तन पर है या उनके पत्तन पर ? और क्या हमारे पास बफ़र स्टाक है ? यदि ऐसा नहीं है तो क्या बफ़र स्टाक बनाने का कोई प्रस्ताव है ?····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कीमतें गिर गई हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : हां, कीमतों में कमी आई है लेकिन इसके परिणामस्वरूप किसानों को परेशानी होगी·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए वह परेशान हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : इसीलिए मैं भी पूछ रही हूं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा कुछ अन्य कारणों से भी उत्पादन में कमी आई है·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री पुरोहित।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य में कपास की एकाधिकार खरीदी योजना है। वहां पर कपास की गांठें भाव घट जाने की वजह से फैडरेशन से बिक नहीं पाई। इसलिए महाराष्ट्र कपास फैडरेशन ने केन्द्रीय सरकार से एक्सपोर्ट करने की इजाजत मांगी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र फैडरेशन ने कितनी गांठें एक्सपोर्ट करने की अनुमति मांगी थी और केन्द्रीय सरकार ने कितनी गांठों की अनुमति दी ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : हमने उन्हें 40,000 गांठों के निर्यात की अनुमति दी है। इन एक लाख गांठों में से हमने भारतीय कपास निगम को 40,000 गांठों, महाराष्ट्र फेडरेशन को 40,000 गांठों और गुजरात फेडरेशन को 20,000 गांठों के निर्यात की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : अतः, कुल मिलाकर एक लाख गांठें थीं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : फेडरेशन ने कितनी गांठों की इजाजत मांगी थी और केन्द्रीय सरकार ने कितनी की दी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फेडरेशन ने कितनी गांठों के निर्यात की मांग की थी ?

श्री पी० ए० संगमा : मेरे पास ये आंकड़ें नहीं हैं कि उन्होंने कितनी गांठों के निर्यात की मांग की थी।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय के विवरण के अनुसार जितनी गांठों का उन्होंने निर्यात किये जाने की अनुमति दी है उनके अलावा हमारे पास एक लाख से भी अधिक गांठें और हैं। इतनी गांठें कैसे हैं और हमारे पास उपलब्ध फालतू गांठों का निर्यात करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी लम्बे रेशे वाली कपास का निर्यात करने की अनुमति मांगी है और क्या यह मांग लम्बे अर्से से चली आ रही है ?

वित्त और वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : प्रो० रंगा ने किसानों के प्रति और कपास के गिरते हुए मूल्य के प्रति जो चिन्ता व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूं। मैं सरकार की ओर से इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि जितनी गांठों का पहले निर्यात किये जाने की अनुमति दी गई है इसके अलावा हम एक लाख गांठों का और निर्यात किये जाने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छी बात है और उचित भी है।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : इसके साथ ही आन्ध्र से निर्यात के बारे में स्थिति यह है कि आन्ध्र प्रदेश लम्बे रेशे वाली कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अब तक

हम महाराष्ट्र काटन फेडरेशन, भारतीय कपास निगम और गुजरात काटन फेडरेशन को निर्यात करने की अनुमति देते रहे हैं। यह इस बात को रोकने के लिए किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ही उत्पादन को बेचने वाले अधिक लोग न हों और प्रतियोगिता न हो। परन्तु यदि आन्ध्र काटन फेडरेशन के पास लम्बे रेशे की कपास है तो हम वहां से निर्यात करवाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय भी कुछ अच्छे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल सकारात्मक उत्तर मिलेगा। जी हां, श्री रेड्डी।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या निर्यात नीति बनाने में कपास उत्पादक मुख्य राज्यों की भी सलाह ली जाती है और क्या इस निर्यात नीति का निर्धारण करने से पहले किसान लाबी को प्रतिनिधित्व देने की कोई सम्भावना है। आम धारणा यह है कि फसल आने के तत्काल बाद ही कीमतें कम होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग ही कपास ले लेते हैं और किसान से उसकी कपास लेने के बाद इसकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कपास निर्यात नीति का निर्धारण करने से पहले अधिक कपास पैदा करने वाले राज्यों से विचार विमर्श किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं ? हमें तैयार रहना चाहिये। इलाज से परहेज हमेशा अच्छा होता है।

श्री पी० ए० संगमा : हम इसके लिए कुछ उपाय करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : कपास निगम सो जाता है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

*43 **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **इस्पात खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या भारतीय इस्पात के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में पहले ही दुगुने हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस्पात के मूल्यों को सुस्थिर बनाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री के० नटवरसिंह) (क) और (ख). जी, हां। संयुक्त संयंत्र समिति ने 20/21 फरवरी, 1985 की अर्द्ध-रात्रि से इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अन्ततः इस्पात की कीमतें उत्पादन लागत पर आधारित होती हैं और उत्पादन लागतों में वृद्धि को रोकने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जिससे ये उत्पादकों के नियंत्रण में रहें। उत्पादन लागत पर नियंत्रण रखने के लिए किए गए कुछ उपायों में योजनाबद्ध तरीके से अधिकाधिक उत्पादन प्रौद्योगिकीय करना, तकनीकी-आर्थिक प्राचलों तथा प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं में सुधार करना, बेहतर रख-रखाव तथा माल-सूची और खर्च पर नियंत्रण रखना शामिल हैं।

श्री सोमनाथ रथ : मैं जानना चाहता हूं कि इस्पात के मूल्यों में कई बार वृद्धि करने के क्या कारण है। क्या यह सच है कि इसका कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की उत्पादन लागत बढ़ना है और इसलिए वे इस अन्तर को पूरा करना चाहते हैं इसलिए ये मूल्य बढ़े हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करने के लिए और इसमें आने वाली रुकावटों को दूर करने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करेंगे ? क्या यह भी सच है कि इसके मूल्यों में वृद्धि का एक कारण कच्चे माल और कल-पुर्जों जैसे कोयला, ऊर्जा आदि के मूल्यों में वृद्धि होना है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह देखने के लिए कोयला, रेल और ऊर्जा मंत्रियों के साथ तालमेल रखेंगे कि बढ़े हुए उत्पादन के लिए इन इस्पात संयंत्रों को उचित समय पर उचित सुविधाएं प्रदान की जायें ?

श्री के० नटवर सिंह : लोहे और इस्पात के मूल्यों का निर्धारण और इनकी घोषणा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा की जाती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसका गठन लोहा तथा इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 के अन्तर्गत किया गया था और इसमें मुख्य उत्पादकों, जिसमें रेलवे भी शामिल है, के प्रतिनिधि होते हैं।

समिति का अध्यक्ष लोहा तथा इस्पात नियंत्रक कलकत्ता होता है। मूल्य निर्धारण करने के लिए समिति (1) विभिन्न प्रकार के इस्पात की उत्पादन लागत, (2) इस्पात निकास निधि, भाड़ा समकरण निधि, जे० पी० सी० उपकर और इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि में किया गया अंशदान और; (3) खुला बाजार मूल्य, जोकि बाजार में चल सकता है; (4) विकास कार्यक्रमों और सामान्य मूल्य स्तर आदि पर प्रभाव को ध्यान में रखती है।

इस्पात का मूल्य पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार संशोधित किया गया :

1982-83—3 बार

1983-84—2 बार

1984-85—2 बार

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों का सम्बन्ध है, हाल ही में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री वसंत साठे ने इस्पात पर एक गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के प्रतिनिधि और बहुत से इस्पात विशेषज्ञों ने भाग लिया था और इसमें बहुत से सुझाव दिये गये थे। इन पर इस्पात परामर्शदात्री परिषद द्वारा विचार किया जाएगा जिसका गठन माननीय मंत्री जी ने किया है।

श्री सोमनाथ रथ : क्या यह सच है कि बहुत से औद्योगिक संगठनों ने, जिसमें इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद भी शामिल है सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार करने और इस्पात मूल्यों में की गई वृद्धि को वापस लेने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उन्होंने क्या तर्क दिये हैं और सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री के० नटवर सिंह : मेरे पास ऐसी 36 एसोसिएशनों और संगठनों की सूची है यदि मैं ये कहूं, कि जिन्होंने इस मूल्य वृद्धि का विरोध किया है। जिस संगठन का नाम माननीय मंत्री महोदय ने लिया है उसका इस सूची में उल्लेख नहीं है। ज्योंही हमें उनका विरोध पत्र मिल जायेगा, हम इसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : माननीय मंत्री महोदय ने सदन को औपचारिक सा उत्तर दिया है।

मैं जानना चाहता हूं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अनुसार विभिन्न प्रकार के इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है और हमारे देश में अब प्रचलित मूल्य क्या है। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय जी को यह पता है कि जनता पार्टी के शासनकाल में श्री विजयनंद पटनायक केन्द्र में मंत्री थे और उस समय 15 प्रतिशत से भी अधिक मूल्य बढ़े थे जिसके कारण देश को अस्थाई तौर पर नुकसान हुआ था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पुरानी प्रौद्योगिकी की झूठी दलील के कारण नये-नये इस्पात संयंत्र शुरू हो रहे हैं जिसके कारण भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्रों में समय की बरबादी हो रही है। पिछली बार पिछली लोकसभा में हमारे संसद सदस्य श्री राजीव गांधी, जो अब प्रधान मंत्री हैं, ने व्यावसायिक विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए बहुत से सुझाव दिए थे ताकि विभिन्न इस्पात संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में मदद मिल सके। इसी कारण सी० सी० एल०, एम० डी० एम० सी० आदि की तीव्र वृद्धि हुई है। इस्पात संयंत्र का सबसे अच्छा काल 1972 से 1977 तक था। इस पृष्ठि भूमि में, जो मैंने दी है, मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों में कितना समय बरबाद हुआ और लागत वृद्धि कितनी हुई जिसे उपभोक्ता मूल्य में लगा दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बढ़ाइये मत, कृपया अनुपूरक प्रश्न ही पूछिये।

डा० कृपासिन्धु भोई : मेरा प्रश्न यह है कि नये इस्पात संयंत्रों में उत्पादन संबंधी समयबद्ध कार्यक्रम क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि लागत में कितनी वृद्धि हुई है जिससे बिक्री योग्य इस्पात चल स्टाक और अन्य धातु इस्पात सयंत्रों में हमारी उत्पादन लागत दुगनी हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके अनाप-शनाप प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे ?

डा० कृपा सिन्धु भोई : महोदय, मैं उन्हें शिक्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब यह कक्षा नहीं चल रही, यह प्रश्नकाल है।

श्री के० नटवरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाया कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है वह उससे सम्बन्धित है जिसकी यहां चर्चा हो रही है।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैंने पूछा है कि विभिन्न प्रकार के इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है और यहां क्या मूल्य है और इसमें क्या-क्या कठिनाइयां हैं।

श्री के० नटवरसिंह : 1984 में विभिन्न देशों में प्रति टन इस्पात मूल्य रुपयों में इस प्रकार था।

अमरीका—7,565; जापान—5,138; पश्चिमी जर्मनी—5,052; यूनाइटेड किंगडम—5,188; फ्रांस—4,664।

भारत में, यदि हम सकल मूल्य लें तो यह 6400 है और यदि हम विभिन्न शुल्क और लेवी जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, को घटा दें तो यह 5000 है।

इसलिए भारत में यह मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के दुगने के नजदीक भी नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत अधिक भी नहीं है। मैंने 1984 की दूसरी छमाही के आंकड़ों का उल्लेख किया है।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका	:	7,625 रु० प्रतिटन
जापान	:	4,951 रु० प्रति टन (लगभग 5000 रु०)
पश्चिम जर्मनी	:	4,800 रु० प्रति टन
ब्रिटेन	:	4,854 रु० प्रति टन
फ्रांस	:	4,432 रु० प्रति टन

प्रो० मधु दंडवते : क्या माननीय मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि जब पिछली बार इस्पात की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की गई थी तो इस निर्णय का पहले ही पता चल गया था। जिसके कारण·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप जवाब चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से सवाल करें? दोषारोपण मत करें।

प्रो० मधु दंडवते : क्या माननीय मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि पिछली बार इस्पात की कीमतों में वृद्धि की घोषणा किए जाने से पूर्व ही कुछ सूत्रों से इस निर्णय का अग्रिम संकेत मिल जाने पर भारी मात्रा में इस्पात की खरीद की गई जिससे सरकारी राजकोष को भारी हानि हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बार इस्पात की कीमतों में वृद्धि की घोषणा किए जाने के अवसर पर क्या इस बार इसकी भारी खरीद-फरोख्त किए जाने की किसी घटना का आपको पता चला है?

श्री के० नटवरसिंह : महोदय, जहां तक मुझे मालूम है हमारी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं आई है। लेकिन आपको यदि इस संबंध में कुछ तथ्य मालूम हो तो हमें दीजिएगा। हम उनकी जांच करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : आपके पूर्ववर्ती मंत्री ने पिछली लोक सभा में कुछ और ही जवाब दिया था।

श्री के० नटवरसिंह : मैं उनके द्वारा दिए उत्तरों के लिए जिम्मेवार नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ राव : महोदय वे कौन से संघटक है जिनकी उत्पादन-लागत में वृद्धि होने के कारण बिक्री योग्य इस्पात की कीमतों में वृद्धि होती है। उत्पादन क्षमता आदि का पूरा उपयोग करके क्या इन संघटकों की उत्पादन लागत घटाने के प्रयास किए गए हैं? स्टील-उद्योग ने इनकी कीमतें घटाने के लिए क्या कोई गंभीर प्रयास किया है? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ाना ठीक नहीं है।

श्री के० नटवर सिंह : महोदय, 1983-84 के मुकाबले 1984-85 में निम्नलिखित मदों के संबंध में हुई प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार है :—

कोकिंग कोल	:	18 प्रतिशत
बायलर कोल	:	12 प्रतिशत
विद्युत	:	10 प्रतिशत
वेतन तथा मजदूरी	:	10 प्रतिशत

कार्य-कुशलता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कुछ उपाय किए हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनका ब्यौरा दूं। एक अन्य बात और है, यदि आप भिलाई और 'टिस्को' के उत्पादनों की तुलना करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भिलाई ने ठीक ही उत्पादन किया है। भिलाई 25 लाख टन का संयंत्र है और 'टिस्को' का संयंत्र 20 लाख टन का है।

1972-73 से 1983-84 तक
संचयी लाभ (करोड़ रु० में)

भिलाई	:	370
टिस्को	:	331

श्रम उत्पादिता (1982-83) प्रति
व्यक्ति प्रतिवर्ष सिल टन में

भिलाई	:	71
टाय लौह	:	64

तथा इस्पात कंपनी
क्षमता का उपयोग (1982-83)

भिलाई	:	93·5%
टिस्को	:	106·4%

प्रति टन सिल तथा स्टील के लिए
किलो केलौरी में ऊर्जा उपभोग (1983-84)

भिलाई	:	104 लाख
टिस्को	:	115 लाख

कोयले की दरें (1982-83)

भिलाई	:	823
टिस्को	:	818

इसलिए कम्पनी कम उत्पादन नहीं कर रहीं। लेकिन यदि आपका आशय संयंत्रों द्वारा किए कुल उत्पादन से है तो हमारे उत्पादन आंकड़े प्रभावशाली नहीं है। उदाहरण के लिए दुर्गापुर और 'टिस्को' ठीक से काम नहीं कर रहे। इन्हें आधुनिक बनाने तथा इनकी कार्य-कुशलता बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत के स्टील उद्योग को जिन विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैसा अन्य देशों के स्टील उद्योग को नहीं करना पड़ता। यहां अधिक संख्या में श्रमिकों तथा अनेक मजदूर संघों के होने की समस्या है। कुछ मशीनें पुरानी हो गई हैं। यदि उनके आधुनिकीकरण पर पूंजी निवेश किया जाए तो करोड़ों रुपये लगेंगे और हमारे पास साधनों की बहुत कमी है।

जापान के एक उच्चाधिकार प्राप्त आर्थिक शिष्टमंडल द्वारा की गई यात्रा

*44. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के एक उच्चाधिकार प्राप्त आर्थिक शिष्टमंडल ने दिसम्बर 1984 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो जापानी शिष्टमंडल के साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहयोग के किन्हीं नए क्षेत्रों का भी पता लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) . जापान के एक उच्चाधिकार प्राप्त आर्थिक शिष्टमण्डल ने नवम्बर-दिसम्बर, 1984 में भारत का दौरा किया था और भारत सरकार, वित्तीय संस्थानों और बहुत से वाणिज्य मण्डलों आदि के प्रतिनिधियों से बातचीत की। यह दौरा अन्वेषणात्मक था जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत-जापान आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सम्भावनाओं का पता लगाना और इस सन्दर्भ में भारत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना था। चूंकि शिष्टमण्डल का प्रयोजन स्थिति का मोटे तौर पर अनुमान लगाना था, इसलिए न तो किसी करार पर विचार किया गया और न ही किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रो० रामकृष्ण मोरे : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जापानियों ने भारत में अप्रर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधाओं तथा विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में भारत सरकार की नीति की शिकायत की है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या सरकार का प्रस्ताव विदेशी पूंजी निवेश नीति को और अधिक उदार बनाने का है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अपनी आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए हम उदार नीति का पालन कर रहे हैं।

श्री आनंद गजपति राजू : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से जापानी दल के इस अन्वेषणात्मक दौरे से, उनके साथ की गई प्रारम्भिक बातचीत से क्या कोई

लाभदायक परिणाम निकले ? और यदि हां, तो हम माननीय मंत्री महोदय से इसका ब्यौरा जानना चाहेंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका हूं मुख्य रूप से यह दौरा अन्वेषणात्मक था । दल हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती का मूल्यांकन भी करना चाहता था । हमारे मूल्यांकन के अनुसार वे अच्छा प्रभाव लेकर लौटे हैं । इस दौरे का एक ठोस परिणाम एक तो यह निकला है कि जापानी आटोपार्ट्स इन्डस्ट्री एसोसियेशन ने फरवरी, 1985 में एक 9 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत में भेजा था जिसने पूरे देश का दौरा किया और अन्य पक्षों के साथ विचार-विमर्श किया ।

वेतन आयोग की रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

*45. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री के कुन्हम्बु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाल रहे हैं,

(ख) रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) . सभा-पटल पर एक विवरण रखा है ।

विवरण

राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष ने चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और इस सन्दर्भ में अन्तरिम राहत देने का अनुरोध किया था ।

2. चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार. उसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों—औद्योगिक और गैर-औद्योगिक, रक्षा सेवाओं के कार्मिकों और संघ-शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे, सेवा शर्तों, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभों आदि के बारे में जांच करनी और जितनी जल्दी व्यावहारिक हो अपनी सिफारिशें देनी हैं । वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख है । चूंकि आयोग को सरकार के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की वर्तमान सापेक्षताओं और लगभग अगले एक दशक के लिए भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी परिलब्धियों के ढांचे और सेवा शर्तों का निर्धारण करना है, इसलिए आयोग को विस्तृत आंकड़े एकत्र करके उनका विश्लेषण करना है और सावधानीपूर्वक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है । इस स्तर पर यह बताना सम्भव नहीं होगा कि आयोग कब तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा । तथापि, वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में हाल ही में, संशोधन किया गया है ताकि आयोग अपनी अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने से पहले कर्मचारी पक्ष की अन्तरिम राहत की एक और किश्त की मांग पर विचार कर सके ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विवरण में ही रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बारे में विलम्ब के कारण नहीं दिए गए हैं। दूसरा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वेतन आयोग की नियुक्ति करते समय इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए क्या कोई समय सीमा का उल्लेख किया था ?

रिपोर्ट को विलंब से प्रस्तुत करने को देखते हुए क्या सरकार वेतन आयोग को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इसके आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राहत की एक और किस्त मंजूर करने के लिए कहेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, आयोग का गठन करते समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन जैसा कि सदस्य महोदय ने कहा, सरकार वेतन आयोग से समय सीमा के बारे में यह पूछेगी कि वह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं।

श्री धर्मपालसिंह मलिक : क्या यह सच नहीं है कि हरियाणा के बहादुरगढ़, सोनीपत और अन्य परिसर वाले शहरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के हजारों कर्मचारियों को दिल्ली के बराबर नगर प्रतिपूरक भत्ता मिल रहा है जबकि इन शहरों में रहने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर नगर प्रतिपूरक भत्ता नहीं मिल रहा है ? क्या केन्द्रीय सरकार इन असमानताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मुख्य प्रश्न वेतन आयोग पर है। लेकिन सोनीपत के बारे में यह एक बहुत विशेष प्रश्न है। मैं इसके लिए एक अलग से नोटिस चाहूंगा।

श्री के० कुन्जम्बु : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के 50 लाख कर्मचारी वेतन आयोग की रिपोर्ट का उत्सुकतापूर्वक इन्तजार कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि हमारे गतिशील प्रधानमंत्री उनके साथ न्याय करेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अन्तरिम राहत के भुगतान और वेतन आयोग की अन्तिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बारे में कोई पक्की तारीख बतायेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

डा० इत्ता सामन्त : महोदय, वेतन आयोग की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में काफी विलम्ब है।

अपने लम्बे उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या अधिक है, विभाग बहुत हैं आदि। इन उत्तरों से हम संतुष्ट नहीं है। इस विलम्ब को देखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तुरन्त अन्तरिम राहत देने के बारे में मंत्री महोदय विचार करेंगे और क्या वह संभावित तारीख का भी निर्धारण करेंगे कि आयोग द्वारा कब तक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, सरकार ने पहली बार इस वेतन आयोग को स्वत: नियुक्त किया है और 50 रुपए से 100 रुपए प्रति महीने तक अन्तरिम राहत भी दी है।

अब आयोग के संदर्भ में भी एक संशोधन किया गया है जिसमें आयोग अन्तरिम राहत

की सिफारिश कर सकता है। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि सरकार आयोग को इस बारे में लिख रही है कि वह किस समय तक रिपोर्ट दे देगा।

श्री अजय विश्वास : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महासंघ ने वेतन आयोग की रिपोर्ट को देरी से प्रस्तुत करने के लिए दूसरी अन्तरिम राहत की मांग की है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की बैठक को बुलाएंगे और वहां पर इसका निर्णय करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकता हूं। लेकिन 28-2-85 को संघ के प्रतिनिधियों ने आयोग के साथ मुलाकात की। मैं समझता हूं कि वे इसको देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 46, श्री सैफुद्दीन चौधरी।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रश्न संख्या 46 के साथ प्रश्न संख्या 56 को भी लिया जाए। यह उसी प्रकार का है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह हो सकता है।

क्या आप प्रश्न संख्या 56 को भी इसके साथ लेने के लिए सहमत है ?

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : जी हां, महोदय;

प्रो० मधु दंडवते : अगर दो-तिहाई साथ आए तो विलय की अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मैं पता लगा रहा हूं क्योंकि मुझे इसका निर्णय लेना है ?

राज्यों द्वारा लिए गए "ओवर ड्राफ्ट" को कम करना

*46. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**
श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ओवरड्राफ्ट में कमी करने पर विचार कर रही है,

(ख) इस हानिकारक स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है, और

(ग) क्या सरकार राज्यों द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्ट को आठवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों को दी जाने वाली प्रस्तावित धनराशि में समायोजित करने पर विचार कर रही है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) तथा (ख) . भारत सरकार ने निर्णय किया है कि राज्यों के ओवर-ड्राफ्टों का स्तर उस स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए जो 28 जनवरी, 1985 को था। राज्यों को सूचित कर दिया गया है कि यदि उनके ओवर-ड्राफ्ट का स्तर लगातार सात कार्य दिवसों के लिए उस स्तर से अधिक हो जाता है जो 28 जनवरी, 1985 को था, तो भारतीय रिजर्व बैंक उनके सरकारी खातों में अदायगियां बन्द कर देगा।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राज्यों द्वारा लिए गए ओवर ड्राफ्ट

*56. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री बाला साहेब विखे पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओवरड्राफ्ट की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ख) इसे कम करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 9.3.1985 की स्थिति के अनुसार ओवर-ड्राफ्ट की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को परामर्श दिया गया है कि वह उन राज्यों को अदायगियां बंद कर दे, जिनके ओवर-ड्राफ्ट का स्तर लगातार सात कार्य दिवसों तक उस स्तर से अधिक हो जाता है जो वह 28 जनवरी, 1985 को था। कुछ राज्यों ने ओवर-ड्राफ्ट की उस सीमा से अधिक ओवर-ड्राफ्ट लेने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है जो वह 28 जनवरी, 1985 को थी। भारत सरकार के लिए इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

विवरण

9.3.1985 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की ओवर-ड्राफ्ट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

		(करोड़ रुपए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	177.49
2.	असम	38.25
3.	बिहार	0.78
4.	गुजरात	63.25
5.	हरियाणा	67.44
6.	कर्नाटक	170.57
7.	केरल	222.55
8.	मध्य प्रदेश	17.58
9.	नागालैण्ड	8.01
10.	उड़ीसा	46.87
11.	पंजाब	52.67
12.	उत्तर प्रदेश	311.17
13.	पश्चिम बंगाल	221.33
	सभी राज्यों का जोड़	1397.97*

*पूर्णांकन के कारण अलग-अलग मदें, दिखाए गए जोड़ को व्यक्त नहीं करती हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ओवरड्राफ्टों की स्थिति संबंधी उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से यह पता चलता है कि ओवरड्राफ्ट पर राजनीतिक प्रभाव है। केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की नीति में संशोधन करना होगा। वह मूल बात है। अब स्थिति यह है कि वर्ष 1984-85 के लिए आठवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को धन दिए जाने की सिफारिश की गई है, उसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिन पर ओवरड्राफ्ट की राशि बकाया है। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री उसे समायोजित करने जा रहे हैं। वास्तव में पहले से ही लिया गया धन परिचालन में है। अतः उसमें पर्याप्त अंतर नहीं होगा। यह केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों के प्रति केवल सद्भाव होगा। हमें उतने धन की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह उस पर विचार करने जा रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वित्त आयोग द्वारा अंतरिम सिफारिश की गई थी। हमने उसे ध्यान में रखा। जहां तक और समायोजन करने का संबंध है, यह संभव नहीं है। जिन ओवर ड्राफ्टों का संबंध राजनीति से है, उनमें निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता जब तक माननीय सदस्य उस का संबंध राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते।

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का मामला सरकारिया आयोग के पास है। इसकी जांच की जा रही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : केन्द्र द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाये जाने के संबंध में उन्होंने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे ओवर ड्राफ्ट प्राप्त करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए। लेकिन आदर्श सलाहकार कैसा होना चाहिए ? एक कहानी है—कि जब एक बालक को पैगम्बर के पास लाया गया कि वह उस बच्चे को मिठाई छोड़ देने का सुझाव दें। पैगम्बर ने 10 दिन का समय मांगा और उन्होंने मिठाई छोड़ने का अथक प्रयास किया। 10 दिन के बाद जब बच्चे को उनके सामने लाया गया, तो उसने बच्चे को कहा, "अब तुम मिठाई छोड़ दो।" आपकी घाटे की वित्त व्यवस्था है जो राज्यों द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्ट के समान है। अब आप राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट न लेने के सुझाव दे रहे हैं। उससे पहले क्या आप स्वयं घाटे की व्यवस्था का आश्रय लेना बंद करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाहे राज्य हो या केन्द्र, हमें वित्तीय अनुशासन के अनुसार कार्य करना है। इस पर विचारों में मूलभूत अतर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस संदर्भ में हमें यह उपाय करना पड़ा था, जो कि थोड़ा कठोर है।

वर्ष 1982-83 में हमने राज्यों को 1,743 करोड़ रुपये के सावधिक ऋण दिए थे। पुनः वर्ष 1983-84 में हमने 499 करोड़ रुपए दिए।

उस समय मुख्य-मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया जाएगा।

पुनः 1983-84 में हमने 531 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट दिया, जो कि समायोजित किया गया ओवरड्राफ्ट है।

मुख्यमंत्रियों ने पुनः आश्वासन दिया कि अब और ओवरड्राफ्ट नहीं लिया जाएगा।

मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूँ क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मामला है।

28.1.85 को राज्यों को 1,808 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट मिल चुका था।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं राज्यों का ब्यौरा भी प्रस्तुत करुंगा।

2.2.85 को यह 1,917 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

31.1.85 से 1.2.85 तक एक ही दिन में इसमें 34 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

अगले दिन 1.2.85 से 2.2.85 तक यह 41 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।

वित्तीय व्यवस्था को बचाना ही होगा। इस पर कुछ रोक लगानी पड़ेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न राज्यों की स्थिति अलग-अलग है।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : वे जिस वित्तीय नीति का पालन कर रहे हैं केन्द्र द्वारा उसके प्रमाणन की जांच की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरा प्रश्न पत्र पर नजर डालिए। चिल्लाइये नहीं। प्रश्न पत्र पढ़िए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कृपया आप यह घोषणा कर दीजिए कि 'पश्चिम बंगाल' शब्द असंसदीय है ताकि सदन में कोई कठिनाई न हो।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : राज्य सरकारों ने मिलकर 20,000 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट लिए। अकेले केन्द्र सरकार को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक घाटों की अर्थ-व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। अतः क्या केन्द्र सरकार स्वयं आर्थिक अनुशासन में रहेगी।

केन्द्र सरकार स्वेच्छा से राज्य सरकारों को अपने ओवरड्राफ्ट कम करने के लिए कह रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को दूसरे या परवर्ती वर्षों में कार्यान्वित करने संबंधी कोई निर्णय लिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वर्ष 1985-86 में हम वित्त आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

फटे-पुराने नोटों का चलन और कम मूल्य के नोटों की कमी

*47. **श्री अमल दत्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फटे-पुराने नोटों के चलन में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या एक और दो रुपये के नोटों की कमी का कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन नोटों को कम संख्या में जारी किया जाना है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता को अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी एसोसिएशन से इन समस्याओं के समाधान के सुझाव देते हुए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) . नए करेंसी नोटों, विशेषकर कम मूल्यवर्ग के नोटों की परिचालन के लिए देश में कमी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने नए नोटों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कतिपय उपाय किए हैं जैसे कि दो नोट मुद्रणालयों में प्रोत्साहन सहित 11 घंटे की पारी शुरू की गई है, नई और कुशल मशीनरी स्थापित कर इनका विस्तार और आधुनिकीकरण किया है तथा दो प्रेसों में पूरी दो पारियां शुरू की हैं। दीर्घकालीन उपाय के रूप में देश में एक नई बैंक नोट प्रेस की स्थापना करने का भी निश्चय किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, समय-समय पर, अपने विभिन्न निर्गम केन्द्रों को ये अनुदेश दिये हैं कि वे पुन: जारी किये जा सकने वाले करेंसी और बैंक नोटों को छांट लें और विद्यमान कमी की पूर्ति करने की दृष्टि से इन्हें फिर से परिचालित करें। इसलिए यह तो संभव है कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्गम कार्यालयों द्वारा कुछ मैले-कुचैले नोट परिचालन में लाए गए हों तथापि ये ऐसे होंगे जो पुन: जारी किये जाने योग्य होंगे। इसलिए यह संभव है कि देश में परिचालित कुल नोटों के प्रतिशत के रूप में मैले-कुचैले नोटों की मात्रा में हाल में वृद्धि हुई हो। बैंक और करेंसी नोटों के उत्पादन में वृद्धि करने के सरकार के अभियान के अंग के रूप में, 1 रुपए और दो रुपए के नोटों के उत्पादन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी पूर्ति में निम्नलिखित रूप में वृद्धि की गई हैं :

(दस लाख अदद)

	उत्पादन		भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ति	
	1983-84	1984-85 (केवल 11 महीने)	1983-84	1984-85 (केवल 11 महीने)
1 रुपए के नोट	206.31	434.65	225.00	426.00
2 रुपए के नोट	9:6.1	71,336.29	925.00	1,325.00

इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वर्ष के दौरान इन मूल्यवर्गों की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि की है। इस प्रकार यह सच नहीं है कि 1 रुपए और 2 रुपए के मूल्यवर्ग के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम संख्या में जारी किये जा रहे हैं।

(ङ) और (च) . अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसकी एक प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता के प्रतिनिधि को दी गई थी। संघ द्वारा इस हल के सिवाए कि कम मूल्यवर्ग के नोटों के उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि की जाए और कोई विशिष्ट उपाय नहीं सुझाया है। विषय के इस पहलू पर पहले ही ध्यान दिया जा रहा है।

रुग्ण उद्योगों की बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रति राष्ट्रीयकरण से पूर्व की देनदारी

*48. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस बात पर जोर देने पर कि राज्य सरकारों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की न केवल अधिग्रहण पश्चात की देयता बल्कि अधिग्रहण के पूर्व की देयता की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, के कारण राज्य सरकारों की रुग्ण उद्योगों को धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण करने की नीति में गम्भीर अड़चनें उत्पन्न हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हाल ही में लिये गये अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं

(ख) से (घ) . प्रश्न ही नहीं उठते।

हथकरघा कपड़े का उत्पादन और निर्यात

*49. **श्री अमरसिंह राठवा :**
श्री मोहनलाल पटेल :

क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में हथकरघा कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) देश में वर्ष 1983 और 1984 के दौरान हथकरघा उद्योग द्वारा कुल कितने कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने रुपए का मूल्य का हथकरघा कपड़ा निर्यात किया गया; और

(घ) वर्ष 1985 के दौरान हथकरघा कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार की नीति है कि हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन की बढ़ाने के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए

सहकारिताओं और राज्य हथकरघा विकास निगमों जैसी संगठनात्मक अवस्थापनाओं का सृजन किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे सहकारी समितियों के सदस्य बन सकें। इसके अलावा, प्राथमिक सहकारी समितियों के बेहतर प्रबन्ध के लिए प्रबन्धकीय उपदान, सहकारी क्षेत्र में करघों के सुधार तथा आधुनिकीकरण हेतु ऋण तथा अनुदान, सदस्यों से अधिप्राप्ति में वृद्धि करने तथा विपणन कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के लिये राज्य शीर्षस्थ विपणन सहकारी समितियों और हथकरघा निगमों को अंश पूंजी सहायता, बुनकरों को सतत रोजगार प्रदान करने के लिये हथकरघा जनता कपड़ा योजना और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिये हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष रिपोर्ट देने के लिये सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त यार्न का उत्पादन करने वाली सभी मिलों द्वारा हथकरघा क्षेत्र को सप्लाई किये जाने के लिये हैंकों के रूप में अपने विपणन योग्य यार्न के कम से कम 50 प्रतिशत को पैक करना अपेक्षित है। हथकरघा क्षेत्र को हैंक यार्न की सप्लाई के लिये आरक्षित स्रोत के रूप में कार्य करने के लिये हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

(ख) तथा (ग) . 1984 के लिये उत्पादन तथा निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिये उत्पादन तथा निर्यातों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

उत्पादन

1982-83	3253 मिलियन मीटर
1983-84 (अनन्तिम)	3400 मिलियन मीटर
1984-85 (लक्ष्य)	3700 मिलियन मीटर

उत्पादन के आंकड़े मिलों द्वारा हैंक यार्न की सिविल डिलीवरियों से लिये जाते हैं।

निर्यात

1982-83	330.89 करोड़ रु०
1983-84 (अनन्तिम)	309.30 करोड़ रु०
1984-85 (लक्ष्य)	408.00 करोड़ रु०

(घ) हथकरघा कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विश्वकर्म प्रदर्शनियां, बाजार अभिमुखीकरण दौरे, क्रेता-विक्रेता बैठकें, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों। प्रदर्शनियों आदि में सहभागिता समय-समय पर प्रायोजित किये जाते हैं। 1985-86 हेतु कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार त्रिपुरा को तीस करोड़ रुपए की मंजूरी

*50 **श्री अजय बिश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि वर्ष 1984-85 के लिए आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित न किये जाने के कारण त्रिपुरा सरकार को विशेष सहायता के रूप में 30 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे; और

(ख) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा के पिछड़ेपन को देखते हुए वर्ष 1984-85 के लिए आठवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 30 करोड़ रुपये मंजूर करने का है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने वित्त आयोग की 1984-85 की अन्तिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। इसलिये वर्ष 1984-85 की रिपोर्ट के क्रियान्वयन न किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ख) जी नहीं ! परन्तु राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये चालू वर्ष में राज्य को 68 करोड़ रुपये की एक आयोजना को कार्यान्वित करने के लिए 82.47 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता आबटित की गई थी।

अमरीका को किए जाने वाले निर्यात पर डालर के बढ़ते हुए मूल्य का प्रभाव

*51. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझती है कि डालर के मूल्य में वृद्धि होने से भारत द्वारा अमरीका को किये जाने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डालर के मूल्य में तीव्र वृद्धि से विशेष रूप से प्रभावित अन्य निर्यात वस्तुओं के लिये अधिक नकद राज सहायता देने जैसे कदम उठाने का है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अमरीकी डालर की मूल्य वृद्धि भारतीय निर्यातों को और अधिक प्रतियोगी बनाएगी तथा इससे संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में कोयले की कमी

*52. **श्री सुधीर राय** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के विभिन्न भागों में कोयले की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयले की कमी को पूरा करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) . जहां तक पश्चिम बंगाल के उपभोक्ताओं को कच्चे कोयले की सप्लाई का प्रश्न है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है। संयुजित उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई रेल और सड़क द्वारा की जा रही है। उपभोक्ताओं को यह भी अनुमति दी है कि कोयले की आबंटित मात्रा को रेल से जाने में जो

कमी रह जाये, वह कमी, यदि वे चाहें तो, सड़क द्वारा कोयला ले जाकर पूरी कर सकते हैं। लेकिन 1984-85 के दौरान बरसात जल्दी शुरू हो जाने और फिर भारी वर्षा होने के कारण उत्पादन में जो कमी हुई उसकी वजह से पश्चिम बंगाल के उपभोक्ताओं को साफ्ट कोक और हार्ड कोक की कुल जरूरतें पूरी करने में कुछ कठिनाई हुई थी। जुलाई, 1984 और उसके बाद के महीनों में साफ्ट कोक और हार्ड कोक का उत्पादन और प्रेषण बढ़ाने के लिये कार्रवाई की गई थी और तब से सप्लाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 के दौरान पश्चिम बंगाल को सप्लाई किये गये 5,01,700 टन साफ्ट कोक की तुलना में वर्ष 1984-85 की उसी अवधि में 6,11,014 टन साफ्ट कोक सप्लाई किया गया है।

बिहार से हाथ से बनाये गये चित्रों का निर्यात

*53. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विदेशों में बिहार की हस्तशिल्प की वस्तुओं विशेषकर चित्रों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां तो इस समय किन-किन देशों द्वारा इन चित्रों का आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये नये बाजारों का पता लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत से हस्तनिर्मित चित्रों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	(लाख रु० में)
1980-81	51.24
1981-82	74·61
1982-83 (अप्रैल-नवम्बर)	31·19

(ख) भारत से हस्तनिर्मित चित्रों के प्रमुख आयातक देश हैं : ब्रिटेन, नीदरलैंड, सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, इटली, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी।

(ग) जी हां।

(घ) (1) सं० रा० अमरीका तथा फ्रांस में भारतीय उत्सव के भाग के रूप में हस्तशिल्प प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(2) अप्रैल-मई, 1985 में पश्चिमी जर्मनी में भारत संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें हस्तशिल्पों का साक्षात प्रदर्शन किया जा रहा है।

(3) जद्दा, सऊदी अरब में हस्तनिर्मित कालीनों के लिये एक बिक्री बाजार खोला जा रहा है।

(4) मध्य-पूर्व में हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिये संवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत दोहा में एक प्रदर्शनी की गई है और दूसरी कुवैत में करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

पुराने कपड़ों के व्यापार में घोटाला

*54. **श्री हरीश रावत :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने कपड़ों के व्यापार में हो रहे व्यापक घोटालों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपे समाचारों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के घोटालों को रोकने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है। 1985-86 की आयात नीति तैयार की जा रही है।

[अनुवाद]

सलेम इस्पात संयंत्र की वितरण नीति

* **श्री के० राममूर्ति :** क्या **इस्पात खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेम इस्पात संयंत्र की वर्तमान वितरण नीति, एकाधिकारियों को नियुक्त करने और भारी मात्रा में 100 टन की मासिक खरीद पर 6% की छूट देने तथा छह महीनों में 750 टन इस्पात खरीदने पर 1% की अतिरिक्त छूट देने के कारण स्टेनलैस स्टील के थोक विक्रेताओं के पक्ष में है;

(ख) क्या सैकन्डज की वस्तुओं की उपलब्धता का कोई व्यापक प्रचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अधिकांश पत्तियां, स्ट्राइपों और छोटे बड़े आकार के उत्पाद थोक विक्रेताओं द्वारा खरीदे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो लघु औद्योगिक एककों की सहायता करने के लिए सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) और (ग) . सेलम इस्पात कारखाने की वितरण नीति किसी भी श्रेणी के खरीददारों के लिए अनुचित नहीं है। इस समय सभी ग्राहकों को दी जाने वाली छूट का स्लैब इस प्रकार है :

(1) मासिक खरीद पर दी जाने वाली छूट

मासिक खरीद का स्लेब	प्रोत्साहन का प्रतिशत
5 एम० टी० — 10 एम० टी०	1·0%
10 एम० टी० — 20 एम० टी० से अधिक	1·5%
20 एम० टी० — 30 एम० टी० से अधिक	2.5%
30 एम० टी० — 50 एम० टी० से अधिक	3.5%
50 एम० टी० — 75 एम० टी० से अधिक	4.0%
75 एम० टी० — 100 एम० टी० से अधिक	4·5%
100 एम० टी० से अधिक	5·0%

(1) छः महीने की अवधि में की गई लगातार खरीद के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन

छमाही खरीद के लिए स्लेब	छः महीने की कुल बिक्री पर देय प्रोत्साहन बोनस का प्रतिशत
150 एम० टी० से 200 एम० टी० तक	0·25%
200 एम० टी० ... 400 एम० टी० से अधिक	0.50%
400 एम० टी० ... 600 एम० टी० से अधिक	0.75%
600 एम० टी० ... 750 एम० टी० से अधिक	1.00%
750 एम० टी० से अधिक	1.25%

अधिक खरीद के लिए अधिक छूट देने की अनुमति के लिए सामान्य वाणिज्यिक प्रक्रिया को ध्यान में रख कर छूट की मात्रा निर्धारित की जाती है। लगातार खरीद को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी भेद-भाव के अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की अनुमति दी जाती है।

(ख) पुराने माल के स्टाक की सूचियां "सेल" के बेदाग इस्पात से सम्बन्धित विपणन संगठनों के बिक्री कार्यालयों के सूचना-पट्टों पर लगाई जाती है। और यदि उनकी मांग होती है तो वे ग्राहकों को उपलब्ध करवा दी जाती हैं। पुराने माल की बिक्री पंजीकरण होने पर की जाती है और यदि उनकी मांग उपलब्धि से अधिक होती है तो सामान्यतः उनका वितरण बढ़िया किस्म के माल की खरीद के यथानुपात किया जाता है। पुराने माल के अलावा वाणिज्यिक किस्म की कतरनों जैसी अन्य वस्तुओं की बिक्री "जैसा है जहां है" के आधार पर खुले टेंडर आमंत्रित करके खारखाने से की जाती है।

मध्यप्रदेश में बाक्साइट की खानें

*57. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाक्साइट खानों के उचित दोहन के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) मध्यप्रदेश में बाक्साइट की खानों वाले स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में बाक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री : (**श्री बसंत साठे**) (क) से (ग) . सरकार ने देश में बाक्साइट निक्षेपों के समुचित विदोहन के लिए कई कदम उठाये हैं। यथा—

(i) सरकारी क्षेत्र में बाक्साइट निक्षेपों के विदोहन हेतु दो कम्पनियों अर्थात् भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) तथा नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) का गठन। मध्य प्रदेश के बिलासपुर तथा मांडला जिलों के निक्षेपों का विद्रोह बाल्कोकर रही है। उड़ीसा में गंधमर्दन में भी यह कम्पनी एक नई खान का विकास कर रही है। नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० इस समय प्रतिवर्ष 2.4 मि० टन बाक्साइट 0.8 मि० टन एल्यूमिना (जिसमें से 0.375 मि० टन निर्यात के लिए होगा) तथा 0.218 मि० टन एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिए उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली बाक्साइट निक्षेप का विकास कर रही है।

(ii) आंध्र प्रदेश में सोवियत रूस के सहयोग से एक निर्यात-प्रधान बाक्साइट खान के विकास पर विचार हो रहा है, जिससे शुरु में 2.3 मि० टन बाक्साइट का हर साल सोवियत रूस को निर्यात होगा।

(iii) कुछ बाक्साइट खानों का प्रायवेट सेक्टर के बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों द्वारा भी विदोहन किया जा रहा है।

2. मध्य प्रदेश में बाक्साइट खानें बस्तर, बिलासपुर, जबलपुर, मांडला, रीवा, सतना, सीधी तथा शहडोल जिलों में हैं। मध्य प्रदेश में 46 खानें चालू हैं, जिनमें से 6 सरकारी क्षेत्र में हैं।

3. मध्य प्रदेश में बाक्साइट के अनुमानित भंडार 187.5 मि० टन हैं, जो देश के कुल 2489 मि० टन भंडारों के लगभग 7.5% हैं।

कर अपवंचन के लिए कम्पनियों पर छापे

*58. **श्री रामभगत पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 1985 से अब तक छापे मारे गये हैं और उसके परिणामस्वरूप कुल कितनी धनराशि के कर अपवंचन किए जाने का अनुमान है, और

(ख) क्या सर्वप्रथम सरकार का विचार उन कम्पनियों द्वारा किए गये कर आयवंचन की पूरी राशि वसूल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : जिन कम्पनियों के परिसरों पर 1985 के दौरान (28-2-85 तक) छापे मारे गये थे उनकी संख्या तथा तत्काल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमानित कर अपवंचन की कुल राशि इस प्रकार है :—

(1) **प्रत्यक्ष कर** : इस अवधि के दौरान 33 कम्पनियों तथा उनकी सहायक कम्पनियों की तलाशियां ली गई थीं। उस कर की राशि की संगणना की जा रही है जिनकी अपवंचन किये जाने की मंशा थी।

(2) **सीमा शुल्क** : जिन कम्पनियों की तलाशियां ली गई उनकी संख्या 30 है, इनमें उनकी सहायक कम्पनियां शामिल नहीं हैं। चार मामलों के किए गए कर अपवंचन की राशि

5.20 करोड़ रु० है। शेष मामलों में अपवंचन किए गए शुल्क की राशि की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से जांच पड़ताल की जा रही है।

(3) **केन्द्रीय उत्पादन शुल्क** : 86 कम्पनियों तथा उनकी सहायक कम्पनियों पर छापे मारे गये थे जिसमें लगभग 18.5 करोड़ रु० का शुल्क-अपवंचन ग्रस्त है।

(4) **प्रवर्त्तन निदेशालय** : विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन के संबंध में तलाशियां ली गई थीं परन्तु चूंकि इनमें कर अपवंचन ग्रस्त नहीं हैं, इसलिए विवरण 'शुन्य' है।

(ख) अपवंचन किए गये कर की सम्पूर्ण राशि की वसूली को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स का राष्ट्रीयकरण करने का पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

* 59. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को "श्री दुर्गा काटन एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने और उसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम के साथ मिलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस घाटे की मिल का उत्तरदायित्व वहन करने में अपनी असमर्थता जाहिर की है तथा भारत सरकार को ऐसा करने को कहा है।

(ख) प्रत्यक्षत: भारत सरकार ऐसी मिलों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है जोकि जीवनक्षम बनने की क्षमता नहीं रखती है। इस मिल की भावी व्यवस्था के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को हटाना जाना

* 60. **श्री मोहम्मद अली खां :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ सर्वोच्च अधिकारियों को हटाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) . राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उप खंड (क) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 18 फरवरी 1985 को पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री एस० एल० बालूजा, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री बी० बी० सोनालकर और बैंक आफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक

श्री एस० एस० मास्टर का कार्यालय समाप्त कर दिया। उन्हें नोटिस की निर्धारित अवधि के बदले 3 महीने का वेतन और ग्राह्य भत्तों की अदायगी कर दी गई। कार्यकाल की यह समाप्ति उनकी नियुक्तियों पर लागू उपर्युक्त स्कीम के उपबन्धों के अनुसार की गई थी।

नियंत्रित कपड़ा

211. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार नियंत्रित कपड़े (किस्मों) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को कुछ रियायत दी हैं;

(ग) क्या पिछले 6 महीनों के दौरान नियंत्रित कपड़े के मूल्य में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्तमान नियंत्रित कपड़ा योजना के अनुसार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा चार किस्मों अर्थात् धोती, साड़ी, लट्ठा और पालियेस्टर सूत मिश्रित कमीज के कपड़ा का उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) नियंत्रित कपड़े का उत्पादन समाज के कमजोर वर्गों की कपड़ा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिये किया जाता है। उनके द्वारा उचित कीमतों पर नियंत्रित कपड़े की खरीद करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा धोती, साड़ी पर 2.00 रु० प्रति वर्ग मीटर, पोलियेस्टर सूत मिश्रित कमीज के कपड़े पर 3.73 रु० प्रति मीटर और लट्ठे पर 1.50 रु० प्रति वर्ग मीटर की दर पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, नियंत्रित कपड़े का वितरण उचित दर की दुकानों और उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों (जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति हैं) की मार्फत किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेलों का आयात

212. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाद्य तेलों के आयात का जो कोटा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का था उसे मैसर्स लिप्टन इण्डिया लिमिटेड को दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) **तथा (ख)** . मैसर्स लिप्टन इंडिया लिमिटेड ने मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० के गाजियाबाद तथा त्रिची एककों का अधिग्रहण कर लिया है। परिणामस्वरूप इन दोनों एककों से सम्बन्धित औद्योगिक लाइसेंस आई० डी० आर० अधिनियम के अधीन मैसर्स लिप्टन इंडिया लि० को अन्तरित कर दिये गये।

आयातित तेल का आबंटन, जिसे इन दोनों एककों को मई, 1984 में बन्द कर दिया गया था, बाद में मैसर्स लिप्टन इंडिया लि० के नाम में औद्योगिक लाइसेंस के अन्तरण के बाद नवम्बर, 1984 में रिलीज कर दिया गया।

अपने कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी आयकर की धनराशि जमा करने में चूक करने वाली फर्में

213. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक फर्में अपने कर्मचारियों के वेतन से काटी गई आयकर की धनराशि को समय पर जमा न कराने वाली व्यापारिक फर्मों का प्रतिशत क्या है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में इस चूक के लिए दिल्ली में गिरफ्तार किए गए व्यापारियों की संख्या और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) ऐसे मामले हैं जिनमें व्यापारिक फर्मों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी आयकर की रकम समय पर जमा नहीं करायी जाती लेकिन सही सूचना उपलब्ध नहीं है तथा उसे एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान तीन कम्पनियों के खिलाफ दिल्ली के न्यायालयों में 169 मुकद्दमे चलाए गए हैं। ये निम्नानुसार हैं :—

(i) मैसर्स हंसराज गुप्ता एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० तथा इसके निदेशक/प्रधान अधिकारी;

(ii) मेसर्स ऐल्फाबेटिक्स प्रा० लि० तथा इसके निदेशक/प्रधान अधिकारी; और

(iii) मेसर्स भारत एग्रो एविएशन सर्विसिज प्रा० लि० इसके निदेशक/प्रधान अधिकारी।

मेसर्स हंसराज गुप्ता एण्ड कं० प्रा० लि० के मामले में, अभियुक्त कम्पनी और इसके पांच निदेशकों/प्रधान अधिकारियों को जमानत-पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत मंजूर कर ली गई/छोड़ दिया गया। अन्य मामलों में, शिकायतों की सुनवाई किये जाने के बाद विद्वत न्यायालय ने अभियुक्त कम्पनियों और उनके निदेशकों/प्रधान अधिकारियों को 27/4/1985 तथा 26/4/1985 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन भेजे हैं; ये तारीखें आगामी वित्तीय वर्ष में आती हैं।

स्वापक औषधियों के लिए व्यापक विधान

214 **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक औषधियों संबंधी मौजूदा कानूनों को समेकित करने और मजबूत बनाने तथा औषधियों की चोरी छिपी बिक्री के लिये सख्त सजा की व्यवस्था करने हेतु सरकार का विचार व्यापक विधान बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . नारकोटिक

द्रव्यों और मन:प्रभावी द्रव्यों के संबंध में एक व्यापक कानून बनाने हेतु एक मसौदा अन्तिम चरणों में है। नारकोटिक द्रव्यों के संबंध में मौजूदा कानूनों को समेकित करने, उनमें संशोधन करने और उन्हें मजबूत बनाने के अतिरिक्त इस कानून में अन्य बातों के साथ-साथ मन:प्रभावी द्रव्यों पर सख्त नियंत्रण रखने और औषध द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार के लिए कड़ी सजा देने की भी व्यवस्था की जाएगी।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फटे-पुराने नोटों को बदलना

215. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फटे-पुराने नोटों को बदलने से इन्कार करने के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को जनता की समस्याओं को दूर करने हेतु फटे-पुराने नोटों को स्वीकार करने के आदेश देने जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) . भारतीय रिजर्व बैंक को जनता से, कुछ बैंकों की शाखाओं में फटे-पुराने,, मैले-कुचैले नोटों को बदलने में उनके द्वारा कठिनाई महसूस किये जाने के संबंध में यदा-कदा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी-क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में अपनी शाखाओं के कार्य में सुधार लाने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह सलाह भी दी है कि वे अपनी शाखाओं में मैले-कुचैले नोटों तथा फटे-पुराने नोटों की कुछ किस्मों को बदलने की सुविधाओं का जनता के लिए विस्तार करने की सुनिश्चित व्यवस्था करें। जनता की सूचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार-पत्रों में इस सुविधा का प्रचार किया है। इन बैंकों की शाखाओं से भी यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने परिसरों में ऐसे पोस्टरों का प्रदर्शन करें जिसमें मैले-कुचैले और फटे-पुराने नोटों की कतिपय किस्मों को मुफ्त बदलने की सुविधाओं की पेशकश की गई हो।

वेतन भोगी व्यक्तियों पर रुपए के मूल्य में गिरावट का प्रभाव

216. **श्री पीयूष तिरकी :**
श्री चित्त महाटा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के मूल्य में हाल में काफी गिरावट आई और इसके अंकित मूल्य में लगातार गिरावट आती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वेतनभोगी व्यक्तियों की प्रतिपूर्ति करने और बेरोजगार और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की कठिनाई कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :

(क) और (ख) . रुपए की क्रय शक्ति जो भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक (आधार 1960=100) के व्युत्क्रम के रूप में मापी जाती है, जनवरी, 1984 में 17.76 पैसे थी। यह मार्च, 1984 में बढ़कर 17.92 पैसे हो गई और नवम्बर, 1984 में गिरकर 16.81 पैसे हो गई। तथापि, रुपए की क्रय शक्ति दिसम्बर, 1984 में बढ़कर 17.01 पैसे हो गई और जनवरी, 1985 (अद्यतन उपलब्ध) में स्थिर बनी रही।

सरकार अपने कर्मचारियों के जीवन निर्वाह में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों से जुड़े महंगाई भत्ते में संशोधन के द्वारा करती है। इसी उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी में भी समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और गरीबी में कमी करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई बहुत-सी योजनाएं शुरू की हैं। इनमें ये योजनाएं शामिल हैं : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारों को आत्म-नियोजन प्रदान करने की योजना।

भिलाई में जमा योजना घोटाला

217. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" नई दिल्ली में "पार्टनर्स आफ भिलाई फर्म ईल्ड" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : जी, हां।

(ख) : प्रकाशित समाचार के अनुसार भिलाई ट्रेडिंग कम्पनी (बी०टी०सी०) जो साझेदारी कंपनी है, 40 रुपए से लेकर अधिक रकमें इस वायदे पर 75 दिनों के लिए जमा के रूप में ले रही थी कि वह जमा कराई रकम से दुगुने मूल्य की वस्तुएं देगी। बताया जाता है कि कई लोगों ने इस कम्पनी के पास रकमें जमा करवाई हैं।

प्रथम दृष्टि में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, कंपनी की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के भाग 111 ग के उपबंधों का उल्लंघन है। इन उपलब्धों में किसी व्यक्ति, फर्म और व्यक्तियों की अनिगमित संस्था के लिए निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों से जमा राशियां स्वीकार करने की मनाही है।

प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और तीन साझीदारों, कंपनी के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी दुकानों को सील कर दिया है और रिकार्ड जब्त कर लिया है।

लघु क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा योजना लागू किया जाना

218. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र में स्थानीय एककों को निरन्तर दर संविदाएं देने के विचार से राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा एक नई योजना लागू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन नए क्षेत्रों में लघु क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उद्देश्य क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). राउरकेला इस्पात कारखाने ने लघु क्षेत्र की स्थानीय इकाइयों को निरन्तर दर संविदाएं देने के लिए कोई नई योजना लागू नहीं की है। लेकिन कुछ मदों के लिए लघु क्षेत्र की स्थानीय इकाइयों से दर संविदा करने की कारखाने की अपनी प्रणाली है। लघु क्षेत्र की स्थानीय इकाइयों से 4 मदों के लिए दर संविदा की गई है। इस समय कारखाना और अधिक मदों का पता लगाने का कार्य कर रहा है ताकि उन मदों के लिए सम्भारकों से एक अथवा दो वर्षों के लिए दर संविदा की जा सके और उसमें उसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ाने की भी व्यवस्था हो। अब तक कारखाने ने 238 ऐसी मदों का पता लगाया है जिनके लिए दर संविदा की जा सकती है, लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब संविदा में उल्लिखित मूल्य-वृद्धि की धारा के सम्बन्ध में कारखाने के प्राधिकारी तथा इकाइयां संयुक्त रूप से सम्मत उपयुक्त प्राचल निर्धारित कर लें।

इलायची का उत्पादन और निर्यात

219. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितनी मात्रा में इलायची का निर्यात किया गया ;

(ख) कौन-कौन से राज्य इलायची का उत्पादन कर रहे हैं तथा इलायची का निर्यात करने वाले प्रत्येक राज्य द्वारा इसका कितनी मात्रा में क्रय और निर्यात किया गया और किस एजेंसी के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) विदेशों में इलायची की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में इलायची का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :

(क) इलायची की निर्यात मात्रा निम्नांकित प्रकार है :

वर्ष	मात्रा
1982-83	1032 मैं० टन
1983-84	258 मैं० टन
1984-85	1960 मैं० टन (अप्रैल, 84—फरवरी, 85)

(ख) छोटी इलायची के उत्पादक तीन राज्य हैं—केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। बड़ी इलायची की पैदावार सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में हो रही है। इलायची की खरीद और निर्यात मुख्यत: केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में स्थित गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा किया जाता है। तथापि, केरल राज्य सहकारी विपणन महासंघ ने 1982-83 में

10 मैं० टन, 1983-84 में 10 मैं० टन तथा 1984-85 (अप्रैल-फरवरी, 85) में 46 मैं० टन की खरीद और निर्यात किया। इस महासंघ ने 1983-84 में राज्य व्यापार निगम को 88 मैं० टन इलायची की खरीद कर सप्लाई भी की जिसका 1984-85 में उस निगम द्वारा निर्यात किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ने 1983-84 में 20 मैं० टन और 1984-85 (अप्रैल-फरवरी, 1985) में 30 मैं० टन इलायची की खरीद तथा निर्यात किया।

(ग) देश में इलायची के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से इलायची बोर्ड सूखाग्रस्त बागानों की पुनस्थापना, पुराने और अनार्थिक बागानों के पुनर्रोपण, विभागीय नर्सरियों में क्वालिटी पौध का उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं के सुधार आदि जैसी योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार की स्थापना के लिए बैंकों द्वारा सहायता

220. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से बैंक हैं जो व्यापारिक उद्योग की स्थापना हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में निवेश की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बैंकों ने कुछ गांवों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण देने के लिए चयन भी किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को व्यापार/उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देते हैं।

(ख) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गुजरात में पांच वर्षों में लघु उद्योग एककों को दिये गए कुल अग्रिमों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

दिसम्बर का अन्तिम शुक्रवार	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपए)
1978	27629	17848.11
1979	37029	22024.04
1980	46340	26593.10
1981	56292	32698.52
1982	71449	35767.76

(ग) और (घ). बैंकों ने ग्राम अंगीकरण योजना के अन्तर्गत जून 1983 के अन्त में देश भर के 141042 गांवों को अंगीकार किया जिनमें से 5506 गांव गुजरात के हैं।

अण्डमान द्वीप में पाम आयल के बागान

221. **श्री के० प्रधानी :**

क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाम आयल की देश में लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु किसी स्तर पर अण्डमान द्वीप तथा देश में कहीं अन्य स्थानों पर पाम आयल के बागान लगाने की किसी योजना पर विचार किया है जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है और यदि ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :

(क) जी हां।

(ख) अण्डमान तथा निकोबार बागान तथा वन विकास निगम, पोर्ट ब्लेयर, लघु अण्डमान में 2400 हैक्टेयर के रेड आयल पाम बागान का कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना का कुल परिव्यय 9.09 करोड़ रु० है और अब तक 1300 हैक्टेयर का कार्य पूरा हो चुका है।

इस प्रकार, उपयुक्त कृषि जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के बाद केरल में रेड आयल पाम कृषि की एक परियोजना शुरू की गई है। अब तक वहां 3705 हैक्टेयर का क्षेत्र रोपित किया जा चुका है।

आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कदम

222. **श्री मानिक रेड्डी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक अपराधों को रोकने की दृष्टि से स्वीडन में विद्यमान नमूने पर आर्थिक अपराधों के लिए एक आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न ही, नहीं उठता।

आय कर अधिनियम की धारा 80 ञ के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

223. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ञ के जिसमें एक औद्योगिक इकाई में लगाई गई पूंजी को गणना का आधार निर्धारित किया गया है, संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप नियमित क्षेत्र से कई करोड़ रुपये का कर वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा क्या इस रकम को वसूल करने के लिए कोई तिथि निश्चित की गई है, यदि हां, तो कितना समय लगेगा; और

(ग) उन कम्पनियों के विशेषकर इस मामले में अपील करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी तरफ एक करोड़ या इससे अधिक राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) तथा (ख) . देश में सभी आयकर आयुक्तों से कहा गया है कि है धारा 80 अ के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुए करों को 31-3-1985 तक वसूली करने के लिए विशेष प्रयास करें जिनमें किसी भी स्थगन आदेश को रद्द करवाना भी शमिल है।

(ग) जिन अपीलकर्ता कम्पनियों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जानी है, उनकी संख्या बहुत अधिक है क्योंकि यह मामला बहुत वर्षों से न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विचाराधीन रहा है। यदि किसी कम्पनी विशेष के बारे में अपेक्षित जानकारी मांगी जाती है तो उसे एकत्र करके माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया जा सकता है।

बैंक धोखाधड़ियों में वृद्धि

224. **श्री जी० विजय राम राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में लापरवाही के कारण बैंक धोखाधड़ियां बढ़ रही हैं :

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बकों और गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए बैंक कर्मचारियों और गैर बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की बैंक धोखाधड़ियां गबन आदि के संबंध में स्टेट्स पेपर प्रकाशित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि इस प्रकार की धोखाधड़ियों को समाप्त नहीं किया जाता है तो इन्हें कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) धोखाधड़ी के आंकड़ों से बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन, इसे बैंकिंग प्रणाली के विस्तार में हुए व्यापक विस्तार के संदर्भ में देखना होगा।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बैंकों से अपनी नियन्त्रण और पर्यवेक्षण प्रणालियों को मजबूत करने, अपनी प्रबन्ध व्यवस्था तथा सतर्कता में सुधार करने और दोषी पाए गए स्टाफ को ऐसा दण्ड देने के लिए कहा गया जो दूसरों के वास्ते उदाहरण हो।

सरकारी उद्यमों का कार्यकरण

225. **प्रो० बाई० एस० महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी उद्यमों के कार्यकरण के बारे में आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग तथा डा० अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है,

(ख) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों पर विचार किया है और श्री मोहम्मद फजल (फजल समिति) की अध्यक्षता वाली पहले की समिति, जिसने कि सरकारी उद्यमों के कार्यकरण के संबंध में कतिपय सिफारिशें की थी, को भी ध्यान में रखा है, और

(ग) यदि हां, तो सरकारी उद्यमों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या ठोस उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . सरकार इन रिपोर्टों की ओर ध्यान दे रही है।

"फेरा" कम्पनियां

226. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, और वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय द्वारा सरकार को यथा सूचित "फेरा" कम्पनियों, (40 विदेशी इक्विटी कम्पनियों), विदेशी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों की सहायक कम्पनियों विदेशी कम्पनियों की शाखाओं, 20 से 40% विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों का कम्पनी-वार, वर्ष-वार निर्यात, आयात, लाभांश सम्बन्धी धन प्रेषण, रायल्टी, एक मुश्त तकनीकी फीस, ब्याज, लाभ आदि (मद-वार) का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन पर इन विदेशी इक्विटी कम्पनियों का कुल मिलाकर परिणाम क्या रहा है; और

(ग) यदि विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तो किस आधार पर सरकार उद्योग वार, यह निर्णय करती है कि विदेशी पूंजी निवेश के लिए किसे अनुमति दी जाए और किसे नहीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फेरा कम्पनियों (अर्थात जिनके पास विदेशी इक्विटी 40 प्रतिशत से अधिक है) तथा विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की एक सूची लोक सभा के दिनांक 6-4-84 के प्रश्न संख्या 6794 के उत्तर में प्रस्तुत कर दी गई थी। उपर्युक्त सूची में विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के नाम भी शामिल थे। चूंकि जिन कम्पनियों के पास विदेशी इक्विटी 40 प्रतिशत तक है, उन्हें पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों के समकक्ष माना जाता है, इसलिए 20 से 40 प्रतिशत वाली विदेशी इक्विटी धारित कम्पनियों की अलग से कोई सूची नहीं रखी जाती है। जैसा कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, कम्पनियां निर्यातों/आयातों और लाभांश, रायल्टी, एक मुश्त तकनीकी फीसों, ब्याज, लाभ आदि के सम्बन्ध में प्रेषणाओं पर अपनी वार्षिक रिपोर्टों में सूचना प्रदान करती है। किसी विशेष कम्पनी/कम्पनियों के बारे में सूचना कम्पनियों के संबद्ध रजिस्ट्रार से प्राप्त की जा सकती है।

(ख) तथा (ग) विदेशी निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक आधार पर जारी है। ऐसे निवेशों के लिए आवेदन-पत्रों को विद्यमान नीति तथा मार्ग-निर्देशों के अनुसार निपटाया जाता है। यहां पर यह भी बता दिया जाए कि विदेशी निवेशों के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करने से पूव निर्यात से होने वाली आय या आयात प्रतिस्थापना के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की सम्भावित निकासी एवं विदेशी मुद्रा में होने वाली संभावित बचतों को ध्यान में रखा जाता है। लाभों, लाभाशों, रायल्टियों, तकनीकी ज्ञान की फीसों आदि के कारण विदेशी मुद्रा की वार्षिक निकासी हमारी वार्षिक निर्यात-आय का एक कम प्रतिशत होती हैं।

आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

227. **श्री एन० वेंकटरत्नम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या है जिन्हें आंध्र प्रदेश में "नाबार्ड" के परामर्श से भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कुल प्रदत्त पूंजी का 15 प्रतिशत शेयर का अपना अंशदान किया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बैंकों के मुख्यालयों तथा कार्य क्षेत्र को अधिसूचित करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय आंध्र प्रदेश में 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3(1) के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6(2) के संदर्भ में प्रत्येक राज्य सरकार, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य सरकार भी शामिल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल जारी पूंजी के 15 प्रतिशत के बराबर अंशदान करती है। अब तक आंध्र प्रदेश में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में राज्य सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के इक्विटी शेयर में अपने हिस्से का अभिदान किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सिण्डीकेट बैंक की लन्दन शाखा द्वारा मैसर्स इसाल ग्रुप की कम्पनियों को मन्जूर किया गया ऋण

228. **श्री एस० एम० गुरट्टी :**
प्रो० मधु दण्डवते :
श्री वाई० एस० महाजन :
श्री बम्पन थामस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित सिण्डीकेट बैंक के महाप्रबंधक ने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) क्या त्यागपत्र देने वाले महाप्रबन्धक पिछले दस वर्षों से लन्दन कार्यालय में कार्य कर रहे थे;

(ग) क्या लन्दन स्थिति सिण्डीकेट बैंक की शाखा द्वारा मैसर्स इसाल ग्रुप की कम्पनियों के श्री राजेन्द्र सेठिया को ऋण मंजूर किया था जिन्हें हाल ही में दिवालिया घोषित किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के बैंकिंग विभाग द्वारा इस संबंध में पूछताछ की गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . सिंडीकेट बैंक के एक उप महाप्रबंधक (महा प्रबन्धक नहीं) ने जिसे 1976 में लन्दन में शाखा प्रबन्धक के रूप में तैनात किया गया था और जो तब से वहीं था, 31 अक्तूबर, 1984 को बैंक की सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

(ग) सिंडीकेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक ने श्री राजेन्द्र सेठिया या इसाल ग्रुप की कम्पनियों को कोई ऋण नहीं दिया है।

(घ) और (ङ) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

बम्बई में कई करोड़ रुपयों की तस्करी का भंडाफोड़

229. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जनवरी, 1985 के आस-पास बम्बई में बम्बई सीमा-शुल्क की तटीय और निवारक शाखा ने तस्करी के आधुनिक घरेलू सामान को पकड़कर और छः आदमियों को गिरफ्तार करके कई करोड़ रुपयों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह के काम करने के ढंग और इसमें शामिल लोगों सहित इस मामले के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जनार्दन पुजारी : (क) और (ख) . सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय, बम्बई की तटीय और निवारक शाखा के अधिकारियों ने निवासी अन्तरण सुविधा और बम्बई डाक से अपने साथ न लाए गए असबाब की निकासी के दुरुपयोग की जालसाजी को पकड़ा है। दिनांक 19-12-84 से 8 मार्च, 1985 तक की गई छानबीन के परिणामस्वरूप 34 मामलों में 1.24 करोड़ रु० के मूल्य का निषिद्ध माल अभिगृहीत किया गया है। इस संबंध में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

चूंकि मामलों की अभी छानबीन की जा रही है, इसलिए इस समय अतिरिक्त ब्यौरा देना उचित नहीं होगा।

एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित सभी श्रेणियों के लोह इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

230. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित सभी श्रेणियों के लोह और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) क्या मूल्यों में इस तरह की भारी वृद्धि का निर्णय संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लिया गया है;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि करते समय देश में कार्यरत लघु और मध्यम दर्जे के इंजीनियरिंग यूनिटों के हित को ध्यान में रखा गया था;

(घ) क्या उद्योग ने इस भारी मूल्य वृद्धि का विरोध किया है; और

(ङ) यदि, हां, तो लघु और मध्यम दर्जे के इंजीनियरिंग यूनिटों की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) . जी, हां। मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति ने 20-21 फरवरी, 1985 की अर्द्ध रात्रि से लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि की है।

(ग) मूल्य वृद्धि करते समय इस्पात के उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखा गया था।

(घ) और (ङ) . इस्पात के कुछ उपभोक्ताओं ने इस मूल्य-वृद्धि का विरोध किया था। आशा है इस मूल्य-वृद्धि का थोक मूल्य सूचकांक पर मात्र लगभग 0.4 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। इंजीनियरी साज सामाने बनाने वाले उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति देशीय उत्पादन तथा आयात से की जाएगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता और महंगाई भत्ता

231 : **श्री नारायण चौबे :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को, वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के पहले कोई अन्तरिम सहायता देने का है;

(ख) क्या सरकार ने वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले महंगाई भत्ते की कोई किश्त न देने का निर्णय किया है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में हाल ही में संशोधन किया गया है ताकि आयोग अपनी अन्तिम सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले कर्मचारी पक्ष की अन्तरिम राहत की एक और किस्त की मांग पर विचार कर सके। अन्तरिम राहत के बारे में वेतन आयोग की सिफारिश जब भी प्राप्त होगी, सरकार उस पर विचार करेगी।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आयात और निर्यात की सरणीकृत वस्तुओं की सूची से वस्तुओं को निकालना

232. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात और निर्यात की सरणीकृत वस्तुओं की सूची में से वस्तुओं को निकालने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) . आगामी आयात तथा निर्यात नीति तैयार की जा रही है और ऐसी आशा है कि उसे अप्रैल 1985 में घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उसके ब्यौरे बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

"बिग फ्राड इन बैंक अनकवर्ड"—शीर्षक से समाचार

233. **श्री श्री हरि राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 फरवरी, 1985 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में बिग फ्राड इन

बैंक अनकवर्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों में इस प्रकार की धोखाधड़ियों का पता लगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की धोखाधड़ियां जारी रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार के कार्यों में जिम्मेदारी निर्धारित के लिए सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि श्री रमेशचन्द्र सक्सेना नामक व्यक्ति ने जनवरी, 1985 में नागपुर के सात बैंकों में अलग-अलग नामों से खाते खोले। फरवरी में, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के 38,000 रुपये से लेकर 48,200/-रुपये तक के सात ड्राफ्ट, उक्त खातों में वसूली के लिए जमा करवाए गये। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखाओं द्वारा 28 जनवरी, 1985 को इस आशय से जारी किए गए इन ड्राफ्टों की कुल रकम लगभग 3 लाख रुपये बैठती है।

जब नागपुर के वसूली बैंकों ने, समाशोधन के लिए इन ड्राफ्टों को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के पास भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की पांच शाखाओं में पांच ड्राफ्टों की रकम, वसूली बैंकों को दे दी। अलबत्ता, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की एक शाखा ने, ड्राफ्ट जारी करने वाली शाखा से सूचना प्राप्त न होने के कारण लौटा दिया। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की एक अन्य शाखा अर्थात् धर्मपेठ शाखा को, रिकार्ड में रखे नमूना हस्ताक्षर ड्राफ्ट में कुछ अन्तर लगा और उसने अदत्त ड्राफ्ट लौटा दिया। जब अपने आपको डा० एम० एम० सक्सेना बताने वाला अपराधी अन्य बातों के साथ-साथ शाखा द्वारा लौटाए गए ड्राफ्ट के बारे में पूछताछ के लिए धर्मपेठ शाखा पहुंचा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और वह अभी पुलिस हिरासत में है। साथ ही सेंट्रल बैंक इंडिया ने ड्राफ्ट वसूलने वाले बैंकों को रकम का भुगतान न करने के लिए सावधान कर दिया। बैंक ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज करा दी हैं।

(ग) ठगी और जाली प्रपत्रों द्वारा पहले भी धोखाधड़ियां हुई हैं। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जाली ड्राफ्टों की भुनाई के रूप में की गई धोखाधड़ियों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में अपनाया गया तरीका समय-समय पर बदलता रहता है और इसमें गलत परिचय से खाते खोलना, जाली ड्राफ्ट फार्म भरना और बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षरों की नकल करना आदि बातें शामिल हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह बैंकों में हुई सभी धोखाधड़ियों के मामलों की जांच करता है और पायी गयी कमियां बैंकों के ध्यान में लायी जाती हैं। सभी धोखाधड़ियों के मामले में बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों पर कर्मचारी पक्ष की दृष्टि से भी विचार किया जाता है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिए अंतर्ग्रस्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों में कर नियमों के बारे में भय

234. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों में कर नियमों के बारे में भय विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए धन के मामलों में दिये गये स्पष्टीकरण से क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . सरकार ने, भारत, कुवैत, दुबई आदि में विभिन्न समाचार पत्रों में 13 फरवरी से 15 फरवरी 1985 तक की अवधि के दौरान प्रकाशित उन समाचारों को नोट किया है कि सम्पदा शुल्क की देनदारी की चिन्ता और हाल ही में इस बात को महसूस किया जाना कि अनिवासी (विदेश) खातों में जमा रकमों पर धन-कर लगने योग्य है, इन खातों में अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई रकमों को उक्त आतंक के कारण निकाला जा रहा है। समाचार पत्रों की इन खबरों की पुष्टि मध्य पूर्व में स्थित भारतीय दूतावासों और विभिन्न अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों से सरकार को मिली खबरों से भी की गयी थी।

इन समाचारों से ऐसा प्रतीत हुआ कि खाड़ी के देशों में, अनिवासी (विदेश) खातों में उनके द्वारा प्रेषित रकमों पर धन कर लगने के बारे में गलतफहमी थी, सरकार ने तत्काल प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि ऐसे खातों में जमा धन न केवल खाताधारक के भारत से बाहर रहने की अवधि में ही अपितु भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से विदेश में अब तक सामान्यतया रह रहे भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति की वापसी पर लगातार सात कर-निर्धारण वर्षों की अवधि तक धनकर से छूट प्राप्त है। सरकार द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण 20 फरवरी, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इंडिया, फाइनेंशल एक्सप्रेस, इकनामिक टाइम्स आदि में छापा गया था। सरकार ने इस आशय का सार्वजनिक परिपत्र भी जारी किया था जो भारत में सभी धन-कर अधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगी। यह स्पष्टीकरण मध्यपूर्व में स्थित कुछ भारतीय दूतावासों और भारतीय निवेश केन्द्र के लंदन, न्यूयार्क, फ्रैंकफुर्ट, टोकियो और आबू-धाबी स्थित 5 विदेशी कार्यालयों को भी 21 फरवरी, 1985 को भेजा गया था। आबू-धाबी स्थित कार्यालय और कुवैत में भारत के राजदूत से अनुरोध किया गया है कि वे अनिवासी भारतीयों, साहूकारों और अन्य व्यक्तियों में सही कानूनी स्थिति का व्यापक प्रचार करें।

अनिवासी भारतीयों की बैठकों को संबोधित करने के लिए भारतीय निवेश केन्द्र और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रतिनिधियों के दल खाड़ी के देशों को भेजने पर भी कार्यवाही की जा रही है ताकि भारतीय कर कानूनों के बारे में उनके दिमागों में आई गलतफहमी को दूर किया जा सके।

(ग) सरकार को आशा है कि जारी किये गये स्पष्टीकरणों और की जा रही अतिरिक्त कार्यवाहियों से अनिवासी भारतीय निवेशकों के दिमागों में आई गलतफहमी दूर हो जाएगी।

सेन्ट्रल कोलफील्ड लि० की यूनिटों में अच्छी किस्म के कोयले का जलाया जाना

235. **श्री चम्पन थामस :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड लि० की डाकरा, कर्णपुरा, देवरखंड, बाचरा सिरका रेलियागढ़ा और राजरप्पा यूनिटों के स्टाकयार्डों में उपभोक्ताओं, तापिय विद्युत संयंत्रों और रेलवे द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले 40 लाख टन से भी अधिक अच्छे किस्म का कोयला जलाया जा रहा है;

(ख) इन कोयला खानों में जलाए गए कोयले की कुल मात्रा क्या है;

(ग) कोल फील्डों में इतना अधिक स्टाक रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु इस स्टाक को उठाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) . रेलीगोरा, कर्णपुरा, देवारखंड, डकरा, बचरा, सिरका और राजरप्पा के कुल लगभग 32 लाख टन कोयले के स्टाक में से केवल 4 लाख टन कोयला ही स्थानिक आंच से प्रभावित है ।

(ग) स्टाक जमा हो जाने का कारण है । पावर ग्रेड कोयले का उत्पादन प्रेषण से अधिक होना और कोक्कर कोयले के लिए राजरप्पा में नई वाशरी का निर्माण-कार्य पूरा होने में विलंब ।

(घ) स्टाक कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) वैगनों के आबंटन के लिए रेलवे को प्रस्तावित कोयला राशि बढ़ाकर अधिकतम कर दी गई है;

(2) सड़क से जुड़ी कोलियरियों से सड़क से प्रेषण अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(3) "माइनिंग ऐंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन" द्वारा वाशरी के निर्माण में शीघ्रता कराई जा रही है; और

(4) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने वर्ष 1985-86 के दौरान से० को० लि० में 38.5 मि० टन पर उत्पादन स्थिर रखने का निश्चय किया है ताकि स्टाक कम रह सके ।

माल डिब्बों की कमी के कारण कोल इण्डिया लि० के उत्पादन पर हुआ प्रभाव

236. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माल डिब्बों की कमी से कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समस्या का पता लगाने और उसको हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेल तथा उनके मंत्रालय के बीच कोई चर्चा हुई है जिससे कि समस्याओं को आसानी से हल किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) . कोयले का कम प्रेषण होने के कारण कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि कोयले का धरातल-स्टाक चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ के 21.55 मिलियन टन के स्टाक से बढ़कर मार्च, 1985 के अंत तक 27 मिलियन टन से अधिक हो जाएगा। उन कौलियरी में उत्पादन स्थिर रखना होगा जहां स्टाक काफी अधिक है और प्रेषण कम है।

(ग), (घ) और (ङ) . कोयले के प्रेषण में वृद्धि के मामले पर रेलवे के साथ लगातार बातचीत चल रही है। इस संबंध में समस्याओं के समाधान और रेल तथा अन्य परिवहन साधनों के जरिए प्रेषण अधिकतम करने के लिए नियमित रूप से बातचीत चल रही है। अन्तर मंत्रालय स्तर पर भी अभी हाल ही में रेल मंत्री और कोयला मंत्री के बीच तथा वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर भी बातचीत हुई है ताकि इस समस्या को हल किया जा सके।

काफी की तस्करी

237. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के वायानाड क्षेत्र में काफी की तस्करी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को कर के रूप में भारी धनराशि की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तस्करी की कोई जांच की गई है; और

(ग) इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतया इस प्रश्न का सम्बन्ध उस काफी से है जिसकी निकासी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की औपचारिकताओं का पालन किए बिना की गई। इस सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निवारक एककों को सतर्क कर दिया गया है और विशेष निवारक दल गठित किए गए हैं ताकि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की औपचारिकताओं का पालन किए बिना काफी की होने वाली निकासी को रोका जा सके।

"भारत गोल्ड माइन्स" लिमिटेड का कार्यकरण

238. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश में किन-किन स्वर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां भारी मात्रा में स्वर्ण भण्डार विद्यमान होने का अनुमान है;

(ख) देश में कच्चे माल के प्रति टन में स्वर्ण की अधिकतम और न्यूनतम ग्राम प्रतिशतता क्या है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशतता क्या है; और

(ग) पिछले कई वर्षों से भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कार्यकरण में निरन्तर घाटा होने के क्या कारण हैं और इसे लाभप्रद बनाने के लिए इसके कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान किन्हीं प्रचुर स्वर्ण निक्षेपों का पता नहीं लगाया गया है। लेकिन जी० एस० आई० की खोजों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्डस के विस्तार क्षेत्रों का पता चला है परन्तु उन्हें प्रचुर स्वर्ण सम्पन्न नहीं कहा जा सकता।

(ख) भारत में प्रति टन अयस्क में स्वर्ण की मात्रा अधिकतम 5 ग्राम प्रतिटन अयस्क से लेकर न्यूनतम 3 ग्राम प्रतिटन अयस्क तक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम स्वर्ण अंश 13 ग्राम प्रति टन तथा न्यूनतम 0.3 ग्राम प्रतिटन अयस्क है।

(ग) (i) भारत गोल्ड माइन्स लि० को लगातार हो रहा घाटा मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हैं :

(1) अयस्क ग्रेड का वर्ष-दर-वर्ष गिरते हुए बहुत कम हो जाना।

(2) चट्टानों का फटना।

(3) कर्मचारियों पर अधिक व्यय।

(4) धातु निकासी की कम दर।

(5) बिजली संबंधी रुकावटें।

(ii) भारत गोल्ड माइन्स लि० के कार्य में सुधार के लिए चार प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, अर्थात्—(1) स्वर्ण गवेषण, खनन तथा धातुकर्म की वर्तमान विधियों में प्रौद्योगिकीय सुधार, (2) स्वर्ण अयस्क के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, (3) शीलाइट उत्पादन, टंगस्टन कारबाइड मढ़ी ड्रिल रौडों के निर्माण, शाफ्ट लगाने तथा खान निर्माण के क्षेत्रों में विविधिकरण, तथा (4) कम्पनी के संगठन तथा प्रबंध को युक्तिसंगत बनाना।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन तथा अर्जित लाभ

239. **श्री चित्त महाटा** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निरन्तर लाभ अर्जित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसको प्रतिवर्ष कितने धन की हानि हो रही है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन किया गया तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों—अर्थात् 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को क्रमशः रु० 87.85 करोड़, रु० 97.21 करोड़ (कोयला कीमत विनियम लेखा से अंशदान के समायोजन से पहले) और रु० 127.88 करोड़ का घाटा हुआ। घाटे के मुख्य कारण थे—वे कठिन भू-खनन परिस्थितियां जिनमें कंपनी काम करती है तथा कुछ लगातार चलने वाली समस्याएं जैसे अपर्याप्त और अनियमित बिजली की सप्लाई, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, स्थानीय युवकों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण नई परियोजनाएं खोलने में विलम्ब, आदि। दिनांक 1-1-1983 से लागू तीसरे "राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते" के कारण वर्ष 1983-84 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० पर रु० 40 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। मजदूरी-लागत में हुई इस वृद्धि को कीमतों में हुई वृद्धि पूरा नहीं कर सकी क्योंकि कीमतों में वृद्धि तो बहुत बाद में अर्थात् 8 जनवरी, 1984 से लागू हुई।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का उत्पादन निम्नलिखित है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

1981-82	1982-83	1983-84
23.55	22.68	22.87

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों में यह बातें शामिल हैं—नई खानों में विशाल पूंजी-निवेश, पहले ही स्थापित खनन क्षमता का पूरा उपयोग, उपकरणों का अधिक कुशलता से उपयोग और बेहतर रख-रखाव, भंडार-सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके और अनुशासन लागू करके तथा बेशी कामगारों का पता लगाकर तथा उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देकर पुनः काम पर लगाकर जनशक्ति का बेहतर उपयोग, विस्फोटक पदार्थ, टिम्बर आदि दुर्लभ उत्पादन-सामग्री की बेहतर उपलब्धि, तेजी से प्रेषण करके और बेहतर वितरण व्यवस्था से खान-मुहाना स्टाकों में कमी करना, नई परियोजनाओं को शीघ्रता से और समय से पूरा करना और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहूलियत की दृष्टि से विशेषज्ञ देशों के साथ सहयोग के लिए बातचीत की जा रही है। इस सहयोग में उपकरणों के आरम्भिक सेटों की सप्लाई और भारतीय इंजीनियरों तथा कामगारों का देश तथा विदेश दोनों में प्रशिक्षण शामिल है।

सरकारी उपक्रमों में सुधार

240. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा सरकारी उपक्रमों में सुधार लाने के संबंध में दिए गए सुझावों को पूरा करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1983-84 में सरकारी उपक्रमों की बचत में वास्तविक गिरावट से योजना आयोग तथा मंत्रालय दोनों को आघात पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बचत में गिरावट की दर क्या है;

(घ) इसमें सुधार लाने के लिए कब तक कदम उठाये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या वर्ष 1983-84 में सरकारी उपक्रमों की सकल घरेलू बचत घटकर 3900 करोड़ रुपए हो गई थी जो वर्ष 1982-1983 में 4929 करोड़ रुपए थी, और

(च) उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च). केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के "नवीनतम" अनुमानों के अनुसार सरकारी क्षेत्र की निवल स्वदेशी बचत जो 1982-83 में 4929 करोड़ रुपए थी घटकर 1983-84 में 3900 करोड़ रुपए रह गई है। इस प्रकार इसमें लगभग 21% की गिरावट आई है। राष्ट्रीय खाते में सरकारी क्षेत्र की बचत में सरकारी प्रशासन तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की बचत भी शामिल है। यह नोट किया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यदि तेल क्षेत्र में की गई बचत को पूर्णत: हिसाब में लिया जाए तो 1983-84 में सरकारी क्षेत्र की समग्र बचत में गिरावट दिखलाई नहीं पड़ेगी।

सरकार ने सरकारी उद्यमों संबंधी नीति की समीक्षा के लिए डा० अर्जुन सेन गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह विचाराधीन है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में शुष्क पत्तन (मुक्त पत्तन) का बनाया जाना

241. **श्री कमल नाथ** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक शुष्क पत्तन (मुक्त पत्तन) बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक आन्तरिक कन्टेनर डिपो (आई० सी० डी०) ने 13 मार्च, 1984 को दिल्ली में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। एक कन्टेनर भाड़ा स्टेशन (सी० एफ० एस०) 4 फरवरी, 1985 से दिल्ली के पटपड़गंज में भी कार्य कर रहा है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ आई० सी० डी० तथा सी० एफ० एस० में दी गई सुविधाओं में शामिल हैं :

(1) लदान-पत्र द्वारा कन्टेनरों में चलने वाले आयात/निर्यात माल की सीमा शुल्क जांच।

(2) कन्टेनरों में चलने वाले माल के संचालन तथा भण्डारण के लिए सुविधाएं।

(3) बम्बई के पत्तन तक रेल द्वारा कन्टेनरों का परिवहन तथा उससे आगे के गन्तव्य स्थानों को समुद्र द्वारा।

(4) निर्यात के लिए कस्टम्स के पास माल 'प्रवेश करने' के बाद निर्यातकों को शुल्क वापसी का भुगतान।

इलायची की खेती की उच्च उत्पादकता और निम्न लागत के लिये दीर्घावधिक नीति

242. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलायची की खेती के संबंध में उच्च उत्पादकता और निम्न लागत प्राप्त करने के लिये एक दीर्घावधिक नीति तैयार करने की आवश्यकता महसूस करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) इलायची बोर्ड, सूखे से तबाह बागानों की पुनस्थापना, पुराने, रोगी व अलाभकारी बागानों का पुनर्रोपण, उच्च पैदावार वाली सामग्री का प्रचार-प्रसार और जल स्रोतों के लिए अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के विकास, क्वालिटी पौध के उत्पादन आदि जैसे दीर्घ और लघु कार्यक्रमों के जरिए कम लागत पर ऊंची उत्पादकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। कीट तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। सातवीं योजनावधि के दौरान इन प्रयासों को और गहन करने का प्रस्ताव है।

कोयले के उत्पादन में कमी

243. **श्री जी०जी० स्वैल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उत्पादन में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है ; और

(ख) क्या राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे "वार्किंग ड्रेगलाइन" जैसी आधुनिकतम मशीनों के प्रयोग पर विचार कर रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) "वार्किंग ड्रेगलाइन" का प्रयोग पिछले कई वर्षों से कोल इंडिया लि० की उन ओपेनकास्ट खानों में किया जा रहा है जहां काम की दशाओं से पता चलता है कि ड्रेगलाइन का प्रयोग होना चाहिए।

कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्रों के लिये स्वायत्तशासी निकाय

245. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि क्षेत्रों के गठन के समय जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उन्हें प्राप्त करने में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों ने कोई पर्याप्त और कारगर योगदान नहीं किया है ;

(ख) क्या कोल समिति ने अपने प्रतिवेदन में कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिये एक स्वायत्तशासी निकाय गठित करने की सिफारिश की थी ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक विधान पेश किया जा रहा है ; और यदि हां, तो कब तक ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कांडला तथा सान्ताक्रुज स्थित निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के अच्छे परिणाम निकलते रहे हैं। उनके निष्पादन से प्रोत्साहित होकर देश में चार अतिरिक्त क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस संबंध में आवश्यक उपबंध बनाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

आयकर अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी फर्मों के विरुद्ध चलाये गये मुकद्दमे

246. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्र सरकार के पास निर्धारित अवधि के भीतर 90,000 रुपये से अधिक आयकर की स्रोत पर की गयी कटौती जमा न करने के कारण कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दायर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जिन कुछ प्राइवेट कम्पनियों ने एक साल के अन्दर स्रोत पर काटे गये 90,000 रु० से अधिक आयकर को निर्धारित अवधि में संघ सरकार के पास जमा नहीं कराया है, उनके मामले नीचे दिये अनुसार हैं :—

	कर निर्धारण वर्ष	स्रोत पर काटे गए कर की रकम (रु०)
मैसर्स आर० तुलसीदास एंड कं०, बम्बई	1977-78	1,36,672
	1978-79	2,59,171
	1979-80	2,69,790
	1980-81	3,55,636
मैसर्स हिंद शिपिंग एजेंसीज, बम्बई	1977-78	94,976
	1978-79	1,29,778

क्षेत्रीय अधिकारियों से अद्यतन स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

कारों और स्टेशन वैगनों की काले बाजार में बिक्री

247. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काले बाजार में मारूति कारों और स्टेशन वैगनों की भारी बिक्री के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या कुछ फर्मों ने अपने शो रूमों से मारूति कारों और स्टेशन वैगनों की बिक्री के लिए समाचार पत्रों में खुला विज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने काले बाजार में मारूति कारों और स्टेशन वैगनों की बिक्री को रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) . सरकार को मारूति

कारों और वाहनों की बिक्री में कथित काला बाजारी की जानकारी है। मामले की जांच की जा रही है और जहां-कहीं आवश्यक पाया जाएगा, समुचित कार्रवाही की जाएगी।

गुजरात में बन्द कपड़ा मिलें

श्री मोहन लाल पटेल :
श्री अमर सिंह राठवा :
श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) ये मिलें कितने दिनों से बन्द पड़ी हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 जनवरी, 1985 को गुजरात में 20 सूत्री वस्त्र मिलें बन्द थी।

(ख) इन मिलों के नाम तथा बन्द होने की तारीख दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात की राज्य सरकार ने गुजरात में बन्द पड़ी मिलों में से कुछ का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव भेजा है।

(घ) सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

क्रमांक	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख
1.	दि फाइन निटिंग कं० लि०, अहमदाबाद (केवल कताई विभाग बन्द हुआ)	10-7-70
2.	गुजरात स्पिनिंग मिल्स, अहमदाबाद	6-4-84
3.	कैलाश मिल्स प्रा० लि०, अम्बेरगांव	31-1-83
4.	श्री माण्डवी स्पि० मिल्स, माण्डवी, कच्छ	2-9-83
5.	श्री महुवा स्पि० मिल्स कं० लि०, महुवा	1-11-84
6.	मानकचौक एण्ड अहमदाबाद मैन्यु कं० लि०, अहमदाबाद	14-12-76
7.	मलाकिया मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	12-3-82
8.	मसर्दन स्पि० एण्ड मैन्यु० कं० लि०, अहमदाबाद	19-10-82
9.	मोनोग्राम मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	19-10-82
10.	सिल्वर काटन मिल्स लि०, अहमदाबाद	14-6-84
11.	तरुण कमर्शियल मिल्स लि०, अहमदाबाद	7-3-84
12.	अहमदाबाद काटन मैन्यु कं० लि०, नं० 1 (बगाचिया मिल) अहमदाबाद	1-6-84

13. अहमदाबाद काटन मैन्यु० कं० लि०, नं० 2 (हिमाभाई मैन्यु० नं० 2) अहमदाबाद	1-6-84
14. सरंगपुर काटन मिल्स लि०, नं० 2, अहमदाबाद	14-4-84
15. अभय मिल्स लि०, अहमदाबाद	1-4-84
16. न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लि० अहमदाबाद	18-6-84
17. मंजूश्री टैक्सटाइल्स, अहमदाबाद	18-6-84
18. महाराणा मिल्स प्रा० लि०, पोरबन्दर	13-2-83
19. नवज्योत मिल्स लि०, काडी	18-12-83
20. श्री वीजेश टैक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०, पोटलेड	5-5-84

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई धनराशि

249. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कियान्वयन में राज्य सरकारों को सहयोग देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु अब तक वर्षवार कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) (क) . जी, हां।

(ख) और (ग) . वर्ष 1980-81 से उड़ीसा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संवितरित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपए)
1980-81	205.22
1981-82	289.12
1982-83	553.49
1983-84	669.18
1984-85 (दिसम्बर, 1984 तक) (अनन्तिम)	296.18

अल्यूमिना का निर्यात

250. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अल्यूमिना के निर्यात का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसे किन देशों को निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से अल्यूमिना खरीदने के लिए उत्सुक हैं; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) . जी हां।

(ख) से (घ) . भारत सरकार के एक उपक्रम नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि० 1987 के बाद से एल्यूमिना निर्यात करने की स्थिति में होगा। सम्भावित खरीदारों का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न स्मेल्टरों तथा प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों के साथ संविदाएं की गई हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा प्राप्त हुई पेशकशों पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर तथा विदेशों में दूतावासों के साथ संविदाएं करके एल्यूमिना के निर्यात करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में मैंगनीज का निर्यात

251. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा से खरीदे गये मैंगनीज का निर्यात करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां सरकार का विचार मैंगनीज का निर्यात करने का है;

(ग) उड़ीसा से कुल कितने टन मैंगनीज की खरीद की गई है जिसका निर्यात किया जायेगा तथा उसका मूल्य कितना है; और

(घ) मैंगनीज का निर्यात कब तक आरम्भ हो जावेगा ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) : जी हां।

(ख) 1985 में निर्यात पारादीप पत्तन से पश्चिम यूरोप के देशों को किया जाएगा।

(ग) एम० एम० टी० सी० ने उड़ीसा से लगभग 132 लाख रुपये मूल्य के 30,000 मै० टन का निर्यात करने की संविदा की है।

(घ) जनवरी 1985 में 16,000 मै० टन से अधिक का एक लदान पहले ही कर दिया गया है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारी

252. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में ग्रेडवार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और विस्थापित कर्मचारियों की ग्रेड-वार संख्या तथा प्रतिशत कितनी-कितनी है; और

(ग) वर्ष 1975 से कितने कर्मचारियों को श्रेणी-वार और वर्ष-वार निलंबित तथा

बर्खास्त किया गया है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

इस्पात विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के० मटवर सिंह) (क) 1.1.1985 को बोकारो इस्पात कारखाने में नियमित रूप से कुल 51,046 कर्मचारी कार्य कर रहे थे ।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों, शारीरिक रूप से विकलांग तथा विस्थापित व्यक्तियों के वर्ग के कर्मचारियों का ग्रुप-वार ब्यौरा तथा कुल कर्मचारियों की तुलना में उनके प्रतिशत का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

(1-1-1985 को स्थिति इस प्रकार थी)

ग्रुप	कुल कर्मचारियों की सं०	अनुसूचित जाति सं	अनुसूचित जाति प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति सं०	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत	शारीरिक रूप से विकलांग सं०	शारीरिक रूप से विकलांग प्रतिशत	विस्थापित व्यक्ति सं०	विस्थापित व्यक्ति प्रतिशत
ए०	4,053	62	1·52	60	1·47	4	0.10	1	0.02
बी०	3,069	68	2·22	81	2.64	शून्य	0	115	3.75
सी० (सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर)	42,832	5,344	12.48	5,142	12.01	152	0.35		
सी० (केवल सफाई कर्मचारी)	1,077	933	86·63	123	11.88	2	0.19	14378	32·75
कुल	51,046	6,407	12·55	5,411	10·60	158	0·31	14,494	28·39

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन पर आयकर भुगतान में राहत

253. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों को दो श्रेणियाँ हैं—(एक) जो अपने सेवा काल के दौरान अंशदायी भविष्य निधि में जमा की गई धनराशि या मासिक अंशदान में इतनी ही धनराशि सरकार की ओर से मिलाने पर जमा होने वाली धनराशि एक मुश्त प्राप्त करते हैं। (दो) जिन्हें मासिक पेंशन मंजूर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पहली श्रेणी के कर्मचारियों से आयकर नहीं लिया जाता, यद्यपि इनमें से अधिकांश कर्मचारियों को तो छः अंकों में धनराशि मिलती है जबकि दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को मासिक पेंशन पर आयकर लिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का सभी कर्मचारियों को उनकी पेंशन पर लिए जाने वाले आयकर में छूट देने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) तथा (ख). सरकारी कर्मचारी, कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा चालित भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आते हैं और तदनुसार भविष्य निधि में से की गई कोई भी अदायगी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(11) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। लेकिन, ऐसे सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जो अंशदायी भविष्य निधि योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं, ऐसा संचित अतिशेष जो किसी ऐसी योजना में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय हो तथा सदेय हो जाय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(12) के अन्तर्गत छूट-प्राप्त है, बशर्ते कर्मचारी किसी मान्यता-प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेता है और चौथी अनुसूची के भाग "क" के नियम 8 की अपेक्षाएं पूरी करता हो। जहां तक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अदा की जाने वाली मासिक पेंशन की कराधेयता का संबंध है, यह वेतन आय का भाग होती है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अन्तर्गत कर लगने योग्य है।

(ग) कर छूट, आदि से संबंधित प्रस्तावों पर बजट संबंधी कार्यों के भाग के रूप में प्रतिवर्ष विचार किया जाता है।

चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के निदेश पदों में संशोधन

254. **श्री लक्ष्मण मलिक :**
श्री जी० बी० रामाराव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के निदेशपदों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सरकार ने चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में अब संशोधन कर दिया है। इस बारे में जारी किए गए दिनांक 16 फरवरी, 1985 के संकल्प सं० 5(56)—संस्था 111/83 की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 463/85]

लौह अयस्क का निर्यात

255. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान कुछ कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ख) भारत से लौह अयस्क का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1985 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) . (क) गत दो वर्षों के दौरान लौह अयस्क के निर्यात (सांद्रण को छोड़कर) निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन मै० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1983†	20·71	387.79
1984†	24·21	425.00

(ख) भारत के लौह अयस्क का आयात करने वाले देशों के नाम नीचे दिए अनुसार हैं :—

जापान, दक्षिण कोरिया, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, जर्मन लोकतंत्र गणराज्य, बुल्गारिया, इटली, इराक, मलयेशिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, तुर्की, चीन, सऊदी अरब, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात ।

(ग) जी हां ।

(घ) 1985-86 के दौरान लगभग 21 मिलियन मैं० टन लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए जापान की इस्पात मिलों के साथ करार हस्ताक्षरांकित कर दिए गए हैं । 1985-86 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के लिए अन्य प्रमुख खरीदारों के साथ बातचीत चल रही है ।

अखबारी कागज का आयात

256. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित मानक अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो कितनी और उसके क्या करण हैं;

(ग) देश में अखबारी कागज की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1984 के दौरान कितना अखबारी कागज आयात किया गया;

(घ) वर्ष 1985 के दौरान कितना अखबारी कागज आयात किया जाएगा तथा किन-किन देशों से यह आयात किया जा रहा है;

(ङ) प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का अखबारी कागज आयात किया जाता है; और

(च) इस मांग को पूरा करने के लिए देश में ही अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

---

†अनन्तिम

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जनवरी-मार्च, 1985 के लिए आयातित अखबारी कागज की बिक्री कीमत (सीमा शुल्क को छोड़कर) बढ़ा दी गई है।

(ख) वृद्धि 180 रु० प्रति मै० टन (सीमा शुल्क को छोड़कर) है। तथापि, पिछली तिमाही की तुलना में, सीमा शुल्क को 825 रु० प्रति मै० टन से घटाकर 550 रु० प्रति मै० टन कर दिया गया था।

कीमत में वृद्धि मुख्य रूप से रुपया-डालर विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव तथा जनवरी 1985 से सोवियत रूस से लदानों के भाड़े में वृद्धि के कारण ऊंची आयात लागत की वजह से हुई।

(ग) 1984 के दौरान 2,19,224 मै० टन अखबारी कागज का आयात किया गया था।

(घ) 1985-86 के लिए कुल आयात योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) 1984 के दौरान आयातित अखबारी कागज की सी०आई०एफ० लागत लगभग 123 करोड़ रु० है।

(च) अखबारी कागज का घरेलू उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, 5,03,000 मै० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस/अनुमोदन दिए गए हैं जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

हांगकांग स्थित भारतीय व्यापारियों द्वारा अण्डमान में धन लगाने की पेशकश

258. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों ने भारत में धन लगाने की पेशकश की है और अण्डमान द्वीप में एक मुक्त पत्तन का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) . (क) अण्डमान में निवेश करने के लिए कुछ गैर-निवासी भारतीयों द्वारा कुछ रुचि प्रकट की गई है।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय निर्यात पर डालर के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव

259. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उनका ध्यान 2 मार्च, 1985 के "स्टेट्समैन" नई दिल्ली में "राइज आफ डालर में हिट इण्डिया हार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्वमुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय रुपए की तुलना में "डालर" के मूल्य में वृद्धि के प्रभावों की जिसके परिणामस्वरूप इसका अप्रत्याशित ह्रास हुआ है और भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार पर प्रभावों की जांच की है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां !

(ख) और (ग) अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में ह्रास का भारत के विदेश व्यापार पर प्रभाव कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि अमरीका को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यात और भारत में अमरीका से होने वाले आयात की मांग सम्बन्धी कीमत-प्रतिक्रिया, भारत द्वारा अमरीका को किए जाने वाले निर्यात की पूर्ति सम्बन्धी कीमत प्रतिक्रिया, अमरीका के बाजार में भारत के प्रतियोगियों की करेंसी का सापेक्षिक मूल्य-ह्रास तथा अमरीका के सम्बन्ध में भारत तथा उसके प्रतियोगी देशों की सापेक्षिक मुद्रास्फोति की दरें इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर रुपया/डालर विनिमय दर घटबढ़ के सही-सही सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की घटती-बढ़ती विनिमय दरों को अवस्था में अन्य विदेशी मुद्राओं के साथ भारतीय रुपए की विनिमय दर में घटबढ़ अपरिहार्य है और इस समय इसके लिए कोई विशेष कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

विदेशों में संयुक्त उद्यम द्वारा अनुमोदन के लिए मार्ग निर्देशों का संशोधन

260. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य** और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों में से कुछेक निराशाजनक कार्य निष्पादन को देखते हुए संयुक्त उद्यमों से संबंधित मार्ग निर्देशों में संशोधन करने तथा भारतीय संयुक्त उद्यमों द्वारा कार्य निष्पादन हीनता पर नियंत्रण रखने तथा उनके बन्द हो जाने की उच्च दर को रोकने के लिए किसी शास्ति दण्ड की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर इन मार्ग निर्देशों की रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या वह विदेशों में ऐसे संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे तथा उनमें भागीदार देशों तथा भारतीय भागीदारों के नाम क्या हैं उनके व्यापार का स्वरूप क्या है। नगदी के हिसाब से उनमें कुल कितना भारतीय पूंजी निवेश किया गया है मशीनरी उपकरण तथा तकनीकी ज्ञान का ब्यौरा क्या है इसके बारे में मंत्रालय के पास क्या जानकारी उपलब्ध है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने अभी इस विषय में विचार नहीं किया है।

6 करोड़ के घोटाले में बैंक आफ बड़ौदा की कलकत्ता स्थित शाखाओं का शामिल होना

261. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 करोड़ रुपये के घोटाले का ब्यौरा क्या है, जिसमें बैंक आफ बड़ौदा की कलकत्ता स्थित तीन शाखाएं शामिल हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की भारी अग्रिम राशि ऋण देने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कोई दिशा निर्देश विद्यमान हैं; यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं और घोटाले के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और सार्वजनिक धन के नुकसान को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाई की गई हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सर्वश्री आर० के० जैन, एस० के० पोद्दार और जे० पी० पोद्दार, आपस में मिलकर और कलकत्ता स्थित बैंक आफ बड़ौदा की विभिन्न शाखाओं के कुछ अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके बड़ी रकमों के ऋण की सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गये, उन्होंने कई जाली लेन-देन किये और वे शुरू में हवाई आधार (काइट फ्लाइंग) तथा सामूहिक लेन-देन के प्रकार की चैक खरीदने की सुविधाओं के जरिये और बाद में उन्हें दी गयी साख-पत्र सुविधाओं के जरिये बहुत बड़ी रकमें निकाल ले गए। कलकत्ता स्थित बैंक की तीन शाखाओं ने हुंडियों को अन्य बैंकों के साथ-साथ अपनी स्वीकृति दे दी थी ताकि कलकत्ता के अन्य बैंकों के माध्यम से इन्हें आसानी से भुनाया जा सके। इसके अलावा, ऋणकर्त्ताओं के चालू खातों में ओवर-ड्राफ्ट भी दिये गये और इन खातों में अनियमितताएं भी पायी गयी हैं। सम्बद्ध-कानूनों में निहित उपबंधों के अनुसार और बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के संबंध में और सूचना नहीं दी जा सकती।

(ख) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता रहता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में एक निश्चित सीमा से ऊपर (जो इस समय 4 करोड़ रुपये है) के बड़े अग्रिमों के विषय में ऋण प्राधिकार योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की पुर्वानुमति प्राप्त करना जरूरी है। 15 नवम्बर, 1983 और 26 नवम्बर, 1983 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम समाशोधनाधीन चैकों के बदले रकम निकाले जाने और साख पत्र खोले जाने, गारंटियां जारी करने, हुंडियों के लिए सह-स्वीकृति देने आदि के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद 12 फरवरी, 1985 को हुंडियों की सह-स्वीकृति के संबंध में अनुवर्ती दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। 8 अप्रैल, 1983 और 8 दिसम्बर, 1984 को बैंकों को अग्रिमों के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और उनकी जिम्मेदारी के संबंध में भी परामर्श दिया गया।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने कलकत्ता स्थित बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं और बम्बई में उसके केन्द्रीय कार्यालय तथा अन्य बैंकों की उन शाखाओं की लेखा पुस्तकों की जांच की है, जिन्होंने बैंक आफ बड़ौदा द्वारा सह-स्वीकृति हुंडियों को भुनाया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह मामला रजिस्टर कर लिया है और जांच चल रही है। इसी बीच बैंक ने इस धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त कुछ अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श से विभागीय जांच शुरू करने का प्रस्ताव है।

उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों का पता लगाना

262. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्पाद-शुल्क अपवंचन के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा है, यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है और जिन मामलों में एक करोड़ से अधिक की राशि अंतर्ग्रस्त है उनमें से प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय राजस्व आसूचना अभिकरणों के कार्यकरण पर भी नए सिरे से विचार कर रहा है और उत्पाद शुल्क अपवंचन के कुछ पुराने मामलों की यह पता लगाने के

लिए जांच कर रहा है कि क्या किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम रहा है और अपवंचित शुल्क को वसूल करने के लिए तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। उत्पादन शुल्क की चोरी के खिलाफ अभियान हाल ही में तेज किया गया है। वर्ष 1985 के प्रथम दो महीनों के दौरान लगभग 1103 मामले पकड़े गये हैं, जिनमें लगभग 2734.00 लाख रुपए की उत्पादन शुल्क की चोरी का अनुमान है ऐसे मामले बहुत ही कम हैं जिनमें एक करोड़ रुपए से अधिक की शुल्क की चोरी का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपवंचन (उत्पाद शुल्क) निरोधी निदेशालय द्वारा मारे गए छापे

263. **श्री रामाश्रय प्रसादसिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपवंचन (उत्पाद शुल्क) निरोधी निदेशालय ने गत दो-तीन महीनों के दौरान देश के कुछ बड़े नगरों में विभिन्न वस्तुओं के निर्माताओं के गोदामों और अन्य व्यापारिक परिसरों में अनेक छापे मारे हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक नगर में मारे गए इस प्रकार के छापों तथा पकड़े गए सामान और दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। अपवंचन निवारण (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) निदेशालय ने, वर्ष 1985 के दौरान उत्पादन शुल्क की चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में, उत्पादन शुल्क माल के निर्माताओं के और उनके डीलरों के लगभग 400 परिसरों की तलाशियां ली हैं। अन्तर्ग्रस्त जिंस ये हैं—कम्प्यूटर, कार्यालय-मशीनें, काटन फैब्रिक, ग्लास शीट, कार बाडी विल्डर्स, कोटेड-फैब्रिक, तांबा और तांबा मिश्रधातु (पाइप तथा ट्यूब)। अपवंचित किए गए उत्पादन शुल्क की कुल रकम लगभग 16.75 करोड़ रुपए है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कम कीमत के कारण उद्योग को हानि

264. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय जोड़ तोड़ करने वालों के कारण जो कि भारतीय चाय का मूल्य अन्य देशों की घटिया चाय के मूल्य के बराबर ही लगाते हैं, चाय उद्योग को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस विदेशी पकड़ को तोड़ने के लिए कोई उपाय किए हैं ताकि भारतीय चाय के उपयुक्त मूल्य प्राप्त हो सकें ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) शुद्ध भारतीय

चाय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों की चाय की तुलना में ऊंची कीमतें लाती है। गत तीन वर्षों के दौरान भारत, श्री लंका और कीनिया के लिए इकाई एफ० ओ० बी० निर्यात कीमत निम्नोक्त प्रकार है :

(अमरीकी डालर प्रति कि० ग्रा०)

	1981	1982	1983
भारत	2.08	1.98	2.45
श्री-लंका	1·79	1.68	2·22
कीनिया	1·79	1·81	1·84

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय आर्थिक सेवा में गत्यावरोध

265. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए चार सौ युवा अर्थशास्त्री भारतीय आर्थिक सेवा में गत 10-15 वर्षों से बिना किसी पदोन्नति के कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि सेवा में भविष्य सुधार की दृष्टि से सरकार द्वारा संवर्ग (केडर) की समीक्षा शुरू की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा गया जिले के जहानाबाद में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ऋण

266. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गया जिले के जहानाबाद उप डिवीजन में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ख) उक्त शाखाओं द्वारा कृषि सिंचाई और स्व रोजगार योजनाओं के लिए अब तक कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं;

(ग) क्या बैंकों द्वारा सिंचाई कार्यों (ट्यूबवैलों) के लिए स्वीकृत ऋण की छूट प्राप्त धनराशि पर भी ब्याज लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1984 के अन्त में बिहार के गया जिले के वाणिज्यिक बैंकों की 137 शाखाएं कार्यरत थीं, इनमें से 64 शाखाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों की थीं।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से देश के प्रत्येक सब डिवीजन के सम्बन्ध में प्रयोजन-वार और योजना-वार सूचना प्राप्त नहीं होती। गया जिले में सभी वाणिज्यिक

बैंकों के वार्षिक कार्रवाई आयोजना, 1983 के अन्तर्गत लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्तियों तथा इनकी तुलना में 1984 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

(लाख रुपए)

	वार्षिक कार्रवाई आयोजना, 1983		वार्षिक कार्रवाई आयोजना, 19 4
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	निर्धारित लक्ष्य
1. कृषि	605.35	261.55	544.35
2' उद्योग	155.88	65.33	115.74
3. सेवाएं	168.77	289.10	168.77
कुल	930.00	615.98	828.86

जहां तक स्व:नियोजन योजना का सम्बन्ध है गया जिले के लिए 1983-84 में 98.49 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी। इसके मुकाबले 22.54 लाख रुपए की राशि संवितरित की गई, 1984-85 के लिए नवम्बर, 1984 तक मंजूर की गई और संवितरित की गई कुल राशि क्रमश: 127.87 लाख रुपए और 121.84 लाख रुपए थी।

(ग) और (घ) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं के लिए सुलभ आर्थिक सहायता की राशि पर ब्याज से है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां (डी० आर० डी० ए०) के बैंकों में आर्थिक सहायता के खाते रखती हैं और लाभार्थियों को दी गई आर्थिक सहायता सीधे ही इन खातों में नामें डाल दी जाती हैं। इस प्रकार आर्थिक सहायता पर ब्याज लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अलबत्ता, पहले के कुछ मामलों में, जहां बैंकों ने आर्थिक सहायता की रकम मिलने तक कुल राशि संवितरित कर दी थी, सम्भव है कि लाभार्थियों से आर्थिक सहायता की राशि पर संबन्धित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों से रकम उपलब्ध होने तक की अवधि का ब्याज देना पड़ा हो।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह अयस्क का निर्यात

267. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं जो लौह अयस्क का निर्यात कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान निर्यात का लक्ष्य क्या रखा गया है; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए जायेंगे ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गोवा मूल के लौह अयस्क के अलावा लौह अयस्क के निर्यात भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि० की मार्फत सरणीबद्ध है। गोवा मूल के लौह अयस्क का निर्यात गोवा के शिपर्स द्वारा सीधे ही केवल जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और पश्चिमी यूरोप को करने की अनुमति है। लौह अयस्क पिंड और सान्द्रण का निर्यात कुदरेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि० की मार्फत सरणीबद्ध है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लोह अयस्क के लिए निर्यात लक्ष्य और निर्यात बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

कपड़ा उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्राप्त दर्जा

268. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत निर्माता संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि कपड़ा उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्राप्त दर्जा दिया जाए;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). अखिल भारत निर्माता संगठन ने 4 मार्च, 1985 को दिल्ली में हुई एक बैठक में वस्त्र उद्योग की विशेषज्ञ समिति को एक ज्ञापन पेश किया था। विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय प्राप्त अन्य सुझावों के साथ इस ज्ञापन पर भी विचार करेगी।

भारत और इटली की सरकारों के बीच वित्तीय सहकारिता समझौते पर हस्ताक्षर

269. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के साथ किसी वित्तीय सहकारिता समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). भारत सरकार और इटली सरकार के बीच 25 जनवरी, 1985 को एक करार निष्पन्न किया गया था। यह करार सक्षमता प्रदान करने वाला करार है। जिसके अन्तर्गत, इटली की सरकार भारतीय आयातकर्त्ताओं के लिए 40 करोड़ अमेरिकी डालर तक की राशि के क्रेता और/या संभरक ऋणों को प्राधिकृत करने के लिए सहमत होगी। इटली मूल की वस्तुओं और सेवाओं की 85 प्रतिशत लागत की वित्त व्यवस्था इन ऋणों से की जाएगी। इन ऋणों पर सम्मति से तयशुदा दरों पर ब्याज लगेगा और इन ऋणों की वापसी अदायगी 10 से लेकर 20 छमाही किस्तों में की जाएगी। वास्तविक ऋण करार ऋणदाता संस्थानों और भारतीय आयातकर्त्ताओं के बीच अलग से निष्पन्न किए जाएगे जिनकी गारंटी भारत सरकार या कोई ऐसी भारतीय संस्था या बैंक देगा, जिस पर भारत सरकार का स्वामित्व होगा।

तस्करी की वस्तुओं की जब्ती

270. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान भारी मात्रा में तस्करी की वस्तुएं जब्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तस्करों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1984, जनवरी तथा फरवरी, 1985 के महीनों के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अभिगृहीत किए गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य और अभिगृहीत की गई मुख्य जिन्सें इस प्रकार हैं :—

महीना	सोना	घड़ियां	संश्लिष्ट फैब्रिक	मूल्य : करोड़ रुपयों में भारतीय विदेशी मुद्रा	अन्य	जोड़
दिसम्बर, 1984	2.31	0.25	2.17	0·60	6.67	12·00
जनवरी, 1985	1.00	0.05	1.17	0.43	3.56	6.21
फरवरी, 1985	11·60	0.38	0.14	0·42	2·12	14.66

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को तस्करी की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने के अनुदेश दे दिए गए हैं। सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के संबधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ट ताल-मेल स्थापित करके समुचित तस्करी-निवारण उपाय किए जाते हैं। मामले में समुचित कार्रवाई करने के लिए उसकी सतत् समीक्षा भी की जाती है। तथापि यह बताना ठीक नहीं होगा कि सरकार तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए अतिरिक्त और खास कदम कौन-से उठा रही है।

दिल्ली हवाई-अड्डे पर हेरोइन जब्त करना

271. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 फरवरी, 1985 को बैंकांक से आए दो यात्रियों से दिल्ली हवाई अड्डे पर बढ़िया किस्म की तीन किलोग्राम हेरोईन जब्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वह कितने मूल्य की थी; और

(ग) सरकार द्वारा उन यात्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिनांक 15-2-85 को, पालम हवाई अड्डे, दिल्ली से सम्बद्ध हवाई सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकाक से आए दो यात्रियों से तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद की और उसे अभिगृहीत कर लिया। जहां तक अभिगृहीत की गई हेरोइन के मूल्य का सम्बन्ध है, नारकोटिक द्रव्यों का गैर-कानूनी बाजार मूल्य मुख्यतया

उनकी विशुद्धता, विक्रय के स्थान, स्थानीय मांग और सप्लाई की स्थिति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। ऐसे गुप्त लेन-देन के लिए किसी प्रामाणिक मूल्य के न होने के कारण इसका ठीक-ठीक मूल्य नहीं बताया जा सकता।

(ग) दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले का अन्तरराष्ट्रीय प्रभाव होने के कारण, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को और मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौप दिया गया था। ब्यूरो ने अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 की धारा 13 के तहत उनके विरुद्ध नियमित मामले दर्ज किए हैं।

कालाधन

273. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**
श्री अमल दत्त :
श्री अजय बिश्वास :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
प्रो० सैफुद्दीन सोज :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री चित्त महाता :
श्री अनिल बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक कितना काला धन है;

(ख) काला धन जमा करने के क्या कारण है; और

(ग) काले धन को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार के पास काले धन का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है। सरकार ने काले धन पर अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा हुआ है। इस संस्थान ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। काले धन के उन्मूलन के लिए कानूनी उपायों पर अध्ययन निरन्तर चलता रहता है और इस पर सरकार की कार्रवाई, संसद में प्रस्तुत कानून में प्रदर्शित होती है।

कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने का सुझाव

274. **श्री अमरसिंह राठवा :**
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय निर्माता संघ ने एक निकाय की स्थापना की है;

(ख) क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल किया गया है;

(ग) क्या उक्त निकाय ने सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अखिल भारत निर्माता संगठन द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने वस्त्रों के लिए एक विशिष्ट परिषद की स्थापना की है।

(ग) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) . अखिल भारत निर्माता संगठन ने 4 मार्च, 1985 को एक बैठक में वस्त्र उद्योग की विशेषज्ञ समिति को एक ज्ञापन पेश किया। विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट बनाते समय प्राप्त सुझावों के साथ इस ज्ञापन पर भी विचार करेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती का विकास

275. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती के विकास का कोई प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है :

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है :

(घ) क्या सरकार रबड़ बाहुल्य वाले इस क्षेत्र में रबड़ उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा अन्य सम्भव सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिसमें कि वहां रबड़ पर आधारित उद्योग स्थापित हो सकें ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा (i) अगरतल्ला तथा गोहाटी में विद्यमान क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण और सिल्चर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय व गोहाटी में एक मण्डलीय कार्यालय खोजने (ii) मेघालय, त्रिपुरा, असम तथा मिजोरम प्रत्येक में एक एक के हिसाब से 4 केन्द्रों के साथ एक अनुसंधान काम्पलेक्स की स्थापना (iii) त्रिपुरा में 1000 हैक्टेयर के केन्द्रक रबड़ एस्टेट तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना और (iv) सूचना तथा संचारण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 1984 में एक परियोजना अनुमोदित की गई है। परियोजना के अन्तर्गत 1984-85 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान क्षेत्र में रबड़ की खेती का 24,000 हैक्टेयर तक विस्तार करने की व्यवस्था हैं। उपरोक्त अवधि के लिए परियोजना का कुल परिव्यय 6·18 करोड़ रु० है।

(ग) विद्यमान क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण और नए क्षेत्रीय तथा मण्डलीय कार्यालय खोलने के लिए कदम उठाए गए हैं। स्टाफ की भर्ती चल रही है और उनमें से कुछ पदासीन है। अनुसंधान केन्द्रों, प्रायोगिक कार्यों, त्रिपुरा में केन्द्रक रबड़ एस्टेटों तथा प्रशिक्षक केन्द्र की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। त्रिपुरा, मेघालय और असम में अनुसंधान केन्द्रों के लिए नसीरिया स्थापित की गई हैं।

योजना के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त रबड़ उत्पादन आयुक्त के स्तर के एक अधिकारी ने पहले ही कार्यभार संभाल लिया है।

(घ) जी नहीं। तथापि, उद्यमी गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) तथा (च) . प्रश्न ही नहीं उठते।

काले धन सम्बन्धी समिति

276. **श्री अजय बिश्वास :**
श्री अजीत कुमार साहा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन के सम्बन्ध में नियुक्त डा० राजा चेलैया समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे पटसन की कमी के कारण पटसन उद्योग में संकट

277. **श्री अजय बिश्वास :**
श्री आनन्द पाठक :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कच्चे पटसन की कमी के कारण पटसन उद्योग को इस वर्ष गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या संकट का सामना करने के लिए पटसन मिल मालिक मजूरी में कटौती करने पर विचार कर रहे हैं; और

(ग) पटसन उद्योग को बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981-82 (जुलाई-जून) से शुरू पटसन की चार लगातार अपर्याप्त फसलों के परिणामस्वरूप बाजार में कच्चे पटसन की कमी है।

(ख) भारतीय पटसन मिल संघ ने उत्पादन नियंत्रण का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) सरकार ने कच्चे पटसन के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अधीन पटसन मिलों की स्टाक धारिताओं को विनियमित किया है। सरकार ने विदेशों से कच्चे पटसन के आयात का भी प्रबन्ध किया है।

वर्तमान कर ढांचे का पुनर्गठन

278. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कर ढांचे के पुनर्गठन को कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम के लिए आवश्यक सलाह हेतु कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी, और

(ग) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) . कर ढांचे के पुनर्गठन और युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। विगत समय में, वार्षिक वित्त विधेयकों के माध्यम से इस सम्बन्ध में विभिन्न उपाय किए गए हैं और कराधान कानून संशोधन अधिनियम 1984 जैसे विशिष्ट अधिनियमों के माध्यम से इस प्रकार के कुछ उपाय किए गए हैं।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

279. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कितनी शाखाएं खोली गई और उनके नाम क्या हैं और निकट भविष्य में कितनी शाखाएं कहां-कहां पर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा इस वर्ष उपर्युक्त जिलों में अपेक्षाकृत कम शाखाएं खोले जाने के क्या कारण हैं और निकट भविष्य में और अधिक शाखाएं खोलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) अप्रैल से दिसम्बर, 1984 की अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कोई शाखा नहीं खोली है। अलबत्ता बैंक के पास निम्नलिखित केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस हैं :—

जिला	केन्द्र
अलमोड़ा	दौलाघाट
पिथौरागढ़	नकोट
	पंखू
	पोखरी

बैंकों को 31-3-1985 से पहले इन लाइसेंसों का उपयोग कर लिए जाने के लिए कहा गया है।

(ख) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के दौरान अल्मोड़ा जिले में और पिथौरागढ़ जिले में 4 अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोले जाने थे जबकि अप्रैल, 1982 से दिसम्बर, 1984 के दौरान अल्मोड़ा जिले में 20 और पिथौरागढ़ जिले में 5 बैंक कार्यालय खोले गए।

इन जिलों में और शाखाएं खोले जाने पर अगली शाखा विस्तार नीति की अवधि में विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुर्नगठन करना

280. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 के बैंकिंग आयोग 1976 के मनुभाई शाह आयोग और 1970 का जेम्स राज आयोग ने सर्वसम्मति से इस अवधारण को अस्वीकार कर दिया था कि यदि बैंकों का जीवन बीमा निगम के एकल एकाधिकार निगम के ढांचे के रूप में पुर्नगठन किया गया तो प्रतियोगिता का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा।

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के उन 28 बैंकों के पुर्नगठन के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं जो देश के बैंकिंग कार्य का 90 प्रतिशत कारोबार करते हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार नीति जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के और विस्तार करना केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तक ही सीमित है के बावजूद राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेणों में वाणिज्यिक बैंक खोलने को निश्चित रूप से प्राथमिकता दे रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सेवा का विस्तार करने के लिये उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) (क) और (ख) . यद्यपि मनुभाई शाह की अध्यक्षता वाले बैंकिंग आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी लेकिन न तो 1970 के बैंकिंग आयोग ने और न ही जेम्स राज समिति ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एक मात्र संगठन के रूप में पुर्नगठन किए जाने की सिफारिश की है। अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों में सुधार करने की दृष्टि से उनके परिचालनों के विभिन्न पहलुओं की जिनमें उनकी संरचना की उपयुक्तता भी शामिल है, सरकार द्वारा बराबर समीक्षा की जाती है ताकि उनके कार्य संचालन को सुधारा जा सके।

(ग) और (घ) . मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति में प्रत्येक 17,000 की ग्रामीण/अर्ध-शहरी जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने की परिकल्पना की गई। जो जिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत लाए गए हैं या जिन्हें इनके अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है उनके ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता दी गई है। यह सही नहीं है कि राज्य सरकारों ने ग्रामीण केन्द्रों में बैंक कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता दिखाई है।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा

281. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री आलम्ब पाठक :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के भाग के रूप में 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धन राशि दिये जाने के सम्बन्ध में वामपंथी मार्चे के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री से मिला था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां,

(ख) पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 30 जनवरी, 1985 के एक ज्ञापन में अनुरोध किया है कि आठवें वित्त आयोग की अन्तिम सिफारिशों को वर्ष 1984-85 से ही कार्यान्वित किया जाए। उस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि आयोग की अन्तिम रिपोर्ट के 1985-86 से (1984-85 के स्थान पर) कार्यान्वित किए जाने के सरकार के निर्णय के फलस्वरूप, पश्चिम बंगाल सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

इस ज्ञापन पर विचार किया गया, परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने पहले जो निर्णय लिया है उसका पुनरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

मुंहानों पर कोयले के भण्डार

282. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंहानों पर कोयले के भण्डारों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कोयले के स्टाक में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) मुंहानों के स्टाक में कमी करने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां। कोल इण्डिया लि० में कोयले का जो स्टाक चालू वित्तीय वर्ष के शुरू में 2 .55 मिलियन टन था, वह बढ़कर फरवरी, 1985 के अन्त में 25.4 मिलियन टन हो गया है।

(ख) और (ग) . कोयले के स्टाकों में वृद्धि का मुख्य कारण है अपर्याप्त प्रेषण। इन कोयला-स्टाकों को समाप्त करने के प्रयास जारी हैं। परन्तु स्टाक की समाप्ति मुख्य रूप से वास्तव में उपलब्ध कराई गई परिवहन क्षमता पर निर्भर करती है। वैगनों की सप्लाई में वृद्धि के मामले पर रेलवे के साथ लगातार बातचीत चल रही है। समस्याओं के समाधान के लिए भी नियमित रूप से बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त सड़क द्वारा प्रेषण अधिकतम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। वैगनों के लिए रेलवे द्वारा निश्चित सीमा के अलावा भी, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्राधिकारियों को कोयले के अतिरिक्त कोटा दिए गए हैं जिनके आधार पर वे अपने औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट कोलियरियों से सड़क द्वारा कोयला देने की सिफारिश कर सकते हैं। कोयला क्षेत्रों में जहां कहीं आवश्यक है, वहां खान-मुहानों से रेल-साइडिंगों तक कोयला पहुंचाने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं ताकि कोयले के शीघ्रता से लदान में सहूलियत हो। जिन उपभोक्ताओं को रेल से ले जाने के लिए आबंटित कोयला अभी नहीं मिला है उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वे वही कोयला सड़क से

ले जाने की अनुमति प्राप्त कर लें। विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता केन्द्रों पर भी कोल इण्डिया लि० के स्टाक-याडों से कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ता केन्द्रों पर सीधे रेल-वैगनों से भी कोयला दिया जा रहा है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं आदि को दान के रूप में दी गई राशि

283. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और राज्य सरकारों आदि को राहत वितरित करने के लिए दान के रूप में धन देता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा इस प्रकार के दान पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जिन शैक्षणिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को उपरोक्त वर्षों में दान दिया गया उनके नाम तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हाँ। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राहत दिए जाने के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार किया जाता है और इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रयोजन का उल्लेख करते हुए प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान के रूप में अंशदान दिया जाता है।

(ख) और (ग) . भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों तथा प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष में वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान दान के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1982	(लाख रुपये)
एज वेयर इण्डिया	0.02
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि	1.00
प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष	118.00
1983	(लाख रुपये)
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि	1.00
प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष	142.00
1984	
नव जीवन सिविल ट्रस्ट, बम्बई	0.02
दी स्पोर्टिंग यूनियन क्लब, बम्बई	0.05
दी स्पास्टिक्स सोसाइटी ऑफ इस्टर्न इण्डिया कलकत्ता	1.00
मद्रास शहर में अग्नि पीड़ितों को राहत देने के लिए निर्मित निधि	0.10
नेवल वेलफेयर फण्ड ट्रस्ट, बम्बई	0.05
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि	1.00
प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष	51.00

राज्य सरकारों द्वारा लिए गए सभी "ओवर-ड्राफ्ट" माफ करना

284. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिए गए सभी "ओवर ड्राफ्ट" माफ कर दिए जाएं, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली की एक फर्म द्वारा कोयले की काला बाजार में बिक्री में कोल इण्डिया लि० के एक वरिष्ठ अधिकारी का लिप्त पाया जाना

285. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कोल इंडिया लि० का एक वरिष्ठ अधिकारी उद्योगों में वितरण के लिए दिल्ली की एक फर्म को रानीगंज-कुमारधौला कोयला खानों से कोयला लेने की अनुमति देने तथा उस कोयले को काला बाजार में बेचने के लिए कोयले की हेराफेरी के एक मामले में लिप्त पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काले धन पर मारूति कार की बिक्री के सम्बन्ध में आयकर अधिकारियों द्वारा की गई जांच

286. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने हाल ही में काले बाजार में मारूति कार की बिक्री के सम्बन्ध में कोई विस्तृत जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . जांच पड़ताल अभी जारी है। आवश्यकतानुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी।

काले धन का पता लगाने के लिए देश व्यापी छापे

287. **श्री मुहम्मद महफूज अली खां** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न भागों में हाल में बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके परिणामों और सरकार द्वारा इस मामले में की गयी कार्यवाही सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) . आयकर विभाग ने माह जनवरी और फरवरी, 1985 के दौरान 1,133 तलाशियां लीं जिनमें प्रथम दृष्टया लगभग 6.61 करोड़ रुपये मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ीं ।

तलाशियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी मामलों के ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है । तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी मामले/तलाशी विशेष के बारे में सूचना चाहते हैं तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है ।

काले धन के प्रसार और उसमें तेजी से होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत समय-समय पर सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं जिनमें प्रशासनिक, विधायी तथा नियम सम्बन्धी उपाय भी शामिल हैं ।

कर्नाटक में इस्पात संयंत्र की स्थापना

288. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रतिवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है; और

(ग) प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) (क) . कर्नाटक में इस्पात कारखाना लगाने के बारे में शीघ्र कार्रवाई करने हेतु कर्नाटक सरकार से हाल में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) . कर्नाटक राज्य में विजयनगर में इस्पात कारखाना लगाने के बारे में सरकार के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कारखाने के प्रथम चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । कारखाना लगाने की सम्भावित तारीख परियोजना रिपोर्ट पर पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय पर निर्भर करेगी ।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन स्थित शाखा द्वारा इसाल ग्रुप आफ ट्रेडिंग हाऊसिंग्स को मंजूर किया गया ऋण

289. **श्री सत्येन्द्र नाराण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा कुछ अन्य राष्ट्रीय बैंकों द्वारा अपनी लन्दन स्थित शाखाओं के माध्यम से इसाल ग्रुप आफ ट्रेडिंग हाऊसिज को ऋण मंजूर किया गया था;

(ख) क्या इन धनराशियों की अदायगी नहीं की गई है अथवा इनकी अदायगी न किये जाने का भय है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) . भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसाल व्यापार समूह ने अपने कारोबार के लिये तीन भारतीय बैंकों अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और यूनियन बैंक आफ इण्डिया तथा लन्दन स्थित चार विदेशी बैंकों से काफी वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। इस समूह की प्रमुख कम्पनी अर्थात् इसाल (कमोडिटीज) लिमिटेड वस्तुओं का व्यापार करती थी और मुख्य रूप से नाईजीरिया और सूडान को वस्तुओं का निर्यात करती थी। तीनों बैंकों द्वारा किये गये और रिजर्व बैंक को भेजे गये मूल्यांकनों के अनुसार, उक्त समूह को दिये गये अग्रिमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त दावाहुंडियों/प्रतिभूतियों/गारंटियों के अन्तर्गत आ जाता है उक्त समूह की कम्पनियों को उधार देने में कुछ अनियमितताएं हुई है। तीनों भारतीय बैंकों की लन्दन स्थित शाखाओं के कुछ अधिकारियों ने प्रधान कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वीकृत सीमाओं से अधिक अग्रिम दिये थे बैंकों को धोखा देने के उद्देश्य से कुछ बैंक अधिकारियों और कम्पनी के बीच सांठ-गांठ का भी सन्देह है। ये बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति पर विचार कर रहे हैं तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लन्दन की अदालत ने, नवम्बर 1984 में, मुख्य उधार कर्ता कम्पनी अर्थात् इसाल (कमोडिटीज) का अनिवार्य परिसमापन कर दिया और इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को दीवालिया घोषित कर दिया गया है इन परिस्थितियों में, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया रकमों की वसूली के लिए अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों को लागू करे और जहां कहीं आवश्यक हों, परिसमापकों के पास अपने दावे दायर करें।

करोड़ों रुपए का सीमेंट घोटाला

290. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी में करोड़ों रुपये के सीमेंट घोटाले का, जिसमें आयातित सीमेंट की काला बाजारी द्वारा राज्य व्यापार निगम के साथ धोखाधड़ी शामिल है पता लगा है, जैसा कि 10 फरवरी, 1985 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घोटालों से सम्बधित सभी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (ग) . राज्य व्यापार निगम ने बर्मा तथा अन्य स्थानों से स्वदेश लौटे लोगों के लिए माधवराम, मद्रास में 300 मकानों के निर्माण हेतु खुले समुद्र पर बिक्री के आधार पर सेन्ट एन्टनी गिल्ड को लगभग 25,000 मै० टन सीमेन्ट आबंटित किया था। फर आजनोसियन्स, सेन एन्टनी गिल्ड के निदेशक और 13 अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने केरल के विभिन्न स्थानों में काला बाजार में इस सीमेन्ट की बिक्री की। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने आयात तथा निर्यात (नि०) अधिनियम, 1947 की धारा 5 और आई० पी० सी० की धारा 84 के साथ पठित 420, 120 ख के अधीन एक नियमित मामला अर्थात् आर० सी० सं० 2/85-सी० आई० यू० (ई) 11 दिनांक 1-2-1985 दर्ज कर दिया है।

रुग्ण मिलों का नवीकरण करने के लिए नई कपड़ा नीति

291. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण मिलों का नवीकरण करने, उनमें उत्पादन बढ़ाने तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नई कपड़ा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि ऐसी नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (ग) . एक नई वस्त्र नीति तैयार की जा रही है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा उसमें अन्तर्ग्रस्त विभिन्न पहलुओं तथा उद्देश्यों की जांच की जा रही है। वस्त्र नीति के सम्बन्ध में विचार तथा सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्त्र उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद की बैठक 9 मार्च, 1985 को हुई।

अनिवासी भारतीय पूंजी निवेशकों द्वारा एक समिति नियुक्त करने की मांग

292. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख अनिवासी भारतीयों ने हाल ही में सरकार को एक संदेश भेजा है, जिसमें अनिवासी भारतीय पूंजी निवेशकों की समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा कौन सी विशिष्ट समस्याओं का उल्लेख किया गया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) . युनाइटेड अरब अमीरात के अनिवासी भारतीयों के एक वर्ग ने, अक्टूबर, 1984 में, तत्कालीन वित्त मंत्री को दिये गए एक ज्ञापन में, और बातों के साथ-साथ, प्रक्रियात्मक ढांचे में कुछ परिवर्तनों और अनिवासी भारतीयों की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने पोर्टफोलियों निवेश योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों की पूंजी धारिता की 5% की अधिकतम सीमा में छूट देने का भी सुझाव दिया था और कर में अतिरिक्त रियायतें भी चाही थीं।

(ग) अनिवासी भारतीयों की योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न सुविधाओं के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यक बैंकों द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक एक समिति के गठन पर पहले ही विचार कर रहा है ताकि इन प्रक्रियाओं को और सरल किया जा सके। अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश की नीतियों का सरकार द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता रहा है, और सरकार इस समय यह आवश्यक नहीं समझती कि इस मामले पर विचार करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाए।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और इससे सम्बद्ध इस्पात संयंत्रों को हुआ भारी घाटा

293. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और उससे सम्बद्ध इस्पात संयंत्रों को वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान भारी घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार हुए घाटे का विश्लेषण किया, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन योजना, मूल्य ढांचे, मूल्य निर्धारण नीतियों, स्टाक के जमाव, विपणन नीतियों, अत्याधिक माल पद्धतियों और विद्युत सप्लाई के दोषयुक्त होने और अकुशलता तथा भ्रष्टाचार के कारण घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार ने इन कमियों को दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ताकि इस्पात क्षेत्र, जहां पर सरकारी क्षेत्र का सर्वाधिक पूंजी निवेश हुआ है, को इस संकट से उबारा जा सके और वह कुछ अतिरिक्त माल का उत्पादन कर सके ?

इस्पात विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री के० नटवरसिंह) (क), (ख) और (ग) . यह सच है कि सेल को 1982-83 तथा 1983-84 के वर्षों में क्रमशः 105.76 करोड़ रुपए तथा 214.50 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। वर्ष 1984-85 में इस हानि में काफी हद तक कमी होने की सम्भावना है। हानि होने का मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इस्पात कारखानों को मूल्य-वृद्धि करने की जो अनुमति दी गई थी उससे उत्पादन आदानों की लागतों में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति नहीं कर सके हैं।

वर्ष 1982-83 में इस्पात का स्टाक अधिक होने, कोक्कर कोयले तथा बिजली की सप्लाई में अड़चनों, अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा संयंत्रों के पुराने होने, जिनके रख-रखाव पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जैसे अन्य कारणों से हानि हुई है। इन सभी कारणों से इस्पात कारखानों के वित्तीय कार्यकरण पर भी प्रभाव पड़ा है।

(घ) उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने, बेहतर रख-रखाव, क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने तथा विकसित प्रौद्योगिकी के मापदण्डों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खर्च में कमी करने, माल-सूची कम करने तथा लागत में कमी करने के उपायों को अपनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों को हुआ घाटा

294. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक इकाइयों, भारत कोकिंग कोल लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस घाटे के कारणों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सरकारी उद्यमों को संकट से उबारने के लिए सरकार ने क्या ठोस उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों को हुआ घाटा/लाभ निम्नलिखित हैं :—

(—)=घाटा (+)=लाभ (रुपए करोड़ों में)

कम्पनी का नाम	इन वर्षों के दौरान हुआ घाटा/लाभ	
	1982-83 *	1983-84 **
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	(—) 97.21	(—) 127.88
भारत कोकिंग कोल लि०	(—) 44.85	(—) 191.89
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	(+) 114.39	(+) 60.49
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	(+) 66.61	(+) 12.12
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०	(+) 0.50	(+) 1.15
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (को० इं० लि०)	(—) 1.99	(+) 3.33
कुल	(+) 37.45	(—) 242.68

* कोयला कीमत विनिमय खाता में/से अंशदान से पहले

** कोयला कीमत विनियम खाता में/से अंशदान के समायोजन के बाद

(ख) और (ग) · घाटा होने के—विशेषकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० को—मुख्य कारण यह है कि उन्हें कठिन भू-खनन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और साथ ही उनके कार्यक्षेत्र में बिजली की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई, कानून और व्यवस्था तथा अनुपस्थिति की प्रवृत्ति आदि की समस्याएं लगातार चलती रहती हैं। तीसरे "राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता" से—जो 1.1.1983 से लागू हुआ—उपर्युक्त दोनों कम्पनियों में से प्रत्येक पर वर्ष 1983-84 के दौरान रु० 40 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। मजदूरी-लागत में हुई इस वृद्धि को कीमतों में हुई वृद्धि पूरा नहीं कर सकी क्योंकि कीमतों में वृद्धि तो बहुत बाद में अर्थात् 6 जनवरी, 1984 से लागू हुई। भारत कोकिंग कोल लि० में वर्ष 1983-84 में घाटा और बढ़ा जिसका कारण था पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी के मुख्य कारण थे अनुपस्थिति की प्रवृत्ति में वृद्धि, बिजली की कमी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब, आदि।

(घ) कोयला कंपनियों में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनका वित्तीय आधार मजबूत हो और साथ ही वे आने वाले वर्षों में कोयले की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए अच्छी तरह तैयार हो सकें। कोयलों कम्पनियों में उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों में यह बातें शामिल हैं— नई खानों

में विशाल पूंजी-निवेश, पहले ही स्थापित खनन क्षमता का पूरा उपयोग, उपकरणों का अधिक कुशलता से उपयोग और बेहतर रख-रखाव, भंडार-सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके और अनुशासन लागू करके तथा बेशी कामगारों का पता लगाकर तथा उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देकर पुनः काम पर लगाकर जनशक्ति का बेहतर उपयोग, विस्फोटक पदार्थ, टिम्बर आदि दुर्लभ उत्पादन-सामग्री की बेहतर उपलब्धि, तेजी से प्रेषण करके और बेहतर वितरण व्यवस्था से खान-मुहाना स्टाकों में कमी करना, नई परियोजनाओं को शीघ्रता से और समय में पूरा करना, बिहार, बंगाल कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार और माफिया गतिविधियों पर नियंत्रण।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा

295. **श्री बाई० एस० महाजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे मामलों का पता चला है, जिनमें सरकारी क्षेत्रों के कुछ उपक्रमों को अकुशल और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण घाटा उठाना पड़ा है,

(ख) क्या सरकार को ऐसे उपक्रमों और अधिकारियों का पता लगाया है,

(ग) यदि हां, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी ईमानदार व्यक्ति हो और वे उन्हें अपेक्षित मूल अर्हताएं रखते हों एवं व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जनार्दन पुजारी : (क) जी नहीं। घाटे में चल रहे उपक्रमों का घाटा विभिन्न कारणों से होता है, जैसे अलाभकारी मूल्य, पुरानी प्रौद्योगिकी बिजली में रुकावटें, विपणन सम्बन्धी रुकावटें आदि।

(ख), (ग) और (घ) . जहां तक सरकारी उद्यमों में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, प्रत्येक उपक्रम में सतर्कता संगठन मौजूद है। और ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए नियम और विनिमय निर्धारित हैं। जब कभी भ्रष्टाचार के मामलों का पता चलता है तो सम्बद्ध व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

सभी सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों एवं कार्यनिदेशकों को उनकी विभिन्न बातों जैसे अनुभव, व्यावसायिक विशेषज्ञता, अर्हता आदि को ध्यान में रखते हुए सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

पश्चिम बंगाल के खड़गपुर शहर का दर्जा बढ़ाया जाना

296. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर शहर के दर्जे को बी2 करने के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसनसोल को बी2 शहर का दर्जा प्रदान कर

दिया गया है, और खड़गपुर में कीमतें वहां से अधिक हैं, सरकार खड़गपुर का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में नए सिरे से विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर ऐसे असाधारण रूप से खर्चीले स्थानों में प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते उक्त भत्ते के प्रश्न पर की अदायगी जो जनसंख्या के मानदण्ड के आधार पर इसके योग्य नहीं ठहरते, सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करके विचार किया गया था और आसनसोल सहित चौदह नगरों को, वहां तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, बी-2 श्रेणी के नगरों में ग्राह्य दरों पर, प्रतिपूर्ति नगर भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए असाधारण रूप से खर्चीला माना गया था। चूंकि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग इन सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। इसलिए सरकार यह महसूस करती है कि इस स्तर पर व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जवाहरात और आभूषणों के निर्यात में कमी

297. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान जवाहरात और आभूषणों का कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या जवाहरात और आभूषणों के निर्यात में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय जवाहरात और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् ने सरकार से अपनी स्वर्ण-नीति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1984 के दौरान रत्न तथा आभूषणों के निर्यात अनुमानतः 1,312 करोड़ रु० के हुए जबकि 1983 में ये 1,291 करोड़ रु० के थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ). देश से निर्यात किए गये आभूषणों में प्रयोग किए गए स्वर्ण की प्रतिपूर्ति के आधार पर स्वर्ण आभूषणों के निर्यात बढ़ाने के लिए रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दिए गए सुझावों का कार्यान्वित किया गया।

वियतनाम के साथ कागज, कपड़ा और पटसन में संयुक्त उद्यम

298. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वियतनाम को पटसन की पौध रोपण से विधायन तक के लिए संयुक्त परियोजना स्थापित करने में सहायता देने का इच्छा प्रकट की है;

(ख) क्या कागज और कपड़ा उद्योगों में संयुक्त उद्यमों की सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) वियतनाम ने भारत से किन अन्य क्षेत्रों में सहायता मांगी है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अब तक इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले हैं अथवा आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) . भारत और वियतनाम के बीच जूट, कागज और वस्त्र उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ताकि उन पर पुन: विचार किया जा सके ।

विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधानों का कपटपूर्ण सौदों में शामिल होना

299. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री जी० जी० स्वैल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक आफ बड़ौदा के अध्यक्षों को छलपूर्ण सौदों में शामिल होने के कारण बरखास्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के छलपूर्ण सौदे किए गए और उनका निवारण क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सौदों की समीक्षा की है और इस सम्बन्ध में कोई नए मार्ग निदेश जारी किए हैं ।

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस प्रकार के सौदों में शामिल हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के प्रमुख सौदों और उनके कार्यकरण की जांच के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) . राष्ट्रीयकृत बैंक "प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध" स्कीम, 1970 के खंड 8 के उपखंड (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 18 फरवरी, 1985 को पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस० एल० बालूजा और सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बी० वी० सोनालकर तथा बैंक आफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक श्री एस० एस० मास्टर का कार्यकाल समाप्त कर दिया । कार्यकाल की यह समाप्ति उनकी नियुक्तियों पर लागू उपर्युक्त स्कीम के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ।

(ग) से (छ) . ऋण दिए जाने में अनियमितताओं बड़ी रकमों के अग्रिमों की समीक्षा न किए जाने और बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को अग्रिमों में अनियमिताओं की सूचना न दिए

जाने के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1984 में बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को एक कारगर और चुस्त सूचना प्रणाली का निर्माण करने का परामर्श दिया जिससे बैंकों के उच्च कार्यपालकों को बैंकों की बड़ी रकमों के मुख्य अग्रिमों से सम्बन्धित सभी घटनाओं की पूरी-पूरी जानकारी मिल सके। उन्हें अपने दौरों के दौरान नियंत्रक अधिकारियों के साथ बड़ी रकमों के अग्रिमों पर बातचीत करने और ऐसे खातों के सम्बन्ध में कार्यवाई करने के लिए आवश्यक निदेश देने की सलाह भी दी गई है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की राशि पर आयकर

301. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने 1984 के दौरान अपने कर्मचारियों पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की,

(ख) इसमें से कितनी धनराशि आयकर के रूप में वापस ली गई है,

(ग) क्या इस प्रकार की कोई मांग की गई है कि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए मंहगाई भत्ते पर कर न लगाया जाये, और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान मंजूर की गई किश्तों के कारण, उक्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त मंहगाई भत्ते पर सरकार द्वारा व्यय की गई कुल राशि लगभग 641.67 करोड़ रुपए थी।

(ख) भुगतान स्तर पर ही कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त मंहगाई भत्ते को एक अलग मद के रूप में नहीं माना जाता, बल्कि यह शीर्ष "वेतन" के अधीन आय का ही एक भाग है।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन मंहगाई भत्ते को आयकर से छूट नहीं है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रदर्शनियां/मेले

302. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान तथा दिसम्बर, 1984 तक देश में तथा विदेशों में कुल कितनी प्रदर्शनियां/मेले आयोजित किए गए तथा इनके पृथक्-पृथक् आंकड़े क्या हैं;

(ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त पर (एक) देश में (दो) विदेशों में कुल कितना व्यय किया गया तथा उनसे पृथक्-पृथक् कुल कितनी आय हुई; और

(ग) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए प्राधिकरण का वार्षिक बजट क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान तथा दिसम्बर, 1984 तक भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा देश में तथा विदेशों में आयोजित की गई प्रदर्शनियों/मेलों की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

विदेशों में	1983-84 भारत में
19 सामान्य मेले	5 राष्ट्रीय वस्तु मेले
19 वस्तु मेले	1 अन्तर्राष्ट्रीय मेला
4 भारतीय प्रदर्शनियां	

विदेश में	अप्रैल-दिसम्बर, 1984 भारत में
14 सामान्य मेले	3 राष्ट्रीय वस्तु मेले
10 वस्तु मेले	1 अन्तर्राष्ट्रीय मेला
2 भारतीय प्रदर्शनियां	

(ख) वर्ष 1983-84 और अप्रैल-दिसम्बर, 1984 के दौरान व्यय/आय निम्नोक्त प्रकार है :—

(लाख रु० में)

	भारत में		विदेशों में	
	रु०	आय	व्यय	आय
1983-84	275.71	247.25	398.99	128.04
अप्रैल-दिसम्बर, 84	264.50	264.30	984.55	325.19

(अनन्तिम)

(ग) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए प्राधिकरण का वार्षिक बजट निम्नोक्त प्रकार है :—

(लाख रु० में)

	व्यय	प्राप्तियां
1982-83	1474.64	1555.46
1983-84	1720.83	1581.70
1984-85	1395.06	1572.17

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

303. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले ढाई वर्षों के दौरान इस्पात के मूल्य में बार-बार वृद्धि होने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में घाटे में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति कब से चल रही है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) लाभ कमाने के लिए उत्पादन में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों, जो लगातार घाटे में चल रहे हैं और कम उत्पादन कर रहे हैं, दी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के कार्यकरण के साथ तुलना करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवरसिंह) : (क) और (ख) . सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को पिछले कुछ वर्षों में मूल्य-वृद्धि करने की अनुमति देने के बावजूद उत्पादक आदानों की लागतों में हुई वृद्धि की पूरी तरह प्रतिपूर्ति नहीं कर सके हैं।

"सेल" को वर्ष 1982-83 से हानि होनी शुरू हुई है जबकि "इस्को" को कई वर्षों से हानि ही रही है। कोककर कोयले तथा बिजली की सप्लाई में अड़चनें, अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा संयंत्रों के पुराने होने, जिनमें रख-रखाव पर अधिक खर्च करना पड़ता है, जैसे अन्य कारणों से भी हानि हो रही है।

(ग) उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने, बेहतर रख-रखाव, क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने तथा विकसित प्रौद्योगिकी के मापदण्डों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खर्च में कमी करने, माल-सूची कम करने तथा लागत में कमी करने के उपायों को अपनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगपतियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण

304. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई उद्योगपतियों ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक आफ बड़ौदा से बड़े पैमाने पर ऋण लिए हैं और काफी समय से उसे वापस नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बतलायी गयी है कि इन बैंकों ने विभिन्न उद्योग-पतियों को अंधाधुंध ऋण मंजूर किए हैं और इन ऋणों को मंजूर करने में भारी धोखाधड़ी की गई है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने उद्योगपतियों को ऋण मंजूर किए गए हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन बैंकों द्वारा उन्हें मंजूर किए गए ऋण की वसूली कब तक कर ली जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) (ख) (ग) और (घ) . प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित बैंकों सहित सभी बैंकों में ऐसे मामले होते है जिनमें विभिन्न एककों को दिए गए ऋण कई कारणों से अतिदेय हो जाते हैं। इनके अलावा अनियमित/धोखाधड़ी से लिए गए अग्रिमों के मामले भी होते हैं। इन सभी मामलों में, बैंक विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं और अलग-अलग मामले के गुणदोषों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई का

सर्वोत्तम तरीका अपनाते हैं। बैंकों के सामने जो विकल्प होते हैं उनमें एककों की सहायता करना, प्रतिभूतियों को लागू करना, अग्रिमों की वापसी की मांग करना या धोखाधड़ी के मामलों में मुकदमा दायर करना शामिल हैं। यदि आवश्यक जांच के बाद धोखाधड़ी के मामलों में किन्हीं अधिकारियों का हाथ पाया जाए, तो उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबंधों और इन बैंकों में प्रचालित रीति-रिवाजों के अनुसार बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला संसाधनों के आयोजन, उत्पादन, परिवहन और वितरण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए हुई बैठक

305. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला संसाधनों के आयोजन, उत्पादन, परिवहन और वितरण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए इस्पात, कोयला, उद्योग, रेलवे, मजदूर संघों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कोयला परामर्शदात्री निकाय संबंधी कार्य दल ने कोयला उत्पादन और वितरण नीति में सुधार लाने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ बैठके और चर्चाएं कीं;

(घ) इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप किन-किन प्रस्तावों पर सहमति हुई; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) . जी, हां। कोयला सलाहकार परिषद की बैठक 15-2-1985 को (13-2-1985 को नहीं, जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है) हुई थी। इस परिषद् में कोयला क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कोयले के उत्पादन, वितरण, परिवहन, कोयले की किस्म, सुरक्षा और कोयला खनिकों का स्वास्थ्य आदि विषयों पर अनेक सुझाव दिए। बैठक का कार्यवृत्त संबंधित सदस्यों को भेजकर उस पर उनके अभिमत मांगे गए हैं। अगली कार्रवाई सदस्यों के विचार प्राप्त हो जाने के बाद की जाएगी।

(ग) से (ङ) . कोयला सलाहकार निकाय का कोई कार्यकारी ग्रुप काम नहीं कर रहा है, अतः इसकी बैठक होने और उत्पादन और वितरण में सुधार लाने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ चर्चा करने का प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन में तीन भारतीय बैंकों द्वारा एक उद्योग गृह को दिये गये ऋण की वसूली

306. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में तीन भारतीय बैंकों पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक और यूनियन

बैंक द्वारा एक उद्योग गृह को जिसका व्यापार उस देश में समाप्त हो गया है किये गये 200 मिलियन डालर के ऋण की वसूली संदेहास्पद हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों से कुल कितनी धनराशि निकाली गई है;

(ग) अभी तक ऋण की कुल कितनी राशि वसूल की गई है और कितनी राशि बकाया है;

(घ) क्या सरकार ने 17 फरवरी, 1985 को तीन बैंकों के प्रमुखों को बर्खास्त कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इन बैंकों और अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) . भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसाल व्यापार समूह ने अपने कारोबार के लिए तीन भारतीय बैंकों अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और यूनियन बैंक आफ इण्डिया तथा लंदन स्थित चार विदेशी बैंकों से काफी वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। इस समूह की प्रमुख कंपनी अर्थात् इसाल (कमोडिटीज) लिमिटेड वस्तुओं का व्यापार करती थी और मुख्य रूप से नाईजीरिया और सूडान को वस्तुओं का निर्यात करती थी। तीनों बैंकों द्वारा किये गये और रिजर्व बैंक को भेजे गए मूल्याकनों के अनुसार, उक्त समूह को दिये गये अग्रिमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्य दावाहुंडियों/प्रतिभूतियों/गारंटियों के अन्तर्गत आ जाता है। उक्त समूह की कंपनियों को उधार देने में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। तीनों भारतीय बैंकों की लन्दन स्थित शाखाओं के कुछ अधिकारियों ने प्रधान कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वीकृत सीमाओं से अधिक अग्रिम दिए थे। बैंकों को धोखा देने के उद्देश्य से कुछ बैंक अधिकारियों और कंपनी के बीच सांठ-गाँठ का भी सन्देह है। ये बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति पर विचार कर रहे हैं तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लन्दन की अदालत ने, नवम्बर 1984 में, मुख्य उधारकर्त्ता कंपनी अर्थात् इसाल (कमोडिटीज) का अनिवार्य परिसमापन कर दिया और इस कंपनी के प्रबन्ध निदेशक को दीवालिया घोषित कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया रकमों की वसूली के लिए अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों को लागू करें और जहां कहीं आवश्यक हों, परिसमापकों के पास अपने दावे दायर करें।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 8 के उप खंड (1क) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 18 फरवरी, 1985 को पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री एस० एल० बालूजा, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री बी० वी० सोनालकर और बैंक आफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक श्री एस० एस० मास्टर का कार्यकाल समाप्त कर दिया। उन्हें नोटिस की निर्धारित अवधि के बदले 3 महीने का वेतन और ग्राह्य भत्तों की अदायगी कर दी गई। कार्यकाल की यह समाप्ति उनकी नियुक्तियों पर लागू उपर्युक्त स्कीम के उपबन्धों के अनुसार की गई थी।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखता है और उसका पर्यवेक्षण करता है। पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और यूनियन बैंक आफ इंडिया की लंदन स्थित शाखाओं के कार्यों में कुछ अनियमितताओं/त्रुटियों का पता चलने पर भारतीय

रिजर्व बैंक ने उन्हें ठीक करने/दूर करने के लिए विस्तृत मार्ग निर्देश जारी कर दिए हैं। नयी सूचना प्रणाली अर्थात् "पालू" (विदेशी कार्यालयों की परिसम्पत्तियों और देन-दारियों की स्थिति) के अंतर्गत भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक के पास तिमाही विवरण भेजने होते हैं जिनमें उनकी विदेशी शाखाओं के कार्यों के सभी महत्वपूर्ण पहलू आ जाते हैं। सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने अपनी लंदन स्थित शाखा की "प्रणाली लेखापरीक्षा" (सिस्टम आडिट) का काम चार्टर्ड लेखाकार और प्रबंधक परामर्शदाताओं की एक फर्म को सौंपा दिया है ताकि उसके कार्य में सुधार लाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया को भी लंदन की चार्टर्ड लेखाकारों की किन्हीं जानी-मानी फर्मों में से किसी एक फर्म द्वारा ऐसी ही लेखा परीक्षा की व्यवस्था कराने का परामर्श दे रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाओं के कार्य में सुधार करने के लिए और कई उपाय किए हैं।

राज्यों को प्राप्त ओवर ड्राफ्ट सुविधा का समाप्त किया जाना

307. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों को यह चेतावनी दी है कि यदि वे ऋण लेने की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रखते हैं तो उन्हें प्राप्त ओवरड्राफ्ट सुविधा समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को जो ऋण की यथोचित सीमा पार कर चुके हैं अथवा उस सीमा तक पहुंच गये हैं उक्त निर्णय से अवगत करा दिया गया है;

(ग) दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या राज्यों से कहा गया है कि वे अधिक कर एकत्र करके अपने ऋणों पर रोक लगायें, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का राज्यों द्वारा अधिक ओवरड्राफ्ट लेने पर रोक लगाने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ख) तथा (ग). भारत सरकार ने उन सभी राज्यों को जिनका खाता भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चलता है, परामर्श दिया कि वे अपने ओवर-ड्राफ्ट को उस स्तर तक सीमित रखें जो उनके बारे में 28 जनवरी, 1985 को था। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि यदि राज्यों के ओवरड्राफ्ट 28-1-1985 के स्तर से अधिक हो जाते हैं और यह स्थिति 7 कार्य दिवसों तक चलती रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक उनके सरकारी खाते में अदायगियां बंद कर देगा।

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अपने बजटों का पुनः निर्धारण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके ओवर ड्राफ्ट का स्तर उस स्तर से अधिक न हो, जो उनके बारे में 28 जनवरी, 1985 को था।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक मेला आयोजित किया जाना

308. **श्री कमल नाथ** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने इस वर्ष एक औद्योगिक मेला आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से देशों ने भाग लिया; और

(ग) इस मेले के परिणामस्वरूप कितने रुपए मूल्य के निर्यात आर्डर मिले ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने 14 से 27 नवम्बर, 1984 के दौरान भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1984 को आयोजित किया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) मेले के दौरान वास्तव में हस्ताक्षर की गई निर्यात संविदाएं 1745 मिलियन रु० की थीं।

विवरण

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1984 में भाग लेने वाले देशों की सूची।

1. आस्ट्रिया
2. अफगानिस्तान
3. आस्ट्रेलिया
4. अल्जिरिया
5. बुल्गारिया
6. ब्राजील
7. बंगलादेश
8. भूटान
9. चीन
10. क्यूबा
11. चेकोस्लोवाकिया
12. जर्मन संघीय गणराज्य
13. फ्रांस
14. जर्मन जनवादी गणराज्य
15. इटली—इटैलियन इंस्टिट्यूट
—मिलान मेला प्राधिकरण
16. कम्पूचिया
17. लाओस
18. नेदरलैंड्स
19. नेपाल
20. पोलैंड
21 पी० एल० ओ०
22. रोमानिया
23. दक्षिण कोरिया
24. श्रीलंका
25. स्वीडन
26. टर्की
27. यू० एस० एस० आर०
28. वियतनाम
29. यूगोस्लाविया
30. हंगरी
31. ब्रिटेन
32. पित्तलैंड
33. कनाडा

इलायची की खेती के अन्तर्गत कुल भूमि

309. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इलायची की खेती कुल कितनी भूमि पर की जाती है;

(ख) क्या पिछले दस वर्ष के दौरान इलायची की खेती के क्षेत्र में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या इलायची की खेती के क्षेत्र में विस्तार सम्बन्धी कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) देश में इलायची की खेती के अन्तर्गत कुल अनुमानित क्षेत्र 93,947 हेक्टार है।

(ख) से (घ) . ऐसी खेती के संबंध में कृषि जलवायु की कठोर स्थितियों की वजह से पिछले 10 वर्ष के दौरान इलायची के अन्तर्गत क्षेत्र में कोई भारी वृद्धि अथवा कमी नहीं की गई है। तथापि, इलायची बोर्ड सातवीं योजना अवधि के दौरान संभावित क्षेत्रों में इलायची के नए पौधे लगाने सम्बन्धी एक योजना बना रहा है ताकि 2500 हेक्टार क्षेत्र कवर किया जा सके।

केरल में इलायची उत्पादकों को सूखे के कारण हुई हानि

310. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्ष 1982-84 में इलायची के कुल कितने क्षेत्र पर सूखे का प्रभाव पड़ा था;

(ख) क्या केरल में इलायची उत्पादकों को हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इलायची उत्पादकों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) केरल में इलायची की खेती के अन्तर्गत कुल अनुमानित क्षेत्र लगभग 56,376 हैक्टेयर है जिनमें से लगभग 9000 हैक्टेयर 1982-84 में गम्भीर सूखे की चपेट में आ गया।

(ख) तथा (ग) . जी हां। इलायची बागानों को हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए इलायची बोर्ड द्वारा एक उप-समिति का गठन किया गया था और उसके अध्ययन के अनुसार लगभग 35 से 40 प्रतिशत इलायची का क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ।

(घ) सरकार ने सूखे से प्रभावित उपजकर्त्ताओं की सहायता के लिए इलायची बोर्ड की निम्नलिखित योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है :—

1. पुनरोंपण ऋण-सह-उपदान योजना

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में 15000 हेक्टयर का क्षेत्र (7500 हैक्टयर लघु उपजकर्त्ताओं के लिए तथा 7500 हैक्टेयर बड़े उपजकर्त्ताओं के लिए) कवर होगा। लघु उपजकर्त्ताओं को, जिनके पास केवल 8 हैक्टेयर हैं, 1000/800/-रु० और 700/-रु० की तीन वार्षिक किस्तों में 2500/-रु० प्रति हैक्टेयर नकद उपदान का भुगतान किया जा रहा है। ऋण के रूप में वित्तीय संस्थाओं से 7750/-रु० प्रति हैक्टयर की व्यवस्था है जिस पर 3% ब्याज उपदान प्रदान किया जा रहा है। बड़े उपजकर्त्ता 1000/-रु० 300/-रु० और 200/-रु० की तीन वार्षिक किस्तों में 1500/-रु० प्रति हैक्टेयर के नकद उपदान के पात्र हैं। ऋण राशि 8750/-रु० प्रति हैक्टेयर है।

केरल में इस योजना के अन्तर्गत कवर होने वाला लक्ष्य 1984-85 1985-86 और 1986-87 के प्रत्येक वर्ष के लिए 3000 हैक्टेयर है।

2. प्रमाणित नर्सरियों में पोलीथीन की थैलियों में पौधों का उत्पादन

इस योजना के अन्तर्गत बीज सामग्री तथा पोलीथीन की थैलियों की 50% लागत की आर्थिक सहायता दी जाती है।

3. और प्रमाणित नर्सरियां खोलना

यह योजना 1983-84 से कार्यान्वित की जा रही है। तीन वर्षों के लिए 25.5 लाख रु० का कुल वित्तीय परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है। पौधों के उत्पादन की लागत 25% की 50 पैसे प्रति पौद से अधिक नहीं, आर्थिक सहायता दी जाती है।

भारत में निर्यात में वृद्धि के उपाय

311. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 में भारतीय निर्यात का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत से निर्यातों में वृद्धि हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के तत्काल बाद बड़े पैमाने पर आयात करने की अनुमति दी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार है कि निर्यात के लिए भारतीय सामान की गुणवता में सुधार करने हेतु उपाय किए जाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) . (क) जी नहीं। निर्यातों के मूल्य में बराबर वृद्धि होती रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए आयात तथा निर्यात नीति उपायों का बराबर पता लगाया जा रहा है। इनमें शामिल है : उत्पादन बढ़ाने तथा विविधीकरण करने के उपाय, अपने निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाना अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की खोज करना तथा अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं का संसाधन। इस उद्देश्य के लिए सरकार को उपलब्ध नीति के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जा रहा है और जब आवश्यक होता है समायोजन किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) तथा (च) . निर्यात उत्पादों सम्बन्धी अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण की सभी योजनाओं की बराबर समीक्षा की जाती है। विदेशों से प्रतियोगिता और साथ ही प्रौद्योगिकी में सुधार को ध्यान में रखते हुए निर्यात उत्पादों के मानकों को अद्यतन करने के सम्बन्ध में संशोधन भी किए जाते हैं। विदेशी क्रेताओं से प्राप्त क्वालिटी सम्बन्धी शिकायतों की आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन तथा मद्रास स्थित क्वालिटी शिकायतों सम्बन्धी क्षेत्रीय उप-समितियों द्वारा तेजी से जांच की जाती है। इन समितियों द्वारा नेताओं के साथ-साथ भारतीय निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है जिससे विवाद मैत्री पूर्ण ढंग से तय हो सके। इन क्वालिटी सम्बन्धी शिकायतों से

उपलब्ध जानकारी के आधार पर, यदि अपेक्षित होता है, जांच की प्रणाली में और भी सुधार किए जाते हैं।

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम में संशोधन के द्वारा दोषी निर्यातकों पर, जो गलत तरीके से जांच प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अर्थदण्ड बढ़ा दिए गए हैं और परिसरों में प्रवेश, जांच तथा तलाशी और ऐसी वस्तुओं को जिन्हें निम्न स्तर का पाया जाता है, अधिग्रहण करने के भी अधिकार दिये गए हैं। इस संशोधन में विभागीय निर्णय, अपील तथा परिवर्तन की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्यात खेप के जांच प्रमाण-पत्र में संशोधन करने, निलाम्बित अथवा रद्द करने के अधिकार भी दिए गए हैं यदि प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् अभिकरण द्वारा बाद में की गई जांच में सामग्री को क्वालिटी में निम्न स्तर का अथवा विकृत पाया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों के शीघ्र न बिगड़ने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात में उनकी सहायता करने की योजना

312. **श्री जी०जी०स्वैल** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मालूम है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में अदरक, हल्दी, कालीमिर्च, पीपल लाल मिर्च जैसे खराब न होने वाले निर्यात योग्य कृषि उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन इलाकों के किसानों को उन उत्पादों के निर्यात में उनकी सहायता करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) क्या इन इलाकों के ऐतिहासिक अलगाव को ध्यान में रखते हुए सरकार इनके निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (ग). सरकार की नीति है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि संबन्धी उत्पादों के निर्यातों के विकास पर विशेष बल दिया जाए। निर्यात निर्गम केन्द्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषीय विपणन निगम, मसाला निर्यात संवर्धन परिषद और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रयास किये जा रहे हैं। भाड़ा दरों पर कुछ विशेष प्रोत्साहन पहले ही विद्यमान हैं। विद्यमान संस्थागत तथा अवस्थापनात्मक सुविधाओं व प्रोत्साहनों की पर्याप्तता और उन्हें बढ़ाने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षाएं की जाती हैं।

इस्पात को सारणीबद्ध करने के उपाय पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक

314. **श्री आर० अन्नानाम्बी** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील एक्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इण्डिया ने इस्पात को सारणीबद्ध करने की दिशा में किए जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार से उपभोक्ताओं, निर्माताओं और संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) (क) और (ख) जी, हां। स्टील

एक्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इण्डिया ने सुझाव दिया है कि इस्पात के उपभोक्ताओं, निर्माताओं तथा फेडरेशन से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही इस्पात का सीधे आयात करने के बारे में निर्णय लिया जाए। फेडरेशन ने सुझाव दिया है कि माध्यम अभिकरण की मार्फत इस्पात का आयात करने की प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करने की बजाए वर्तमान प्रणाली की अड़चनों तथा खामियों को दूर करना अधिक प्रभावी होगा। फेडरेशन के विचार में वर्ष 1981 के आरम्भ में इस्पात की कई मदों का सीधे आयात करने के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया था उसके परिणामस्वरूप बाजार तथा उत्पादकों के पास इस्पात का काफी स्टाक जमा हो गया था क्योंकि खुले सामान्य लाइसेंस (ओपन जनरल लाइसेंस) के अन्तर्गत आयात करने की प्रणाली में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे खुले सामान्य लाइसेंस के बिना (नान-ओपन जनरल लाइसेंस) आयात किया जा सकता है।

सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है तथा प्राप्त हुए विभिन्न सुझावों पर विचार करने के पश्चात् वाणिज्य मंत्रालय वर्ष 1985-86 के लिए इस्पात का आयात करने की नीति घोषित करेगा।

बढ़िया किस्म के माल के बारे में चमड़ा-निर्यात परिषद् से प्राप्त अभ्यावेदन

315. **श्री आर० अन्नानाम्बी** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा निर्यात परिषद् ने सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन दिया है कि बढ़िया किस्म के माल के निर्यात को इसकी वास्तविक उत्पादन लागत और इसमें प्रयुक्त आदानों पर लगने वाले विभिन्न करों और अन्य सम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक अधिक नकद प्रतिपूरक समर्थन तैयार करके प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) तथा (ख) . तैयार चमड़े और चमड़े के उत्पादों के निर्यातों पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता की दरें निर्धारित करने के लिए चमड़ा निर्यात परिषद् मद्रास, ने अपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। सरकार ने इस मामले पर अभी विचार नहीं किया है।

पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग को बचाने के उपाय

316. **श्री सनत कुमार मंडल : वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर तालाबन्दी और छटनी किये जाने के कारण यहां जूट उद्योग की स्थिति सोचनीय हो गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ख) क्या कुछ श्रमिक संघों ने केन्द्र सरकार पर 1961 के पटसन (नियंत्रण तथा लाइसेंस जारी करना) आदेश की धारा 10 लागू करने के लिए दबाव डाला है, जिसके तहत सरकार को प्रत्येक मिल के पास बड़े-बड़े पटसन के सारे स्टाक को जब्त करने तथा कार्यरत सभी मिलों को पटसन का बचा माल पुनः बराबर बांटने का अधिकार है;

(ग) क्या उन संघों ने 5 दिन के सप्ताह के विरोध में अभ्यावेदन भी दिया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य के पटसन उद्योग को बर्बादी से बचाने के लिए तथा लाखों लोगों को बेकार होने से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) . इस समय पश्चिम बंगाल में 12 पटसन मिल बन्द पड़े हैं (स्थायी रूप से बन्द पड़े 3 मिलों को छोड़कर) जिनमें से 9 मिल 1985 के आरम्भ से बन्द कर दिए गए हैं। हालांकि ऐसी मिल बन्दी का प्रत्यक्ष कारण औद्योगिक विवाद है, फिर भी मिलों के वित्तीय अभाव तथा पटसन की चार फसलें अप्राप्त होने के परिणामस्वरूप कच्चे पटसन की ऊंची कीमत भी इसके कारण हो सकते हैं।

(ख) तथा (ग) . श्रम मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार की अध्यक्षता में 26-2-1985 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने कच्चे पटसन की जमाखोरी को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन की, कच्चा पटसन सुरक्षित रखने के लिए पटसन उद्योग में 5 दिन का सप्ताह आरम्भ करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया।

(घ) पटसन मिलों के बीच कच्चे पटसन का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए तथा कमजोर मिलों की मदद करने के लिए, पटसन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मिलों में कच्चा पटसन स्टाक जमा करने को विनियमित किया गया है। कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने कच्चे पटसन के आयात की भी अनुमति दे दी है।

आयकर छापों के परिणामस्वरूप विशेष धारक बांडों के मूल्य में वृद्धि

317. **श्री के० प्रधानी**
कुमारी पुष्पा देवी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में काले धन का पता लगाने के लिए देश में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो उन छापों के क्या परिणाम निकले और लगभग कितने काले धन का पता लगा और 50 लाख रुपए से अधिक धन छुपाने वाले मामलों में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इन छापों के कारण, अघोषित धनराशि काफी बड़ी मात्रा में शेयर मार्किट में आ गई है और सोने के भाव बढ़ गए हैं और छापे के डर से व्यापारियों ने अपनी अतिरिक्त नकदी को सोने में बदल दिया है और बाजार में विशेष धारक बांड की अभूतपूर्व मांग के कारण उनका मूल्य 17,000 रुपए तक पहुंच गया है, जो आज तक का अधिकतम मूल्य है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में कौन से निवारक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) तथा (ख) . जनवरी और फरवरी, 1985 के दौरान आयकर विभाग ने 1,133 तलाशियां लीं जिनमें प्रथम दृष्ट्या लगभग 6.61 करोड़ रुपए मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ीं। विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने के लिए पकड़े गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

(क) यह सच नहीं है कि छापों के कारण काफी बड़ी मात्रा में लेखा-बाह्य धनराशि शेयर बाजार में आई है। शेयरों के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः उन्नति और उत्पादकता को बढ़ाने में

सहायता करने के लिए औद्योगिक नीति को उदार बनाने के सम्बन्ध में सरकारी उद्घोषणाओं तथा वचत एवं निवेशोन्मुख बजट की प्रत्याशाओं के कारण हुई है। मानक सोने के मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: भारी मात्रा में तस्करी का सोना पकड़े जाने, डालर की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि होने और देश में सोने की मांग में मौसमी बढ़ोत्तरी होने के कारण हुई है। धारक बंध-पत्रों में सरकारी तौर पर कोई लेन-देन नहीं हुए हैं।

(घ) काले धन के प्रसार और उसमें तेजी से होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए समय-समय पर सभी सम्भव उपाय किये जाते हैं जिनमें प्रशासनिक, विधायी तथा नियम सम्बन्धी उपाय सम्मिलित हैं।

पिछले छः मास के दौरान मारे गए छापे

318. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः मास के दौरान (i) फर्मों (ii) फिल्मी अभिनेताओं/अभिनेत्रियों और (iii) उद्योग-पतियों के यहां मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है; कितनी गुप्त कंपनियों का पता चला और प्रत्येक मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 1.9.1984 से 28.2.1985 तक की अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने 2091 तलाशियां लीं जिनमें प्रथम दृष्टया लगभग 12.42 करोड़ रुपए मूल्य की लेखावाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं।

मामलों की भारी तादाद को देखते हुए, सभी मामलों के ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी मामले/तलाशी विशेष के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

पकड़ी गई आस्तियों का मूल्य

319. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी स्रोतों से कुल कितने मूल्य की आस्तियां संपत्ति पकड़ी गई,

(ख) क्या इन आस्तियों का कुछ भाग इनके मालिकों को लौटा दिया गया है,

(ग) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार इन आस्तियों का क्या उपयोग कर रही है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) . **आयकर :** गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों में पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रु० में)
1981-82	30.66
1982-83	27.96
1983-84	27.99

जहां कोई रुपया-पैसा, सोना-चांदी जेवर-जवाहरात अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुएं अथवा चीज पकड़ी जाती हैं वहां आयकर अधिकारी को अभिग्रहण के 120 दिनों के भीतर एक आदेश पारित करना होता है जिसमें संक्षिप्त रूप में अघोषित आय तथा उन पर कर का अनुमान लगाया जाता है। पकड़ी गई ऐसी परिसम्पत्तियों को, जो निर्धारित कर से अधिक होती है, कर निर्धारिती को वापिस लौटा दिया जाता है, गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस प्रकार वापिस लौटाई गई परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्नानुसार था :—

वित्तीय वर्ष	लौटाई गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रु० में)
1981-82	16.28
1982-83	2.41
1983-84	13.29

पकड़ी गई नकदी आयकर आयुक्त के व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा की जाती है तथा दूसरी परिसम्पत्तियों को या तो आयकर विभाग द्वारा बनाए गए कोष कक्ष (स्ट्रांग रूम) में अथवा बैंकों के सुरक्षित जमा कक्ष (सेफ डिपाजिट वोल्टस) में सुरक्षित रखा जाता है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क : माल को, जब कभी भी वह केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के अन्तर्गत पकड़ा जा सकता है, अभिगृहीत किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान माल के अभिग्रहणों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। अभिग्रहण के पश्चात्, माल को बन्ध पत्र देने तथा प्रतिभूत प्रस्तुत करने पर, यदि पार्टी ऐसा चाहती हो, अनन्तिम रूप से छोड़ दिया जाता है तथा तत्पश्चात् मामले में न्याय निर्णयन किया जाता है। जहां न्याय निर्णयन पर माल को जब्त नहीं किया जाता है वहां उसे उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसके यहां से उसका अभिग्रहण किया गया था। यदि पार्टी जब्ती के स्थान पर दण्ड का भुगतान करके माल को छुड़ाना नहीं चाहती हो तो जब्त किए गए माल को नीलामी के द्वारा बेच दिया जाता है।

प्रवर्त्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) : प्रवर्त्तन निदेशालय मारे गये छापों के परिणामतः केवल भारतीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा पकड़ती है। गत तीन वर्षों के दौरान पकड़ी गई भारतीय मुद्रा/विदेशी मुद्रा के कुल मूल्य के बारे में सूचना निम्नानुसार है :—

	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा (रुपयों के समतुल्य)
1982	90.48 लाख रु०	45.47 लाख रु०
1983	86.54 लाख रु०	47.23 लाख रु०
1984	127.67 लाख रु०	61.93 लाख रु०

जांच पड़ताल तथा/अथवा न्याय निर्णयन के परिणामस्वरूप जहां पकड़ी गई राशि को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार के दोष में ग्रस्त नहीं पाया जाता है अथवा जिसे जब्त किए जाने के आदेश नहीं दिए जाते हैं, उसे उन व्यक्तियों को वापिस लौटा दिया जाता है जिनसे उसे अभिगृहीत किया जाता है। भारतीय मुद्रा/विदेशी मुद्रा की मात्रा जो उनके मालिकों को लौटाई गई है, तत्काल उपलब्ध नहीं है।

जिस मामले में न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा मुद्रा को जब्त करने के आदेश दिए जाते हैं, उसमें प्रश्नगत मुद्रा को रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करा दिया जाता है।

सीमा शुल्क के मामलों में अभिगृहीत तथा छोड़ी गई परिसम्पत्तियों के मूल्य के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में चीन के व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल का दौरा

320. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चीन का एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल राजधानी आया था और उसने भारत-चीन व्यापार के विस्तार और कई क्षेत्रों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में फिक्की के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या समझौता हुआ ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) तथा (ख). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर के फैडरेशन (फिक्की) के नियन्त्रण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के लिए चीनी परिषद् (सी० सी० पी० आई० टी०) से 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 2 से 10 मार्च, 1985 तक भारत का दौरा किया। भारत और चीन के निर्यात हित की मदें व दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान के लिए संभाव्य क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया तथा दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग और संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर विचार किया गया। फिक्की और सी० सी० पी० आई० टी० ने अन्तराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन के लिए सहयोग देने के सम्बन्ध में एक करार पर भी हस्ताक्षर किए।

अलंग स्थित जहाज को कबाड़ में बदलने वाली गोदी

321. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र भावनगर के निकट अलंग स्थित जहाज को कबाड़ में बदलने वाली गोदी गम्भीर संकट से गुजर रही है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त स्थल में आज कल एक साथ 60 जहाज खड़े किए जा सकते हैं जिसका अर्थ है उसमें प्रति वर्ष 180 से 200 तक जहाजों को कबाड़ में बदलने की क्षमता है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान केवल 60 जहाज आवंटित किए थे जिससे पता लगता है कि केवल 30 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ है; और

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए सरकार उक्त गोदी को पर्याप्त मात्रा में कबाड़ जहाजों का आवंटन सुनिश्चित करेगी जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम उसकी 75 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा सके।

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० मटवरसिंह) (क) से (घ). वर्ष 1984-85 में देश में तोड़ने के लिए कुल 3.33 लाख एल० डी० टी० जहाजों का आवंटन किया गया है जिसमें से अलंग स्थित जहाज तोड़ने की इकाइयों को अब तक 2.07 लाख एल० डी० टी० जहाज आवंटित किए गए हैं। स्क्रैप बनाने के लिए जहाजों का आयात करने के सम्बन्ध में निर्यात अन्य स्रोतों से पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप तथा पुनर्बेलन योग्य सामग्री की उपलब्धि तथा तोड़े गए जहाज के

स्क्रैप के अनन्त: उत्पाद के रूप में तैयार छड़ों और गोल-छड़ों की उपलब्धि और मांग की स्थिति को ध्यान में रख कर लिया जाता है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पदों को अलग-अलग करना

322. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पदों को अलग-अलग करने तथा अध्यक्ष के पद पर किसी सरकारी अधिकारी की बजाय किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को नियुक्त करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) : जी हां।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम धारक कम्पनी में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के अलग-अलग पद हैं। इस समय, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सहायक निगमों में पूर्णकालिक अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशकों की विद्यमान प्रणाली में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

———

12.00

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेटिपालयम) : महोदय, क्या श्रीलंका में तमिलों के मामले को निपटाने के लिए भारत सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करने का निर्णय पहले ही ले चुके हैं। हम उस पर पूरी चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : ओवरड्राफ्ट सम्बन्धी विषय पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे लिखित रूप में देने के लिए किसने रोका है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जी हां, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दें, तो होगा पहले कैसे होगा।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, बोगस सम्बन्धी एक समाचार प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : किसी स्थिति में इसे नहीं लिया जा सकता। आप मुझे लिखित रूप में कुछ दीजिए; मैं इसकी जांच कराऊंगा। आपको मुझे यह बात लिखित रूप में देनी होगी। समाचार पत्रों में कई बातें छपती हैं·····

श्री अमल दत्त : इस समाचार-पत्र की खबर के अनुसार·····

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह

12.01 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

"आर्थिक समीक्षा" तथा भारत सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त और वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) "आर्थिक समीक्षा" 1984-85 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 446/85]

(2) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों (सरकारी उद्यमों का सर्वेक्षण) के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड I से III) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 447/85]

भारतीय अल्युमीनियम निगम लिमिटेड (अल्यूमीनियम उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण) नियम, 1985

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैं भारतीय अल्युमीनियम निगम लिमिटेड (अल्युमीनियम उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय अल्यूमीनियम निगम लिमिटेड (अल्यूमीनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण), (किसी सम्पत्ति में बंधक, भार, धारणाधिकार अथवा अन्य हित के सम्बन्ध में सूचना) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का० आ० 154 (अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 448/85]

वित्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचना,
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं,
आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं,
सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं,
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं,

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, यूनाइटिड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1983 सम्बन्धी प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 48 (अ) की एक प्रति, [हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण] जो 28 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो नई दिल्ली में 28 जनवरी, 1985 को हुए आणविक निरस्त्रीकरण पर छः राष्ट्रों के सम्मेलन के लिए तजानिया, यूनान, स्वीडन, मैक्सिको और अर्जेंनटीना से आए राज्याध्यक्षों, शासन-प्रमुखों और प्रतिनिधियों को विदेश यात्रा कर की अदायगी से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 449/85]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 18 फरवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 63 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 28 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 118 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 450/85]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (संशोधन) नियम, 1985, जो 31 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या का० आ० 65 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 4 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 91 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 451/85]

(4) सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 83 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 26 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति के लिए पूर्णतः कार्यरत किसी न्यास का एक भाग होने वाली सम्पत्ति को तथा प्रधान मंत्री के सहायता कोष के लिए दिए जाने वाले दान को सम्पदा शुल्क के लगने से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 452/85]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमा-शुल्क (अपील) संशोधन नियम, 1985, जो 30 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 54 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 61(अ), जो 1 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो चीनी को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर लगने वाले मूल्यानुसार 35 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से और सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(तीन) सा० का० नि० 62 (अ), जो 1 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो प्राकृतिक कच्ची रबड़ को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर लगने वाले मूल मूल्यानुसार, 20 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क और सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 71 (अ), जो 1 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 118-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि इलैक्ट्रानिकी उद्योग के लिए विनिर्दिष्ट कुछ और पूंजीगत माल के सम्बन्ध में भी मूल सीमा-शुल्क की मूल्यानुसार, 25 प्रतिशत की रियायती दर लागू की जा सके और अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके ।

(पांच) सा० का० नि० 85 (अ), जो 18 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 759 डेनियरों से अधिक पालिएस्टर फिलामेंट सूत, को जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर लगने वाले 18.75 रु० प्रति किलोग्राम की दर से संगणित रकम से अधिक अतिरिक्त सीमा-शुल्क की छूट देने के बारे में है।

(छः) सा०का० नि० 86 (अ) जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 49-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(सात) सा० का० नि० 87(अ), जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 49 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(आठ) सा० का० नि० 88 (अ), जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 232-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(नौ) सा० का० नि० 90(अ), जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रूसी रूबल का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है ।

(दस) सा० का० नि० 98 (अ), जो 21 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आस्ट्रेलियाई डालर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को आस्ट्रेलियाई डालर में संपरिवर्तन करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 453/85]

(6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा० का० नि० 82 (अ), जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 7 अप्रैल, 1979 से 10 जून 1979 तक की अवधि के दौरान, तांबे की 14 एस० डब्ल्यूजी० से पतली नंगी तारों पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के उपबंधों को लागू किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 83 (अ), जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 49/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिनके द्वारा 750 डेनियरों तथा उससे कम डेनियरों नायलोन के फिलामेंट सूत पर 56 रुपये प्रति किलोग्राम तथा डेनियर की मात्रा का विचार किये बिना पोलियस्टर फिलामेंट सूत पर 67 रुपये प्रति किलोग्राम का प्रभावी मूल-उत्पाद-शुल्क निर्धारित किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 84 (अ), जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 51/83-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, जिनके द्वारा 750 डेनियरों तथा इससे कम डेनियरों के टेक्सचरीकृत नायलोन फिलामेंट सूत पर 56 रुपये प्रति किलोग्राम तथा डेनियर की मात्रा का विचार किये बिना टेक्सचरीकृत पोलियस्टर फिलामेंट सूत पर 67 रुपये प्रति किलोग्राम का प्रभावी मूल उत्पाद-शुल्क निर्धारित किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 106 (अ), जो 28 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचनाओं संख्या 42/84-के०उ०शु०, 45/84-के०उ०शु०, 48/84-के०उ०शु० तथा 49/84-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

(पांच) सा०का०नि० 122 (अ), जो 28 फरवरी 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो मास्टर पोजिटिवों, एक्सपोज्ड नेगेटिवों, फिल्मों, डयूपों और एक्सपोज्ड के रश प्रिंटों को, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(छः) सा०का०नि० 123 (अ), जो 28 फरवरी 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 177/83—के०उ०शु० की वैधता की अवधि को 28 फरवरी 1986 तक बढ़ाया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 454/85]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 6-यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1983 सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 454क/85]

'इस्को' उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्डरी कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

खनिज विकास बोर्ड का वर्ष 1983-83 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं समीक्षा

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० तंटवरसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) आई०आई०एस०सी०ओ० 'इस्को'' उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्डरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 को कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई०आई०एस०सी०ओ० "इस्को" उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्डरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखीं गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 455/85]

(ख) (एक) मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखीं गयी। देखिये संख्या एल० टी० 456/85]

(2) (एक) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखीं गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 457/85]

प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्द्धन परिषद् बम्बई का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) प्लास्टिक तथा लीनोलियम निर्यात् संवर्द्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) प्लास्टिक तथा लीनोलियम निर्यात् संवर्द्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 458/85]

12.02 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 18 मार्च, 1985 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

1. वर्ष 1985-86 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।
2. रेल अभिसमय समिति—1985 के गठन संबंधी संकल्पों पर चर्चा।
3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :
   (क) वर्ष 1985-86 के लिए अनुदाओं की मांगें (रेल)
   (ख) वर्ष 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मागें (रेल)
4. वर्ष 1985-86 के सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप क्यों सदन का समय खराब कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा—यह अनाप-शनाप।

श्रीमती गीता मुखर्जी

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये सब क्या हो रहा है ? कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में मैं निम्नलिखित दो मुद्दे शामिल करना चाहती हूँ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

1. मूल उत्पादकों के लिए आलू, सरसों तथा कपास जैसे उत्पादों के कृषि मूल्य काफी गिर गए हैं। मूल उत्पादकों द्वारा ये चीजें अलाभप्रद कीमतों पर बेची जा रही हैं। आम उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और इससे व्यापारी अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। छोटे किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाने के तथा उनके हितों की सुरक्षा करने की अत्यधिक आवश्यकता है इसके लिए प्रभावी कदम उठाने के बारे में शीघ्र ही चर्चा की जाने की आवश्यकता है।

2. जूट, कपड़ा मिल तथा अन्य उद्योगों में तालाबन्दी, जबरन छुट्टी, आदि की वजह से मजदूरों में असंतोष व्याप्त है। हाल ही में, पश्चिम बंगाल में, बिरला द्वारा उनकी कपड़ा मिल, केशोराम कॉटन मिल, गार्डन रीच, कलकत्ता में आंशिक बन्द की घोषणा से ऐसी ही बात सामने आई है। सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ताकि इसे चालू किया जा सके।

श्री बी० सोमनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में मैं निम्नलिखित विषय शामिल करने का सुझाव देना चाहता हूं।

तम्बाकू की बिक्री हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में शुरू हुई है। आन्ध्र प्रदेश में पहली बार 'ओपन औकक्षन प्लेटफार्म सिस्टम' आरम्भ किया गया है। ऐसा लगता है कि तम्बाकू कम्पनियों तथा व्यापारियों की मिली भगत के कारण किसानों को कम कीमत प्रस्तावित की जा रही है जो उन्हें मंजूर नहीं है। व्यापारियों को दी गई न्यूनतम निर्यात कीमत अधिक है जबकि किसानों को देय न्यूनतम समर्थन कीमत कम है और उसमें 600 रुपये से अधिक का अन्तर है। इसलिए किसान बोर्ड को अपना तम्बाकू बेचने के इच्छुक नहीं है।

अत: तम्बाकू बोर्ड या राज्य व्यापार निगम के लिए यह अति आवश्यक है कि वे किसानों के विभिन्न ग्रेड के तम्बाकू को अधिक लाभप्रद कीमत पर खरीद कर लाखों तम्बाकू उत्पादकों को वित्तीय संकट से बचाये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल करने का निवेदन करता हूं :

परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए परमाणु अस्त्रों में कमी करने और 'स्टार वार' (उपग्रह युद्ध) को रोकने के लिए जनेवा बातचीत का बहुत महत्व है। छः देशों का सम्मेलन जो हाल ही में दिल्ली में हुआ था ने पहले ही परमाणु अस्त्रों में कमी करने के लिए आह्वान किया था। अब लोगों के सहयोग द्वारा इस आह्वान का स्पष्ट और पूरंजोर तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पड़ोसी देशों को अधिक मात्रा में हथियारों की सप्लाई करके बाहरी सुरक्षा वातावरण को और खराब करने के साथ-साथ पंजाब, असम, त्रिपुरा तथा सारे पूर्वोत्तर की विभाजनकारी ताकतों की मदद से देश में अस्थिरता पैदा करने के प्रयास किये गए हैं जिसके परिणामस्वरूप देश की सुरक्षा को खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं अगले सप्ताह निम्नलिखित पर वाद-विवाद चाहता हूं :

"आन्ध्र प्रदेश में एल्युमिना/एल्युमीनियम परियोजना की स्थापना।"

1970 में ईस्ट-कोस्ट में विशेषत: विशाखापत्तनम, पूर्व गोदावरी और श्री काकुलम जिलों

में बाक्साइट भण्डारों का पता चला है। भारतीय भू-सर्वेक्षण, राज्य के खान और भू-विज्ञान विभाग तथा खनिज अन्वेषण निगम ने लगभग 70 करोड़ टन बाक्साईट अयस्क का आन्ध्र प्रदेश में पाया जाना निश्चित् बताया है जो देश के भण्डारों का अनुमानत: 30 प्रतिशत है।

भारत सरकार ने मैसर्स भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको), केन्द्र सरकार का एक सरकारी उपक्रम, को ईस्ट कोस्ट के बाक्साईट भण्डारों पर आधारित एल्युमिना/एल्युमीनियम सयंत्रों की स्थापना करने की व्यावहार्यता का अध्ययन करने के लिए चालू किया है।

आन्ध्र प्रदेश में कृष्णादेवीपेटा तथा विशाखापत्तनम जिले के आस-पास के क्षेत्रों का सोवियत संघ के विशेषज्ञों के साथ 'बालको' की एक टीम ने दौरा किया था।

बाद में उन्होंने 1980 में इस परियोजना पर व्यावहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1980 की पहली तिमाही के मूल्य स्तर पर 6 लाख टन के सयंत्र पर अनुमानत: पूंजीगत लागत 426 करोड़ रुपये तथा 8 लाख टन सयंत्र पर 498.4 करोड़ रुपये है। भारत सरकार की मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा व्यावहार्यता रिपोर्ट की जांच की गई है।

इसलिए मैं आन्ध्र प्रदेश में एल्युमीनियम परियोजना स्थापित करने की मांग करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं अगले सप्ताह की कार्य सूचि में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का सुझाव देता हूं :

(1) वित्त मंत्री को उस कपटपूर्ण सौदे जिसमें तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लन्दन स्थित फर्मों को बहुत अधिक धनराशि का कर्ज दिया है पर वक्तव्य देना चाहिए तथा सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए।

(2) प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कुछ विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे पंजाब में उग्रवादियों का साथ दे रहे थे। प्रधान मंत्री को इस विषय पर सदन में वक्तव्य देना चाहिए और सदन को उस वक्तव्य पर चर्चा का मौका मिलना चाहिए।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, मैं निम्नलिखित निवेदन करना चाहता हूं :

(1) सितम्बर-अक्टूबर, 1984 के दौरान कम वर्षा होने के कारण अधिकांश राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेय जल की दिक्कत अनुभव की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। अपने लोगों तथा पशुओं के लिए पेय के जल की सप्लाई करना किसी भी राज्य सरकार के आर्थिक साधनों से बाहर है जब तक कि केन्द्र सरकार इन राज्यों की मदद पर्याप्त धनराशि तथा उपकरण, जैसे रिगस और ब्लास्टिंग मशीनें, इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए उन्हें न दे।

(2) कच्चे काटन का मूल्य तैयार माल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए लगातार मांग की जा रही है जो कृषि मंत्रालय ने स्वीकार कर ली है लेकिन वाणिज्य मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया है। सरकार को इस पर कारण बताते हुए वक्तव्य देना चाहिए कि यह क्यों नहीं किया जा सकता।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, बजट सत्र के दौरान सदस्यों को रेल तथा सामान्य बज़टों, अनुदान मांगों तथा वित्त विधेयक पर सामान्य चर्चा के दौरान अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने का काफी अवसर मिलता है। लेकिन फिर भी पुरानी प्रथा के अनुसार इन बातों पर कार्यमंत्रणा समिति यथा समय विचार करेगी।

[अनुवाद]

कार्यमंत्रणा समिति

(दूसरा प्रतिवेदन)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा दिनांक 14 मार्च, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा दिनांक 14 मार्च, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) कॉफी बोर्ड

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कॉफी नियम 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) रबड़ बोर्ड

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये

गये नियमों के अध्यधीन, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, रबड़ बोर्ड के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(तीन) तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा के 4 (ख) अनुसरण में, सदस्य ····"

प्रो० एन० जी० रंगा : (गूंटूर) : महोदय, इससे पहले कि आप इसे मतदान के लिए रखें मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। हम बहुत समय से इस अधिनियम में संशोधन किए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि तम्बाकू उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व की मात्रा में उचित वृद्धि की जा सके। और अब स्थिति यह है कि इस बोर्ड में केवल अगैर-उत्पादक वर्गों का ही प्रतिनिधित्व प्रायः अधिक है। इसका परिणाम है कि जहां तक उत्पादकों का सम्बन्ध है यह बोर्ड उनके लिए उतने सन्तोषजनक ढंग से और उतनी प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सका है जितना इसे यह कार्य करना चाहिए था। इस अधिनियम में काफी समय से संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उत्पादकों के प्रतिनिधित्व की मात्रा उनके वर्तमान प्रतिनिधित्व की मात्रा से दो गुनी बढ़ा देनी चाहिए।

महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस पर विचार करें तथा सुनिश्चित करें कि उत्पादकों के प्रतिनिधित्व को उचित रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से एक संशोधन विधेयक शीघ्र संसद में लाया जाए। धन्यवाद।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : हम चाहते हैं कि प्रो० एन० जी रंगा द्वारा उठाए गए प्रश्न पर माननीय मन्त्री महोदय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसके पक्ष में प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी ०ए० संगमा) : महोदय, हम मामले की जांच करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वे प्रतिक्रियावादी होने के लिए सहमत है !

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन, तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12·17 म० पू०

[अनुवाद]

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा, 12 अगस्त, 1980 को सभा पटल पर रखे गए राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा करेगी।

श्री इरासु अय्यायु रेड्डी बोलने के लिए खड़े थे। वे भाषण जारी रख सकते हैं।

12·18 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री ई० अय्यायु रेड्डी (कुरनूल) : श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल ग्रामीण-परिवहन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता के विषय में बोल रहा था।

समिति ने बताया कि देश में लगभग 150 लाख बैल गाड़ियां हैं जो ग्रामीण परिवहन में लगी हैं। समिति ने यह भी कहा है कि चार लाख गांवों में पक्की सड़कें नहीं हैं। अतः परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास पर्याप्त ग्राम सम्पर्क सड़कें हों।

दुर्भाग्य से, 'ग्राम सम्पर्क सड़क' के प्रावधान की बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी गई है। संघ सरकार और राज्य सरकारें 'ग्राम सम्पर्क सड़क' के निर्माण से कोई सरोकार नहीं रखतीं। मैं यह भी कह सकता हूं कि यह कार्य स्थानीय निकायों अर्थात समितियों और जिला परिषदों, अर्थात् खण्ड विकास संस्थाओं के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसका कुल परिणाम यह है कि इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ग्राम सम्पर्क सड़कें नहीं हैं। यहां तक कि पिछले पांच वर्षों के समय में भी ग्राम सम्पर्क सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है।

महोदय, यह अपेक्षाकृत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में अभी भी ऐसे बहुत बहुत से गांव हैं जहां ग्रामीणों को अनिवार्य रूप से मार्च, अप्रैल और मई के दौरान ही अपनी उपज को बेच देना पड़ता है। अन्यथा वे अपनी उपज बेचने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि ज्यों ही मानसून प्रारम्भ होता है, गांव अलग हो जाता है तथा गांव से सम्पर्क करना मुश्किल हो जाता है। यह सभी को ज्ञात है कि ऐसे गांव देश के सभी भागों में और सभी राज्यों में हैं। मुझे आशा है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के उपाय स्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम सम्पर्क सड़क का आवश्यक प्रावधान रखा जाएगा। मुझे आशा है कि इस पहलू पर आवश्यक ध्यान दिया जाएगा। अपने सभी गामीण क्षेत्रों में यात्री और माल परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमें कुछ भिन्न प्रकार के मोटर वाहनों की खोज करनी पड़ेगी।

फिर स्वयं बैलगाड़ियों के मामले में हमें एक बड़े परिवर्तन से गुजरना होगा। बेशक, यहां बहुत से अनुसंधान केन्द्र हैं, परन्तु बैलगाडियों सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्र की आवश्यकता हैं। बैलगाड़ियों के विषय में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। वाहनों को हल्का बनाने और साथ ही इस प्रकार के वाहन, जिनमें हवा भरी जा सके, बनाने के लिए इन बैलगाड़ियों में परिवर्तन करना अनिवार्य है। मैं जो कुछ कह सकता हूँ वह यह कि यदि शहरी भारत को इक्कीसवीं सदी में जाना है तो उसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह होगा कि इसके लगभग तीन लाख गांव बीसवीं सदी में ही रह जाऐंगे। गांवों में ग्राम सम्पर्क सड़कों तथा उचित संचार और परिवहन सुविधाओं के अभाव में कृषि क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान होगा। दुर्भाग्य से कोई भी समस्या के इस पहलू का अध्ययन करता हुआ प्रतीत नहीं होता।

महोदय, सड़क परिवहन के सम्बन्ध में, पिछले पांच वर्षों के दौरान सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पंजीकृत कराए गए इन वाहनों की घनत्व स्थिति एक सामान्य घटना है। परन्तु दुर्भाग्य से इसके साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों अथवा ग्राम सड़कों की गुणवता और मात्रा में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है। इन सड़कों की चौड़ाई और लम्बाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। इसका कुल नतीजा यह है कि उनपर अधिकाअधिक वाहन चल रहे हैं तथा आवागमन बढ़ रहा है। इसका कुल नतीजा है कि आज सड़क दुर्घटनाएं एक सामान्य बात है। वास्तव में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई सड़क दुर्घटना न होती हो।

आज के 'इंडियन' एक्सप्रेस' में भी, इस बारे में एक समाचार छपा है। दिल्ली नगर में हुआ है, और वे कहते हैं कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान, एक $2\frac{1}{2}$ वर्षीय लड़की समेत चार व्यक्तियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई है। हमारे हस्पतालों की अपेक्षा आज हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यमार्गों पर अधिक व्यक्ति मर रहे हैं। इसके परिणामस्वरुप सड़क परिवहन अधिक जोखिम भरा हो गया है। वायु परिवहन, सड़क परिवहन, और रेल परिवहन की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी को इस बात की चिन्ता नहीं है कि इतनी अधिक सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही है और इन सड़क दुर्घटनाएं के रोकने के लिए क्या मार्गोपाय करने चाहिए। अब सड़क दुर्घटनाओं की अत्यधिकता को काफी महसूस किया जा रहा है और यह चर्चा का विषय बन गया है।

'होली दिवस' को मैं लखनऊ दूरदर्शन से कवि सम्मेलन के अंश देख रहा था। उस में एक हास्य कविता का आशय यह था कि एक व्यक्ति की रेल-दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उसे तुरन्त ही 'नरकलोक' भेज दिया जाता है। वहां वह यम धर्मराज से कहता है कि वह 'वैतरणी' नदी पार कर सकता है। कविता काफी दिलचस्प थी और यम धर्मराज ने 'चित्रगुप्त' की तरफ देखा और चित्रगुप्त ने जवाब दिया कि वह हिन्दुस्तान की रेलगाड़ी के तृतीय श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। 'होली' दिवस यानी 7 मार्च को लखनऊ दूरदर्शन से यह हास्य रचना प्रसारित की गई।

उपाध्यक्ष महोदय : अब रेलवे में कोई तृतीय श्रेणी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उसे अब दूसरे दर्जे में बदल दिया गया है। उसका दर्जा बढ़ा दिया गया है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : शहरी परिवहन, विशेषकर बड़े शहरों में, ये इतना भीड़-भाड़पूर्ण

हो गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में प्रायः दुगना या तिगुना समय लग जाता है।

वास्तव में यातायात जाम होना आम बात बात हो गई है। दुर्भाग्यवश, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यातायात न रुके, और शहरी क्षेत्रों में दुर्घटनाएं न हों, नगरपालिका कानूनों या अन्य कानूनों में कोई संशोधन नहीं किया गया है ताकि इनका कड़ाई से पालन हो।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मोटर वाहनों के संबंध में कराधान नीति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार के कर लगाए जाते हैं। वास्तव में मोटर वाहन कराधान से राज्यों को काफी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। जहां तक राज्यों के राजस्व स्रोतों का संबंध है। इसका तीसरा या चौथा स्थान आता है। लेकिन मोटर वाहनों पर विभिन्न प्रकार के कराधान के कारण, कई प्रकार की मुश्किलें भी सामने आती हैं। इन्हें दूर करने के लिए और समान कराधान संहिता बनाने के लिए, केन्द्र को कोई ऐसी कार्यपद्धति बनानी चाहिए, जिससे विभिन्न राज्यों की कराधान-नीतियों में ताल-मेल लाया जा सके।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में परिवहन के विभिन्न माध्यमों के बारे में बताया है और यह जरूरी है कि केन्द्रीय स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति बनाई जाए ताकि विभिन्न प्रकार के यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहनों को वे आबंटित कर सकें और उन्हें नियत्रित कर सकें। दुर्भाग्यवश, अन्य देशों की तुलना में भारत में आम लोगों के लिए परिवहन बहुत महंगा हो गया है। वास्तव में, अगर हम किसी देश या राज्य की सभ्यता का जायजा लेना चाहें तो, परिवहन व्यवस्था, वहां की सभ्यता या राज्य के जीवन स्तर को नापने का एक पैमाना और तरीका हो सकता है। हम परिवहन के मामले में अपने आपको जापान, सोवियत संघ या अमरीका से तुलना नहीं कर सकते। पश्चिमी देशों में परिवहन सस्ता और कुशल है। जैसा कि मैंने कहा, कि केन्द्रीय स्तर पर एक विशेषज्ञ निकाय की स्थापना करना आवश्यक है। समिति ने भी सिफारिश की है कि विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के परियोजनार्थ हवाईरज्जू मार्ग बनाया जाए। भारत को एक-न-एक दिन रज्जू मार्ग परिवहन को अपनाना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सड़क भूमि बहुत महंगी हो गई है और काफी दुर्लभ भी। सड़कें बनाने और रेल लाईनें बिछाने के लिए भू-अधिग्रहण हेतु काफी बाधाएं आती हैं और विरोध किया जाता है। इसलिए कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए, जिससे कम से कम अधिकांश माल का परिवहन रज्जू मार्ग द्वारा किया जा सके और भारी वाहनों के यातायात को कम किया जा सके। समिति ने पाया है कि विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में यह व्यवस्था आर्थिक रूप से किफायती भी है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में सड़क द्वारा दूरी 10 किलोमीटर है तो सीधी दूरी मात्र एक किलो मीटर ही रह जाती है इसलिए इस संबंध में समिति की सिफारिश पर विचार किया जाए और एक अलग विभाग इसके लिए खोला जाए।

इसके अलावा, समिति ने औद्योगिक माल के परिवहन के लिए पाइपलाइन व्यवस्था का भी सुझाव दिया है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक माल और कच्चे माल का परिवहन पाइप लाइन के द्वारा किया जा सके। इसके द्वारा परिवहन में आनी वाली बहुत सी मुश्किलों को दूर किया जा सकेगा।

कुल मिलाकर, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करना होगा और इस मामले पर विचार करने के लिए एक स्थाई समिति बनाई जाए।

मुझे बोलने का अवसर दिये जाने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अन्त में, जैसा

कि विमान-परिचारिकाएँ कहती हैं, मैं भी कहूंगा—

[हिन्दी]

"आपकी यात्रा सुखद रहे।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सड़कों पर रोजाना मनुष्यों और वाहनों का जो युद्ध होता है उसमें मनुष्य हारता है और मृत्यु का शिकार हो जाता है। मैं यहां केवल राजस्थान की ही बात नहीं करता, पूरे हिन्दुस्तान में रोड एक्सीडेंटस के सम्बन्ध में अन्सारी साहब ने सदन में जो स्टेटमैंट दिया है, उसमें से ही कुछ उद्धरण आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अंसारी ने आज राज्य सभा को बताया कि वर्ष 1983 और 1984 के दौरान दिल्ली में हुई 11,286 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 2,395 व्यक्ति मारे गये और 11,229 व्यक्ति घायल हुए।"

[हिन्दी]

यह आपका सदन में दिया हुआ भाषण है। इसी हाउस में सन् 1983 में अन्सारी साहब ने जो भाषण दिया था, उसमें से भी कुछ उद्धरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आप उनके भाषण को देखें। तो उसमें कहा गया है कि—

[अनुवाद]

भारत में प्रति वर्ष करीब 25,000 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। रविवार को दिल्ली में हुई भारतीय सड़क कांग्रेस की 108वीं परिषद बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री जियाउर्रहमान अंसारी ने यह बात कही। सड़क दुर्घटनाओं को आधुनिक सभ्यता की महाविपत्ति बताते हुए उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा, "ऐसा काय करें जिससे लोग आपको, सड़कों को मौत का फन्दा बनाने के लिए दोषी न ठहराएँ।"

[हिन्दी]

ये दोनों स्टेटमैंट आपने इसी संसद में दिए हैं जिसके अनुसार प्रतिदिन मरने वालों की औसत 3 है, रोजाना तीन आदमी मृत्यु के शिकार होते हैं। दिल्ली में सभी प्रकार के व्हीकल्स हैं। जब किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनके रिश्तेदारों पर क्या बीतती है, यह तो वे ही बयान कर सकते हैं, इस चीज को हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए। हमारी कमी यह है कि सरकार इस विषय पर ध्यान नहीं देती जबकि सरकार को परिवहन नीति के ऊपर ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा मैं आपके ध्यान में एस्टीमेटस कमेटी की लेटेस्ट रिपोर्ट भी लाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि प्लानिंग कमीशन पैसा नहीं देता और उसके अभाव में आप अपनी कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। न तो आप सड़कों की ही व्यवस्था कर पाते हैं और न दूसरी कोई व्यवस्था कर पाते हैं। एस्टीमेट्स कमेटी की 59वीं रिपोर्ट, वर्ष 1983-84 में कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"समिति को सूचित किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भारी भीड़-भाड़ को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज चलने वाले वाहन, सुचारु रूप से चल सकें, इस उद्देश्य से नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने देश में निर्मित किये जाने वाले 322 उपमार्गों (बाई-पास) का पता लगाया है। समिति चाहती है कि मंत्रालय इनके बारे में आर्थिक लागत लाभ विश्लेषण करे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।" दूसरे, "समिति को पता चला है कि छठी योजना अवधि के आरम्भ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आंकी गई 400 सड़क उपरी पुल के निर्माण की आवश्यकता के विरुद्ध छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में केवल 60 सड़क ऊपरी पुल शामिल किये गये और योजना के पहले तीन वर्षों में केवल 9 सड़क ऊपरी पुलों को मंजूरी दी गई।"

[हिन्दी]

इसलिए अंसारी साहब, जब आप 400 ओवर ब्रिजेज की मांग करते हैं और उसके बाद प्लानिंग कमीशन आपको पैसा नहीं देता, जिसकी वजह से आपके बहुत कम प्रोजेक्टस पर काम शुरू हो पाता है, आपके ओवर ब्रिजेज नहीं बन पाते, आपकी सड़कें चौड़ी नहीं हो पातीं, उसके बाद आपकी एक रिपोर्ट आ जाती है जिसमें आपने कह दिया कि हमने यह नीति बना दी है तो वह नीति किस काम की जब तक उस पर पूरी तरह से अमल न हो, उसके लिए प्लानिंग कमीशन पैसा न दे। ऐसी रिपोर्ट को आप अलमारियों में बन्द करके रखिए, यदि उनका इम्पलीमैंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पैसा ही नहीं मिलता। यही बात एस्टीमेटस कमेटी की रिपोर्ट में भी कही की गई है कि प्लानिंग कमीशन से इन कार्यों के लिए पैसा नहीं मिला, हम क्या कर सकते है जहां आप 400 ओवर ब्रिजेज के लिए पैसे की मांग करते हैं, आपने स्वयं माना है कि उन में सिर्फ 6 ही बने हैं, यदि इस हालत में भी आप एक नया कानून बनाते हैं और कहते हैं कि हम एन्क्रोचमैंटस को हटायेंगे तो जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, वहां सड़कों पर एन्क्रोचमैंटस ज्यादा हैं, हमारे राजस्थान में बहुत कम हैं, यू.पी. के सम्बन्ध में तो आपकी बात मानी जा सकती है, क्योंकि वहां एन्क्रोचमैंटस ज्यादा हैं।

उत्तर प्रदेश में ज्यादा होनी ही चाहियें, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है और वहां काम भी बड़े-बड़े होते है।

नेशनल हाई-वेज एक्ट में आपको अमैंडमैंट करने थे कि उन एन्क्रोचमैंटस को कैसे हटाया जाये ? लेकिन 1956 के बाद आपने आज तक उस एक्ट में कोई अमैंडमेंट नहीं रखा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपने तो अपने मतलब की बात कह दी, पाली वाली सड़क की बात।

श्री मूलचन्द डागा : पाली वाली सड़क की बात नहीं, मैं तो लोगों को मौत से बचाने की बात सोच रहा हूं। आज नई शादी किये हुए लोग दुनिया से चले जाते हैं और उनकी औरतें बैठी हुई रोती रहती हैं। मैं प्रो० मधु दंडवते जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाया है कि देश में 25 हजार आदमियों की मौत इस तरह से हो जाती है। रोज कितने लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको आपने आसानी से लिया है। यह गंभीर मामला है। आप एक्ट में संशोधन नहीं कर रहे हैं, इसमें कौन सा खर्चा होता है ? 1954 में आपने एक्ट में संशोधन करने की बात सोची थी, लेकिन किन बातों ने आपको बाध्य किया है जो आप इस एक्ट में अमैंडमैंट नहीं लाना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

इस संदर्भ में, यहां यह बताया गया है :

"समिति को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, से उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी और इन समस्याओं से निपटने के लिए एक अलग विधान बनाये जाने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

आप कहते हैं कि स्टेट्स को लिखा है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल कुछ स्टेट्स ने जवाब दिया है, बाकी ने दिया ही नहीं। इस प्रकार से तो काम हो रहा है और आप सेफ्टी की बात करना चाहते हैं।

एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिन-दहाड़े रोड्ज पर डकैती होती हैं। रोड्ज पर आम-तौर से यह देखा जाता है कि पुलिस वाले बहुत होते हैं लेकिन वह टैक्स मांगते हैं। वह खुली रौबरी करते हैं। जो आदमी मोटर चलाता है, उसको बड़ी मुसीबत में काम करना पड़ता है। आज रोड्ज पर जितने आदमी चलते हैं, उनकी बराबर निगरानी होती है।

औक्ट्राई के मामले में मैं जानना चाहता हूं कि यह एबालिश कब होगी ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, उनकी रिकमेंडेशन है :—

[अनुवाद]

16 सितम्बर, 1980 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधान मन्त्री ने चुंगी को 'प्रतिगामी-शुल्क' की संज्ञा दी थी। उन्होंने समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया था, इसे कहां तक लागू किया गया है ? यहां यह भी कहा गया कि :

"उस सम्मेलन में अपने भाषण में आपने स्वीकार किया था कि 'चुंगी' के मामले में एकमात्र सही कदम इसको समाप्त करना ही होगा और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मुख्य मन्त्री इस समस्या पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करें और यहां चुंगी को एक निश्चित तिथि, जोकि 1 अप्रैल, 1981 हो सकती है, तक समाप्त करने के बारे में फैसला करें..... ।"

[हिन्दी]

भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने निर्णय लिया था कि 1981 तक औक्ट्राई को अबौलिश कर दिया जाये।

[अनुवाद]

यह मुख्य मंत्रियों की बैठक में बताया गया था। क्या हुआ यह भी यहां इसमें बताया गया है :—

".....भूमि को इस दफे हम मजाक में नहीं लेंगे। हम आग्रह करेंगे कि आप को इस मसले को राज्यों के साथ जारी रखना चाहिए। चुंगी न सिर्फ सड़क परिवहन को प्रभावित करती है अपितु रुकावट आने और कीमती ईंधन की बर्बादी के कारण वाहनों का समय बर्बाद होने से चालकों को इससे नुक्सान होता है।"

[हिन्दी]

1981 तक ओक्ट्राई खत्म कर देने की उन्होंने डैडलाइन रखी थी, लेकिन आज तक यह नहीं हुआ है।

मोटर व्हीकल एक्ट, 1939 में अमेंडमेंट करना कुल जरूरी है।

मान लें यह जो सड़कों पर जगह-जगह पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं वह आमदनी बनाते हैं। आपको इसका हल बताता हूं जो अभी कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान टाइम्स के 10 सितम्बर 1984 के अंक में आया है। यह लोग खड़े रहते हैं और कहते है कि लाओ पैसा। आज गाड़ी चलाना मुश्किल है। आप बतायें कि क्या आपके महकमे में पैसा नहीं है और टैक्स का 50 करोड़ उसके अन्दर लिखा है।

[अनुवाद]

10.9.1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक खबर छपी है उसका शीर्षक है : "सड़कों पर लूटपाट" (राबेरी आन दी रोड्स)" इसमें छपा है :—

"50 करोड़ रुपये के मारी सड़क कर उपवंचन की खबरों से ज्यादा और कुछ भी अपमानजनक नहीं हो सकता।"

इसमें और आगे कहा गया है :

"यह सभी को मालूम है कि राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारी सभी प्रकार के कदाचारों में शामिल थे और वे नकली लाईसेंस जारी करते हैं। यह भी सच है कि राज्य परिवहन निदेशालय में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

[हिन्दी]

मैं कहता हूं कि कौन हिम्मत करके कहेगा कि मेरा रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि आपका रोडवेज का ट्रांसपोर्ट घाटे में है या नफे में है। कोई नफे में नहीं है। करोड़ों रुपये का घाटा इसमें है।

[अनुवाद]

मैंने पूरा पैरा नहीं पढ़ा है। इसमें लिखा है :—

"यह सभी को मालूम है कि राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारी सभी प्रकार के कदाचारों में शामिल थे और वे नकली लाईसेंस जारी करते है। यह भी सच है कि राज्य परिवहन निदेशालय में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह भी सच है कि प्रतिफल हेतु खराब वाहनों को सड़क पर इस्तेमाल करने योग्य प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। जिन लोगों को इस विभाग से वास्ता पड़ता है उन्हें सताये जाने की शिकायतें आम बात है। संक्षेप में, राजधानी में राज्य परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा गम्भीर वित्तीय खामियां हैं। संक्षेप में, यह अव्यवस्थित रूप में मालूम पड़ता है। ताज्जुब होता है सरकार ने अब तक उन दोषी व्यक्तियों का भंडाफोड़ क्यों नहीं किया।

[हिन्दी]

इस प्रकार का जो महकमा है जो कि परिवहन नीति बना रहे हैं, यह नीति क्या बनायेंगे, जिस नीति के अन्दर आपका कोई काम संतोषजनक नहीं चलता है। आप कल यह

बात कह रहे थे कि हम को रोडवेज चलाने के लिए साथ-साथ देखना होगा कि जो आपको अन-इकॉनमिक रेलें चलती हैं और जिनसे 49 करोड़ रुपये का घाटा होता है और जहां आपके व्हिकल्स बराबर चलते हैं।

[अनुवाद]

यह निर्णय 1973 में लिया गया था, किन्तु इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। यह समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

यह कहते हैं कि यह परिवहन का महकमा जागरूक है। यह जाग रहा है या सो रहा है, कोई को-आर्डिनेशन नहीं है। अंसारी साहब कहेंगे कि हमारी परिवहन पैसा देती है, रेलवे हमें मदद नहीं देती है। इनका कौन सा महकमा ठीक चलता है। उन्होंने कहा है कि परिवहन घाटे में है। उन रेलों को बन्द करें जहां अन-इकॉनमिक रेलें चल रही हैं और बराबर घाटा हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। यह आपके सामने रिपोर्ट है, उसको पढ़ रहा हूं किस प्रकार का काम हो रहा है और कैसे यह काम चलेगा। यह भगवान ही जानता है।

[अनुवाद]

मैं रेलवे बजट (1984-85) पर व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ 97 से उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :—

> "प्रशासनिक सुधार आयोग तथा रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों पर 23 अलाभप्रद शाखा लाइनों को बंद करने के लिए कहा गया है और इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया था·····।"

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि परिवहन नीति के अन्दर कोई नीति आपके देश में हो सकती है जिससे रोड ज्यादा अच्छी हो सकती हों, गांवों में रोड चल सकती हो।

यह जो आपकी नीति सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट है, वह तो ठीक है, उसको आप पढ़ियेगा लेकिन आज के युग में जो परिवहन है उसको बहुत अधिक महत्ता दी जाना चाहिए, प्लानिंग कमीशन को ज्यादा धन की व्यवस्था करनी चाहिए, जो करप्शन है उसको वीड-आउट करना चाहिए, और जो मोटे विहिकिल्स ऐक्ट है, जो नेशनल हाईवेज ऐक्ट है उसको भी बदलना चाहिए। ऐसा करने से ही आप इसको अमली रूप दे सकेंगे अन्यथा करोड़ों रुपये का घाटा होगा और बदनामी अलग से होगी। मैं दंडवते जी से कहूंगा कि कोई और रिपोर्ट लिखवाने की बात सोचें, इस रिपोर्ट पर तो 1980 के बाद कोई इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

***श्री आर० अन्नानम्बी** (पोल्लाची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय परिवहन समिति ने 12 अगस्त, 1980 को अपना प्रतिवेदन दिया था। लगभग साढ़े चार वर्ष के बाद उस पर आज सभा में चर्चा की जा रही है। अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की

*तमिल में दिए गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

ओर से मैं इसका स्वागत करता हूं और कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, यह बहुत ही खेद की बात है कि सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय परिवहन नीति नहीं बनाई है जोकि औद्योगिक और आर्थिक नीतियों की सफलता के लिए आधार है। सच तो यह है कि राष्ट्रीय परिवहन समिति के प्रतिवेदन को चर्चा के लिए इतनी देर से लिया गया है इससे राष्ट्रीय परिवहन नीति न होने का सबूत मिलता है। परन्तु मुझे विश्वास है कि हमारे गतिशील प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारी केन्द्रीय सरकार इस विलम्ब को दूर करेगी तथा इस राष्ट्रीय परिवहन नीति के बनते ही इसे सफलतापूर्वक लागू करने में सफल होगी। महोदय, हमने छठी पंच वर्षीय योजनाऐं समाप्त कर दी हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना विचाराधीन है। मैं सुझाव दूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष व्यावहारिक राष्ट्रीय परिवहन नीति के साथ शुरू होना चाहिए। इस प्रकार के लाभदायी परिणामों के लिए यह चर्चा शुभ है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, तटीय नौवहन, अन्तर्देशीय जल परिवहन, वायु तथा रेल परिवहन परिवहन-नीति के मुख्य संघटक हैं। निःसन्देह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 35 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रारम्भ में देश में रेल तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के असंतुलित विकास के बारे में बताऊंगा। तमिलनाडु में पिछले दस वर्षों में एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बनाया गया है, वहां की सरकार परिवहन कार्यक्रम को सड़कों द्वारा प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है। तमिलनाडु परिवहन निगम प्रभावी एवं मुनाफायुक्त कार्य करने के लिए जाना जाता है। फिर भी केन्द्र ने पूर्वी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने पर ध्यान नहीं दिया है जबकि यह सम्पूर्ण देश के लिए सामरिक महत्व का राजमार्ग है। इस मार्ग से देश के पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी होगा।

यहां पर विमान परिवहन तथा तटीय नौवहन के विकास के लिए अधिक धन आबंटित किए जाने की आवश्यकता का उल्लेख करना जरूरी है। इसी तरह रेलों के विकास के लिए हमें काफी रुपयों की जरूरत है। परन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हमें इतने धन की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तमिलनाडु को अधिक धन दे, विशेष रूप में ऐसी स्थिति में जबकि राज्य राजमार्गों के रख-रखाव के बारे में तमिलनाडु का कार्य बहुत अच्छा है। माननीय परिवहन मंत्री को इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।

इस अवसर पर मैं रेल पुलों के बारे में कहूंगा। मुझे खेद है कि रेलवे बोर्ड ने इनके निर्माण में प्रत्यक्ष रूप में रुचि नहीं दिखाई। मैं आपको एक सच बात बताता हूं कि दक्षिण में हाल ही में आए तूफान से, ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाए गए पुराने पुलों ने तो तूफान का मुकाबला मजबूती से किया लेकिन नए पुल बह गये। इससे पता चलता है कि रेलों के पुलों के निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सकें। रेलवे बोर्ड को इस विषय में प्रत्यक्ष एवं निजी रुचि लेनी चाहिए।

अंतर्देशीय जल परिवहन पर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है। लघु यंत्रीकृत नौकाओं तथा पारम्परिक कैटामारैन का आधुनिकीकरण करके हम अंतर्देशीय जल परिवहन को बनाने में समर्थ हो सकेंगे। हमें इसे व्यापक रूप में करना चाहिए। अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण का विस्तार किया जाना चाहिए और उसको सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। एक विस्तृत अंतर्देशीय जल

परिवहन नीति बनाई जानी चाहिए और उसे सम्पूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए। यह तभी किया जा सकता है जब अंतर्राज्यीय नदियों को अभी से राष्ट्रीयकृत किया जाये। यदि आवश्यक हो तो संविधान में इस उद्देश्य के लिए संशोधन किया जाना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि अंतर्देशीय जल परिवहन के उद्देश्य के लिये अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

महोदय, यह स्वत: सिद्ध है कि जब प्रभावी राष्ट्रीय परिवहन नीति होगी तो देश में औद्योगिक विकास और कृषि विकास को आगे बढ़ाया जा सकेगा और उनकी गति बनाई रखी जा सकती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवहन के लिए धन का आवंटन कुल योजना का 20 प्रतिशत था। छठी पंचवर्षीय योजना में यह घटकर 12 प्रतिशत रह गया है। बहुत सी पंच वर्षीय योजनाओं में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि सड़कें कुल मार्गों में से 6.1 प्रतिशत ही है फिर भी इन पर 40 प्रतिशत परिवहन निर्भर करता है। इसे देखते हुए हमें सड़कों के विकास पर अधिक धन का पूंजी निवेश करना चाहिये। इसी प्रकार हमारी नदियों की राष्ट्रीय आस्तियां का भी परिवहन प्रयोजनों के लिए बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए।

मैं तमिलनाडु के बारे में बताने के लिए बाध्य हूं क्योंकि जो अत्यधिक प्रगति हमारी सरकार ने डा० एम० जी० आर० के नेतृत्व में की है 60 प्रतिशत बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। तमिलनाडु के सभी गांव सड़कों से जुड़े हुये हैं और वे सभी बस मार्गों से जुड़े हुये हैं। परिवहन निगम ग्रामवासियों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। 11 परिवहन निगमों में से 10 निगम लाभ कमा रहे हैं। मैं सुझाव दूंगा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि अन्य राज्य भी इस विषय में तमिलनाडु के उदाहरण की प्रतिस्पधी करें। मैं इस समय मांग करता हूं कि राज्य में राज्य परिवहन निगमों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र द्वारा तमिलनाडु सरकार को अधिक वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं अपने राष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैलगाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान दिलाऊंगा। इनकी संख्या लगभग 150 लाख है। इनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये ताकि गांव के लोग भी शहरी लोगों के साथ-साथ इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि जितनी इम्पोर्टेंस, जितनी प्रायोरिटी हमें ट्रांसपोर्ट को देनी चाहिए थी, उतनी प्रायोरिटी पहले प्लान से लेकर छठे प्लान तक नहीं दी गई है। खास तौर से यह इसलिए महसूस होता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों हमारा डवेलपमेंट हो रहा है, इन्डस्ट्रीज बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर का आउट-पुट बढ़ रहा है, देश में सब प्रकार की तरक्की हो रही है, त्यों-त्यों सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में कठिनाई पैदा हो रही हैं। यह कठिनाई चाहे रेल के जरिए से हो, मोटर ट्रांसपोर्ट के जरिए से हो, शिपिंग के जरिए से हो, एयर के जरिए से हो, पाइप-लाइन या रोप लिंक के जरिए से हो—इन सारी व्यवस्थाओं को यदि देखें तो ये सब उनकी पूर्ति नहीं करते हैं। ज्यों-ज्यों

हमारा डवेलपमेन्ट ज्यादा हो रहा है, सन् 2000 तक पहुंचते-पहुंचते हमारे यहां इण्डस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से होगा, उस समय तक की ये सारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थायें उस विकास के साथ कोप-विद नहीं कर पायेंगी। इसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस रुक जायगी और हमारी प्रगति पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए प्लानिंग कमीशन को खासतौर से ध्यान रखना चाहिये कि आपने जो प्रायोरिटी इरिगेशन और पावर को दी है, उसी प्रकार की प्रायोरिटी ट्रांसपोर्ट को मिलनी चाहिये, तब हमारे देश का डवेलपमेन्ट उसी तेजी से हो सकेगा। लेकिन जितना एलोकेशन पहले प्लान से छठे प्लान तक आपने किया है यदि आप उसकी कम्पैरेटिव स्टडी करें, इरिगेशन और पावर की तुलना में, तो निश्चित तरीके से आपको यह महसूस होगा कि ट्रांसपोर्ट पर प्लानिंग कमीशन ने कतई तवज्जह नहीं दी है, जिसके कारण हमारे देश के आगे बढ़ने में रुकावट पैदा हुई है। इसलिए इस पर खास तौर से ध्यान देना चाहिये।

इस समय रेलवे के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से अर्ज करूंगा। रेल हमारा ट्रांस्पोर्ट का सबसे बड़ा सिस्टम है, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाना हो या पैसेन्जर्स को ले जाना हो। इसके लिये जितना डवेलपमेन्ट आजादी के बाद पिछले 37 सालों में होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। हमारे रेल मिनिस्टर ने कल जो बजट सदन के सामने रखा है उसमें नई रेलवे लाइनों के लिये जो प्रावधान है, उनमें 50-50 किलोमीटर की कुल दो रेलवे लाइनें हैं, जबकि 100 से ज्यादा सर्वेज हो चुके हैं। नई रेलवे लाइनों के लिये सारे देश से मांग उठ रही है, लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां नई रेलवे लाइनें निकाली जांय ताकि हमारे क्षेत्र का डवेलपमेन्ट हो सके, हमारे यहां इण्डस्ट्रीज स्थापित हो सकें, हमारी आर्थिक हालत तेजी से आगे बढ़ सके और हम देश में जिस गरीबी को दूर करना चाहते हैं, वह दूर हो सके। लेकिन यह सब काम पैसे के बिना नहीं हो सकता और भारत सरकार या प्लानिंग कमीशन रेलवे को इतना पैसा नहीं देते हैं जिससे नई रेलवे लाइनें बन सकें और जो पुराने टैक्स हैं, जिन की वजह से रोजमर्रा एक्सीडेन्ट्स होते हैं उनको तबदील दिया जा सके या जो डिब्बे इतने पुराने हो गये हैं कि जिनमें चलते-चलते आग लग जाती है उनको बदला जा सके या रिपेअर किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था के लिये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वैगन्ज की नई फैक्ट्रीज लगाई जांय। देश के अन्दर वैगन्ज और कैरिजेज की जो कमी है उसको पूरा करने की दृष्टि से हमें विचार करना चाहिये, तभी हमारा मीन्ज आफ़ ट्रांस्पोर्ट, जिसके जरिये से हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सफल हो पायेगा।

इसी सन्दर्भ में मैं राजस्थान के बारे में खास तौर से कहना चाहता हूं—वहां पर आप अब तक केवल दो लाइनें— सूरतगढ़-अनूपगढ़, और चित्तौड़-कोटा—दे सके हैं। कोटा-चित्तौड़गढ़ तो आपने इसलिए बनाया है कि वहां सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं, लेकिन जो राजस्थान के बीच का हिस्सा है, वह ज्यों-का-त्यों पड़ा हुआ है, जिसमें कोई रेलवे लाइन अभी तक नहीं बिछी है, जिसके लिये हम पिछले अनेक वर्षों से लगातार मांग करते आ रहे हैं। हमने यह मांग भी की थी कि वहां का एक अलग जोन बना दिया जाय, क्योंकि वहां पर मीटर-गेज चलती है जिसकी तरफ भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन ने अभी तक कोई तवज्जह नहीं दी है। अगर वहां का अलग जोन बना जायगा तो इससे राजस्थान का डवेलपमेन्ट ज्यादा होगा, नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए अलग से विचार होगा, जिससे हमारा आर्थिक विकास तेजी से हो सकेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं—हमारे यहां नई लाइनों के लिये अभी तक कई सर्वे हो चुके

हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वैसे ही पड़े हुए हैं। प्लानिंग कमीशन उनको स्वीकार नहीं करता है, उनको पैसा नहीं देता है, जिसके कारण अभी तक कोई नई रेलवे लाइन नहीं बिछ पाई है। इस समय हमारे प्लानिंग मिनिस्टर महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, मैं खास तौर से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर विशेष तौर से ध्यान दीजिये कि राजस्थान में अभी तक रेलवे लाइनों के लिए जितने सर्वे हो चुके हैं उनकी स्वीकृति मिलनी चाहिये ताकि राजस्थान भी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके।

आप भौगोलिक दृष्टि से देखिये—आधा राजस्थान माउन्टेनस है और आधा डेजर्ट है। थोड़ा सा एरिया, जैसे नटवरसिंह जी का एरिया है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास जल्दी हो सकता है, लेकिन जो बाकी का क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र हैं यदि हम उनका विकास नहीं करेंगे तो सारा राजस्थान पिछड़ जायगा। सारा देश आगे बढ़ रहा है और अगर हमारे यहां कुछ नहीं किया गया, तो वह बिल्कुल पीछे रह जाएगा। इसलिए मैं खास तौर से मि० नारायणन से, जोकि प्लानिंग मिनिस्टर हैं, आग्रह करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में तवज्जह देकर राजस्थान में, जिन रेलवे लाइनों का सर्वे हो चुका है, उनको स्वीकृत करें ताकि हमारे यहां रेलवे लाइनों का विकास तेज गति से हो सके।

एक दूसरा निवेदन मेरा यह है कि प्लानिंग कमीशन को कैरेजेज के सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिए। कैरेजेज इतने खराब हैं कि उनमें रोजमर्रा कहीं न कहीं आग लगती रहती है। इसलिए नए कैरेजेज बनाने के लिए नए कारखाने बनाने की बहुत आवश्यकता है। अभी तो मद्रास में इसका कारखाना बना हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन के पश्चात अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम पुनः 2 बजे समवेत होने के लिए सभा मध्याह्न भोजन के वास्ते स्थगित करते हैं।

1.01 म० प०

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.05 म०प०

(श्री शरद शंकर दिघे पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय सभापति जी, मैं राजस्थान में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के संबंध में निवेदन कर रहा था और खास तौर से रेलवे-लाइन के बारे में कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में राजस्थान की जिन लाइनों का सर्वे किया गया है, उनमें से एक भी लाइन को इन्होंने स्वीकृति नहीं दी, जिसकी वजह से राजस्थान का जो पिछड़ापन है, जिसको हम दूर करना चाहते हैं, उसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं। इसलिए मैं माननीय प्लानिंग मिनिस्टर साहब से निवेदन करना

चाहता हूं कि हमने एक प्रपोजल दिया है कि दिल्ली से अहमदाबाद लाइन को ब्राडमेज में परिवर्तित किया जाए। यह लाइन बहुत बड़ी है और इसके लिए पैसा बहुत चाहिए, इसलिए अब तक उसकी स्वीकृति नहीं हुई और उसके अभाव की वजह से हमारा सारा राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तथा उसके आसपास जितना एरिया कनेक्ट होता है, उसके डेवलपमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

एक छोटी सी लाइन कोटा से देवगढ़, जिसकी स्वीकृति के बाद सर्वे भी हो चुका है, इसके ब्राडगेज की मांग की जा रही है जिसे स्वीकृति दी जानी चाहिए। कोटा से लेकर उदयपुर लाइन को जिसका कि देवगढ़ तक सर्वे हो चुका है, अगर अहमदाबाद तक एक्सटेंड कर दें तो इस सारे इलाके का डेवलपमेंट हो सकता है। इसी तरीके से टोडारायसेन से नाथद्वारा लाइन के सर्वे की बात भी पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी प्रकार लाबिया से ब्यावर लाइन की मांग भी अभी तक लंबित पड़ी हुई है। यहां एक भी लाइन को स्वीकृत नहीं किया गया है जिसकी वजह से सारे एरिया का विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए मैं माननीय प्लानिंग मिनिस्टर साहब से खासतौर से निवेदन करूंगा कि इसके संबंध में तवज्जह दें और इसको स्वीकृति दिलाएं, ताकि इस क्षेत्र का विकास तेजगति से हो सके।

मेरा निवेदन है कि जहां रेलवे लाइनों की व्यवस्था की जाए वहीं रेलवे में जो कमियां हैं, उनको भी दूर करने की आवश्यकता है। गुड्स वैगन्स की कमी है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहिए और टाप-प्रायरिटी का सामान है, जैसे कोयला या अन्य प्रकार की चीजें हैं, खाद्यान्न हैं, फर्टीलाइजर है, इनको पहुँचाने में भी बड़ी भारी तकलीफ होती है, वैगन्स के अभाव में। इसी तरीके से आज जितनी रेलगाड़ियां बढ़ाने की बात करते हैं ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है। जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से ट्रैफिक के लिए लाइन्स भी बढ़ानी चाहिए। गाड़ियां भी बढ़ाई जानी चाहिए। कैरिज के अभाव में गाड़ियां शुरू नहीं की जा रही हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। जो गाड़ियां बढ़नी चाहिए वे निश्चित तरीके से इनके अभाव में नहीं बढ़ पा रहीं हैं। इसलिए कैरिज के जो कारखाने आज स्थापित करने की बात चल रही है, रेलवे के कैरिज बनाने की, उसके लिए नए कारखाने की स्वीकृति प्लानिंग कमीशन के पास पड़ी हुई है बहुत अरसे से। अगर यह कैरिज कारखाना स्थापित हो जाए तो निश्चित तरीके से अच्छी व्यवस्था बन सकती है और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चल सकती हैं।

इसी तरह से रोड्स की बात है। रोड्स का डेवलमेंट भी ठीक तरह से नहीं हुआ है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अभाव है। मैं नेशनल हाईवे के लिए खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में जो नेशनल हाई वे हैं उनमें से एक नेशनल हाईवे केवल डिफेंस प्वाइंट आफ व्यू से बनाया गया है, जिसका राजस्थान के डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। केवल दो नेशनल हाईवे वहां पर बने हुए हैं। एक तो आगरा से बीकानेर के लिए है और दूसरा दिल्ली से अहमदाबाद है, इसके अलावा दो और नेशनल हाईवे वहां पर स्थापित होने चाहिए। एक अजमेर से लेकर इंदौर होते हुये बंबई तक होना चाहिए। इस लाइन पर बहुत ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक किसी नेशनल हाई वे पर नहीं है जितना इस रोड पर है। इसलिए इसको नेशनल हाई वे बनाने के लिए बहुत अरसे से राजस्थान की सरकार ने आपको कहा है, मगर अब तक उसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसी प्रकार से अजमेर से पाली होते हुए अहमदाबाद तक बहुत बिजी रोड है। इस रोड पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। इसलिए इन दो

रोड्स को नेशनल हाई वे बना दिया जाए तो निश्चित तरीके से बहुत बड़ा लाभ होगा।

अभी कुछ भाइयों ने, विरोधी दल के लोगों ने कहा कि गांवों को रोड से मिलाया जाना चाहिए। ग्रामों में रोड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना और छटी पंचवर्षीय योजना में हमने इस बात को कहा है कि डेढ़ हजार तक की आबादी के हर गांव को फेयर वैदर रोड से जोड़ा जाएगा। इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है मगर उससे डेवलपमेंट जिस तरीके से गांवों का होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे तमाम गांव एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएं और पक्की सड़कों से उनको जोड़ दिया जाए। इससे वहां पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और वहां का विकास तेज गति से हो सकेगा। इसी तरीके से एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह खासतौर से हमारे पोर्ट्स के बारे में है। इनका डवलपमेंट बहुत आवश्यक है। बम्बई पोर्ट पर तो बहुत ही ज्यादा कंजेशन है। जितनी भी शिप्स बाहर से आती हैं, उनको 15 दिन से लेकर एक महीने तक रुकना पड़ता है। इसकी वजह से कई प्रकार के चार्जेस भी लग जाते हैं। दूसरे पोर्ट्स को भी डवलप किया जाए जिससे बम्बई या मद्रास में जो शिप्स अटक जाती है, उनको वहां पर जगह मिल जाए और बिना वजह खड़े न रहना पड़े। कोस्टल लाइन्स के बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज उनकी व्यवस्था भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है। पिछली बार जब हम अन्डमान निकोबार गए थे तो 15 दिनों तक कोई शिप एबेलेबल नहीं थी। इस तरीके से वहां पर केरोसीन और अन्य आवश्यक वस्तुएं समय पर नहीं पहुंच पाती। कलकत्ता से जहाज जाता है लेकिन लेबर प्राबलम होने की वजह से वहां समय पर पहुंच नहीं पाता है। मेरा निवेदन है कि ऐसी अव्यवस्था को नितान्त दूर करने की आवश्यकता है ताकि तेज गति से विकास हो सके। इस रिपोर्ट में जो पैराग्राफ आखिर में दिया गया है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विद्युत, सिंचाई आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास आदि में भी आर्थिक विकास को बनाये रखने के लिये परिवहन एक महत्वपूर्ण ढांचा है। यह अपर्याप्त परिवहन सुविधाएं आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों को पूरी तरह से विकृत करती हैं और प्रत्येक क्षेत्र में कमी का भी कारण यही होता है।

[हिन्दी]

इसकी वजह से हमारे विकास में बहुत बड़ा अवरोध आ रहा है। जिस तरीके से आपने पावर और इरीगेशन को प्रायोरिटी दी है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट को भी दी जानी चाहिए ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : ऑनरेबल चेयरमैन साहब, श्री दंडवते जी ने जो प्रस्ताव रखा है और डिसकशन के लिए जो उन्होंने यहां शुरूआत की है, मैं उस संबंध में यह अर्ज करना चाहूंगा कि मुल्क के अन्दर ट्रांसपोर्ट की जो बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं उसके लिए सबसे ज्यादा मुतास्सिर इलाके पिछड़े हुए इलाके ही हैं और जहां पहाड़ी इलाके हैं उनमें जम्मू-काश्मीर की रियासत भी है। मैं और बातों की तरफ तवज्जुह नहीं दिलाना चाहूंगा क्योंकि मैम्बरान् ने तकरीबन सारे ही अहम मामलात की तरफ तवज्जुह दिलाई है। मैं चाहूंगा कि जम्मू-

काश्मीर की तरफ खासतौर से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की तवज्जुह दिलाऊं। मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जम्मू-काश्मीर की रियासत बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। जितने भी खूबसूरत और ज्यादा आबादी के इलाके हैं, वे पहाड़ों से कटे हुए हैं। उन इलाकों तक पहुंचना इस बीसवीं सदी के आखिर में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ट्रान्सपोर्ट की दिक्कत होने की वजह से वहां के लोगों की तरक्की सामाजिक लिहाज से और उनका जो कल्चरल इथोस है, वह डवलप नहीं हो रहा है। उनके इक्तसादी हालात बहुत ही खराब हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी जम्मू-काश्मीर रियासत के तीन प्रान्त हैं। जम्मू को लिया जाए तो रजौरी, पूंछ, डोडा बार्डर और उधमपुर के इलाके हैं। जहां तक काश्मीर का ताल्लुक है, वह सारा का सारा पहाड़ी है। बीच में घाटी है जिसको काश्मीर घाटी का नाम देते हैं। ज्यादातर आबादी पहाड़ों में ही रहती है। लद्दाख का क्षेत्र बिल्कुल ही कटा हुआ है। आज हालत यह है कि दिल्ली या जम्मू में अगर माचिस की कीमत दस पैसे है तो उसके मुकाबले में आठ आने से कम लद्दाख में नहीं होगी।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन इलाकों के लोग बहुत पिछड़े हैं और उनको जदीद हिन्दुस्तान की तरक्की और खुशहाली का पूरा-पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। यह बात रियासत की असैम्बली में भी बार-बार उठी है और हमने बार-बार मरकज से भी कहा है कि जम्मू-काश्मीर रियासत की खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि वहां सड़कों का जाल बिछाया जाए। फिर, उस रियासत की आमदनी बहुत ही कम है और उस आमदनी के जरिए से वहां सड़कों का जाल नहीं बिछाया जा सकता। हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। यदि आप कभी पूंछ या रजौरी इलाकों की तरफ जायें तो आज बीसवीं सदी में भी उन इलाकों के हालात इस कदर खराब हैं, वहां इतनी बैकवर्डनेस है और जब वहां की पसमांदगी का नक्शा आपके सामने आयेगा तो आपको पता लगेगा कि जिस जम्मू-काश्मीर रियासत को हम एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके का नाम देते हैं, वह किस कदर बैकवर्ड है। वहां की बदकिस्मती यकीनी है क्योंकि वहां ट्रान्सपोर्ट की बहुत कमी है।

जितनी भी असैन्शयल कम्मोडिटीज वहां दूसरी रियासतों से पहुंचती है, वहां तक पहुंचते-पहुंचते दुगनी और चार गुनी कीमत की हो जाती है और उसके साथ-साथ उसकी बड़ी स्केयरसिटी भी हो जाती है। सर्दियों के मौसम में अक्सर बनिहाल का रास्ता टूट जाता है और इस वजह से भी दूसरी रियासतों से आने वाला खाने-पीने का सामान रुक जाता है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि इन बातों का ख्याल रखें।

तीन खास वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं कहता हूं कि आप वहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डैवलप कीजिए। सबसे पहली बुनियादी चीज यह है कि उस रियासत में जंगलात बहुत ज्यादा हैं लेकिन जंगलात तक पहुंचने के लिए सड़कों का कोई प्रोपर इन्तजाम नहीं है, सही रूट नहीं मिल रहे हैं। उन जंगलों का सफाया हो रहा है लेकिन उस तक हकूमत की निगाह नहीं पहुंच पाती। यह वह इलाका है जो कि पाकिस्तान के बौर्डर पर है या चीन के बौर्डर पर है, लेकिन हमारी वहां तक खुद पहुंच नहीं है और उन इलाकों में फौरैस्ट तबाह हो रहे हैं जो कि हमारी बहुत ही कीमती जायदाद है, बहुत बड़े साधन हैं। इस कारण फौरैस्ट का सही एक्सप्लायटेशन नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन इलाकों में रेजिन और फौरैस्ट-बैस्ड इंडस्ट्रीज बन सकती थीं, फौरैस्ट औरियेन्टेड इंडस्ट्रीज बन सकती थीं, जिनका फायदा हम उठा सकते थे, लेकिन हम वह फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए उस इलाके में सड़कों का ले जाना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि हमारी रियासत में फ्रूट बहुत पैदा होता है, हर साल करोड़ों और अरबों रुपये का फ्रूट पैदा होता है लेकिन रेलवे न होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से, हम काश्मीर घाटी में पदा होने वाले फ्रूट को मुल्क के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंचा सकते। हमारे पास गिनीचुनी ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज हैं जिनको हमें काम पर लगाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट की वहां इस कदर कमी है कि हर साल हमको इसकी वजह से करोड़ों और अरबों रुपये का खसारा उठाना पड़ता है, करोड़ों रुपये का हमारा फ्रूट सड़ जाता है और वह बाहर नहीं भेजा जा सकता। जब भी सितम्बर के बाद से वहां फ्रूट का सीजन शुरू होता है, ट्रांसपोर्ट की डिमाण्ड इस कदर बढ़ती है कि मिडिलमैन उसका एक्सप्लायटेशन करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से फ्रूट ग्रोअर्स को, जो बड़ी मेहनत-मशक्कत के बाद फ्रूट तैयार करता है, कोई फायदा नहीं मिलता। वहां का जो फ्रूट, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह पहुंचता भी है तो उसका फायदा मिडिलमैन ले जाता है और वह फायदा ग्रोअर को नहीं मिल पाता।

इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बनिहाल, जो कि लद्दाख के लिए गेटवे का काम करता है, वह आम तौर पर सर्दियों में टूट जाता है और जगह-जगह वहां पर नीचे ढलान निकल आते हैं और जमीन का कटाव होता है और सड़क टूट जाती है, उसका हल आपको निकालना पड़ेगा। पार्टीशन से पहले हमारा फ्रूट पंजाब के रास्ते होकर जाता था, तब तक पंजाब एक था, लेकिन 1947 के बाद पंजाब टूट चुका है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। पहले हमारा आउटलैट रावलपिंडी से होता था, लेकिन आज बनिहाल रोड के साथ हमारी जिंदगी का सवाल है, यह हमारी लाइफ-लाइन है। अगर यह टूट जाता है तो उससे हमारा फ्रूट भी टूटता है और फ्रूट इंडस्ट्री भी खत्म हो जाती है। टूरिज्म, जिस पर हमारा सारा इनहिसार है, वह भी टूट जाता है और हमारे जंगलात के प्रोडक्ट्स भी इस तरीके से रुक जाते हैं, बाहर नहीं पहुंच पाते।

जो बाहर का सामान है, जिसके लिये हम हिमाचल, पंजाब और हरियाणा पर डिपैन्डेंट हैं, खासतौर से दिल्ली से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वह रास्ते में रुक जाते हैं। मैं आपको क्या अर्ज करूं कि कितनी जहनी तकलीफ इससे हमें होती है और इसके अलावा गिरांबाजारी हो जाती है, और किस तरह से मिडिलमैन की तरफ से एक्सप्लायटेशन होता है ?

आप खुद देख लीजिये कि काश्मीर में सर्दियों के 6 महीनों में कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है तकरीबन उन 40 लाख लोगों को, जो कि काश्मीर घाटी, लद्दाख, पुंछ, राजौरी के इलाके में या बार्डर पर रहते हैं, महज इसलिये कि हमारे यहां सर्दियों में सड़कें खराब हो जाती हैं।

इसीलिये हमने बहुत पहले इस मुअज्जिज ऐवान में मुतालिबा किया था कि आप रेलवे को ऊधमपुर तक आहिस्ता-आहिस्ता रेंग-रेंग कर न ले जाइये। इसके लिए बड़ी हिम्मत और हौंसले की जरूरत है। आपको इस चेलैन्ज को कबूल करना पड़ेगा और रेलवे लाइन को बराहे रास्त श्रीनगर तक पहुंचाना पड़ेगा तभी वहां के लोगों की मुसीबत दूर होगी, जो कि पिछड़े हुए हैं और जिनकी सारी इकानामी इस वक्त तबाह-हाल हो रही है, जो बैक वर्ड हो रहे हैं और जिसके लिये हम दोष देते हैं कि वहां पर जहनी दूरी पैदा हो रही है और इमोशनल इंटैग्रेशन में फर्क पड़ रहा है। वे अपने आपको अलग-थलग समझ रहे हैं, उनको इतना दूर रखा गया है कि हमारी इक्तसादी जिन्दगी का फायदा और मुल्क की डैवलपमैंट का फायदा उनको नहीं मिल रहा है

और इसीलिये उस इलाके में बहुत ही एक जहनी बहुरान की कैफियत पैदा हो रही है।

मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि हमारी रियासत बड़ी हस्सास है, सैंसेटिव है। यह बार्डर स्टेट है जिसके ताने-बाने चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। इस बिना पर इस स्ट्रैटेजिक स्टेट में, पहाड़ी इलाके में आपको सड़कें ले जानी हैं। यह न सिर्फ वहाँ के लोगों के हित में होगा, बल्कि आर्म्ड फोर्सेज के हित में भी होगा, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजिक एरिया में पहुंचकर बाहर की एग्रेसिव फोर्सेज के साथ मुकाबला करना है।

हमारी स्टेट का यह हिस्सा तीन तरफ से बाहर के मुल्कों से घिरा हुआ है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कासिम साहब जब वजीरे-आला थे, मैं तो एम०एल०ए० था, उस जमाने में, तो लैजिस्लेचर में यह बात आई थी कि मुगल रोड को खोला जाये और यह मुगल रोड जम्मू को काश्मीर से मिला देगी। लेकिन उस जमाने में कहा गया कि यह बार्डर एरिया को मिलायेगी और इससे मुल्क की इंटेग्रिटी को खतरा पैदा हो जायेगा और यह मुल्क के इत्तहाद के हक में नहीं है। लेकिन 10 साल के बाद कासिम साहब ने खुद कहा कि आर्म्स फोर्सेज ने खुद मान लिया है कि इस सड़क की जरूरत है, और आर्म्ड फोर्सेजको अपना काम अंजाम देने के लिए मुगल रोड चाहिये ताकि डिफेन्स फोर्सेज से उस इलाके में हिफाजत की जाये।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में जो बैकवर्डनेस है, पसमान्दगी है और कल्चरल ट्रांसपोर्ट वगैरह के मामले में हम पीछे रह गये हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को चाहिए कि टाप-प्रायर्टी पर स्टेट में इन मामलात को हल करें और हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए सेवन्थ प्लान में उसके लिए खसूसी रकमात उसके लिए मुख्तस करें। यही हमारी आप से गुजारिश है।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : آنریبل چیئرمین صاحب شری دنڈاوتے جی نے جو پرستاؤ رکھا ہے اور ڈسکشن کے لئے جو انہوں نے یہاں شروعات کی ہے میں اس سمبندھ میں یہ عرض کرنا چاہونگا کہ ملک کے اندر ٹرانسپورٹ کی جو بہت ساری کہانیاں پائی جارہی ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ متاثر علاقے پچھڑے ہوئے علاقے ہی ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں ان میں جموں کشمیر کی ریاست بھی شامل ہے میں اور باتوں کی طرف توجہ نہیں دلانا چاہونگا کیونکہ ممبران نے تقریباً سارے ہی اہم معاملات کی طرف توجہ دلائی ہے- میں چاہونگا کہ جموں کشمیر کی طرف خاص طور سے آنریبل منسٹر صاحب کی توجہ دلاؤں - میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی ریاست بالکل پہاڑی علاقہ ہے- جتنے بھی خوبصورت اور زیادہ آبادی کے علاقے ہیں وہ پہاڑوں سے کٹے ہوئے ہیں- ان علاقوں تک پہنچنا اس بیسویں صدی کے آخر میں بھی بہت مشکل ہورہا ہے- ٹرانسپورٹ کی دقت ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی ترقی سماجک لحاظ سے اور ان کا جو کلچرل ایتھوس ہے وہ ڈیولپ نہیں ہورہا ہے- ان کے اقتصادی حالات بہت ہی خراب ہیں- میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جموں کشمیر ریاست کے تین پرانت ہیں- جموں کو لیا جائے تو راجوری-پونچھ- ڈوڈا بھادرر اور ادھم پور کے علاقے ہیں- جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے وہ سارا کا سارا پہاڑی ہے- بیچ میں گھاٹی ہے جس کو کشمیر گھاٹی کا نام دیتے ہیں- زیادہ تر آبادی پہاڑوں میں ہی رہتی ہے- لداخ کا سیکٹر بالکل ہی کٹا ہوا ہے- آج حالت یہ ہے کہ دلی یا جموں میں اگر ماچس کی قیمت دس

پیسے ہے تو اس کے مقابلے میں آٹھ آنے سے کم لداخ میں نہیں ہوگی-

میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان علاقوں کے لوگ بہت پچھڑے ہیں اور ان کو جدید ہندوستان کی ترقی اور خوش حالی کا پورا پورا حصہ نہیں مل رہا ہے- یہ بات ریاست کی اسمبلی میں بھی بار بار اٹھی ہے اور ہم نے بار بار مرکز سے بھی کہا ہے کہ جموں کشمیر ریاست کی خوشحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں سڑکوں کا جال پھیلایا جائے- پھر اس ریاست کی آمدنی بہت ہی کم ہے اور اس آمدنی کے ذریعہ سے وہاں سڑکوں کا جال نہیں بچھایا جا سکتا- ہمارے پاس ریسورسز کی بہت کمی ہے- یدی آپ کبھی پونچھ یا راجوری علاقوں کی طرف جائیں تو آج بیسویں صدی میں بھی ان علاقوں کے حالات اس قدر خراب ہیں وہاں اتنی بیک ورڈ نیس ہے اور جب وہاں کی پس ماندگی کا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جس جموں کشمیر ریاست کو ہم ایک خوبصورت پہاڑی علاقے کا نام دیتے ہیں وہ کس قدر بیک ورڈ ہے- وہاں کی بد قسمتی یہی ہے کیونکہ وہاں ٹرانسپورٹ کی بہت کمی ہے-

جتنی بھی اسنشیل کموڈیٹیز وہاں دوسری ریاستوں سے پہنچتی ہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے دو گنی اور چار گنی قیمت کی ہو جاتی ہیں اور اسکے ساتھ ساتھ اس کی بڑی اسکیئرسٹی بھی ہو جاتی ہے- سردیوں کے موسم میں اکثر بنی ہال کا راستہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس وجہ سے بھی دوسری ریاستوں سے آنے والا کھانے پینے کا سامان رک جاتا ہے- میں آنریبل منسٹر صاحب سے کہنا چاہونگا کہ ان باتوں کا خیال رکھیں-

تین خاص وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ آپ وہاں کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو ڈیولپ کیجئے- سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ریاست میں جنگلات بہت زیادہ ہیں لیکن جنگلات تک پہنچنے کے لیے سڑکوں کا کوئی برابر انتظام نہیں ہے- روٹ نہیں مل رہے ہیں- ان جنگلوں کا صفایا ہو رہا ہے لیکن اس تک حکومت کی نگاہ نہیں پہنچ پاتی یہ وہ علاقہ ہے جو کہ پاکستان کے بارڈر پر ہے یا چین کے بارڈر پر ہے -لیکن ہماری وہاں تک روڈ نہیں پہنچ رہی ہے اور ان علاقوں میں فاریسٹ تباہ ہو رہے ہیں جو کہ ہماری بہت ہی قیمتی جائداد ہے بہت بڑے سادھن ہیں- اس کارن فاریسٹ کا صحیح ایکسپلائٹیشن نہیں ہو رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے- ان علاقوں میں ریجن اور فاریسٹ بیسڈ انڈسٹریز بن سکتی نہیں- فاریسٹ اور پلانٹ انڈسٹریز بن سکتی تھیں جن کا فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے لیکن ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں- اس لیے اس علاقے میں سڑکوں کا لے جانا بہت ضروری ہے-

دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ریاست میں فروٹ بہت پیدا ہوتا ہے- ہر سال کروڑوں اور اربوں روپئے کا فروٹ پیدا ہوتا ہے لیکن ریلوے نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے ہم کشمیر گھاٹی میں پیدا ہونے والے فروٹ کو ملک کے دوسرے حصوں تک نہیں پہنچا سکتے- ہمارے پاس گنی چنی ٹرانسپورٹ ایجنسیز ہیں جن کو ہمیں کام پر لگانا پڑتا ہے- ٹرانسپورٹ کی وہاں اس قدر کمی ہے کہ ہر سال ہم کو اس کی وجہ سے کروڑوں اور اربوں روپئے کا خطرہ اٹھانا پڑتا ہے-

کروڑوں روپئے کا ھمارا فروٹ سڑ جاتا ھے اور وہ باھر نہیں بھیجا جا سکتا۔ جب بھی ستمبر کے بعد سے وھاں فروٹ کا سیزن شروع ھوتا ھے ٹرانسپورٹ کی قیمت اس قدر بڑھتی ھے کہ مڈل مین اس کا ایکسپلائٹیشن کرنا شروع کر دیتا ھے۔ اس کی وجہ سے فروٹ گروورس کو جو بڑی محنت مشقت کے بعد فروٹ تیار کرتا ھے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وھاں کا جو فروٹ دلی-کلکتہ وغیرہ پھنچتا بھی ھے تو اس کا فائدہ مڈل مین لے جاتا ھے اور وہ فائدہ گروور کو نہیں مل پاتا۔

اس لئے میں آنریبل منسٹر صاحب سے کہنا چاھتا ھوں کہ یہ ھمارے لئے بڑی بد قسمتی کی بات ھے کہ بلی ھال جو کہ لداخ کے لئے گیٹ وے کا کام کرتا ھے وہ عام طور پر سردیوں میں ٹوٹ جاتا ھے اور جگہ-جگہ وھاں پر نیچے ڈھلان نکل آتے ھیں اور زمین کا کٹاؤ ھوتا ھے اور سڑک ٹوٹ جاتی ھے اس کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ پارٹیشن سے پہلے ھمارا فروٹ پنجاب کے راستے ھو کر جاتا تھا۔ تب تک پنجاب ایک تھا لیکن ۱۹۴۷ کے بعد پنجاب ٹوٹ چکا ھے اور اس کا بہت بڑا حصہ پاکستان میں چلا گیا ھے لیکن پہلے جو ھمارا آؤٹ لیٹ راولپنڈی سے ھوتا تھا۔

لیکن آج بلی ھال روڈ کے سانحہ ھماری زندگی کا سوال ھے یہ ھماری لائف لائن ھے۔ اگر یہ ٹوٹ جاتا ھے تو اس سے ھمارا فروٹ بھی ٹوٹتا ھے اور فروٹ انڈسٹری بھی ختم ھو جاتی ھے۔ ٹورزم جس پر ھمارا سارا انحصار ھے وہ بھی ٹوٹ جاتا ھے اور ھمارے جنگلات کے پروڈکٹس بھی اس طریقے سے رک جاتے ھیں باھر نہیں پھنچ پاتے۔

جو باھر کا سامان ھے جس کے لئے ھم ھماچل پنجاب اور ھریانا پر ڈیپینڈینٹ ھیں خاص طور سے دلی سے جو پروڈکٹس آتے ھیں وہ راستے میں رک جاتے ھیں۔ میں آپ کو کیا عرض کروں کہ کتنی ذھنی تکلیف اس سے ھمیں ھوتی ھے اور اس کے علاوہ گراں بازاری ھو جاتی ھے اور کس طرح سے مڈل مین کی طرف سے ایکسپلائٹیشن ھوتا ھے۔

آپ خود دیکھ لیجیے کہ کشمیر میں سردیوں کے ۶ مہینوں میں کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ھے تقریبا ان ۴۰ لاکھ لوگوں کو جو کہ کشمیر گھاٹی میں لداخ میں پونچھ راجوری کے علاقے میں یا بارڈر پر رھتے ھیں۔ محض اس لیے کہ ھمارے یہاں سردیوں میں سڑکیں خراب ھو جاتی ھیں۔

اس لیے ھم نے بہت پہلے اس معزز ایوان میں مطالبہ کیا تھا کہ آپ ریلوے کو اودھم پور تک آھستہ آھستہ ریلنگ ریلنگ کر نہ لے جائیے۔ اس کے لیے بڑی ھمت اور حوصلے کی ضرورت ھے۔ آپ کو اس چیلینج کو قبول کرنا پڑے گا اور ریلوے لائن کو براہ راست سری نگر تک پھنچانا پڑے گا تبھی وھاں کے لوگوں کی مصیبت دور ھوگی جو کہ پچھڑے ھوئے ھیں اور جن کی ساری اکنامی اس وقت تباہ حال ھو رھی ھے جو بیک ورڈ ھو رھے ھیں اور جس کے لیے ھم دوش دیتے ھیں کہ وھاں پر ذھنی دوری پیدا ھو رھی ھے اور اموشنل انٹیگریشن میں فرق پڑ رھا ھے۔ وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھ رھے ھیں ان کو اتنا دور رکھا گیا ھے کہ ھماری اقتصادی زندگی

کا فائدہ اور ملک کی ڈیولپمینٹ کا فائدہ ان کو نہیں مل رہا ہے اور اس لیے اس علاقے میں بہت ہی ایک نئی بحران کی کیفیت پیدا ہورہی ہے -

میں آنریبل منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست بڑی حساس ہے سنسیٹیو ہے - یہ بارڈر اسٹیٹ ہے جس کے تانے بانے چائنا پاکستان اور افغانستان سے بہی ملتے ہیں - اس بنا پر اس اسٹریٹیجک اسٹیٹ میں پہاڑی علاقے میں آپ کو سڑکیں لے جانی ہیں - یہ نہ صرف وہاں کے لوگوں کے ہت میں ہوگا بلکہ آرمڈ فورسز کے ہت میں بہی ہوگا کیونکہ ان کو اسٹریٹیجک ایریا میں پہنچ کر باہر کی ایگریسیو فورسز کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے -

ہماری اسٹیٹ کا یہ حصہ تین طرف سے باہر کے ملکوں سے گھرا ہوا ہے - میں یہ بہی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قاسم صاحب جب وزیر اعلی تھے میں تو ایم ایل اے تھا اس زمانے میں تو لیجسلیچر میں یہ بات آئی تھی کہ مغل روڈ کو کھولا جائے اور یہ مغل روڈ جموں کو کشمیر سے ملا دیگی - لیکن اس زمانے میں کہا گیا کہ یہ بارڈر ایریا کو ملائیگی اور اس سے ملک کی انٹیگریٹی کو خطرہ پیدا ہو جائے گا اور ملک کے اتحاد کے حق میں نہیں ہے - بعد میں قاسم صاحب نے خود کہا کہ آرمڈ فورسز نے خود مان لیا ہے کہ اس سڑک کی ضرورت ہے اور آرمڈ فورسز کو اپنا کام انجام دینے کے لیے مغل روڈ چاہیے تاکہ ڈفینس فورسز سے اس علاقے کی حفاظت کی جائے -

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو بیک وارڈنیس ہے پسماندگی ہے اور کلچرل اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں - آنریبل منسٹر صاحب کو چاہئے کہ ٹاپ پرائرٹی پر اسٹیٹ میں ان معاملات کو حل کریں اور ہماری مشکلات حل کرنے کے لیے سیونتھ پلان میں اس کے لیے خصوصی رقومات اس کے لیے مخصوص کریں - یہی ہماری آپ سے گذارش ہے -

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): चेयरमैन साहब, नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और तब से आज तक कुछ सुझावों को गवर्नमेंट ने माना है, मगर पैसे की कमी के कारण, जिन सुझावों को माना भी गया है, उनको इम्पलीमेंट नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट प्लान से लेकर सेवन्थ प्लान तक टोटल इन्वेस्टमेंट के मामले में जरूर पैसा बढ़ा है ।

तो फर्स्ट प्लान में यदि 12 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में खर्च किया गया तो मैं समझता हूं कि हर सैकिण्ड प्लॉन के बाद हर प्लान के साथ यह प्रतिशत घटाया गया है ।

मैं प्लैनिंग मिनिस्टर के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात को कहना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट को भी प्रॉयरिटी सेक्टर मानना चाहिए और प्रॉयरिटी सेक्टर मानकर इसके लिए जो वार्षिक इंवैस्टमेंट है या प्लायन इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाया जाय । ट्रांसपोर्ट के जितने मांड्स हैं, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है । तालमेल पैदा करने के लिए इंटर स्टेट को-आर्डिनेशन होना चाहिये, जोनल को-आर्डिनेशन होना चाहिए । लेकिन ताज्जुब यह होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लैवल पर तीन मिनिस्ट्री काम को देखती हैं, एक मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट एवं शिपिंग, दूसरी रेलवेज की और तीसरी सिविल एविएशन । तीनों मिनिस्ट्रीज के बीच में तालमेल दिखायी

नहीं देता है। तीनों को एक दूसरे के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करना चाहिये। मगर ऐसा लगता है कि तीनों एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। मान लें किसी मिनिस्ट्री का अच्छा ट्रेफिक चलता है, दूसरी मिनिस्ट्री उसी सेक्टर में काम करना चाहती है। इसका प्रभाव यह पड़ा रहा है कि जो बैकवर्ड, रिमोट और हिली एरिया हैं, उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है और बैकवर्ड एरिया नीड़ कैटर नहीं हो पा रही हैं। उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। तीनों लाइनों के अधिकांश स्टेशन ऐसी जगहों पर बताये जा रहे हैं जो आल-रेडी डेवलप हैं, जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है।

नई रेल लाईन के विषय में ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं नहीं समझता 1980 से लेकर आज तक उसकी कोई बात मानी गई है। उन्होंने कहा है कि नये ग्रोथ सेंटर की खोज होनी चाहिये, साथ ही रिमोट और हिली एरिया को खोलने के विषय में नई रेल लाइनें बिछायी जानी चाहिये। बिछाने की बात अलग रही, किसी रेल लाइन का हिली एरिया में विशेषकर नार्दन एरिया में सर्वे तक नहीं हुआ है जो कि ऑलरेडी इनहैंड हैं। बहुत धीमा काम हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि थर्ड इअर लाइन्स को हिली एरिया की आवश्यकता की पूर्ति के लिये आगे आना चाहिए और साथ-साथ इन रेल लाइन्स में नये ग्रोथ सेंटर डेवलप करने के लिये नई रेल लाईन खोली जानी चाहिये।

मैं आज जिस बात की कमी महसूस कर रहा हूं वह है हमारे देश में कोई लांग टर्म ट्रांस्पोर्ट पालिसी नहीं है। माइक्रो लैवल प्लैनिंग होनी चाहिए जिस में हर ब्लाक को यूनिट माना जाये। हम को अपने ट्रांसपोर्ट डवलपमेंट वर्क को शुरू करना चाहिए। मगर इस समय ब्लाक को यूनिट हमारी मानना तो अलग रहा डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानकर चला गया। हमारी जितनी ट्रांसपोर्ट पालिसी है वह अरबन नीड्स को कैटर करने वाली है।

दिल्ली में रिंग रेलवे बनायी गई है। यह एक अच्छा प्रमाण है। अरबन एरियाज में जो ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं। उनको डेवलप करके लोगों को और अधिक सुविधा दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अरबन एलाइट दबाव डालने का काम कर सकते हैं और उन लोगों को जो एक के बाद दूसरी सुविधा देते रहते हैं इस विषय में विचार होना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अरबन बेसिस ट्रांसपोर्ट पालिसी के बजाय रूरल डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट पालिसी को अपनाना चाहिए क्योंकि 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। हमने आज साढ़े चार सौ गांवों को ऑल वैदर रोड से नहीं जोड़ा है और फेअर वैदर रोड से तीन लाख गांव हैं जो नहीं जुड़े हैं।

मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बतला सकता हूं, यह प्लानिंग मिनिस्टर का काम है लेकिन मेरा अंदाज है तीन लाख गांव आज भी ऐसे होंगे जो, आल व्हेदर की बात तो छोड़ दीजिए, पेपर व्हेदर रूट्स से भी नहीं जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को और स्टेट्स में रोड्स के काम को जो डिपार्टमेंट्स देखते हैं, उनका आप पर्याप्त बजट की व्यवस्था करें। बाम्बे प्लान के अन्तर्गत जो आपका लक्ष्य है कि इस सदी के अन्त तक पांच सौ की आबादी वाले गांवों को दो डाई किलोमीटर की दूरी तक सड़क से जोड़ दिया जाए, उसके लिए 15 हजार करोड़ की आवश्यकता होगी और इस कार्य को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा एग्जीक्यूट कराना होगा। इसके लिए आपको अभी से ध्यान देना होगा। चार किलोमीटर तक की दूरी के गांवों को

1981 तक पक्की सड़क से जोड़ने की बात कही गई थी। बाम्बे प्लान लागू भी हो गया लेकिन आज भी हम नहीं कह सकते हैं कि आज भी कितने ऐसे एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज जहां 20-25 किलोमीटर तक भी कोई सड़क नहीं है। इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से निवेदन करना चाहता हूं कि रिमोट हिली एरियाज की आवश्यकताओं को कैटर करने के लिए नेशनल हाईवेज का विस्तार करना चाहिए। नार्थ ईस्टर्न रीजन में शायद एकाध नेशनल हाईवेज बनी होंगी लेकिन बाकी एरियाज छूटे पड़े हैं। हमारी यू० पी० सरकार ने एक प्रपोजल भेजा है, उन्होंने स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में परिवर्तित करने की बात कही है। केन्द्र को उदारतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि आपको एक प्रास्पेक्टिव रोड डेवलपमेंन्ट प्लान तैयार करना चाहिए। आगे आने वाले 15-20 सालों के लिए यह प्लान होना चाहिए। इसके साथ-साथ बाम्बे प्लान में जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज की पालिसी को इस प्रकार अमेंड किया जाये जिससे कि बेकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट हो सके। आज जो आलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं, जहां के लोग दबाव डाल सकते हैं, उन्हीं की मदद करने के लिए आप आगे आते हैं लेकिन जो पिछड़े एरियाज हैं, जहां जागृति पैदा नहीं हुई है वह रह जाते हैं। इसलिए भविष्य के लिए उनका डेवलपमेंट करने के लिए रोड प्लान तैयार करना चाहिए। आज देश में बहुत ज्यादा पैसा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत रोड डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जा रहा है और बहुत सारी रोड्स बनाई भी जा रही हैं लेकिन उन रोड्स की मेंटिनेन्स कैसी होगी ? इस विषय में भी सोच विचार होना चाहिए। हमारे एरियाज में हालत यह है कि आप लिंक रोड्स तो बनाते जा रहे हैं लेकिन मुझे डर है कि एक बारिश के बाद ही उन सड़कों की सारी मिट्टी बह जायेगी और इस तरह से उनकी मेंटिनेन्स एक प्राब्लम बनकर रह जायेगी। इस दिशा में भी आपको गम्भीरता-पूर्वक सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस समय इस कार्य में जितने भी आर्गनाइजेशन लगे हुए हैं। जैसे पी० डब्लू० डी०, पचायत राज विभाग, जिला परिषदे या जो भी दूसरे विभाग हैं, उनमें आपस में कोआर्डिनेशन डेवलप करने के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें।

आजकल सरकार पर्यावरण पर भी बहुत जोर दे रही है और इस सम्बन्ध में हिल्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हिल एरियाज में वन अधिनियम के कारण सड़कें बनाने में बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। हिल रोड्स बनाने के बारे में सोच-विचार करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि वहां पर आप आधी सड़क कटाव से निकालें और आधी फिलिंग करके निकालें लेकिन मैं समझता हूं हिल रोड्स के सम्बन्ध में कोई रिसर्च नहीं हो रही है कि किस प्रकार से कम से कम जमीन काटकर सड़क बनाई जाए।

अन्त में मैं केवल एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। आपने कुछ कोल-फील्ड एरियाज में रोप-वेज की व्यवस्था की है लेकिन जिन एरियाज में रोप-वेज की अत्यन्त आवश्यकता है वहां पर आपने उसको छोड़ दिया है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 16 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है। इस सौलह प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न कारणों की वजह से तीन-चार रोपवेज बनानी पड़ी हैं, कोई डवेलपमेंट करने की दृष्टि से इनको नहीं बनाया गया है। यदि रोप-वेज बनाने के लिए आप किसी भी राज्य सरकार को कहें, चाहे वह कोई भी राज्य सरकार हो, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो, तो जवाब मिलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। यह उसको सौ साल तक भी नहीं बना सकेंगी। मैं माननीय प्लानिंग मिनिस्टर

और ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्र, दोनों से, निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार की नेशनल हाईवेज बनाने की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार रोप-वेज बनाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए, ताकि उन एरियाज का डेवलपमेंट हो सके ।

[अनुवाद]

श्री आर्व जोसफ मुडांकल (मुक्तुपूजा) : सभापति महोदय, केरल हमारे देश का अत्याधिक आबादी वाला राज्य है और वहां वर्षा भी बहुत अधिक होती है । लेकिन सड़कों की स्थिति बहुत खराब है । चूंकि हमारा राज्य दिल्ली से काफी दूर है और इसी कारण राज मार्ग और रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए धन आवंटित करने के मामले में हमारे राज्य की उपेक्षा की जाती है । हमारे राज्य के पश्चिमी भागों में जहां झीलें और तालाब काफी मात्रा में हैं । जल परिवहन की बहुत गुंजाइश है ।

पिछले वर्ष मदुरै-कोचीन राजमार्ग के लिए बहुत अल्प धन आवंटित किया गया था । मुझे आशा हैं इस वर्ष अधिक धन आवंटित किया जायेगा । यह क्षेत्र चाय, कॉफी, मिर्च और इलायची आदि के निर्यात से हमारे देश के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है । इस क्षेत्र में पहाड़ी जनजातीय तथा हरिजन लोग रहते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली इन वस्तुओं को बन्दरगाहों तथा नगरों में भेजना कठिन हो जाता है । अतः मैं परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस अंतर्राज्यीय मार्ग के लिए और अधिक धन आवंटित करें और इस तरह इस पिछड़े क्षेत्र के विकास में सहायता दें ।

केरल का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सबरीमलाई है । इरेमली-चलाक्कायम तीर्थ स्थल को जाने वाली सड़क के निर्माण के लिए बिलकुल धनराशि आवंटित नहीं की गई है । मैं परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सड़क के निर्माण के लिए धन आवंटित करें ।

जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है केरल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है । इस वर्ष नई रेलवे लाइनों के लिए बिलकुल धन आवंटित नहीं किया गया । केरल में रेल लाइन केवल 810 किलोमीटर है जबकि इसकी 260 लाख जनसंख्या को देखते रेल लाइन 2400 किलोमीटर होनी चाहिए थी । इसका अर्थ है कि अखिल भारतीय स्तर का केवल एक तिहाई हमें प्राप्त है। केरल में कोई रेल उद्योग अर्थात वेगन बनाने या इंजन बनाने की फैक्टरी भी नहीं है । कुछ राज्यों में ऐसे 2-3 उद्योग हैं । जबकि केरल में एक उद्योग भी नही है । यद्यपि यहां तक घनी आबादी है तथापि लाइनों को दोहरा करने के काम की गति भी बड़ी धीमी है । रेल मंत्री को इस उद्देश्य के लिए और अधिक धन आवंटित करना चाहिए । रेल लाइनों के विद्युतीकरण के मामले में यहां एक इंच रेल लाइन का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है । यहां तक कि केरल सरकार अन्य राज्यों की तुलना में बिजली दरों पर 50% राज सहायता देने के लिए तैयार है । इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कालीकट-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाए । तीन सप्ताह पूर्व मैंने अंतर्राज्यीय रेल लाइन मदुरै कोचीन के लिए एक ज्ञापन दिया था जिस पर तमिलनाडु और केरल से 20 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे । यद्यपि इस लाइन का सर्वेक्षण पिछले वर्ष पूरा हो चुका है तथापि इस वर्ष इस लाइन के निर्माण के लिए धन आवंटित नहीं किया गया है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस वर्ष मदुरै कोचीन रेल लाइन का निर्माण करवाएं । रेलवे तथा राजमार्गों के मामले में हमारी हमेशा उपेक्षा की जाती रही है । यहां वर्षा अधिक होती है । अतः हमारे राज्य में सड़कों के रखरखाव पर काफी खर्च होता है । हम काली

मिर्च, चाय, काफी तथा इलायची आदि कृषि उत्पादों के निर्यात से काफी विदेश मुद्रा अर्जित करते हैं। हम रबर, कोको आदि का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं। अन्यथा हमें इन वस्तुओं का आयात करना पड़ता और हमारी काफी विदेशी मुद्रा बेकार जाती। अतः आपको केरल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं रेल मंत्री तथा परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे केरल पर अधिक ध्यान दें। महोदय, आसाम की कई वर्षों से उपेक्षा की जाती रही है। असम में हुए आंदोलन के कारण, असम को अधिक धन आवंटित किया गया है। कृपया केरल में ऐसी स्थिति पैदा न कीजिए। मेरा अनुरोध है कि भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आपको केरल में रेल लाइनों के निर्माण तथा अधिक सड़कों के रख-रखाव के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री एस० कृष्णकुमार (क्विलोन) : सभापति महोदय, यह अत्याधिक हर्ष की बात है कि सदन को इस महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज पर, जिसका संबंध राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के बुनियादी ढांचे से है, चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह पूर्णतः उचित है कि यह चर्चा उस समय की जा रही है जबकि देश के समक्ष बहुविध कार्य हैं और देश 21वीं सदी की ओर अग्रसर हो रहा है तथा नए आधार बनाए जा रहे हैं और नए परिप्रेक्ष्यों का निर्माण हो रहा है।

भारत में परिवहन का जन्म और विकास उस समय हुआ जब देश में उपनिवेशवादी ताकत का साम्राज्य था, जिसका उद्देश्य केवल देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और देश को अपने आधिपत्य में रखना था। उन्होंने परिवहन का प्रयोग मुख्यतः ब्रिटेन तथा यूरोप के देशों में कच्चा माल भेजने के लिए किया जहां औद्योगिक क्रांति नवोदित अवस्था में थी। लेकिन अब हमें नए परिप्रेक्ष्यों का विकास करना है, उस आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करना है, जो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर हो। इस संदर्भ में यह क्षोभजनक बात है जबकि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल परिव्यय का 22% निर्धारित किया गया था, छठी तथा सातवीं परियोजना में इसे घटाकर करीब 12% से 10% कर दिया गया।

परिवहन के लिए योजना परिव्यय में कुछ विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए रेलवे के लिए परिव्यय में निरन्तर कमी आई है, पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक परिवहन परिव्यय 67% से कम होकर 30% रह गया है। यहां तक कि सड़क परिवहन के मामले में राष्ट्रीय राजपथ के विकास की उपेक्षा की गई है, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन सड़क का 25% से 30% भार उठाता है जबकि कुल सड़क मील का यह 6% है।

दूसरी विसंगति यह है कि सार्वजनिक परिवहन की तुलना में निजी मोटर वाहनों पर अधिक बल दिया जा रहा है। प्रति लाख जनसंख्या के निजी मोटर वाहनों में 6 गुना वृद्धि हुई है जबकि बसों की संख्या उतनी ही है। इससे पता चलता है कि सार्वजनिक परिवहन पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा रहा। यही उचित समय है जबकि सरकार को निजी मोटर वाहनों की वृद्धि पर सामाजिक नियंत्रण लगाना चाहिए और आयोजन में समुचित परिवर्तन करना चाहिए ताकि पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों जिनकी संख्या 2.30 लाख है और पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों, जिनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है तथा सार्वजनिक परिवहन को पूरा महत्व दिया जा सके।

महोदय, केरल राज्य में यह त्रुटियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, केरल में नौकरी पेशा लोगों का बाहुल्य है। कृषि में विकास नहीं हो रहा, उद्योग तीव्र विकास करने में असफल रहे हैं।

लेकिन सेवा क्षेत्र बहुत लफ-फूल रहा है। खाड़ी के देशों में गए केरल के लोग काफी पैसा भेज रहे हैं जिससे नौकरी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। केरल ऐसा क्षेत्र है जहां गांव भी हैं और नगर भी हैं और वहां रेल मार्गों का साथ साथ विकास हुआ है। यह राज्य रेलवे के विकास के लिए अच्छा स्थल है जहां पर माल लाया और ले जाया जा सकता है। समिति ने बिजली के उपयोग तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऊर्जा के संबंध में विस्तारपूर्वक कहा तथा पुरजोर सिफारिश की है कि उप-नगरीय रेल परिवहन विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। केरल एक ऐसा राज्य है जहां इस पहलू विशेष पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, केरल में त्रिवेन्द्रम से मंजेश्वरज तक पहले ही से परम्परागत विकसित जल परिवहन प्रणाली है जिसमें केवल छोटी-छोटी रुकावटें हैं। वहां पहले ही से जलमार्ग विद्यमान है, जिस पर यदि थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए तो इसका विश्व के सबसे अच्छे जलमार्ग के रूप में विकास किया जा सकता है। इसे पहिवहन समस्या से पृथक नहीं माना जाना चाहिए। इससे केरल राज्य में पर्यटन विकास के लिए इसकी क्षमता को काम में लाकर पर्यटन विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अत: इसे अन्त:क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पहले कदम के रूप में राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है कि क्विलोन-कोचीन जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना चाहिए। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर ध्यान दें। कोचीन पत्तन को, जो कि केरल के आर्थिक विकास का केन्द्र है, बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कल हावड़ा पुल का जिक्र किया गया था। मत्तनचेरी में भी ऐसा ही पुल है जो कोचीन पत्तन को द्वीपों तथा मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह पुल बहुत पुराना हो गया और किसी भी समय गिर सकता है। एक वैकल्पिक पुल बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है और उसको स्वीकृति भी मिल गयी है किन्तु उस पर काम रुका पड़ा है।

महोदय, कल श्री के०पी०उन्नीकृष्णन ने जिक्र किया था कि केरल में विकास योजनाओं के कुछ पहलुओं, विशेषकर तटीय सड़क, कालीकट हवाई अड्डा आदि पर उचित ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि विपक्ष के कुछ सदस्य उस क्षेत्र के हैं। संभवत: उन्होंने गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया है। हममें से कुछ सदस्यों ने महसूस किया है कि ऐसा केरल में रहने वाले लोगों के अनुभव के कारण है। इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए कि वहां से श्री उन्नीकृष्णन जैसे सदस्य निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों तथा यहां हुई अति उच्च स्तरीय बातचीत के लिए मैं इस सदन का आभारी हूं। प्रो० मधु दंडवते, जिन्होंने वाद-विवाद का प्रारम्भ किया, राष्ट्रीय परिवहन नीति पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन के समय, लगभग उपस्थित रहे।

यह देख कर उन्हें सन्तोष हो रहा होगा कि इस रिपोर्ट पर इस सभा में किस प्रकार से वाद-विवाद हुआ, कितने रचनात्मक ढंग से इस पर बहस हुई और कितने विस्तार से इस पर विचार हुआ। एक आरोप जिसे वास्तव में बार-बार दोहराया गया है, वह यह कि यह रिपोर्ट योजना आयोग के अभिलेखागार में धूल चाट रही है। इस रिपोर्ट के साथ क्या व्यवहार किया गया यह बताने के लिए मैं रिपोर्ट और उस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ तारीखें

बताना चाहूंगा।

जैसा कि सदन को ज्ञात है—समिति अप्रैल, 1978 में गठित की गई थी। इसने अगस्त, 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की। तत्पश्चात् रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा गया। इसकी सिफारिशों और प्रत्येक सिफारिश पर कार्यान्वयन की योजना की प्रतियां, जुलाई, 1982 में सदन के पुस्तकालय में रखी गई थीं। प्रो० मधु दंडवते द्वारा सदन में 21 जुलाई, 1982 को पूछे गए एक प्रश्न के संदर्भ में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था।

जहां तक रिपोर्ट की तैयारी का सम्बन्ध है इस पर दूसरे मंत्रालयों तथा सम्बन्धित लोगों के साथ भी बातचीत के कई दौर चलाए गए तथा सिफारिशों और प्रत्येक सिफारिश पर कार्यान्वयन की योजना को मंत्रिमंडल ने भी स्वीकार किया। अत: जहां तक रिपोर्ट पर कार्यवाही का संबंध है, बहुत से चक्रों में और बड़ी मुस्तैदी से इस पर कार्य किया गया है।

रिपोर्ट स्वयंमेव बोधगम्य है वास्तव में रिपोर्ट इतनी व्यापक है कि स्वयं रिपोर्ट में यह बात मानी गई है कि·····

यह एक अवबोधक योजना है जो लगभग दस वर्षों में पूरी होगी। एक स्थान पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो सन् 2000 तक की समस्याओं से निपट सकती है। अत: ऐसी व्यापक रिपोर्ट तत्काल लागू नहीं की जा सकती। इसे व्यवस्थित ढंग से और समन्वित गति से तथा चरणबद्ध ढंग से ही कार्यान्वित किया जा सकता है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई जबकि योजना आयोग छठी योजना से सम्बन्धित अनेक कार्यों में व्यस्त था। यह एक सुअवसर था। परिणामस्वरूप रिपोर्ट के बहुत से विचारों और सिफारिशों को स्वयं छठी योजना में शामिल कर लिया गया। बहुत सारी रिपोर्टों के विषय में ऐसा नहीं होता। केवल यही नहीं बल्कि यदि आप सातवीं योजना के 'नीति-पत्र' को देखें तो आप पायेंगे कि रिपोर्ट के कुछ मुख्य विचारों और सिफारिशों को उस 'नीति-पत्र' में भी स्थान दिया गया है तथा यही स्वयं सातवीं योजना की कार्य सूची का एक भाग बनेगा। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करते समय तथा उनको स्पष्ट तौर से और गंभीरता से लेते समय कोई शिथिलता और संकोच नहीं किया गया है।

मैं वह बात कहना चाहूंगा जिसका उल्लेख नीति-पत्र में और कुछ-कुछ इस रिपोर्ट में भी किया गया है। नीति-पत्र में परिवहन के सभी साधनों के समेकित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक है :—

परिवहन के ऊर्जा मितव्ययी साधनों की आवश्यकता; उन चालू योजनाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता जिनसे परिवहन क्षमता में शीघ्रता से वृद्धि हो; तबदीली और रख-रखाव की आवश्यकता;

विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर विद्युतीकरण की आवश्यकता; महानगरों के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था तथा न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के अधीन ग्राम-सड़कों की व्यवस्था आदि। इनमें से लगभग सभी एक तरह से अथवा दूसरी तरह से इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट से ही आई हैं।

इस रिपोर्ट में विचारित मुख्य सवालों में से मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को लेना चाहूंगा। सबसे पहले मिश्रित परिवहन प्रणाली का प्रश्न है। प्रो० मधु दण्डवते ने इस के बारे में

चर्चा की और यह भी उल्लेख किया ऐसी मिश्रित परिवहन प्रणाली की, वास्तव में बहु आयामी परिवहन प्रणाली की हमें अत्यधिक आवश्यकता है। जिस ढंग से हम परिवहन साधनों को संमिश्रित करें उससे न केवल देश की आर्थिक आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकें बल्कि समयानुकूल आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें।

स्वयं इस रिपोर्ट में रेलों के विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसका एक मुख्य कारण है—ईंधन संकट। इसके परिणाम स्वरूप यह सोचा गया कि ईंधन बचाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह होगा कि यात्रियों और साथ ही माल-यातायात के लिए रेल-परिवहन को बढ़ाया जाए। रेलों का विद्युतीकरण भी एक महत्वपूर्ण सुझाव था।

अब आप पूछ सकते हैं कि इन सिफारिशों को स्वीकार करने के पश्चात् हमने वास्तव में किया क्या? सम्भवतया यह एक अहम् प्रश्न है। हम नहीं कह सकते कि इन सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है क्योंकि स्वाभाविक तौर पर ये सिफारिशें बहुत लम्बी अवधि की हैं और इन्हें वास्तव में लम्बी अवधि में ही कार्यान्वित किया जा सकता है। परन्तु रेलों के विद्युतीकरण के संबंध में मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। माननीय रेल मंत्री यहां बैठे हैं और जो आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं यदि वह सही नहीं तो कृपया उनमें संशोधन करें। छठी योजना अवधि में लगभग 1600 कि०मीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है। यह लक्ष्य से कम है परन्तु फिर भी रेलवे प्रणाली के विद्युतीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

एक माननीय सदस्य : लक्ष्य क्या है?

श्री आर०के० नारायणन : रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1800 कि०मीटर। छठी योजना का लक्ष्य 2800 कि०मीटर था। हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। परन्तु जैसा कि आप जानते ही हैं कि संकल्पना में और वास्तविक कार्य निष्पादन में थोड़ा बहुत अन्तर रह ही जाता है और यह एक आम बात है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : पल का पता नहीं ; पल भर में ही कुछ भी हो सकता है।

श्री के०आर०नारायणन : यहां कुछ छूटा नहीं है, बल्कि एक कमी रह गई है।

कुछ अन्य सिफारशों के विषय में रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि रेलवे में लागत-आधारित यातायात प्रणाली प्रारम्भ की जाए।

कल रेल मंत्री ने रेलवे बजट प्रस्तुत किया, आपने उन्हें सुना। मैं समझता हूं कि सदन इस बात से सहमत होगा कि हमने इस दिशा में कुछ प्रगति की है।

एक अन्य सुझाव माल-यातायात और यात्री-यातायात के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के विषय में था। हमारे कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों पर इस दिशा में अच्छी शुरूआत हुई है।

एक अन्य सिफारिश, जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं वह विद्युतीकरण के विषय में है।

रिपोर्ट में चौथी सिफारिश रेलवे में लदान की अखंड रेक में वृद्धि के संबंध में थी। मैं समझता हूं कि रेलवे में इस परियोजना पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

बहुत से सदस्यों ने परिवहन विकास के संदर्भ में पिछड़े क्षेत्रों, विशेष कर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

के पिछड़े क्षेत्रों, काश्मीर और अन्य स्थानों के विकास का प्रश्न उठाया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्या कुछ किया गया है इस विषय में मैं कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह अकेला ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। किन्तु वह हमारे जीवन की मुख्य धारा से कटा हुआ है तथा यह एक महत्त्वपूर्ण सीमा क्षेत्र भी है। मैं ऐसे कुछ कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख करता हूँ जो इस क्षेत्र में चल रहे हैं :—

(1) छः नई रेल लाइन बिछाना, यह कार्य प्रगति पर है

3.00 म०प०

(2) छोटी रेल-लाइन को बड़ी रेल-लाइन में बदलना। इसकी स्वीकृति दे दी गई है। परन्तु मैं समझता हूँ कि यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

प्रो० एन०जी० रंगा : (गुण्टूर) मैं समझता हूं कि गोहाटी तक काम हो चुका है।

श्री के०आर० नारायणन : जोगी-घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नया रेल एवं सड़क पुल बन रहा है। मेरा विचार है कि अभी इसका डिजाइन बन रहा है। उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा विकसित सड़कों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर तथा परिषद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अधीन सड़क विकास की बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। ये योजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

इस क्षेत्र में वायु दूत विमान सेवा प्रारम्भ की गई है। इस विमान सेवा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट में इससे सम्बन्धित सिफारिश को प्रो० मधु दण्डवते शायद भूल गए। वास्तव में, यह तीसरी मध्यम दर्जे की एअर लाइन समिति द्वारा की गई एक सिफारिश का ही परिणाम है। यह उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए ही बनाई गई है तथा मैं समझता हूं कि इसका विस्तार दूर-दराज के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

काश्मीर के मामले का उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूं कि जहां तक सीधे परिवहन का सम्बन्ध है काश्मीर की स्थिति उत्तर-पूर्व क्षेत्र से कुछ बेहतर है। परन्तु मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज मैं इससे अधिक कुछ बताने में समर्थ नहीं। शायद मेरे कुछ अन्य साथी वहां किए गए विकास कार्यों पर कुछ प्रकाश डाल सकेंगे।

परन्तु मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक परिवहन और अन्य क्षेत्रों में विकास की बात है सरकार को काश्मीर का पूरा ध्यान है।

प्रो० मधु दण्डवते : कश्मीर मे, विधायकों की भी ढुलाई होती है।

श्री के०आर०नारायणन : हमारे मतदाता भी हमें यहां चुनकर भेजते हैं।

इस समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश भी है और वह है भाड़ा समकरण प्रस्ताव। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है। मैंने जब यहां चर्चा सुनी थी तो मैंने पाया कि इस बात पर सर्वसहमति थी कि इस्पात और सीमेन्ट से सम्बद्ध भाड़ा समकरण हटा देना चाहिये। समिति ने भी यह सिफारिश की है। योजना आयोग ने इसे स्वीकार किया था और मन्त्रिमण्डल ने भी। सच बात तो यह है.....

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : मैं श्री दण्डवते के कथन को सही करना चाहता हूं।

विधायकों की ढुलाई कश्मीर में न होकर, आन्ध्र-प्रदेश से कर्नाटक और कर्नाटक से आन्ध्र-प्रदेश को होती है।

श्री के० आर० नारायणन : जहां तक इसके कार्यान्वयन का संबंध है समिति ने इसे तुरंत समाप्त करने की बात नहीं कही। इसने तो भाड़ा समकरण प्रणाली के धीरे-धीरे समाप्त किए जाने की बात कही थी और जहां तक योजना आयोग का संबंध है, हमने अन्य संबद्ध मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया है। वास्तव में, मेरे विचार से, कुछ महीने पहले, योजना आयोग के सचिव ने इस विशिष्ट प्रणाली को लागू करने का आग्रह करते हुए, अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ बैठकें की थीं।

प्रो० मधु दण्डवते : ग्राम उपभोग की वस्तुओं के भाड़ा समकरण के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री के० आर० नारायणन : सच बात तो यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने वाले अनाज या पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं पर भाड़ा समकरण लागू नहीं होता है। यह एक प्रकार का भाड़ा 'पूल' है, जिसे कम्पनियों या निगमों ने बनाया है और यह एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो कि वे देते हैं। यह सही अर्थ में भाड़ा समकरण नहीं है। परन्तु कम्पनी द्वारा एक प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है। मेरे विचार से इस विशिष्ट मामले को लेकर कोई विवाद नहीं है।...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इसे समाप्त करने में क्या अड़चन है।

श्री के० आर० नारायणन : समाप्त करने में एक अड़चन आड़े आती है क्योंकि समिति ने कहा है कि जब इसे अविकसित क्षेत्रों, दूरस्थ, अगम्य और अलग-थलग पड़े क्षेत्रों से हटाया या समाप्त किया जाए तो सरकार को कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति अवश्य करनी चाहिये। संभवतया, एक यह बात भी इसमें आड़े आई हुई है। परन्तु फिर भी जो सहायता दी जा रही है इसे समाप्त करने की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे कि हम संबद्ध राज्य की अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त न कर दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु प्रक्रिया को कभी आरम्भ तो होना चाहिए।

श्री आर० के० नारायणन : हम इसको चालू करने का भरसक प्रयास करते रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से इसको अवरुद्ध करने में कुछ निहित स्वार्थों का हाथ होगा।

श्री के० आर०नारायणन : समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश समन्वय और एक राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन से सम्बद्ध है। बहुत से माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि समन्वय की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि विविधतापूर्ण इतने विशाल देश में, अनेकानेक प्रकार की परिवहन प्रणालियों का होना भी अत्यन्त अनिवार्य है, परन्तु राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन की इस विशेष सिफारिश को सरकार ने उस रूप में स्वीकार नहीं किया था। ऐसा सोचा गया था कि योजना आयोग तो है ही, और एक ही विषय से सम्बद्ध उसी प्रकार के एक अन्य उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की आवश्यकता नहीं है। योजना आयोग में पहले से ही एक परिवहन विभाग है। सरकार ने यह सिफारिश की थी कि इस विभाग को सशक्त बनाया जाए, जिससे कि

यह समन्वय के प्रश्न से, समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली और बड़ा हो जाए। इसके अतिरिक्त, मंत्रीमंडलीय सचिवालय में भी समन्वय विभाग है, जो कि इस परिवहन प्रणाली के कुछ पहलुओं को समन्वित करने में भी लगा हुआ है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उन्होंने एक सुझाव दिया है कि एक स्थायी समिति होनी चाहिए, जो इन सभी विचारों का समन्वय करके तत्पश्चात समय-समय पर सरकार को सलाह दे सके, क्योंकि इन सभी विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 3-4 मन्त्री महोदय तो आपके पास हैं ही।

श्री के० आर० नारायणन : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं नहीं समझता कि इस अवस्था में, मैं स्वयं कोई सार्थक उत्तर दे सकता हूं। यह एक ऐसी बात है जिसे सरकार के विचारण हेतु भेजने के लिए मैं तैयार हूं। विमान सेवाओं के बारे में भी कुछेक विशेष प्रश्न पूछे गये हैं, जिनमें से एक तीसरे स्तर की विमान सेवा के बारे में था, जिसका कि मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। श्री उन्नीकृष्णन ने कालीकट हवाई अड्डे के बारे में एक सुझाव दिया था। इस हवाई अड्डे के सुधार हेतु एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और कार्य 1987 तक पूरा हो जायेगा। इण्डियन एयरलाइन्स की भाड़े की 'टैलिस्कोपिक' दरों के बारे में भी एक विचार था और कुछ समय से स्थगित चले आ रहे इस प्रस्ताव के बारे में यह किया गया है कि इण्डियन एयर लाइन्स को अपनी टेरिफ दरों की फिर से समीक्षा करने की सलाह दी गई हैं। हमें भाड़ की इस प्रकार की 'टैलिस्कोपिक' दरों के पुनरीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। एक अन्य सुझाव बम्बई हवाई अड्डे के बारे में था और यह पूछा गया था कि इस सम्बन्ध से क्या किया जा रहा है। सरकार इस पर ध्यान दे रही है और इस समस्या से निपटने का तरीका पता लगाने हेतु एक समिति गठित की गई है। मैंने चर्चा के दौरान उठाई गई कुछ महत्वपूर्ण आम समस्याओं पर विचार आरंभ कर दिया है।

एक अन्य स्तर भी है जिस पर हमें परिवहन को देखना होगा। अनेक माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है और वह है ग्रामीण परिवहन और ग्रामीण सड़कों की समस्या। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिए हैं कि कितने गांव सही सड़कों से वंचित हैं। ये चौंका देने वाले आंकड़े हैं, परन्तु इनमें से जो स्वयं रिपोर्ट में दिए गए हैं, वे 1980 से सम्बद्ध है। तब से उन्होंने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं और लगभग 1.6 लाख और गाँवों में सड़कें पहुंचा दी गई हैं, जो कि कच्ची नहीं हैं बल्कि हमारी प्रतीती अनुसार सही सड़कें हैं। परन्तु मैं जानता हूं कि फिर भी हमारे लगभग तीन लाख गांव सही सड़कों से वंचित हैं। सरकार इस समस्या से पूर्णतया अवगत है और उसने कई कार्यक्रम इस सम्बन्ध में बनाए हैं।

मैंने एक अन्य सन्दर्भ में उनकी 'अन्तिम मील समस्या' के बारे में भी पढ़ा है, जो कि जन-संचार से सम्बद्ध है और यह कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप लन्दन या न्यूयार्क अथवा टोकियो से दिल्ली या बम्बई और मद्रास या केरल राज्य में मेरे शहर त्रिवेन्द्रम तक आराम से यात्रा कर सकते हैं, परन्तु चार या पांच अथवा दस मील तक अपने गांव में पहुंचना परिवहन और संचार की गांवों में वास्तविक समस्या है। यही 'अन्तिम मील समस्या' है। हम इस समस्या से केवल सरकारी कार्यवाही से ही नहीं निपट सकते हैं और भी बहुत सी योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास की चार या पांच योजनाएं जो कि सड़कों के विकास से सम्बद्ध है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : क्या इन ग्रामीण सम्पर्क सड़कों को बिछाने के लिए

संघ सरकार राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों या स्थानीय संस्थाओं को 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत तक कोई प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है ? अथवा क्या केन्द्र, राज्यों और स्थानीय निकायों को कोई उपयुक्त अनुदान दे सकता है जिससे कि ग्रामीण सम्पर्क सड़कों पर शीघ्र कार्य आरम्भ किया जा सके ?

श्री के० आर० नारायणन : वास्तव में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों और अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस उद्देश्यार्थ कुछ केन्द्रीय सहायता दी जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें इस क्षेत्र में अभी और भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों, ग्रामीण उद्योगों और लघु परियोजनाओं आदि के माध्यम से जोड़कर जागृत और गतिशील बनाया जा सकता है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि भारत सही अर्थ में आगे बढ़ेगा और देश की समस्त अर्थव्यवस्था उत्साह से झूम उठेगी। परन्तु मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जबकि केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है तो मैं नहीं समझता कि स्वयं जनता के सक्रिय और स्वैच्छिक सहयोग के बिना इस प्रकार का महान और विशाल कार्य सफल हो सकता है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : जहां तक रेलवे के विद्युतीकरण की बात है, जहां कहीं राज्य सरकार सस्ती घटी दर पर बिजली देने को तैयार है तो योजना आयोग उस पर विचार कर सकता है।

श्री के० आर० नारायणन : यह भविष्य का प्रश्न है। योजना आयोग केरल सहित सभी राज्यों के मामलों पर विचार करेगा।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या जो राज्य घटी दर पर बिजली देने को तैयार है उसे कोई वरीयता प्रदान की जा सकती है ?

श्री के० आर० नारायणन : इसमें विद्युत के अतिरिक्त अन्य बातें भी सम्मिलित हैं परन्तु यह एक बहुत ही सही सुझाव है।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह साधनों का प्रश्न है। यह बताया गया है कि किस प्रकार एक योजना से दूसरी योजना तक परिवहन पर सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च का प्रतिशत कम हो गया है। यह सच है कि यह 22 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो गया है। इसके बहुत से कारण हैं। आजादी के बाद हम परिवहन प्रणाली में रेलों की तरह सुधार करते रहे हैं। दूसरे हम अपनी सब मुख्य परिवहन प्रणालियों, चाहे वह वायुयान मार्ग, नौवहन या सड़क परिवहन था, का विकास कर रहे थे। अतः पहले चरणों में काफी धन इस विशेष क्षेत्र में लग गया जिसका फायदा हमें अब हो रहा है। तब विकास करते समय दूसरी प्राथमिकताएं उत्पन्न हुईं। उदाहरण के लिये, सातवीं योजना में (अनाज), काम और उत्पादकर्ता मुख्य प्राथमिकताएं हैं। मान लो अगर आप सारा धन ग्रामीण सड़कों की जरूरत के अनुसार लगा दें तो मुझे संदेह है कि हमारे पास इस समय के साधनों की कमी को देखते हुये दूसरे आवश्यक कार्यों के लिये कोई धनराशि शेष रह जायेगी। अतः यह संतुलन का प्रश्न है। एक ब्रिटिश समाजवादी, एनोरिन बेवन, ने कहा : "प्राथमिकता की भाषा ही समाजवाद का धर्म है।" अगर ऐसा है तो कोई इसे प्रजातंत्र के सन्दर्भ में ऐसा कह सकता है कि विकास कार्यों के

लिए प्राथमिकताएं ही धर्म हैं। भारत जैसे विकासशील देश में बहुत प्राथमिकताएं हैं। प्राय: देश की प्रत्येक मुख्य जरूरत ही प्राथमिकता है। अगर आप योजना को देखें तो आप देखेंगे कि कितने सारे क्षेत्रों में हमारी वास्तविक सहज प्राथमिकताएं हैं। अत: हमें प्राथमिकताओं में से प्राथमिकताएं चुननी हैं। यह एक राजनैतिक फ़ैसला है। कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिन पर हमें कुछ अधिक धन खर्च करना पड़ेगा यह एक नैतिक फैसला भी है। इसके साथ-साथ हमने अपनी प्राथमिकताओं में संतुलन बनाये रखनी की कोशिश की है ताकि जब हम आगे विकास की ओर जा रहे हो तो हम किसी एक या दूसरे क्षेत्र में अधिक न बढ़कर सब क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ, बेशक कुछ धीमे ही आगे प्रगति करें।

मेरे ख्याल में मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अधिकतर समस्याओं का जवाब देने की कोशिश की है। सारांश के लिये मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार इस रिपोर्ट को एक दूरगामी महत्ता वाली एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रिपोर्ट समझती है। इसको हम सिर्फ चार या पांच वर्षों में लागू नहीं कर पायेंगे। इसको छठी योजना में रखा गया था। इसे सातवीं योजना की कार्य सूची में रखा जायगा और हो सकता है इसके बाद भी।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर आप इसमें अधिक देर करेंगे तो हमें इसको लागू करना पड़ेगा।

श्री के० आर० नारायणन : हम इसको लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। हम इसको लागू कर देंगे ताकि भविष्य में आपको इस तरह की परेशानी न हो।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद में कुछ और कहना चाहता हूं। मैं स्वयं को सड़क परिवहन और नौवहन क्षेत्रों पर सीमित रखूंगा। जहां तक नीति संबंधी प्रमुख विषयों का संबंध है मेरे माननीय सहयोगी ने उन विषयों पर काफी प्रकाश डाल दिया है और, इसलिए, मैं उन दो या तीन प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं जो वाद-विवाद के दौरान उठाये गये। मैं इस सदन के सदस्यों का जीवंत वाद-विवाद के लिये आभारी हूं और विशेष तौर पर कुछ सदस्यों का जिन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिक धन के लिए हमारे मामले की वकालत की है।

मैं पहले पत्तनों को लूंगा। जहां तक पत्तनों की क्षमता और यातायात का संबंध है यह मुद्दा कुछ माननीय सदस्यों ने उठाया था और मैं इस पुनीत सदन को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पत्तनों की कुल क्षमता में जो सुधार हुआ है उससे अवगत कराना चाहता हूं। छठी योजना के शुरू होने पर बड़े पत्तनों की क्षमता 101.31 मिलियन टन थी लेकिन छठी योजना में किये गये उपायों के कारण यह क्षमता बढ़कर 136.73 मिलियन टन हो गई है। पत्तनों के विकास के लिये छठी योजना में दोनों पत्तनों के आधुनिकीकरण तथा कुछ और घाट (वर्थ) बनाकर माल ढोने की सुविधायें बढ़ाने में जिन योजनाओं को शुरू किया गया था उनमें से मैं पांच या छ: बड़ी योजनाओं का उल्लेख कर सकता हूं, जिनकी वजह से पत्तनों की कुल क्षमता बढ़ गई। कांडला, मारमुगांव, न्यू मंगलोर, मद्रास, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम और पारादीप पत्तनों पर सामान्य माल घाट बनाये गये हैं। पी० ओ० एल० माल ढुलाई सुविधाओं की भी बम्बई, कोचीन, कांडला और विशाखापत्तनम पत्तनों पर व्यवस्था की गयी है। कोचीन और

पारादीप पत्तनों पर उर्वरकों की ढुलाई के लिये सुविधाओं की भी व्यवस्था की गयी है। मद्रास में एक कन्टेनर ट्रमिनल का निर्माण किया गया है तथा बम्बई, मद्रास, कोचीन तथा कलकत्ता के पत्तनों पर कन्टेनर हैन्डलिंग उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। ये कुछ चीजें हैं जिनकी व्यवस्था की गई है। इस सबके अतिरिक्त सरकार ने बम्बई के पास एक नया मुख्य पत्तन अर्थात् नहवा शेवा पत्तन विश्व बैंक की सहायता से जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये होगी बनाने का निर्णय लिया है और इस नहवा शेवा पत्तन पर सुविधाएं प्रदान किये जाने पर हमारी क्षमता बहुत बढ़ जायेगी।

जहां तक सातवीं योजना के लिये भावी कार्यक्रम का सम्बन्ध है, कार्यकारी दल ने 1500 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है। अधिक जोर माल उतारने-चढ़ाने सम्बन्धी उपकरणों के बदलने और तिरते घाट (फ्लेटिंग बर्थ) और नेवा शेवा पत्तन को चालू करने पर दिया जायेगा। इन योजनाओं में मौजूदा पत्तनों के इस्तेमाल और पत्तन के आधारभूत ढांचे के सुधार पर भी विचार किया जायेगा। यह एक सामान्य तस्वीर है तथा ये सामान्य सुधार हैं जो सातवीं योजना में किये जाने का विचार है।

कुछ खास पत्तनों जैसे कलकत्ता पत्तन के सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रश्न उठाये गये थे। मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त निश्चित और ठीक ही कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर पानी की कम गहराई से चिन्तित हैं। सरकार इस पानी की कम गहराई की समस्या के प्रति सचेत है। कलकत्ता पत्तन में नौचालन मार्गों की स्थिति इतनी खराब है कि एक वर्ष में सिर्फ 50 से 60 दिन के लिए ही 7.9 मीटर अथवा 26 फुट पानी की गहराई मिल पाती है। यह समस्या हमारे सामने अवश्य है। इसके लिए हमने फरक्का बान्ध से भागीरथी नदी में अधिक पानी छोड़ने और भागीरथी-हुगली नदी में नदी प्रशिक्षण उपायों को लागू करने के लिए कदम उठाये हैं जिसकी वजह से पानी की गहराई 7.9 मीटर अथवा 26 फुट अब एक वर्ष में 250 दिन के लिए उपलब्ध है। हमारे पास इसके लिए भी एक व्यापक योजना है जिससे स्थिति में और सुधार होगा।

हल्दिया में भी इसी तरह पानी की कम गहराई की समस्या है। 40 करोड़ रुपये की एक व्यापक योजना को सरकार ने 1982 में मंजूरी दी थी ताकि नदी प्रशिक्षण, सफाई डाईक, दीवारों आदि के निर्माण सम्बन्धी उपायों द्वारा गहराई (ड्राफ्ट) में और सुधार हो सके। 1986-87 में इसके पूरा होने के पश्चात् वर्ष के अधिकतर समय के लिए हल्दिया के ड्राफ्ट में और सुधार हो जायगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब हल्दिया का निर्माण हुआ था तब यह आशा थी कि हल्दिया मार्ग की गहराई कम से कम 40 फुट होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम उसके बिल्कुल नजदीक नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हल्दिया के लिए हमारे पास 40 करोड़ रुपये की योजना है। जहां तक कलकत्ता पत्तन का सम्बन्ध है, कार्यकारी दल ने सातवीं योजना के लिए, 75 करोड़ रुपये और हल्दिया पत्तन के लिए 77 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश इन पत्तनों के आगे विकास तथा गहराई में सुधार करने के लिए की है।

उपाध्यक्ष महोदय : अंसारी जी आप कितना समय लेंगे ? अब साढ़े तीन बजे हैं और हमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर विचार करना है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैंने इस रिपोर्ट का केवल एक ही मुद्दा लिया है। मुझे अभी अन्य पहलुओं जैसे सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों इत्यादि पर भी कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है कि आप अधिक समय लेंगे। क्योंकि हमें अभी गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करना है, आप अपना भाषण शाम 6 बजे के पश्चात् जारी रख सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इसका मतलब यह है कि आप शाम 6 बजे के बाद इसको लेंगे। मेरे विचार में इसको बजट के बाद सोमवार को लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सदस्य ऐसा महसूस करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इसका मतलब है कि हम और अधिक विचार रख सकेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : हम विचारों को रखेंगे लेकिन इनका लाभ भी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा तरीका यह है कि हम अब अंसारी जी को अपना भाषण समाप्त करने दें और उसके बाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लेकर उन्हें समाप्त करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये निर्धारित समय को हथियाने की कोई प्रथा न शुरू की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के लिए पूरा समय दिया जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक इस गैर-सरकारी क्षेत्र का संबंध है हम इसकी सुरक्षा करना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे बाद में देखेंगे। अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेंगे।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : आप इसको 6 बजे के बाद ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : देखेंगे कि यह किस प्रकार से चलेगा।

प्रो० मधु दंडवते : इन्हें रात के अंधेरे में काम करना अच्छा लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर रोशनी होगी तो हम 6 बजे के बाद बैठ सकते हैं।

3.30 म० प०

विधेयक—पुर:स्थापित

[अनुवाद]

(एक) धर्म के नाम में भूमि पर अधिक्रमण हटाना विधेयक*

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धर्म के नाम में भूमि पर अधिक्रमण का निवारण करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि धर्म के नाम में भूमि पर अधिक्रमण का निवारण करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० बी० देसाई : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(दो) धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकना विधेयक*

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकना विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकना विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० बी० देसाई : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 326 में संशोधन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तमलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 31 का अन्त: स्थापन आदि)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और

---

*दिनांक 15-3-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(पांच) धर्म निरपेक्षता प्रोन्नति विधेयक*

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में धर्मनिरपेक्षता की प्रोन्नति के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में धर्मनिरपेक्षता की प्रोन्नति के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(छ:) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 16क का अन्त:स्थापन)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

(सात) विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 15-3-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

(आठ) बालश्रमिक नियोजन विनियमन विधेयक*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि बाल श्रमिकों का नियोजन करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल-श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करती हूं।

(दस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक* (धारा 125 और 127 में संशोधन)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है !

---

*दिनांक 15-3-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

———

(ग्यारह) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 4 में संशोधन)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

———

(बारह) धर्म की स्वतंत्रता (निर्बन्धनों को हटाना) विधेयक*

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धर्म की स्वतंत्रता पर लगे अनुचित निर्बन्धनों को हटाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धर्म की स्वतन्त्रता पर लगे अनुचित निर्बन्धनों को हटाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

———

(तेरह) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (हमीरपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की हमीरपुर में एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 15-3-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

"कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की हमीरपुर में एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 366 में संशोधन आदि)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अष्टम अनुसूची में संशोधन)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 60 और 159 में संशोधन)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 15-3-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

(सत्तरह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नये अनुच्छेद 18 क का अंतः स्थापन)

श्री सत्योगापाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

———

(अठारह) श्रमजीवी महिला कल्याण विधेयक*

श्रीमती बिमा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि विभिन्न उद्योगों तथा स्थापनाओं में नियोजित महिलाओं के कल्याण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विभिन्न उद्योगों तथा स्थापनाओं में नियोजित महिलाओं के कल्याण के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बिमा घोष गोस्वामी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

———

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजित कुमार साहा—अनुपस्थित।

(उन्नीस) संविधान संशोधन विधेयक, 1985*
(अनुच्छेद 326 में संशोधन)

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*दिनांक 15.3. 85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

———

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजित कुमार साहा— अनुपस्थित।

(बीस) संविधान संशोधन विधेयक, 1985*
(अनुच्छेद 155 में संशोधन आदि)

श्री सुधीर राय (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर राय : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

———

(इक्कीस) संविधान संशोधन विधेयक*
(अनुच्छेद 19 में संशोधन)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जावे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कुरुप : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

———

(बाईस) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक*

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को

*दिनांक 15.3.85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० जे० कुरियन : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

———

(तेईस) इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक*

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड का उपयुक्त प्रबन्ध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सीमित अवधि के लिए, उस उपक्रम का प्रबंध-ग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड का उपयुक्त प्रबंध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सीमित अवधि के लिए, उस उपक्रम का प्रबंध-ग्रहण करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राम भगत पासवान : मैं विधेयक, को पुर: स्थापित करता हूं ।

———

(चौबीस) एक कुटुम्ब एक नौकरी मानदण्ड विधेयक*

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी सेवाओं में एक कुटुम्ब एक-नौकरी का मानदण्ड अपनाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी सेवाओं में एक कुटुम्ब एक नौकरी का मानदण्ड अपनाने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राम भगत पासवान : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

———

*दिनांक 15-3-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

3.35 म. प.

विधेयक—वापस लिए गए

[अनुवाद]

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 102 में संशोधन आदि)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक को वापस लेता हूं ।

[अनुवाद]

(दो) दल बदल निवारण विधेयक

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, इससे पहले कि मैं विधेयक को सभा की अनुमति से वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं, मेरे विचार से कुछ सदस्यों द्वारा इसे वापस लेने पर कुछ आपत्ति उठाये जाने पर मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ? पहले आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे राजनीतिक दल बदल के कदाचार का उन्मूलन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"राजनीतिक दलबदल के कदाचार का उन्मूलन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति देने का विरोध करती हूं ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पुरःस्थापना के समय आपने इस विधेयक का विरोध किया था।

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : आप एक उदार महिला हैं। आप उदारता पूर्वक उन्हें विधेयक को वापस लेने दें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह सब आप लोगों पर निर्भर करता है। यह विधेयक सभा की सम्पत्ति है, मेरा केवल विरोध करने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को संक्षिप्त रखें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : स्वभावतः मैं संक्षेप में बोलूंगी।

मेरा विधेयक का विरोध करने का यह प्रयोजन है। यह सच है कि जनवरी में एक दल बदल निवारण (विधेयक) पास किया गया । लेकिन प्रो० सोज का विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। इसमें दल बदल आदि के बारे में बहुत से विचार व्यक्त किये गये हैं। अब, श्रीमान, मेरा इस विधेयक को वापस लिये जाने का विरोध करने का विशेष प्रयोजन केवल यही है कि क्या तकनीकी अथवा व्यावहारिक दृष्टि से काश्मीर में दल बदलुओं की सरकार नहीं कार्यरत है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में उनकी क्या राय है।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : वहां पर पार्टी का विभाजन हुआ है जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : वास्तव में जहां तक नैतिक दृष्टिकोण का प्रश्न है उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। इसलिए मैं इस विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति देने का विरोध करती हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, यह अनुचित बात है । सदस्य महोदय ने राज्य सरकार पर आक्षेप लगाये हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि जिस प्रयोजन से श्री सोज ने यह विधेयक रखा था। वह पूरा नहीं हुआ है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि श्री सोज ने यह विधेयक 1984 में भी रखा था । जोकि व्ययगत हो गया । अतः उन्हें इस विधेयक को पुरः स्थापित करना पड़ा। इस बीच सरकार ने इस बारे में संविधान संशोधन विधेयक रखा। जो कुछ काश्मीर में हुआ उसे विशेष रूप से याद करने की आवश्यकता नहीं है। पंद्रह सदस्यों ने दल-बदल किया·····

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर उच्च न्यायालय का निर्णय विद्यमान है। उच्च न्यायालय ने इसे विभाजन माना है, दल-बदल नहीं।

(व्यवधान)

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, वह ठीक कह रहे हैं । उन्होंने दल-बदल नहीं किया। सदस्यों का अपहरण किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब जैसा कि मैंने दल-बदल निवारण विधेयक पर अपने भाषण में बताया था कि एक ऐसा प्राधान होना चाहिए कि विभाजन के आधार पर तथाकथित अलग होने वाले ग्रुप के सदस्यों को एक वर्ष के लिए किसी पद को स्वीकार नहीं करने देना चाहिए। यह मैं श्री वाई० बी० चव्हाण समिति की सिफारिशों के आधार पर कह रहा हूं। नेशनल कांफ्रेन्स

से अलग होने वाले सभी 14 विधायक इस समय जम्मू और काश्मीर सरकार के मंत्री हैं क्योंकि कांग्रेस (इ) पार्टी जोकि अब स्वच्छ राजनीति लाने की चेष्टा कर रही है, उन्हें समर्थन देती है। वे स्वच्छ राजनीति की किसी धारणा का कोई भी दावा कर सकते हैं परन्तु कांग्रेस (इ) पार्टी को वर्तमान सरकार को समर्थन तुरन्त बंद कर देना चाहिए ।

महोदय, इसे विभाजन नहीं माना जा सकता क्योंकि 14 सदस्य 47 सदस्य वाले सदन की संख्या का एक-तिहाई नहीं है। नये कानून के आधीन उनकी संख्या 16 होनी चाहिए ताकि इसे विभाजन माना जा सके। इसलिए इससे पहले कि श्री सोज को अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाये, कांग्रेस (इ) की सरकार को आहवासन देना चाहिए कि वह वर्तमान सरकार को समर्थन देना बंद करेगी।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे उनसे एक अनुरोध करना है। विधेयक को वापिस लेने की हमारी अनुमति से पहले आप कृपया उनके कुकृत्यों का उल्लेख करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां, मैं यह बताने का प्रयास करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वस्तुत: अपने मित्रों, श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री जयपाल रेड्डी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा विधेयक को वापस लिए जाने पर आपत्ति की है। अब बात यह है कि मैं बहुत भारी मन से विधेयक को वापस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है** कि मेरा विधेयक निरर्थक है क्योंकि इस संबंध में कानून पहले से मौजूद है। (व्यवधान) मैं अपनी बात पर अडिग हूं। माननीय सदस्य अब मुझे बीच में न टोकें।

श्री जी० एम० बनातवाल : महोदय,** आप अपनी बात आरी रखें**।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने किसी पर आक्षेप नहीं लगाया है। अपने वरिष्ठ साथियों से सहमत नहीं हूं। मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया है। मुझे बताया गया है कि इस पुनीत सदन द्वारा एक विधेयक को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है अत: मेरा विधेयक निरर्थक हो चुका है। मुझे किसी बात पर आपत्ति नहीं है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा। मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि इस संबंध में मुझे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मैंने 1984 में सातवीं लोक सभा में दल बदल निवारण विधेयक पेश किया था। वह व्ययगत हो गया है। मैंने अपनी विधेयक सरकार द्वारा इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रस्तुत किया था। मैंने संविधान में किसी संशोधन की मांग नहीं की थी। मैंने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 102 1) (ङ) और 191(1)(ङ) में उल्लिखित अनर्हताओं में कुछ और अनर्हताएं शामिल की जा सकती हैं। जब मैंने सरकारी विधेयक के संबंध में अपना मुद्दा उठाया तो विख्यात विधिवेता श्री ए० के० सेन स्पष्ट नहीं कर सके कि सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी। वास्तव में इसकी जरा भी जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। शायद भारत सरकार जनमत तैयार करने का प्रयास कर रही थी। यह राजनैतिक प्रेरित प्रयास या इरादा हो सकता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वे इस विधेयक के माध्यम से भारतीय जनता को उपहार दे रहें है। अब वह विधेयक अधिनियम बन चुका है। यह सही है कि हम इस विधेयक की भावना से सहमत हैं। लेकिन बात यह है कि आपने समस्या का हल नहीं किया। मैं इस संबंध में प्रधान मंत्री की सफलता की कामना

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूं। कुछ समाचार-पत्रों ने उन्हें "मिस्टर क्लीन" की संज्ञा दी है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं वास्तव में उनकी सफलता की कामना करता हूं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे उनकी इस मनोवृत्ति का पता चलता है। मैं उनकी पूरी सफलता की कामना करता हूं। लेकिन इस अधिनियम की वास्तविक परीक्षा जम्मू और कश्मीर राज्य में होनी चाहिए। आप, अपने दल-बदल निवारण कानून की इस भावना को जम्मू तथा कश्मीर राज्य में लागू क्यों नहीं करते? इसी से तो आपको अपनी साख और इरादे प्रमाणित करने का पहला अवसर मिलेगा। (**व्यवधान**) चापलूसी से आपका अधिक समय काम नहीं चलेगा। आप स्वयं देख परख कर निर्णय लें। जम्मू कश्मीर राज्य में दल-बदलुओं की सरकार है। लेकिन आपके अनुसार वहां विभाजन नहीं है। दल-बदल निवारण कानून के अन्तर्गत यह विभाजन नहीं है जम्मू कश्मीर राज्य के कानून में विभाजन के बारे में कोई उपबंध नहीं है। वे दल-बदलू हैं बारह जमा तीन पन्द्रह। उनमें से एक वहां उपाध्यक्ष बन गया है। दल-बदलू केवल चौदह हैं। नेशनल कांफ्रेंस के सदस्यों की संख्या 46 है। दल-बदल निवारण कानून के अन्तर्गत यह विभाजन भी नहीं है। अब कृपया स्थिति को समझने की कोशिश करें। इस पुनीत सदन में आपने जिस दल-बदल निवारण कानून को पारित किया है, उसकी भावना क्या है? हमें आशा थी आप उस दल-बदलुओं की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन आपने अभी तक ऐसा नहीं किया। कृपया अब तो समर्थन वापस ले लें। मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठा रहा हूं कि जम्मू-कश्मीर की दल-बदल सरकार, जो कि वहां की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वहां सर्वत्र व्यापी भ्रष्टाचार में शामिल है। (**व्यवधान**) मैं प्रधानमंत्री को, उनके यहां मौजूद सहयोगियों के माध्यम से, यह व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं कि वे स्थिति के अनुकूल कार्य करें और प्रमाणित करें कि अपने सहयोगी श्री सेन को दल-बदल निवारण विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहते समय उनके इरादे नेक थे। वहां की दल-बदल सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है और भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त है। ऐसी भ्रष्ट सरकार की मिसाल देश भर में कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने सभी भरती बोर्डों को समाप्त कर दिया है और पिछले दो महीनों में 10,000 हजार लोगों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई है और उस सरकार के पिट्ठू पैसा बटोर रहे हैं। हाल ही में, वहां की कैबिनेट ने वित्त मंत्री को बिक्री कर की बकाया राशि के संबंध में मध्यस्थ निर्णय का अधिकार देने का निर्णय लिया है। (**व्यवधान**) महोदय, मुझे जम्मू-कश्मीर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बताने का अवसर दें। (**व्यवधान**) अब मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दे ही चुके हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें यहां राज्य से संबंधित विषय का उल्लेख करने की अनुमति दी गई तो यह वास्तव में गंभीर मामला होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर राज्य में क्या हो रहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य से संबंधित मामले पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को यह पता होना चाहिए कि जम्मू

तथा कश्मीर राज्य में भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री दो भूतपूर्व राज्यपालों, श्री एल० के० झा और श्री बी० के० नेहरू तथा वर्तमान राज्यपाल की बैठक बुलाएं और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के हालात को समझें। प्रधान मंत्री जम्मू तथा कश्मीर राज्य के संसद सदस्यों की भी बैठक बुलाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दे ही चुके हैं। यहां आप अन्य मामले उठा रहे हैं। कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया एक मिनट का समय दे ताकि मैं समाप्त कर सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने मुद्दे तक सीमित रहें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू-कश्मीर की दल-बदलू सरकार उत्तरदायी सरकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात चर्चा के अन्तर्गत नहीं आती।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अत: महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वहां राज्यपाल-शासन लागू करे। और फिर विधान सभा भंग कर दे ताकि जनता अपनी सरकार की स्थापना कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक वापस ले रहे हैं?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां, महोदय, मैं विधेयक को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनैतिक दल-बदल की प्रथा को समाप्त करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

4.00 म०प०

विधेयक—पुर:स्थापित किये गये (जारी)

[अनुवाद]

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने मुझे बुलाया तो मैं अपने विधेयकों को पुर:स्थापित करने के लिए उपस्थित नहीं था। कृपया मुझे अब विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है।

(पच्चीस) औद्योगिक कर्मकार बीमा विधेयक

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक कर्मकारों के

जीवन बीमे के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि औद्योगिक कर्मकारों के जीवन बीमें के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० अजीत कुमार साहा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

(छब्बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 31ख में संशोधन)

श्री अजीत कुमार साहा : (**बिष्णुपुर**) : मैं प्रस्ताव करता हूं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजीत कुमार साहा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

4.02 म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची में संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र को अपना विधेयक विचार करने तथा पारित करने हेतु सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दूं मैं चाहता हूं कि हम इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय निर्धारित कर लें। क्या दो घंटे का समय ठीक रहेगा ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए दो घंटे नियत किए जाते है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

****श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक)** : महोदय, आज इस सभा में मैं जो विधेयक प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह पूरी तरह से अविवादास्पद है और मुझे आशा है कि सदन के

---

*भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 2 में 15.3.85 को प्रकाशित।

**बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभी सदस्य इस पर अपनी सहमति देंगे तथा यह निर्विवाद मंजूर कर लिया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से हमारे देश की एक और महत्वपूर्ण भाषा अर्थात् नेपाली को, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में पहले से शामिल 15 भाषाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के प्रश्न पर पीछे अनेक अवसरों पर विचार विमर्श किया जा चुका है। सदन के किसी भी दल द्वारा उसका अधिक विरोध नहीं किया गया था। आज भी मुझे आशा है कि सदन के सभी दलों की सहायता और सहयोग से इस विधेयक को मंजूरी मिल जाएगी तथा नेपाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची ने उपयुक्त स्थान पा सकेगी। मुझे आठवीं अनुसूची के संदर्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा कही बात याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि "आठवीं अनुसूची ऐसी अनुसूची नहीं है जिसमें कुछ और न जोड़ा जा सके।" इसका मतलब है कि उन्होंने भी सोचा था कि उस सूची में भविष्य में और भाषाएं शामिल की जा सकती हैं। इस विचार को ध्यान में रखकर सिंधी भाषा को 1967 में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। अतः आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने में कोई कानूनी या संवैधानिक बाधाएं नहीं है। अगर हम सभी सहमत और एकमत हो जाएं तो इस उद्देश्य को आसानी और सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की हमारी इच्छा या प्रयास का यह मतलब नहीं है कि हम अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं। मुझे आशा है कि अन्य भाषाएं भी धीरे-धीरे आठवीं अनुसूची में स्थान प्राप्त कर लेगीं। इस संदर्भ में, मैं प्रसिद्ध भाषा-विद् डा० सुनीति कुमार चटर्जी के मशहूर कथन का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि "अन्य भारतीय भाषाएं अर्थात् सिंधी और नेपाली उन्हें बोलने वालों की इच्छाओं तथा उनके महत्व के आधार पर आठवी अनुसूची में शामिल किया जानी चाहिए।" डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने जो कुछ कहा उसका आधा तो पूरा कर लिया गया है क्योंकि सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। शेष आधे की पूर्ति आप इस विधेयक को पारित करके की जा सकती है। अगर हम संविधान के अन्य उपबंधों को देखें तो पाएंगे कि संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने की जरूरत है।

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार उन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा जिनसे अंतत हिन्दी के विकास में सहायता मिलेगी। हिन्दी को अधिक विकसित, प्रगतिशील तथा सम्पन्न बनाने के लिए नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना जरूरी है क्योंकि नेपाली भाषा की लिपि और वर्णमाला "देवनागरी" है। हिन्दी की लिपि और वर्णमाला भी 'देवनागरी' है। इसलिए हम नेपाली भाषा के साहित्य और शब्द भंडार का उपयोग हिन्दी को और अधिक विकसित तथा सम्पन्न करने के लिए कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 29 और 30में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29 और 30 के महत्व को बनाए रखने के लिए अन्य भाषाओं को भी मान्यता देने की जरूरत है तथा नेपाली भाषा का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए उसे संविधान को आठवीं अनुसूची में शामिल करना बहुत जरूरी है।

इस संदर्भ में संविधान के एक और उपबंध का उल्लेख किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1)(क) के अन्तर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यवस्था है। ये हमारे मूल अधिकार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि किसी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता कैसे हो सकती है जब तक वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। यह सम्भव ही नहीं है। विगत में इसी सदन के एक माननीय सदस्य श्री रतनलाल ब्राह्मण को नेपाली में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए, इस संदर्भ में भाषाण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरर्थक हो जाती है।

हमारे संविधान के उपर्युक्त उल्लखित सभी उपबंधों को देखते हुए नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का महत्व और आवश्यकता स्पष्ट है। इस विषय पर लोक-सभा में अनेक बार चर्चा हो चुकी है। 1971 में तत्कालीन 74 माननीय सदस्यों ने नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग से संबंधित एक ज्ञापन अपने हस्ताक्षर करके भेजा था। इस सदन के अनेक अन्य ख्याति प्राप्त सदस्यों ने इस माग को बार-बार दोहराया है।

सर्वश्री समर मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, इन्द्रजीत गुप्ता, आनन्द पाठक, रामावतार शास्त्री, डा० कर्णसिंह, रतनलाल बह्माण, सोमनाथ चटर्जी, चित्ता बसु आदि ने इस विषय को इस सदन में बार-बार उठाया है ताकि 'नेपाली' को आठवीं अनुसूची में स्थान मिल सके।

महोदय, नेपाली एक सम्पन्न भाषा है। किसी भी भाषा की सभी विशेषताएं नेपाली भाषा में मिल सकती है। इसकी अपनी वर्णमाला तथा लिपि है। इसका साहित्य नाटक, कवितों, लोकगीतों आदि से भरा पड़ा है। आज नेपाली भाषा की सम्पन्नता से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। हम अपने देश में मौजूद संमिश्रित सभ्यता में नेपाली भाषा के योगदान से इंकार नहीं कर सकते। उस लिहाज से भी नेपाली भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ व्यक्ति नेपाली भाषा को विदेशी भाषा बताते हैं। लेकिन भाषा वैज्ञानिकों और सुविज्ञों ने बार-बार दोहराया है कि नेपाली विदेशी भाषा नहीं है। वस्तुतः नेपाली भारतीय आर्य भाषाओं से संबंध रखती है। इसका जन्म भारतीय यूरोपीय 'शतम्' भाषा वर्ग से हुआ है और धीरे-धीरे विकसित होकर यह वर्तमान 'नेपाली' भाषा के रूप में आ गई है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डा० पारसमणि प्रोधान ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि नेपाली भाषा का जन्म "खग प्राकृत" से हुआ है बाद में इस भाषा को "गोरखाली" के रूप में जाना गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रहने वाले नेपालियों ने इसे "नेपाली" नाम दिया और अब तक इसका यही नाम चला आ रहा है।

ब्रिटिश काल के कई सरकारी कागजातों में हमें 'नेपाली भाषा' का उल्लेख मिलता है। 8 जनवरी 1927 के एक सरकारी परिपत्र में 'नेपाली' भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी। धीरे-धीरे विकास के इन विभिन्न चरणों में 'नेपाली' अपनी इस वर्तमान अवस्था तक पहुंची है।

महोदय, यही नहीं, हमारे नेपाली मित्रों ने जो इस देश में रहते हैं हमारी आजादी के आन्दोलन तथा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मेजर दुर्गा मुल्ला केप्टन दल बहादुर थापा और कई अन्य अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े तथा इस देश को आजाद कराने में मदद की। आजादी के बाद भी नेपाली जवानों ने हमारी सीमाओं की रक्षा और हमारे देश की आजादी तथा प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महोदय, आप जानते हैं कि नेपाली जिस क्षेत्र में रहते हैं वह हिमालय प्रदेश के हिमालय घाटी में आता है जो कि हमारा सीमा क्षेत्र है और इस प्रकार बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इन संवेदनशील सीमा क्षेत्रों के लोग अब भारत की महत्वपूर्ण भाषाओं में से अपनी भाषा को मान्यता

देने के लिए कह रहे हैं। मेरे विचार से इस भाषा को मान्यता देकर हम उनके साथ न्याय करेंगे। इन संवेदनशील सीमा क्षेत्रों की कठिनाइयों को हल करने की दिशा में भी यह एक प्रभावी कदम होगा।

हमारे देश की 'साहित्य अकादमी' ने पहले से ही साहित्य के क्षेत्र में नेपाली भाषा को मुख्य भाषाओं में मान्यता दी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने नेपाली भाषा और साहित्य के विकास के लिए 'नेपाली साहित्य अकादमी' को स्थापित किया है। महोदय, 2 जुलाई 1977 को दलगत विचारों से उठकर पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक संकल्प एक मत से पारित किया गया था जिसमें यह मांग की गई थी कि संविधान के 8वीं सूची में 'नेपाली' भाषा को शामिल कर लिया जाए। 11 अक्तूबर 1977 को एक मत से ही इसी तरह का एक संकल्प सिक्किम विधान सभा में स्वीकार किया गया। इसी तरह का एक संकल्प 28 जून 1978 को त्रिपुरा विधान सभा में एक मत से पास किया गया था। अब पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा की तीन विधान सभाओं ने संकल्प को एक मत से पास किया है जिसमें नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग और अपील की गई है। इस बारे में अब उनके साथ-न्याय करने का उनके अनुरोध को स्वीकार करने का समय आ गया है। महोदय, हमारे देश के दस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों जैसे कलकत्ता, उत्तरी बंगाल, पटना, गोहाटी आदि ने नेपाली भाषा को अपने विश्वविद्यालय की एक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है और इन विश्वविद्यालयों में नेपाली भाषा का अध्ययन करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आकाशवाणी भी अपने दिल्ली, गोहाटी, कारश्यिांग, शिलांग आदि रेडियो स्टेशनों से नेपाली भाषा के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित करता है। इस तरह हमारे देश की उत्तरी-पश्चिम सीमा क्षेत्रों में 'नेपाली' आज मुख्य भाषा के रूप में उभरी है और यह हिमालय घाटी की जन भाषा है। संविधान में इस भाषा को मान्यता देने के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता।

व्यक्ति अपनी ही भाषा बोलता है। अपनी ही भाषा में उसके विचार, उसका व्यवहार, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका विज्ञान और तकनीकी सभी का उचित प्रकार से विकास होता है। भारत बहुभाषी देश है। इन सभी विभिन्न भाषाओं में जो सांस्कृतिक, साहित्यक, वैज्ञानिक विकास होता है जो भारत की बहुविध संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन की आधार शिला है। विभिन्न संस्कृति और भाषा वाले लोग मिलकर मिली-जुली भारतीय संस्कृति के विकास में सहायता देते हैं। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं का उत्तरोत्तर विकास होता है और जब वह विकास विकास की एक विशिष्ठ अवस्था में पहुंचती हैं तो उसको 8वीं सूची में शामिल करने की आवश्यकता पड़ती है। आज नेपाली भाषा उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां इसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की आवश्यकता महसूस होती है।

1967 में सिंधी भाषा की क्या स्थिति थी जब इसे 8वीं सूची में शामिल किया गया था ? अगर हम 1967 में सिंधी के विकास की स्थिति का आज की नेपाली भाषा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम यह पाएगें कि नेपाली भाषा उस समय की सिंधी भाषा से जब उसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था कहीं ज्यादा अधिक विकसित और उन्नत है। इसके अलावा नेपाली भाषा को अधिक संख्या में लोग बोलते हैं। इन सब बातों को देखते हुए इस बात

की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है कि नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए। भारत एक बहुभाषी देश है। यदि हम अपने राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यकों की भाषा को उचित महत्व और मान्यता नहीं दी जाएगी तो भाषायी अल्पसंख्यक यह महसूस कर सकते हैं कि उन्हें देश के मुख्य धारा से अलग किया जा रहा है। इस प्रकार की एक अलग से प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इस तरह की भावना धीरे-धीरे पृथकतावादी आन्दोलन का रूप धारण कर सकती है और बाद में निहित स्वार्थ वाले विदेशी साम्राज्यवादी की ताकतों की मदद से गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। असम और पंजाब में हुई घटनाएं अभी भी हमारे दिमाग में ताजी है। इसलिए ये सभी भाषाएं जब वे एक विशेष विकास के चरण पर पहुंचती हैं तो उन्हें धीरे-धीरे 8वीं सूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। नेपाली आज उस सीमा के विकास पर पहुंच चुकी है जबकि उसे 8वीं सूची में शामिल कर लेना चाहिए। इन भाषायी अल्पसांख्यकों को यह महसूस कराना चाहिए कि वे भारत के मुख्य धारा के एक अंग है।

1973 से सत्तारूढ़ दल द्वारा और सरकार द्वारा नेपाली भाषा के समर्थन में विभिन्न समयों पर कई बातें कही हैं। सिद्धान्त रूप से इसे स्वीकार किया गया है। इस बारे में विशेषकर चुनाव के समय कई मौखिक आश्वासन दिए गए, बहुत सहानुभूति प्रकट की गई। लेकिन नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए जब भी वास्तविक समय आता है तो वह मुकर जाते हैं और हिचकिचाना शुरू कर देते हैं।

1973 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य को इस संदर्भ में यह कहा, "इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए बेहतर यही होगी इस मामलों को बातचीत द्वारा हल कर लिया जाए और यही कोशिश हम कर रहे हैं।" यह 1973 में कहा गया था। तब से 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं।

जून 1980 में 7वीं लोकसभा के शुरू में दुबारा से इसी तरह का एक विधेयक लोकसभा में लाया गया था। उस समय भी मंत्री जी ने बार-बार कहा था कि। सभी 'नेपाली' को 8वीं सूची में तथा सभी संबद्ध लोगों की सहमति से शामिल करने के बारे में निर्णय विचार-विमर्श लिया जाएगा। तब से आज तक 10 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। मैं आज स्पष्ट और विशिष्ट तौर पर जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है।

अपने भाषण को और लम्बा न रखते हुए मैं अन्य माननीय सदस्यों को इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक का एकमत से समर्थन करें।

मैं सरकार से इस विधेयक को स्वीकार करने और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं ताकि विभिन्न मौकों पर इनके द्वारा दिए गए मौखिक आश्वासन पूरे हो सकें और इस तरह वे अपने आश्वासनों की सच्चाई और पक्के इरादों को साबित कर सकें। मैं इस सदन के सभी वर्गों के सदस्यों से दुबारा अपील करता हूं कि वे इस विधेयक को पूरा समर्थन दें।

इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मित्र

श्री सत्यगोपाल मिश्र जो संविधान संशोधन लाये हैं, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। स्वाभाविक है कि एक बड़े क्षेत्र में, खास कर जो हमारा सेन्सिटिव क्षेत्र है, वहां यह भाषा बोली जाती है और दरअसल भाषा का प्रश्न भी बड़ा सेन्सिटिव है। लेकिन हमने पिछले 35-37 वर्षों में भाषा, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता जैसी संकीर्ण विचारवालों के जो कार्यक्रम और एक्टिविटीज देखी हैं उनके नतीजे बड़े भयानक रहे हैं।

अभी हाल में पंजाब के मामले को लेकर एक सुझाव श्री भजनलाल ने दिया था। हमने पिछले दिनों में जो गल्तियां की हैं, जैसे भाषावार राज्यों का बंटवारा माना, अनेक भाषाओं को 8वें शेडयूल में रखना शुरू किया, मेरे ख्याल में यह हमारी भूल थी क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां यह कहा जाता है कि हर तीसरे मील पर भाषा बदल जाती है। इस तरह से यदि हम एक के बाद एक भाषा को 8वें शेडयल में डालते रहे तो इसका कभी अंत नहीं होगा। जहां हम यह कहते हैं कि हमारे यहां विभिन्नता में एकता है, तो आप जरा हमारे टाइबल्स की भाषा को देखें। उनका भी बड़ा धनी साहित्य है। जैसे नेपाली भाषा है, उसी तरह हमारे लोगों का भी साहित्य है, यदि हम इसको मानते गए तो मेरा ख्याल है एक दिन हमें उनकी भाषा को, उनकी बोलियों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। मैं माननीय मिश्रजी को याद दिलाना चाहता हूं—उन्होंने अपने भाषण के आखिर में कहा था कि लोग आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह स्वयं ऐसा संकेत नहीं है कि हमें अब ऐसी बातों को जिनसे संकीर्णता का भाव उत्पन्न होता है, क्षेत्रीयता और साम्प्रदायिकता की भावना पैदा होती है, इनको अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। देश में जितनी भाषायें हैं, उनमें एक राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को मान लिया है और जब तक सभी हिन्दी को जानने वाले नहीं हैं, तक तक के लिए देश में अंग्रेजी को माना है। इसलिए तीन भाषाओं का जो फार्मूला है, उसको मानने से हम देश में राष्ट्रीय इम्प्रोग्रेशन की भावना···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० ए० कलानिधि : जी नहीं। हमने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री राम प्यारे पनिका : कृपया मेरी बात सुनिए। आप बाद में जवाब दे सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस सदन को इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। यह बड़ा गूढ़ विषय है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ इन्होंने फिगर्स दी हैं कि हिन्दुस्तान में दो करोड़ नेपाली रहते हैं—हमारी सहानुभूति और देश की सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं···

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : 1971 के सेन्सस के मुताबिक दो करोड़ नहीं, 10 लाख हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : मंत्री जी ने बताया है कि 10 लाख हैं। आप यह देखें कि हिन्दुस्तान में दो करोड़ से ज्यादा तो ट्राइबल्स हैं और उनकी अपनी भाषा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिस से आज तो ये 10 लाख लोगों द्वारा आंदोलन करने की बात कहते हैं, कहीं दूसरे करोड़ों लोग आन्दोलन करने को तैयार हो जाएं। आज हमारा

देश गम्भीर परिस्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि सीमाओं पर संकट है और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अभी भी पंजाब और आसाम का इश्यू है। हम कहीं क्षेत्रीय चीजों में फंस गए, तो यह अच्छा नहीं होगा। आप ने देखा कि आज देश में भाषा के नाम पर क्षेत्रीय पार्टियां पैदा हो रही हैं और तेलगु देशम भी एक पार्टी बन गई है। क्या हम ऐसी भावना को ले कर इस तरह की बात कर सकते हैं ? इसलिए मैं यह अपील करता हूं कि हम कोई ऐसी बात न करें जिससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचे। यह एक गम्भीर प्रश्न है। मैं मिश्रजी की भावना का तो स्वागत करता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि हम कोई ऐसी चीज न करें, जिससे हमें राष्ट्र को खंडित होते हुए देखना पड़े। आखिरकार आप ने देखा कि किस तरह से कुछ क्षेत्रों में आज ऐसी पार्टियां सिर उठा रही हैं, जो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इन्टेग्रेशन के विपरीत हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सदन ऐसे प्रश्न पर जो सेंसेटिव हो, ध्यान से सोचे और क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या कलर के नाम पर हम कोई संवैधानिक परिवर्तन न करें, कानूनी परिवर्तन न करें, जिससे समाज को ठेस पहुंचे। मैं अपने मित्र श्री मिश्रजी की भावना की कद्र करते हुए, यह कहना चाहता हूं कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इसको संविधान की आठवीं सूची में रखा जाए। यदि कुछ करना है, तो यहां पर गृह राज्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी, दोनों बैठे हुए हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे एक कमेटी बनाएं, जो इस बात का पता लगाए कि हिन्दुस्तान के किन-किन क्षेत्रों में कौन-कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है। आज जरूरत राष्ट्रीय एकता की है और किसी ग्रुप के आधार पर या जाति के आधार पर कोई ऐसी चीज न लाएं। मैं तो कहूंगा कि सरकारिया कमीशन बैठा हुआ है और उसके सामने मिश्र जी यह प्रश्न ला सकते हैं। भाषा के अनुसार जो राज्य बन गये है, मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं है। आज उर्दू को द्वितीय भाषा बनाने की बात है। मिश्र जी ने बताया है कि इस भाषा को बंगाल में और त्रिपुरा में मान लिया गया है। आप की सी० पी० एम० की सरकार ने इसको मान लिया है और वहां पर आप का असर होगा, इसलिए ऐसा हो गया है। वोट बटोरने के लिए और राजनीतिक दृष्टि से बंगाल और त्रिपुरा में इसको दूसरी राजभाषा बना लिया है।

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आपकी पार्टी ने इसका वहां भी समर्थन किया था।

श्री राम प्यारे पनिका : हो सकता है राजनैतिक कारणों के कारण इसका समर्थन किया गया था। मैं इसको मानता हूं।

[हिन्दी]

तो मैं यह कह रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी एक कमेटी बनावें या स्वयं सरकार एक रेफेन्स सरकारिया कमीशन को करे कि वे सारी क्षेत्रीय भाषाओं को देखे कि कौन-कौन सी जातियां रह गई हैं, उनकी भाषाएं रह गई हैं, जिनका उचित मूल्यांकन संविधान में नहीं किया गया है। यदि कुछ के लिए हमने कर दिया और कुछ को छोड़ दिया, तो इससे असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस विषय पर फिर से री-थिंकिंग की जाए और अगर जरूरत पड़े, तो एक काम्प्रीहैंसिव कांस्टीट्यूशन (एमेंडमेंट) बिल लाया जाए, जिसमें सारी बातों का प्रावधान हो। यह नहीं होना चाहिए कि किसी सदस्य को किसी भाषा में बोलना है, तो वह कहने लगे कि यह भाषा संविधान की आठवीं सूची में रख दी जाए। हमें ऐसी चीज करनी

चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिले और राष्ट्र एक हो सके। छोटे-छोटे ग्रुपों और कबीलों को खुश करने के लिए कोई चीज करने से कोई फायदा नहीं होगा। सदन का ज्यादा समय न लेकर, मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस तरह की जो संकीर्ण भावना उत्पन्न करने वाली सेंसेटिव चीज हैं, उन पर कृपया कुछ दिनों के लिए विचार न करें। अगर विचार न भी हो तो भी उसके लिए आप एक अलग से कमीशन बनायें जो कि इन सब बातों पर विचार करे।

एक सरकारिया कमीशन बना है। उसके सामने सेन्टर-स्टेट रिलेशंस की बात है। अब आपको डवपलमेंट के लिए अलोकेशन चाहिए तो आप सेन्टर से आकर कहते हैं अधिक पैसा दो। जब आपकी स्टेट में डवलपमेंट की बात होगी तो आप सेन्टर से ज्यादा पैसा मांगेगें। यह जो फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट है उसके बारे में आप बहुत-सी बातें कहते हैं। आपकी कोई निश्चयात्मक बात नहीं होती है। अभी ओवर-ड्राफ्ट की बात भी हुई।

मान्यवर, यह जो इन मामलों पर कन्फ्रंटेशन किया जाता है इससे भी सेन्टर और स्टेट्स के रिलेशंस में बाधा डाली जाती है जिससे कि राष्ट्रीय एकता को भी हानि पहुंचती है।

मैं अपने मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार कर एक नया कम्प्रीहेंसिव बिल लाएं। वैसे मैं इस बिल को लाने वाले माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करता हूं लेकिन इनको सलाह देता हूं कि आज की परिस्थितियों में वे इस बिल को वापस ले लें और सरकार से निवेदन करें कि वह एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाए जिससे कि देश के 65 करोड़ लोगों में एकता और अखंडता की भावना सुदृढ़ हो।

[अनुवाद]

डा० ए० कलानिधि : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने विचारों की अभिव्यक्ति तथा प्रमुख दल की ओर से बोलने की अनुमति प्रदान की है······ **(व्यवधान)**

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज): महोदय, आज यह निर्णय किया गया है कि सभी अपनी क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा अर्थात् हिन्दी में बोलेंगे······**(व्यवधान)**

डा० ए० कलानिधि : हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह मेरे मूल अधिकार का अतिक्रमण है। हम हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मुझे किसी भी भाषा में जो मुझे पसन्द है, बोलने का अधिकार है। वरिष्ठ सदस्य होने के कारण माननीय सदस्य महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी भाषा या अंग्रेजी में बोलने का अधिकार है। वस्तुत: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी भाषा को सम्पर्क भाषार्थ रूप में स्वीकार किया था। उन्हें यह समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप जारी रखें।

डा० ए० कलानिधि : महोदय, संविधान के 8वीं सूची में नेपाली को शामिल करने के लिये श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा लाए गए विधेयक पर चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं भाषा मनुष्य की आत्मा और श्वांस है। भाषा, जो वह बोलता है मनुष्य उसी के सहारे रहता है। भाषा मां की

तरह प्यारी होती है और इसलिए हम भाषा को मातृभाषा कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में क्या हो रहा है ? अन्य भाषाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। मुझे सचमुच खुशी है कि संविधान के 8वीं सूची में नेपाली को शामिल करने के लिए माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। यह आज का ही मामला नहीं है। इसके लिये पश्चिम बंगाल के लोगों से कई समय से मांग की जा रही है। हिन्दी इन भाषाओं में से एक भाषा है जिसे 8वीं सूची में शामिल किया गया है लेकिन हो क्या रहा है ? आप हिन्दी को विशेष महत्व दे रहे हैं। आपने इस भाषा के विकास और समृद्धि के लिए एक करोड़ रुपये ही नहीं बल्कि कई सौ करोड़ रुपये खर्च किये हैं। आपने विदेशों में यह जानने के लिए दलों को भेजा है कि दूतावासों और अन्य स्थानों में हिन्दी कार्यान्वित की जा रही है लेकिन क्या आपने अन्य भाषाओं में किसी प्रकार की दिलचस्पी ली है ? आपने 8वीं सूची में पन्द्रह भाषाओं को शामिल किया है लेकिन क्या आपने किसी वक्त तामिल के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी ली है ? मैं आपको वास्तव में बताना चाहता हूं कि तामिल भाषा की परम्परा विपुल है। इसके अच्छे साहित्य हैं। हाल ही में मोहन जोदड़ो और सिंधु घाटी में सोवियत संघ के लोगों द्वारा किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि द्रवड़ियन भाषा से संबंधित जो लिपि पाई गई है वे मूल तामिल की ही तरह है। वे आगे यह भी कहते हैं कि सिर्फ तामिल भाषा से ही अन्य भाषाएं आई हैं। इसलिए तामिल सभी भाषाओं की जननी है। जबकि सोवियत संघ में लोग तामिल के महत्व को स्वीकार रहे हैं और उसको समझते हैं, इधर केन्द्रीय सरकार तामिल भाषा की समृद्धि और उसके महत्व को समझने में नाकाम हुई है। यह बहुत खेद की बात है।

जबकि हम हिन्दी भाषा के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हम तामिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए केवल 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं। क्या यह तरफदारी का रुख नहीं है जो आप अपना रहे हैं ? मेरे माननीय दोस्त ने देश की एकता और देश की अखंडता का हवाला दिया। जहां तक देश की एकता और अखंडता में हमारे विश्वास और निष्ठा का संबंध है हम किसी से कम नहीं। हमारे यहां से कई साहसी लोग हुए हैं जो देश की आजादी, एकता और अखंडता के लिए लड़े। राजाजी उनमें से एक साहसी पुरुष थे। वह केवल दक्षिण राज्यों के लिए ही नहीं लड़े।

माननीय सदस्य ने कहा कि 8वीं सूची में नेपाली भाषा देश के विघटन को प्रेरित करेगी। यह केवल भ्रम है और यह संभवतः हटधर्मी से कारण है। मैं माननीय मंत्री जी को इसे नोट करने के लिए अनुरोध करूंगा। अगर आप राष्ट्र की अखंडता को वास्तव में बनाए रखना चाहते हैं तो आपको सभी भाषाओं को बराबर महत्व देना चाहिए। अन्यथा एकता और अखंडता की इस प्रकार की सभी बातों का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। यह केवल भ्रान्ति, मृग तृष्णा है।

संविधान के आठवीं सूची में नेपाली भाषा को शामिल करने पर सरकार का किसी तरह का खर्चा नहीं होगा। इसलिए विधेयक की भावना को स्वीकार क्यों न किया जाए और बाद में आप अपना विधेयक लाए। कृपया इसे स्वीकार करने की कोशिश करें।

हमारी भाषा 5000 ई० पू० में भी थी। यह हमारी भाषा की परम्परा है। एक उक्ति के अनुसार :

कल थोनरी माल थोनरा कालाथे
मुन वेलरिवा मूथा मोझी

यह सबसे पुरानी भाषा है जो सामने आई है जबकि चट्टानें क्या बालू भी नहीं थी। भारती दासन ने कहा :

तमीझुक्कू अम्मुदेनक पेयर अम्बा थमिज
इन्निया थमिज यंगल यूईरुक्कू नेट

तामिल को अमृत कहते हैं। अर्थात् तमिल हमारे जीवन की श्वास है। वह यहां तक कहते चले गये कि वह सभी भाषाओं की आत्मा है।

आपको किसी एक विशेष क्षेत्र के लोगों के भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपको लोगों के ऊपर किसी भाषा को बेकार लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस देश में क्या हो रहा है आप हिन्दी को हर स्तर पर थोप रहे हैं। आपने स्टेट बैंक आफ इंडिया को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि अधिक से अधिक हिन्दी टाइपराइटर खरीदे जाने चाहिए। अधिक से अधिक परिपत्रों को हिन्दी में जारी करना चाहिए और यह कि मुख्य तथा सर्वोच्च अधिकारियों को केवल हिन्दी में पत्र लिखने चाहिए। यह परिपत्र भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। चूंकि आपके पास 15 सरकारी भाषाएं हैं, आप तमिल, मराठी या मलयालय को उसी लाइन पर क्यों नहीं ले जाते ? आप केवल हिन्दी को ही सारा महत्व क्यों देना चाहते है ? इसका हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। अन्यथा मैं इसका व्यर्थ क्यों विरोध करू ? हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी भाषाओं को एक समान महत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भाषाओं की अवहेलना कर रहे हैं।

अगर आप देश की एकता और अखंडता के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन करते हैं और हम किसी से कम नहीं लेकिन दुर्भाग्यवश आप भाषाओं के मामले केवल मौखिक सहानुभूति जता रहे हैं। आप हर जगह इस देश की अखंडता की बात करते हैं। लेकिन क्या आप वास्तव में देश की एकता और देश की अखंडता में विश्वास रखते हैं। अगर हां तो कृपया सभी भाषाओं को एक समान महत्व दें। कृपया सोवियत संघ जो हमारा भ्रातृवत् देश, हमारा अच्छा दोस्त है, में देखने की कोशिश करें कि वहां क्या हो रहा है।

श्री रामप्यारे पनिका : मैं किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हूं। सभी भाषाओं के प्रति मेरी दिलचस्पी है·········(**व्यवधान**)

डा० ए० कलानिधि : अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने सोवियत संघ का दौरा किया। मैं माननीय प्रधान मंत्री और प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे देखें कि सोवियत संघ में किस प्रकार उनकी सभी भाषाओं को एक समान महत्व दिया जा रहा है, वे किस तरह अपनी सभी भाषाओं के साथ व्यवहार करते हैं। उदाहरणार्थ मलेशिया में उनकी स्थानीय भाषा और तामिल को बराबर महत्व दिया जाता है। सिंगापुर में भी इसी तरह है। लेकिन भारत में एक राष्ट्रीय भाषा अर्थात् हिन्दी को महत्व दिया जाता है। आपको हमारे विचार और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप वास्तव में इस देश की अखंडता में विश्वास करते हैं, अगर आप वास्तव में इस देश की एकता में विश्वास करते हैं।

जैसा कि आप प्रत्येक राजनैतिक मंच से घोषित करते हैं तो केवल एक ही राष्ट्रभाषा को उचित स्थान और महत्व दिये जाने का क्या मतलब है तथा अन्य भाषाओं की क्यों उपेक्षा की जाती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया संविधान के आठवीं सूची में शामिल की गई सभी राष्ट्रीय भाषाओं को एक समान महत्व दिया जाए।

जहां तक आठवीं सूची में नेपाली को शामिल किए जाने का संबंध है मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विधेयक का विरोध न किया जाए। क्योंकि नेपाली हमारे अपने आदमी हैं और पश्चिम बंगाल में दो करोड़ लोग यह भाषा बोलते हैं। इसलिए इस भाषा को एक सरकारी भाषा के रूप में शामिल किए जाने पर किसी प्रकार की कोई अनुचित बात नहीं है। मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से इसे विरोध न करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त और संतुलन में फर्क है। राजनीति के लोग सिद्धान्त कम जानते हैं और संतुलन ज्यादा चाहते हैं। वोटों की राजनीति से बड़ी तकलीफ होती है। वोट की राजनीति कभी-कभी इतना गड़बड़ काम करती है कि हम अपने सिद्धान्तों को खो देते हैं और संतुलन की ओर चले जाते हैं।.....(**व्यवधान**)

मुझे लगता है कि बंगाल विधान सभा में ज्यादा बंगाली बोली जाती होगी और इसी तरह हो सकता है बिहार विधान सभा में नेपाली बोली जाती होगी। सारी भाषाओं को अपना लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वोट की राजनीति आपको कहां ले जायेगी। राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा को लाना चाहेंगे। पहाड़ के लोग चाहेंगे कि पहाड़ी भाषा आनी चाहिए। आठवें शेड्यूल में कहां-कहां की भाषा आप लाना चाहते हैं। डा० कर्णसिंह ने भी कहा था कि डोगरी भाषा होनी चाहिए।.....(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हिन्दी को रखो और बाकी सब हटा दो।

श्री मूलचन्द डागा : संविधान बिल्कुल साफ है। आप मेहरबानी करके सुन लीजिए। .....(**व्यवधान**) जनता पार्टी के राज में क्या हुआ, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"सरकार का यह मत है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में विस्तार न किया जाये। तथापि सरकार का प्रयास है कि वह इस बात का ध्यान न रखते हुये कि चाहे कोई भाषा आठवीं अनुसूची में है या नहीं, सभी भाषाओं के सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर के विकास को प्रोत्साहन दे।"

यह सरकार की नीति है। इसके बाद दुबारा इसी प्रश्न को दोहराया गया। यह प्रश्न 1979 में पूछा गया था।

[हिन्दी]

जब जनता पार्टी का राज था तब उन्होंने यह निर्णय लिया।.....(**व्यवधान**) फिर होम मिनिस्टर ने जवाब दिया था।

[अनुवाद]

"सरकार का यह मत है कि और अधिक भाषाओं के आठवीं अनुसूची में शामिल करने के अन्य परिणाम और प्रतिक्रियाएं होंगी। जैसाकि ऊपर कहा गया है सरकार का यह प्रयास है कि भाषाओं के आठवीं अनुसूची में शामिल होने की बात को भी ध्यान न देकर सभी भाषाओं के सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर का विकास करना है।"

[हिन्दी]

सरकार ने जो निर्णय लिया, उसको आपने खुद भी पढ़ा है कि सारी भाषाएं विकसित होनी चाहिए। स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स में लिखा है कि दो करोड़ लोग नेपाली बोलते हैं। यह फीगर्स कहां से लाए हैं।.....(व्यवधान)

4.43 म० प०

[अनुवाद]

(श्री जंगुल बशर पीठासीन हुए)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यहां भी वे निश्चित नहीं है। उद्देश्यों और कारणों में वे कहते हैं "भारत भर में लगभग दो करोड़ लोग हैं।" लगभग दो करोड़ लोग। अब, सिक्किम के मुख्य मंत्री जी क्या कहते हैं ? वे कहते हैं केवल 50 लाख लोग हैं।

[हिन्दी]

यह आपका स्टेटमेंट है।.....(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : हिन्दुस्तान में सिन्धी कितने हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : लगभग पांच करोड़ है।.....(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : डागाजी, आप सही नहीं बोल रहे हैं।.....(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप मुझे बतायेंगे कि नेपाली में जो नाम लिए गये थे वे कवि, लेखक या एम० पीज थे। चौबे जी तो हर समय व्यवधान करते रहते हैं।.....(व्यवधान) इसलिए श्रीमन् सवाल यह नहीं है बल्कि हमने आर्टिकल 351 में पहले ही इस बात का निर्णय ले लिया है। यदि आप आर्टिकल 351 की लैंग्वेज को देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हमने उस वक्त क्या निर्णय लिया था। मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं—

[अनुवाद]

अनुच्छेद 351 में कहा गया है "हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में 'हस्तक्षेप किया बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांच्छनीय हो वहां उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा।"

[हिन्दी]

हम तो सभी भाषाओं का विकास चाहते हैं, आर्टीकल 29 व 30 की सभी भाषाओं का

विकास होना चाहिए, लेकिन यहां तो आप एक नई बात पैदा करना चाहते हैं। यदि इसी तरह से कुछ लोग राजस्थान के खड़े हो जाएं और वोट लेने के लिए यह मांग करें कि राजस्थानी भाषा को संविधान के आठवें शैड्यूल में लीजिए, कुछ लोग डोगरी भाषा के खड़े हो जाएं और कहें कि उनकी भाषा को आठवें शैड्यूल में लिया जाए तो इस तरह आप अपने इलाके के कुछ लोगों को तो खुश कर सकते हैं और उनके वोट आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहां सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आप किस भाषा को पनपाना चाहते हैं। जहां तक मैं राजस्थान की बात जानता हूं, अलवर के आस-पास रहने वाले लोग हिन्दी बोलते हैं, सिरोही के इलाके में रहने वाले लोग गुजराती बोलते हैं, शेखावट में लोग शेखावटी भाषा बोलते हैं और मारवाड़ के लोग मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। ये सब अलग-अलग भाषाएं हैं, पता नहीं ये लोग किस आधार पर कहते हैं और यह कैसे राजस्थानी भाषा बन गई ? सिर्फ राजा-महाराजाओं की प्रशंसा में दो-चार गीत गा देने से कोई भाषा समृद्ध नहीं बन सकती, सुन्दर नहीं बन सकती··· (**व्यवधान**)··· जहां तक इस प्रस्ताव को लाने वाले श्री सत्यगोपाल मिश्राजी का संबंध है, आप ही बताईए कि क्या उन्होंने नेपाली भाषा में अपना भाषण दिया, क्या आप कोई नेपाली भाषा में कविता सुना सके, क्या आप नेपाली कवियों के नाम जानते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि कौन-कौन से हिन्दी के पत्र सब जगह प्रकाशित होते हैं··· (**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : सभी भाषाएं सुन्दर हैं, सभी भाषाएं अच्छी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी मानता हूं कि सभी भाषाओं का विकास होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए।

सभापति महोदय : आप सिर्फ इस प्रश्न पर अपना मत व्यक्त कीजिए कि नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए या नहीं···

श्री मूलचन्द डागा : मैं वही कह रहा हूं कि नहीं शामिल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : लेकिन किसी भी भाषा को बुरा मत कहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : चैयरमैन साहब, इन्होंने राजस्थानी भाषा को जिस तरीके से क्रीटिसाइज किया है, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : सभी भाषाएं अच्छी हैं, सुन्दर है और रिच हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सारी भाषाओं को रिच कब माना जा सकता है, जब वे साइंस और टैक्नालाजी की दृष्टि से रिच बन जाएंगी, एडवांस हो जाएंगी। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने अपना भाषण हिन्दी में दिया, क्या इनके यहां विधान सभा में नेपाली भाषा बोली जाती है, क्या कहीं और नेपाली भाषा का प्रयोग होता है ?

[अनुवाद]

डा० ए० कलानिधि : हिन्दी भाषा में समृद्धि या संस्कृति या परम्परा अथवा साहित्य नहीं है। यह केवल कुछ अवधि के दौरान विकसित हुई है इसी प्रकार यदि आप नेपाली भाषा को समय दें तो स्वाभाविक है कि समय के साथ-साथ उसका भी निश्चित रूप से विकास होगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : डागा जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि दार्जिलिंग में कुछ लोगों के वोट हासिल करने के मकसद से ही यह बिल यहां पेश किया गया है, इसके अलावा इनका और कोई दूसरा मकसद नहीं है···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : आपको क्या फर्क पड़ता है, बोलने दीजिए···

श्री मूलचन्द डागा : शायद इनको मालूम नहीं है कि मैंने पहले ही अपोज किया है राजस्थानी भाषा को। लेकिन इस तरह हमारा नुकसान होता है कि न तो हम अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल पाते हैं और न अच्छी तरह से हिन्दी बोल सकते हैं और इसी तरह राजस्थानी में भी पीछे रह जाएंगे।

अगर इन्होंने कल से नेपाली बोलना शुरू किया तो यह पार्लियामैंट में और गिरेंगे। नेपाली में कौन सुनने वाला है। राष्ट्र की भाषा एक है, उसको बड़ा करना चाहिये।

(**व्यवधान**)

श्री मूलचन्द डागा : वैसे और कई भाषाएं भी हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : एक है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री मूलचन्द डागा : हम अपनी इच्छा को लादना नहीं चाहते। आप पिक्चर देखकर, तस्वीर देखकर और रात को हिन्दी में जो गाना सुनते हैं, वह हम जानते हैं। हमारा प्रेम अपने आप बढ़ रहा है। हम कभी दक्षिण वालों को यह नहीं कहते कि हमारी भाषा सीखी जाये। हम कई भाषाओं को जानते हैं लेकिन शाम के बाद आप हमारी तस्वीरें और गाने हमारी भाषा में सुनने का शौक रखते हैं।

(**व्यवधान**)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आपने कभी रवीन्द्रनाथ का गाना नहीं सुना ?

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : डागा जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कह रहा था कि आठवें शिड्यूल में अगर किसी भाषा को लाना चाहते हैं तो तब, अगर किसी क्षेत्र में उसमें रुकावट होती हो। आपने यह नहीं बताया कि नेपाली भाषा न होने के कारण उनके विकास में कोई बाधा पहुंचती है। इस तरह की बात करना कि कुछ नेपाली लोग यहां आकर रहने लगे, काफी रहने लगे, भाषा भी बोलते हैं, इसलिए उसको आठवें शिड्यूल में ले लीजिए तो किस लिये ले लीजिए ? क्या हम उसमें कोई रुकावट डालते हैं ? हम नेपाली लैंगुएज के डैवलपमैंट के लिए धनराशि खर्च करते हैं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

डा० ए० कलानिधि : इससे देश को कैसे नुकसान होगा ?

[**हिन्दी**]

श्री नारायण चौबे : शिड्यूल में रखने से क्या नुकसान है ?

श्री मूलचन्द डागा : आठवें शिड्यूल में रखने से कोई फायदा नहीं है। उसमें 14 भाषाएं हैं और एक सिन्धी बाद में जुड़ी है। उसके अलावा और भाषाओं को उसमें बढ़ाना गलत कदम होगा। गवर्नमेंट इस कदम की तरफ आगे न बढ़े। जितनी भाषाएं है, जो प्रान्तों की हैं, वह रखी हैं, नेपाली कोई अलग प्रान्त नहीं है कि वहां की भाषा इसमें रखी जाए। इसलिए मैं इसका पूरा विरोध करता हूं और मन से विरोध करता हूं।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, आज मैं हिन्दी में बोलने का प्रयास करूंगा।

सबसे पहले जो विषय यहां लाया गया है, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को पेश करते हुए मेरे साथी श्री सत्यगोपाल मिश्र ने जो बात कही है उसको मैं दोहराना चाहता हूं। जब हम नेपाली भाषा संविधान में ले आने की बात करते हैं तो हम किसी दूसरी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। हम चाहते हैं, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, संस्कृत है, सब को एक साथ लाने के लिए, बढ़ने, फलने-फूलने के लिए सब एक साथ पनप सकें, यह हमारा उद्देश्य है। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार का रवैया दूसरे ही तरीके का है, वह बहुत अफसोस की बात है।

"हिज मास्टर्स वायस" में जो एक ही रिकार्ड बार-बार बजता है, उसी तरीके से कहा जाता है कि हम आठवें शिड्यूल को नहीं बढ़ायेंगे। बार-बार एक ही बात को दोहराया जाता है। मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(अ) क्या सरकार ने नेपाली भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में लेने का निर्णय ले लिया है ?

(ब) यदि हां, तो ऐसा कब तक करने का विचार है ? उनका इस बारे में जवाब है— जी नहीं, श्रीमन, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमान प्रश्न ही नहीं उठता, यह क्या उत्तर है समझ में नही आता है। यह सरकार का व्यवहार है। कहा जाता है कि परिवर्तन होगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाया है।

श्रीमान् आपको मालूम होगा कि लोक सभा में जब इस विषय में आलोचना हुई थी, उस समय जून 1980 में माननीय गृह मंत्री ने हम लोगों को कहा था और आश्वासन दिया था कि ठीक है, इस बारे में हम लोग विचार करेंगे, एक गोलमेज सम्मेलन बुलायेंगे और सर्वसम्मति से इसका हल निकालेंगे। लेकिन आज तक कोई गोलमेज सम्मेलन नहीं बुलाया गया है, यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं चाहता हूं कि जो आपका आश्वासन था, उसको पूरा किया जाए। यदि उसका कोई हल नहीं निकाला जाएगा तो सिर्फ आश्वासन से कोई लाभ नहीं होगा।

यह सरकार बार-बार कहती है कि सभी भाषाओं का सांस्कृतिक और साहित्यक परम्परा का विकास किए जाने का सरकार का प्रयास है, चाहे वह आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हो या नहीं। अध्यक्ष महोदय, इससे तो समस्या का कोई हल नहीं निकलता है, और यह काफी नहीं है। जिन भाषाओं को अभी तक आठवीं अनुसूची में नहीं लिया गया है, उनको लिया जाए। हम लोगों को खास तौर से नेपाली भाषा-भाषियों को आर्थिक क्षेत्र में और दूसरे अनेक क्षेत्रों में बहुत

कठिनाई उठानी पड़ती है। अभी जिस भाषा को आठवीं अनुसूची में अन्तर्मुक्त किया गया है, उससे देखा जाता है कि हमारे देश के नागरिकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है। जिस भाषा को इस आठवीं अनुसूची में ले लिया गया है, उसको काफी लाभ पहुंचता है और जिसको नहीं लिया जाता है, उसको बहुत सी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं।

हम लोग सोचते थे कि हम सब बराबर हैं। बराबर होकर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे यह भाव सब खत्म हो गए हैं। यदि किसी को पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत परीक्षा पास करनी है तो लिखित परीक्षा के लिये आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कोई एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। नेपाली भाषा-भाषी नागरिकों को आठवीं अनुसूची में भाषा सम्मिलित न होने के कारण इससे वंचित रहना पड़ता है। इससे अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनको कितनी बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है।

आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषायें कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

5.00 म०प०

सात दिसम्बर, 1967 को लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, प्रस्ताव का शीर्षक था "सरकारी भाषा संशोधन विधेयक" और उसमें जो बातें कही गई थीं वह मैं आपको संक्षेप में बतलाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के अलावा 14 मुख्य भाषाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है देश की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के समग्र विकास के लिए सम्मिलित ठोस कदम उठाए जाने चाहिए···

'इन भाषाओं' शब्दों को रेखांकित करें।

[हिन्दी]

इसका मतलब यह हुआ कि 8वीं अनुसूची में जो भाषायें सम्मिलित हैं उन्हीं के एडवांसमेंट के लिए सरकार पैसा खर्च करेगी। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन 8वीं अनुसूची में जो भाषायें सम्मिलित नहीं हैं उनकी उन्नति के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए तथा नौकरी-चाकरी की व्यवस्था करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में भी केवल उन्हीं भाषाओं को विकल्प भाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जोकि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। अन्य भाषाओं को किस प्रकार कहां तक वंचित रहना पड़ता है, यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं।

उसी प्रकार का दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार से था :

[अनुवाद]

"और जबकि, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संघ की सरकारी सेवाओं के संबंध में

गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों के उचित दावों और हितों की पूरी तरह सुरक्षा हो।"

[हिन्दी]

आगे बतलाया गया है :

[अनुवाद]

"परीक्षाओं की भावी स्कीमों, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं और उसके समय के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लिए जाने की अनुमति दी जाएगी।"

[हिन्दी]

यहां पर भी वंचित होना पड़ता है—यह बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं।

1979 में जब मैं राज्य सभा का सदस्य था तब भी मैंने एक प्रश्न उठाया था और तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री धनिकलाल मण्डल ने कहा था कि 8वीं अनुसूची में कोई अन्य भाषा नहीं रखी जा सकती है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि यदि कोई कठिनाई होगी तो उस पर वे विचार करेंगे। तब मैंने कहा था कि हमारे नैपाली भाषा के जो शिक्षित लोग हैं वे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं और उन्होंने कोई आल्टनैटिव लैंग्वेज (विकल्प भाषा) नहीं पढ़ी है तो उनके लिए परीक्षा देना बड़ा मुश्किल होगा। इस प्रकार से आप देखें कि जिस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है उस भाषा को जानने वालों को कितना डेप्राइव किया जा रहा है।

मैं कुछ और उदाहरण देना चाहूंगा। साहित्य तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए नेशनल प्राइज कांपिटीशन होता है उसमें भी केवल उन्हीं भाषाओं को ही रखा जाता हैं जोकि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, अन्य भाषाओं को नहीं। मैं यहां एक विज्ञापन की उद्धृति देना चाहता हूं :

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा पर पोस्टर संबंधी प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता।

नव शिक्षितों के लिए साहित्य प्रतियोगिता संबंधी पच्चीसवां राष्ट्रीय पुरस्कार।

इसमें भी वही भाषायें रखी जाती हैं जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मल्यालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगू आदि—इन भाषाओं को रखने पर हमें खुशी है और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं लेकिन 8वीं अनुसूची में जो भाषायें नहीं हैं उनको इसमें भी डेप्राइव किया जा रहा है।

यदि इस भाषा को संविधान के आठवें शैड्यूल में सम्मिलित किया जाएगा, तो इससे देश की एकता को मजबूत किया जा सकेगा। यही प्रश्न मैं आपके सामने विचार करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के लिए दरख्वास्त करता है, तो उसमें पूछा जाता है कि संविधान के आठवीं शैड्यूल में जो भाषायें हैं, उनमें से आप कोई एक भाषा बोल सकते हैं या नहीं और क्या आपको उसका ज्ञान है। उसका

ज्ञान न रहने से उनको सर्टीफिकेट नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विभिन्न भाषाओं का सवाल आ रहा है और यह अधिकार किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। किसी को साहित्यिक विकास करने के लिए मिलता है और किसी को आर्थिक विकास करने के लिए सहायता मिलता है। जो भाषा आठवें शैड्यूल में नहीं है, उसको इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। डिवाइड-एंड-रूल की पॉलिसी से यदि आप काम करेंगे, तो देश की एकता नहीं रह सकती है। यह भी कहा जाता है कि आठवें शैड्यूल में जो भाषायें दी गई हैं, उन्हीं प्रमुख भाषाओं में आपको सर्विस करनी होगी। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए।

नेपाली भाषी जनता ने देश-प्रेम के कारण कुर्बानियां दीं, लेकिन फिर भी उनको समय-समय पर विदेशी कहा जाता है। समय-समय पर उनकी भाषा को विदेशी भाषा कहा जाता है। आज जिस भाषा को विदेशी भाषा कहा जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। अभी भी वे चट्टान की तरह अडिग रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस भाषा को संविधान के आठवें शैड्यूल में शामिल करना चाहिए। अभी मेरे मित्र बतला रहे थे कि विभिन्न विधान सभाओं ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया है और सरकार से निवेदन किया है कि इसको संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।

देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए नेपाली भाषी नागरिक अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, देश का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उन लोगों के प्रति भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है। जैसा मेरे मित्र ने भी कहा है, मैं भी कहना चाहता हूं कि नेपाली भाषा की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। यहां पर ही उसका विकास हुआ है और एक समृद्ध भाषा के रूप में भारतवर्ष में चल रही है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि नेपाली भाषियों की संख्या दस लाख है। डागा जी ने कहा कि 15 लाख हैं, मुझे नहीं पता है कि वे 15 लाख की संख्या कहां से ले आए हैं। यह भाषा सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में ऊपर से लेकर नीचे तक बोली जाती है और इस भाषा के बोलने वालों की संख्या दो करोड़ से ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि हिन्दुस्तान में दो करोड़ हैं। मिश्र जी ने यही कहा था, मेरे मित्र क्या सुनते हैं मुझे मालूम नहीं है।

जब सेन्सस होता है उस समय न केवल एक क्षेत्र में, बल्कि देहरादून हिमाचल प्रदेश और अन्य स्थानों पर भी जो लोग सेन्सस के लिए जाते है वे यह नहीं पूछते कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है, बल्कि यह पूछते हैं कि क्या तुम हिन्दी बोल सकते हो और सब को हिन्दी भाषी लिख दिया जाता है। यह बहुत अन्याय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में नेपाली बोलने वालों की संख्या 60-70 लाख से कम नहीं है। हम यह मांग क्यों करते हैं कि नेपाली भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाय ? संविधान में कहा गया है कि हमारी सरकारी या राज भाषा आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दी होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि हिन्दी को सम्पूर्ण देश की भाषा बनाना है तो उसको समृद्ध करने के लिये देश की सभी भाषाओं का सहयोग लेना होगा और इसी दृष्टि से देश की अन्य भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेपाली भाषा को इस अनुसूची में शामिल करने से हिन्दी अधिक समृद्ध होगी, क्योंकि यह हिन्दी भाषा से बहुत मिलती-जुलती भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है, नेपाली की लिपि हिन्दी भाषा की लिपि है, इसके शब्द तथा वाक्य प्रायः मिलते-जुलते हैं, करीब एक ही समान हैं। यदि कोई भाषा जो

हिन्दी भाषा को ज्यादा समृद्ध कर सकेगी, तो वह नेपाली भाषा है, जिसका हिन्दी को राज भाषा के रूप में समृद्ध करने में सबसे ज्यादा कान्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा करने से नेपाली भाषा-भाषियों के मन में जो असन्तोष है वह दूर हो जायगा। देश की एकता को ज्यादा मजबूत बनाने में इससे बहुत मदद मिलेगी। ऐसा करने से उनके अन्दर भावात्मक एकता बढ़ सकती है।

मैंने सब दृष्टिकोणों को अपने सामने रखकर यहां अपने विचार प्रकट करने की कोशिश की है और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं—नेपाली भाषा को जल्द से जल्द आठवीं अनुसूची में डालने का समय आ गया है, देरी करने से इसके खराब नतीजे हो सकते हैं तथा उसका परिणाम ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है—जैसा मेरे मित्रों ने कहा है—ऐसा न करने से उनमें पृथकतावादी प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि सबको समान अधिकार दिये जाने चाहिए।

डागा साहब इस समय यहां मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा था कि यहां नेपाली कोई नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ शब्द नेपाली में आपके सामने रखूंगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस सदन में कोई भी सदस्य नेपाली नहीं बोल सकता। इसलिए मैं नेपाली में ही बोलना चाहता हूं। नेपाली एक समृद्ध भाषा है। नेपाली को नागरी लिपि में लिखा जाता है और वह एक बड़ी सुन्दर और सरल भाषा है। प्रायः सभी भारतीय भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति नेपाली भाषा को समझ सकते हैं। इस भाषा का साहित्य बहुत संपन्न है। नेपाली को संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने से देश की भावात्मक एकता बढ़ने के साथ-साथ हमारा साहित्यिक भंडार भी समृद्धिशाली बनेगा।*

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि नेपाली भाषा का कोई साहित्य नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेपाली भाषा के सबसे बड़े कवि श्री भानुभक्त आचार्य हुए हैं, जिन्होंने नेपाली में रामायण लिखी है। इसके अतिरिक्त कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, डा० पारस मणि प्रधान, पं० धरनीधर शर्मा और श्री सूर्यविक्रम ज्ञवाली बड़े-बड़े कवि और लेखक हुए हैं, जिन्होंने अनेक कविताएं, कहानियां, उपन्यास और बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कवि हुए हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं यहां लेना चाहता क्योंकि समय नहीं है। नेपाली भाषा में बहुत सारा साहित्य है और यह बहुत समृद्ध भाषा है।

सभापति महोदय : नेपाली भाषा बहुत रिच है।

श्री आनन्द पाठक : इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसको ऐसे ही अस्वीकार न करके सरकार इस पर गहराई से विचार करेगी और इस भाषा को संविधान की आठवीं सूची में रखने की स्वीकृति दे देगी। मंत्री जी जब इस डिबेट का रिप्लाई दें, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रिप्लाई करें और नेपाली भाषा को आठवीं

**नेपाली में दिये गये भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

***नेपाली में दिया गया भाषण समाप्त।

सूची में रखने की स्वीकृति दें। आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्री मिश्र ने जो सदन में कांस्टीट्यूशेन (एमेंडमेंट) बिल प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मैं सदन में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

संविधान की आठवीं सूची में हमने 15 भाषाओं को लिया है और उनको लेने के लिए हमने कुछ नार्म्स बनाए हैं, कुछ मापदंड बनाएं हैं और उनके आधार पर हमने उन भाषाओं को आठवीं शेड्यूल में लिया है। इसलिए अगर हम अब किसी भी भाषा को आठवीं शेड्यूल में लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ मापदंड बनाने होंगे या जो पहले बनाए गए हैं, उनके आधार पर हमको निर्णय लेना पड़ेगा। नेपाली भाषा के बारे में इस प्रकार हमें निर्णय लेना होगा और वह समृद्धशाली है या नहीं है, उसके बारे में निर्णय लेना होगा। नेपाली का शब्द-कोश कैसा है, उसकी डिक्शनेरी कैसी है, उसमें कैसे शब्द हैं, क्या उसमें विज्ञान के शब्द भी हैं, टैक्नोलाजी के शब्द भी सम्मिलित हैं, यह सब देखना होगा। वह शब्द-कोश समृद्धशाली है या नहीं, इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। साथ-साथ जो साहित्यकार हुए हैं, जो कवि हुए हैं, जिन्होंने उपन्यास लिखे है, जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं, उनके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी और पूरी स्टडी करनी होगी। यह भी देखना होगा कि इस भाषा के बोलने वालों की संख्या कितनी है। कहने का अर्थ यह है कि इसके लिए बहुत सारी बातों को देखना पड़ेगा। हम यह देखते हैं कि कभी मैथिली का प्रश्न आ जाता है, कुछ राजस्थानी भाषा का प्रश्न भी आ जाता है, कभी भोजपुरी का प्रश्न आ जाता है, कभी डोगरी का प्रश्न आ जाता है और कभी नेपाली भाषा का प्रश्न आ जाता है। इस प्रकार से बहुत-सी भाषाओं के प्रश्न आ जाते हैं। और भी प्रश्न आयेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सभी भाषाओं के बारे में कोई निर्णय करने के लिए, हमें इसके सम्बन्ध में कोई-न-कोई कमेटी या कोई-न कोई कमीशन मुकर्रर कर देना चाहिए जो इन प्रश्नों पर गहराई से जांच करे कि जो हमारे नार्म्स हैं या मापदंड हैं क्या वाकई उन पर ये भाषाएं खरी उतरती हैं। इनके बारे में यह देखा जाए कि जो भाषाएं चाहे संस्कृत से आई हैं या प्राकृत से आई हैं क्या उनमें इस प्रकार के शब्द भंडार हैं जिनसे कि उन भाषाओं के जानने वाले अपने ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से उन्नति कर सकें। दूसरे यह भी दृष्टिकोण ध्यान में रखकर हम चलें कि उस भाषा से कितनी वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

हमारे देश में अनेकता में एकता है। हमने कभी भी किसी भाषा का विरोध नहीं किया। इसीलिए हमारे संविधान में आठवीं सूची में 15 भाषाएं हैं। हम चाहते हैं कि सभी भाषाओं को सम्मान मिले, सभी की उन्नति हो। जहां उन भाषाओं की उन्नति हो, वहां हिन्दी भी समृद्धिशाली हो। हिन्दी भाषा में भी इन भाषाओं के शब्द आत्मसात् करने की शक्ति होनी चाहिए। हिन्दी को रिजिड नहीं होना चाहिए। दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् करने से हिन्दी और भी समृद्धिशाली हो सकती है। (व्यवधान) चाहे किसी भी भाषा के शब्द हों, उर्दू के भी हों। सभी को हिन्दी को आत्मसात् करना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ यही है कि हिन्दी को रिजिड नहीं होना चाहिए। उसको सभी भाषाओं, यहां तक कि अंग्रेजी से भी शब्दों को लेकर अपने को समृद्धिशाली बनाना चाहिए। इसी प्रकार से नेपाली भाषा के भी शब्दों को भी हिन्दी भाषा को खपा लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए।

एक दिमाग में यह बात आती है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि नेपाली भाषा विदेशी भाषा है। हमें यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। नेपाली भाषा प्राकृत भाषा से बनी है। संस्कृत और प्राकृत भाषाएं एक-दूसरे की साथी हैं। कहने का अर्थ यह है कि देश की सभी भाषाएं पनपें, फलें-फूलें। लेकिन मेरा कहना यह जरूर है कि किसी भाषा के आठवीं सूची में आने के लिए कोई-न-कोई मापदंड होना चाहिए तभी उसको उसमें लाना चाहिए। इस सूची में 15 भाषाएं पहले ही हैं। अगर इस सूची में भाषाएं बढ़ते-बढ़ते 50 हो जाएं तो कठिनाई हो सकती है। हमारे यहां लोक सभा में अनुवाद में कठिनाई हो सकती है। इसलिए कोई-न-कोई मापदंड अवश्य होना चाहिए।

अब राजस्थानी भाषा है। इसका शब्दकोष बहुत बड़ा है। यह एक साहित्यिक भाषा भी है। डागा साहब इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि यह राजा-महाराजाओं की भाषा है। इस भाषा में राजा-महाराजाओं का ही साहित्य नहीं है। बहुत-से दूसरे कवियों ने भी इस भाषा में अपना साहित्य रचा है।

इसलिए मेरा कहना है कि इस सारे विषय पर कोई कमेटी बना दी जाए जो कि सभी भाषाओं के बारे में विचार करे। वह कमेटी राजस्थानी भाषा के बारे में भी विचार करे, कि वह किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार से उसकी मदद दूसरी भाषाओं को मिल सकती है, हिन्दी को मिल सकती है। किस प्रकार से यह हिन्दी को विकसित कर सकती है या दूसरी भाषाओं को कर सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमें इसी दृष्टिकोण से निर्णय लेना चाहिए। मैंने जो अपने विचार इस सदन के सामने रखे हैं, मैं चाहता हूं कि सदन उनको स्वीकार करे।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागारा) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि कि आपने मुझे यह अवसर दिया है। वस्तुतः यह मेरे माननीय मित्र श्री डागा जी का भाषण था जिससे मुझे थोड़ा सा उकसाया है। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने यह महत्वपूर्ण समझा कि कुछ बातों की ओर उचित ध्यान दिलाया जाये।

यद्यपि मैं इस बात का समर्थन करता हूं, यह इस भाषा या उस भाषा को स्वीकार करने की बात नहीं है, यह भारत की एकता की समस्या और राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व संबंधी कुछ मूल बातों का प्रश्न है जो मेरे विचार से इस बात से अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये या निकाला जाये अथवा केन्द्र में अथवा राज्य में उसे प्रयोग किया जाये। एकता की यह धारणा जिसकी जड़े हमारे अस्तित्व में है वह महत्वपूर्ण है और वर्तमान संदर्भ में हमारे सामने जो समस्या है वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने अस्तित्व संबंधी कतिपय वास्तविकताओं को पहचानने से इनकार करते हैं। मेरे विचार से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अल्पसंख्यकों का देश है, भारत अमरीका या सोवियत संघ या चीन की भांति अन्य राष्ट्रीय समूहों से बहुत भिन्न है। ये तीन तुलनाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से और स्पष्ट रूप से आप सोच सकते हैं या कोई भी व्यक्ति सोच सकता है जब हम इस समस्या पर विचार करते हैं।

मुझे सोवियत नेता, श्री ब्रेजनेव का एक भाषण याद है। मेरे विचार से यह सी० पी०

एस० यू० की छब्बीसवीं कांग्रेस थी जब उन्होंने महान मातृ संस्कृति और महान रूसी संस्कृति का प्रस्लेख किया था जिसे सभी राष्ट्र स्वीकार करते हैं और यह आप याद रखें कि यह सोवियत संघ में हुई क्रान्ति जो मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। न केवल रूसी भाषा का विकास करने का हर प्रयास किया गया लेकिन अल्पसंख्यकों की भाषाओं के विकास के लिये, न केवल भाषाओं का बल्कि आपको याद होगा, बोलियों का भी विकास करने का हर संभव प्रयास किया गया। रूसी अनुभव की एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि उन्होंने भाषा, बोली, बोलियां जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, अर्ध विकसित अथवा बिल्कुल विकसित नहीं थी, की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया। यदि आप तुर्कमीनिया या किइघीज और अन्य स्थानों पर जायें तो आप देखेंगे कि भाषाओं से उन लोगों को मदद मिली है जो ये भाषाएं बोलते अथवा माध्यम के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। उनको स्वयं का विकास करने और अपने विभिन्न क्षेत्रों को भी विकासित करने में मदद मिली है। जब ब्रेजनेव ने यह भाषण दिया था तो वे केवल इस महान परम्परा का उल्लेख कर रहे थे। इसी प्रकार, आप अमरीका में देखेंगे, यदि आप अमरीका का इतिहास पढ़ें तो वहां सबसे महत्वपूर्ण बात डब्ल्यु ए० एस० पी० (ह्वाइट अंग्लो सेक्सोन प्रोटेस्टेंट्स) और अंग्रेजी भाषा की पिछले 15-200 वर्षों में अमरीका का विकास करने में भूमिका रही है। आज यह सच है कि दक्षिणी यूरोप जैसे इटली या पूर्वी यूरोप जैसे पोलैंड अथवा लेटिन अमरीकी देशों से अमरीका में आये उत्प्रवासी लोग अंग्रेजी भाषा इसलिये स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने ह्वाइट-अंग्लो-सेक्सोन आधिपत्य और उनकी भाषा और संस्कृति स्वीकार कर ली है जो आज अमरीका के अस्तित्व के लिये ही बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चीन जायें तो आप देखेंगे कि गैर हान अल्पसंख्यक 5 प्रतिशत से भी कम हैं। आपको यह समस्या वहां भी दिखाई देगी। जैसाकि आप जानते हैं और हमें तिब्बती अल्पसंख्यकों की समस्या का पता है। अतः, मेरा अनुरोध है कि भारतीय उप-महाद्वीप की समस्या कुछ अलग है। यहां प्रश्न यह है कि आप किस तरह की एकता चाहते हैं। यह प्रश्न देश के विभाजन से पहले भी उठाया गया था। क्या आप समानता में एकता चाहते हैं? क्या आप इस तरह की एकता चाहते हैं जहां किसी प्रकार का विरोध या अलग प्रकार की संस्कृति समाप्त कर दी जाये। यह प्रश्न स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उठाया गया था जिसका उत्तर महात्मा गांधी ने दिया था : यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या भारत एक राष्ट्र है। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रवादी आन्दोलन के प्रारम्भ के दिनों में पहला काम, मूल काम इस प्रश्न का उत्तर देना था। वहां फिर, हमने इस बात पर बल दिया था कि भारत की एकता को विविधता के माध्यम से ही प्रोन्नत किया जा सकता है। एकता समानता में ही नहीं पाई जा सकती और हमारे इसी बात को स्वीकार करने से ही उपरी स्तर पर राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट होने के लिये प्रोत्साहन मिला। और इसीलिये महात्मा गांधी ने 1920 में कांग्रेस के नागपुर सम्मेलन में कहा कि उपमहाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने जो छोटे प्रदेश बनाये हैं वे कृत्रिम से हैं भारत की जरूरतों के अनुसार उनकी कोई उपयुक्तता नहीं है और यह एक ऐतिहासिक व्याख्या थी जो उन्होंने इसलिये दी थी क्योंकि गत पांच सौ वर्षों या इससे अधिक समय से, यहां तक कि भक्ति आन्दोलन से ही भारत की सबसे मुख्य बात क्षेत्रीय संस्कृतियों और भाषाओं संबंधी दावों का प्रादुर्भाव होना है दक्षिण में हमारे पास ऐसी भाषा है जिसका हजारों साल का इतिहास है, वह है महान तमिल भाषा, लेकिन अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जो पिछले पांच सौ वर्षों या इससे अधिक वर्षों में विकसित हुई हैं, और उन्होंने हमारी समृद्धि तथा संस्कृत संबंधी विविधता में बहुत अधिक योगदान दिया है, उन्हें

समाप्त नहीं किया जा सकता है और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये मांगें और बढ़ जाएंगी। कुछ लोग यहां मैथिली और यहां तक कि असमृद्ध भोजपुरी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में कह रहे थे। लेकिन कोई भी यह नहीं भूल सकता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी सांस्कृतिक जड़ें मणिपुरी भाषा में हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मैथिली के प्रति समर्पित हैं जैसा कि श्री अब्दुल गफूर बताएंगे। यदि कोई जन आन्दोलन होता है तो हमें अपने देश के अस्तित्व की बात स्वीकार करनी होगी कि चाहे यह नेपाली, मणिपुरी या मैथिली भाषा हो परन्तु इससे भारत कमजोर न हो। इसके विपरीत भारत की एकता और सुदृढ़ होगी क्योंकि गत पच्चीस सौ वर्षों के दौरान इस देश की महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य धर्म भी भारत की मुख्य राष्ट्रीयता से संभ्रमित नही हो पाया उदार हिन्दू और उस हिन्दू जिसने उसमें आत्मसात होने से मना कर दिया, जो हिन्दू आत्मसात होना चाहता था, जो अच्छी बातों को आत्मसात करना चाहते थे, जो स्वयं को बड़ी-बड़ी बातों से आत्मसात करना चाहते थे और जो हिन्दू अपने आप पर और अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर होना चाहते थे, के बीच लड़ाई जारी है। और महात्मा गांधी की यह विशाल महत्ता थी, उन्होने हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्र के गौरव को देखने के लिये कहा जब उन्होंने यह कहा था "मैं भारत में प्रत्येक अल्पसंख्यकों, प्रत्येक भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करूंगा।" यदि हमने महात्मा गांधी की उस बात को सुना होता जो उन्होंने असम या पंजाब में कही थी मुझे विश्वास है कि हमारे सामने आज जो समस्याएं हैं, हम बहुत सी समस्यायें हल कर सकते थे।

अतः मेरा अभिप्राय यह है कि भारतीय राष्ट्रीयता आन्दोलन में बहुत से प्रतिष्ठत व्यक्ति थे जो हिन्दू राष्ट्रवादी थे। वीर सावरकर का मैं महान क्रान्तिकारी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मैं भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए, महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण और वीर सावरकर जैसे हिन्दू राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण में टकराव है। यह होना था और यह लड़ाई लड़ी जानी थी और इसीलिए इस लड़ाई में कोई नुकसान नहीं हुआ। अतः महात्मा गांधी क्षेत्रीय भाषाओं या उर्दू की बात इसलिए करते थे क्योंकि आखिरकार उर्दू हमारी मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक है, हम भारतीय इतिहास के पांच सौ वर्षों को कैसे भूल सकते हैं और आप इससे भी पीछे का इतिहास देख सकते हैं।

ऐसे भी लोग हैं जो संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं संविधान सभा के समय ऐसे लोग थे जो संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे—यदि आप वाद-विवाद को पढ़ें तो आप यह देखेंगे लेकिन इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं किया जा सका। संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते मेरे दिल में संस्कृत के प्रति बहुत सम्मान है, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान संदर्भ में यह राष्ट्र भाषा नहीं बन सकती।

गांधी जी हिन्दुस्तानी चाहते थे। लेकिन जैसाकि श्री अब्दुल गफूर ने थोड़ी देर पहले मजाक में कहा था कि ऐसे भी लोग हैं जो एक ऐसी शब्दावली थोपना चाहते हैं जिसे कोई नहीं समझेगा जो संविधान के सिद्धान्तों का उल्लंघन करके कुछ निश्चित अंक थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे राज्य में और आपके राज्य में राष्ट्रीय राज मार्गों पर मैं इन अंकों को पढ़ सकता हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से इन अंकों को नहीं पढ़ सकते कि वहां क्या

लिखा है।

इन अंकों को लिखने का क्या औचित्य है ? यही कि केन्द्र सरकार का पैसा इस तरह से खर्च किया जाये कि जिसे कोई भी समझ न पाये ? इसी प्रकार ऐसे भी लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा को जारी रखना चाहते हैं। मेघालय और नागालैंड जैसे राज्य भी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। परन्तु इससे सारी इमारत ही नहीं गिर जायेगी क्योंकि कोई व्यक्ति किसी विशेष भाषा का प्रयोग करना चाहता है। यदि प्रधान मंत्री जी इस देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं और वे निजी रूप से कोई आन्दोलन शुरू कर सकते हैं तो मुझे पता है कि वे राजनीतिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि सभी भारतीय लिपियां छोड़ दो और हम सभी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि स्वीकार कर रहे हैं तब संभव है कि प्रगति हो और सामाजिक प्रगति भी हो क्योंकि गत दो युद्धों के दौरान हमने देखा है कि उर्दू को कैसे प्रोत्साहन दिया गया, लोगों ने रोमन उर्दू के माध्यम से हिन्दुस्तानी कैसी सीखी थी। आप देखेंगे कि दक्षिण में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोमन लिपि में उर्दू तथा हिन्दुस्तानी सीखी है। अतः इस लिपि को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। जबकि हमारे दिल में सहानुभूति हो सकती है और हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है, मैं यह बात मानता हूं लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सच है कि आधुनिक प्रयोजनों के लिए यदि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो रोमन लिपि अपनाना फायदेमंद होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी एकता की इमारत इतनी कमजोर नहीं है कि जो रोमन लिपि या नेपाली या मणिपुरी या सिंधी या अन्य कोई भाषा जो लोगों की भाषा है, को स्वीकार करने से लड़खड़ा जाएगी।

हम लोगों के लिये यह याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह राष्ट्रीयवादी आन्दोलन से प्रेरित था। एक जुट होने का प्रयास करते हुए वे लोग इन लोगों को आत्म-सम्मान भी प्रदान करना चाहते थे। इसीलिये, जब महात्मा गांधी असम गये तब असम साहित्य सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा—"यदि कोई आपके अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो मैं उन की रक्षा करने के लिये आगे आऊंगा।" उन्होंने वही बात पंजाब के लिये कही है। उन्होंने यंग इंडिया में सिखों के बारे में कुछ लिखा था कि वे हिन्दू थे। सिखों ने विरोध किया। जब महात्मा गान्धी पंजाब गये तब उन्होंने कहा : "मुझे खेद है। आपने कुछ तथ्य प्रस्तुत किये हैं जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम है।" यह उनकी महानता थी। उन्होंने कहा—"आज से मैं आपको हिन्दू नहीं कहूंगा। यदि आप हिन्दू नहीं कहलाना चाहते हैं तो आपको हिन्दू नहीं कहा जायेगा।" इसी प्रकार पंजाब में हो रहे वर्तमान आन्दोलन की उत्पत्ति जनगणना अवधि 1951 के दौरान हुए आन्दोलन के समय हुई थी जबकि आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रभावित होकर कुछ वर्गों के हिन्दूओं ने स्वयं ही कहा था कि जो लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनकी मातृभाषा हिन्दी होनी चाहिए। यही रवैया अन्य भाषाओं के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार अथवा उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अपनाया जाता रहा है—मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि हाल ही में बिहार में उर्दू के लिए अथवा छोटी-छोटी भाषाओं के प्रति रवैये के बारे में अथवा संघ की भाषा के मामले में हिन्दी का कुछ प्रचार करने वाले कुछ लोगों के रवैये में कुछ-न कुछ परिवर्तन हुआ है। इन सभी बातों में हम लोग ने ऐसा रवैया अपनाया है जिससे एकता को बढ़ावा नहीं मिलता जैसा कि इसके समर्थक दावा करते हैं। इस के विपरीत इससे मात्र विघटन को बढ़ावा मिलता है। बाहरी तौर पर देखने से भारत हमेशा

महान दृष्टिगोचर होता है। यदि आप कम्बोडिया अथवा इन्डोनेशिया जायें तो वह देखेंगे कि इतिहास की घटनाओं में भारत का बाह्य रूप सदा ही उच्च कोटि का रहा है। किन्तु भारत के आन्तरिक रूप को जब कभी हम देखते हैं हम पाते हैं कि हमलोग तादात्मय स्थापित नहीं कर सके हैं, हम लोग गिरते चले गये हैं। वास्तविक मुद्दा यही है। इसलिये मैं हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तानी पर आधारित एकता के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। यह सिद्धान्त भारत की एकता की धारणा को ही नष्ट कर देगा, और बर्बाद कर देगा। इस धारणा के लिये लड़ने हेतु कोई भी मूल्य दिया जाना श्रेयकर है। आज यही कार्य करने की आवश्यकता है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें इस प्रवृत्ति से लड़ना होगा। राष्ट्र में यह भावना दृढ़ होती जा रही है। केवल इसी से एकता सुदृढ़ हो सकती है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा प्रस्तावित इस संविधान (संशोधन) विधेयक के समर्थन में अब तक श्री आनन्द पाठक ने जो रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस नेपाली भाषा के विकास को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है और इसे मान्यता प्रदान किये जाने की मांग के बारे में मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन् ने कहा है कि राजनीति के दोनों पहलुओं को भूलकर एकता के तात्कालिक प्रश्न के बारे में यदि आप वास्तव में सोचते हैं, तो हमें गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने जो कुछ कहा था, उस पर विचार करना चाहिये कि भारत में एकता बनाये रखने से तात्पर्य है, अनेकता में एकता, किसी क्षण भी यदि उस पर प्रहार होता है, तो उसी क्षण आप देखेंगे कि उस देश की एकता के आधार को ही खतरा पैदा हो जायेगा। मैं सरकार की समस्याओं को भली-भांति जानता हूं, क्योंकि आपने इस मामले पर कई बार विचार किया कि यदि आज नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से कल संथाली भाषा को परसों डोगरी भाषा को और कुछ अन्य भाषाओं को शामिल करने की बात सामने आयेगी और भाषा के मामले में यदि भारत के किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा की गई तो स्वाभाविक रूप से नेपाली भाषा का कुछ भला करने के स्थान पर देश की एकता की समस्या और जटिल हो जायेगी। इसीलिये मेरा सुझाव बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सरल है। मैं अनुरोध करूंगा कि सातवीं योजना आरम्भ करने से पूर्व, उन सभी भाषाओं और बोलियों के बारे में विचार किया जाये जो भाषायें अथवा बोलियां मैदानी जनजातियों द्वारा अथवा पहाड़ी जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं, अथवा हिमाचय प्रदेश, गढ़वाल, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा मध्य प्रदेश के वस्तर क्षेत्र में, उड़ीसा के गंजम अथवा क्योंझर क्षेत्र में, बंगाल के झारग्राम में लोग आपस में बोलते हैं अथवा संथालियों के बीच आपस में बोली जाती हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसके बारे में विचार करे और एक सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाये कि वह इन सभी पहाड़ी जनजाति भाषाओं को किस प्रकार सुविधा प्रदान कर सकते हैं और उनमें भी नेपाली भाषा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये और इसे सर्वप्रथम शामिल किया जाना चाहिये। मेरे विचार से ऐसा करने से समस्या का हल सदा के लिए हो जायेगा। यदि आप केवल नेपाली को लेते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्री मिश्र जी तथा कुछ अन्य मित्रों को इस सदन में सम्भवत: कुछ और विधेयक लाने पड़ेंगे। इसलिये मेरा यह प्रथम सुझाव है। दूसरे मैं अपने द्रविड मुनेत्र कषगम के मित्र से, जिन्होंने आज की इस चर्चा में भाग लिया है, यह कहना चाहता हूं कि हम लोग सभी इस बात से सहमत हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं

तथा अल्पसंख्यकों की भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। किन्तु यदि आप देश की एक राष्ट्रीय भाषा को प्राथमिकता नहीं देंगे तो आप देश की एकता के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको यह उत्तरदायित्व नहीं भूलना चाहिए। मेरे द्रविड़ मुनेत्र कषगम के मित्र ने सोवियत संघ का उल्लेख किया है। उन्हें अवश्य ही यह भी पता होगा कि लेनिन केवल मार्क्स के सिद्धांतों का अध्ययन कराके ही क्रांति नहीं ला सके थे बल्कि क्रांति के बाद वह सोवियत संघ के हर व्यक्ति को एक ही भाषा बोलने के लिए प्रेरित कर सके थे और वह है रूसी भाषा। आज रूस और सोवियत संघ की एकता का आधार बहुत सारी अन्य बातें नहीं अपितु जन साधारण की एक आम भाषा है। वे लोग रूसी भाषा बोलते हैं। हो सकता है कि तुर्कमेनिया में, ताशकद में और अनेक अन्य स्थानों में, वे लोग विभिन्न बोलियों को भी संरक्षण प्रदान करते हों।

श्री नारायण चौबे (भिंडनापुर) : यह गलत है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यदि यह गलत है, तो आप भाषणों को पढ़ें, आप मेरी बात का क्यों खण्डन करते हैं ? आप कम्युनिस्ट हैं, आप बेहतर जानते हैं। यदि यह बात गलत है कि वे लोग रूसी भाषा में बोलते हैं, और इससे आपको चोट पहुंची है तो बेहतर यह है कि आप अपना भाषण 'न्यूऐज' में प्रकाशित करायें और यह देखें कि आपका दल क्या करता है। मैं जो कहता हूँ कि हिन्दी भाषा लादी नहीं जानी चाहिए किन्तु गत 15 वर्ष से यह कहते रहना भी गलत है कि हिन्दी के लादने को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। क्या बर्दाश्त करना है ? मैं कहता हूँ कि तमिल भाषा के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। तमिल भाषा हमारे देश की सबसे अधिक समृद्ध भाषा है जिसमें उच्च कोटि की संस्कृति समाहित है और यदि मैं किसी भाषा के प्रति नमन करता हूँ तो वह तमिल है क्योंकि दर्शन के अध्ययन के समय मैंने इस भाषा का इतिहास भी पढ़ा था। यह संस्कृत के निकट है और उसकी विरासत समृद्ध है। किन्तु तमिलनाडु में जो खराबी है वह यह है कि तमिलनाडु में पहला वाक्य हिन्दी में लिखा जाता है, दूसरा वाक्य तमिल में और तीसरा अंग्रेजी में। लोग तमिल में बात करें। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता.....(व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि : यह कैसे हो सकता है.....(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आप मुझे गलत न समझें।

डा० ए० कलानिधि : क्या आप हमारी भाषा को अपने जन्म स्थान में ले जाने को तैयार हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : कृपया मेरी बात सुनें। अधीर न होइये। मैं यह कहता हूँ कि प्रत्येक राज्य की भाषा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य की भाषा को प्राथमिकता देते समय राष्ट्रीय भाषा को भी बढ़ावा और अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि वह जनता से सम्बद्ध हो जाए। मैंने सही कहा है। मैं यह नहीं कहता कि हर व्यक्ति को हिन्दी बोलनी चाहिए। मैं जो कहता हूं वह यह है कि तमिलनाडु अथवा बंगाल के किसी व्यक्ति को हिन्दी सीखने के लिए कहना गलत नहीं है। बंगाल में लोग पहले बंगला पढ़ते हैं। और तमिलनाडु में वे पहले तमिल पढ़ते हैं। किन्तु यदि उन्हें हिन्दी सीखने का समय मिले तो उसे सीखने में कोई गलती नहीं है। यह लादना नहीं है। मेरा तो यह दृष्टिकोण है। यदि आप

राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो यही दृष्टिकोण होना चाहिए।

डा० ए० कलानिधि : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग हिन्दी के लादे जाने का विरोध कर रहे हैं। वह लादी जा रही है। हमारे विरोध करने का यही कारण है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : इसी प्रकार, मैं भी हिन्दी को लादने का विरोध करता हूं। इसीलिए हम दोनों में क्या अन्तर है ? मैं आपके विचार से पूर्णतः सहमत हूं·····(**व्यवधान**) मैं भी हिन्दी लादने का विरोधी हूं। किन्तु, हिन्दी की बात करते समय·····(**व्यवधान**) मैं यह कह रहा हूं, आप देश में किसी भी भाषा में बातचीत करें, चाहे वह तमिल हो, बंगला हो अथवा उड़िया, किन्तु जब हम लोगों पूरे विश्व के देशों से बात करें तो हमें ऐसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे अपने देश के अधिकांश व्यक्ति बोलते और समझते हों। इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें विरोध करने की बात मेरी समझ में नहीं आती। जब मैं तमिलनाडु में अपने महान मित्रों के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है क्योंकि अधिकांश नाम संस्कृत बोलने वालों के हैं जो अपने देश की मूल संस्कृति रही है·····(**व्यवधान**)

डा० ए० कलानिधि : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं·····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप के बोलने की बारी आये तब आप स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री० एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : जब महात्मा गांधी मद्रास शहर में आये थे, तब उन्होंने सभी व्यक्तियों को तमिल सीखने के लिए प्रेरित किया था·····(**व्यवधान**) राष्ट्रपिता ने ऐसा करने को कहा था। क्या वे लोग उसका पालन करने को तैयार हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मिश्रा : मैं उस भाषा से प्रेम करता हूं और उस भाषा को सीख कर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। गैर सरकारी सदस्य के विधेयक की चर्चा में भाग लेते समय मैं कांग्रेस अथवा विरोधी दल के रूप में नहीं बोलूंगा। मैं द्रविड मुनेत्र कषगम अथवा अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम की भावना से नहीं बोल रहा हूं। मैं सदा यही कहूंगा कि जब हम सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देते हैं तो हमें इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए कि इस देश में हिन्दी लगभग सभी वर्गों के लोगों को सिखाई जाए।

श्री एन० वी० एन० सोमू : भाषा से हम तमिल भाषी हैं और जाति से हम द्रविड़ हैं··· (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं तमिल और गैर-तमिल के संदर्भ में नहीं बात करना चाहता हूं। हमारी एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और वह सामान्य भाषा हम सभी की संयुक्त भाषा होगी और वह भाषा या तो हिन्दी हो सकती है अथवा अंग्रेजी·····(**व्यवधान**)

मैंने जो कुछ कहा संभवतः आप उसे नहीं समझ सके। मैंने तमिल की प्राचीन संस्कृति का उल्लेख किया है। मैंने उसके बारे में कहा है। भारत की भाषाओं में मैं सर्वप्रथम तमिल को सम्मान देना हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नेपाली भाषा के बारे में कहें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं नेपाली भाषा पर ही बोलने जा रहा हूं। नेपाली पर

बोलने से पूर्व आपने सभी सदस्यों को हिन्दी, तमिल अथवा अन्य भाषाओं के बारे में बोलने की अनुमति दी है। आप मुझे ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने भी वही किया है। अब केवल दस मिनट का समय शेष है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उसके अलावा, मैं श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूर्णत: सहमत हू। और मैं उसका समर्थन करता हूं। किन्तु हमने पर्याप्त आन्दोलन और विरोध किया है। यह समय बल प्रयोग करने, जबरदस्ती करने अदवा टकराव का नहीं है। इसके अतिरिक्त, इन साधनों से यदि कुछ प्राप्त भी हो जाता है, तो अन्ततोगत्वा उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, इसे सरकार की बुद्धिमता पर छोड़ दिया जाए। हम लोगों को केवल नेपाली भाषा के हक में ही नहीं बोलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो पहाड़ी जनजाति के मैदानी इलाकों के लोगों की, मणिपुरी अथवा डोगरी भाषा का क्या होगा ? किसी एक विशेष भाषा को अवसर प्रदान करने तथा औरों को यह कहने का अवसर देने की हमें उपेक्षित रखा गया है की बजाए सरकार को चाहिए कि वह आठवीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे। यही मेरा ठोस प्रस्ताव है, यह केवल नेपाली भाषा के लिये नहीं है यद्यपि श्री आनन्द पाठक और श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। यदि, मेरे कारण मेरे तमिल मित्रों की भावना को चोट पहुंची हो, तो उसके लिए मुझे खेद है। हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि तमिल और मलयालम सहित सभी भाषायें विकसित हों किन्तु अन्ततोगत्वा एक न एक दिन हमें हिन्दी भी बोलनी ही चाहिए।

***श्री ए० सी० शनमुगम (वेल्लोर)** : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मेरे माननीय मित्र, श्री सत्यगोपाल मिश्र ने संविधान संशोधन विधेयक, संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के लिए पुर:स्थापित किया है। मैं अपनी पार्टी, अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने विचार जो इस विधेयक से संगत है व्यक्त करूंगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

मेरे से पहले वाले माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद की दिशा अपने प्रिय सिद्धान्तों की तरफ मोड़ दी। उन्होंने हिन्दी के सर्वोत्तम होने तथा भारत की भाषा नीति पर चर्चा की। उन्होंने उस तात्कालिक खतरे का उल्लेख किया जिसका देश को सामना करना पड़ेगा यदि नेपाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की जाती है। कई वर्षों से नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए आन्दोलन तथा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में 16वीं भाषा के रूप में शामिल करके देश में कोई भारी अव्यवस्था नहीं होने वाली है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इससे चौपट नहीं हो जाएगी।

हिन्दी भाषा को घातक परिणामों से नहीं डराया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सदस्यों की दलीलें अकारण ही डराने वाली हैं।

उत्तर बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि में नेपाली

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा काफी अर्से से नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाती रही है। मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० की तरफ से मांग करता हूं कि सरकार द्वारा इन लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए।

नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने आठवीं अनुसूची में दी गई 15 भाषाओं तथा उनके विकास के लिए किये गए वित्तीय आवंटन का हवाला दिया। उन्होंने इस वाद-विवाद के दौरान इस तरह के अनुचित विवाद को भड़काया है और मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना डी०एम०के० की आवाज को उठाना चाहता हूं कि हम त्रि-भाषीय फार्मूले के विरुद्ध है जो मेरे मित्र सारे देश में लागू करना चाहते हैं। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है हम स्पष्ट तौर से द्वि-भाषीय फार्मूले के प्रति वचनबद्ध हैं। प्ररिआर अंगर अन्ना के समय से लेकर आज के हमारे प्रिय नेता पुरैतची थैलेयवार डा०एम०जी० आर० तक द्वि-भाषीय फार्मूला ही हमारा प्रिय आदर्श है। मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि तमिलनाडु के इतिहास में तामिलनाडु सरकार की इस वचनबद्ध नीति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। मुझे सदन को इसे न बदलने वाले तामिलनाडु सरकार के द्वि-भाषीय फार्मूले के प्रति अवगत कराना है।

सदस्यों ने आठवीं अनुसूची की 15 भाषाओं का हवाला दिया है। हिन्दी भी उन 15 भाषाओं में से एक है। अत: हिन्दी को उसमें कोई सर्वोत्तम स्थान नहीं दिया गया है। मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ कह सकता हूं कि भारत हिन्दी को सब भाषाओं की अगुवा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। क्या हिन्दी देश की 75 प्रतिशत जनता द्वारा बोली जाती है? महोदय, आप जानते हैं कि 400 सदस्य कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इस सदन के लिए चुने गए हैं। क्या इस सदन में कांग्रेस के 350 सदस्यों की मातृभाषा हिन्दी है। ऐसा नहीं है। हिन्दी भारत में केवल 35 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है। कृपया इस मूल तथ्य को न भूलें। सरकार को उन 65 प्रतिशत लोगों की भावनाओं को आदर करना होगा जो अन्य भाषाएं बोलते हैं।

कई करोड़ रुपए हिन्दी भाषा के विकास के लिए खर्च किए जा रहे हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची की अन्य 14 भाषाओं के विकास के लिए इतना ही धन क्यों नहीं खर्च किया जाए? जब आप हिन्दी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो इनमें से प्रत्येक भाषा को 10 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए दीजिए। दूसरी ओर केवल एक करोड़ रु० ही प्रत्येक वर्ष आठवीं अनुसूची की प्रत्येक भाषा के लिए दिया जाता है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार की भाषा नीति पक्षपातपूर्ण है और वह आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है।

कुछ माननीय सदस्यों को यह आशंका थी कि अगर नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता दी गई तो भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी। मेरा यह पक्का विश्वास है कि भारत पर ऐसे लोगों का प्रभुत्व नहीं होगा जो सिर्फ एक भाषा बोलते हों या जो लोग केवल एक तरह की वर्दी पहनते हों या जो लोग सिर्फ एक तरह की संस्कृति के हों या जो लोग केवल एक प्रकार की धार्मिक धारणा से संबंधित हों। भारत विभिन्न संस्कृतियों को धरती है। भारत कई सदियों से इस अनेकता में एकता के साथ रह रहा है। हम यह नहीं भूल सकते कि हजारों वर्ष तक भारत

इस अनेकता में एकता के साथ रहता रहेगा। मैं इस अवसर पर यह मांग करता हूं कि कम से कम 50% धन, राशि जो हिन्दी के विकास पर खर्च की जा रही है आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए।

मेरे माननीय मित्रों ने कहा है कि वे तमिल भाषा के विरुद्ध नहीं है और वे तमिल सीखेंगे। 5 करोड़ तमिलों की तरफ से मैं यह कहता हूं कि हम हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं; हम हिन्दी सीखते हैं; हम हिन्दी सिनेमा देखते हैं; हम हिन्दी गाने सुनते हैं। लेकिन हम हिन्दी के थोपे जाने के विरुद्ध हैं; हम हिन्दी साम्राज्यवाद को बर्दास्त नहीं करेंगे।

महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि एक राजभाषा समिति है जिसके सदस्य संसद सदस्य हैं। यह समिति कई वर्षों से बनी हुई है। यह समिति कितनी बार विश्व का दौरा कर चुकी है—किस प्रयोजन के लिए? वह यह पता करने के लिए है कि विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी का कितना विकास हुआ है? क्या यह आवश्यक है? वे लाखों रुपए की अमूल्य विदेशी मुद्रा का सारे विश्व में घूमकर इस तरह के निरर्थक प्रयास में बर्बाद कर रहे हैं। महोदय, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री, डा० एम० जी० आर० हमेशा बार-बार मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों में यह विश्वास दिलाते रहे हैं कि हम अखंड भारत के लिए वचनबद्ध हैं; हम हमेशा भारत की एकता के लिए लड़ते रहेंगे; हम भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता के लिए अपना जीवन अर्पित कर देंगे। उन्होंने बहुत से मंचों में खुले आम यह कहा है कि भारत की एकता ही हमारा जीवन है। भारत की अखंडता में हमारा अटल विश्वास है।

लेकिन हम हिन्दी समर्थकों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हिन्दी के थोपे जाने का हम अपनी आखिरी सांस तक विरोध करेंगे तथा दूसरी भाषाओं का हिन्दी द्वारा दमन नहीं होने देंगे। अब समय आ गया है कि वह शीघ्र अपना रुख बदल लें। इस अवसर पर मैं अपने गतिशील प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा अहिंदी भाषी लोगों को दिए गए औपचारिक आश्वासन को कानूनी समर्थन दिया जाएगा। पंडित नेहरू ने अहिंदी भाषी लोगों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जब तक वे हिन्दी नहीं चाहेंगे, अंग्रेजी को राजभाषा, एक सम्पर्क भाषा, के तौर पर बने रहने दिया जायगा। मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की एकता बनाए रखने के लिए शपथ ली है, से अपील करता हूं कि वह अपने नानाजी के वायदे को कानूनी रूप दें। यह आवश्यक है क्योंकि देश में छल-कपट से हिन्दी को थोपने की आम धारणा सी बन गई है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं, स्टेट बैंक तथा अन्य सरकारी क्षेत्रों के बैंकों, सी० ए० की परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ही लीजिए। जब परीक्षार्थी हिन्दी में परीक्षा दें तो उन्हें चुन लिया जाएगा; पदोन्नति तभी मिलती है जब हिन्दी परीक्षा पास करें। ऐसे आदेश दिन-प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं।

अब तमिलनाडु को एक दूसरी गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रात साढ़े नौ बजे तक तमिल में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण किए जाते थे। छः मास पहले राष्ट्रीय कार्यक्रम को रात साढ़े आठ बजे से शुरू किया गया था जिससे तमिल में कार्यक्रमों का रात साढ़े नौ बजे तक प्रसारित करने का अवसर खत्म हो गया। हमने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और पहले की तरह से व्यवस्था पुनः शुरू कर दी गई, जिससे तमिल कार्यक्रमों का रात साढ़े नौ बजे तक प्रसारण हो सके। अब दोबारा राष्ट्रीय कार्यक्रम को रात साढ़े आठ बजे से शुरू

किया गया है। स्वाभाविक ही तमिल कार्यक्रम रात साढ़े नौ बजे तक प्रसारित नहीं किए जा सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई केन्द्रीय मंत्री दूरदर्शन पर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखता है। इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं यह मांग करता हूं कि पहले वाले समय फिर से किए जायें ताकि तमिल कार्यक्रम रात साढ़े नौ बजे तक प्रसारित किए जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं श्री सत्य गोपाल मिश्र के विधेयक का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

6.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान (संशोधन) विधेयक, जो श्री सत्यगोपाल मिश्र द्वारा प्रस्तुत किया गया गया है, पर यह चर्चा अगली बार जारी रख सकते हैं। अब हम अगले विषय को लेंगे।

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि सिक्कम के सिक्कम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री नर बहादुर भंडारी का एक पत्र अध्यक्ष को प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने लोक-सभा में अपना स्थान त्याग दिया है। अध्यक्ष ने उनका त्यागपत्र आज, 15 मार्च, 1985 से स्वीकार किया है।

श्री लंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) महोदय, सदन में बहुत से सदस्यों ने श्री लंका की स्थिति पर और इस स्थिति का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, उस पर भी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और नाजुक मामले पर समय-समय पर सदन का मत लेती रही है।

श्री लंका की स्थिति बराबर तनावपूर्ण बनी हुई है और इसका हमारे ऊपर भी कठोर प्रभाव पड़ा है। पिछले महीने काफी बड़ी संख्या में शरणार्थी श्री लंका छोड़कर आए हैं। इनमें से 15,000 से अधिक भारत आ गए हैं। इसके अलावा भी 50,000 से अधिक शरणार्थी जुलाई, 1983 से ही यहां थे। हमारे लिए यह बहुत चिन्ता का विषय है और इसका तमिलनाडु राज्य की सरकार पर और हम पर भी बहुत बोझ पड़ रहा है। हमने इन शरणार्थियों के लिए रहने-खाने का अस्थायी इंतजाम तो किया ही है लेकिन साथ ही हमने श्री लंका की सरकार से यह कह दिया है कि वहां सेना की ओर से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, श्री लंका को इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि भारत में और शरणार्थी न आएं और ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं कि जो शरणार्थी भारत में आ गए हैं, वे सुरक्षा और सम्मान के साथ अपने देश को लौट सकें और शान्तिपूर्वक अपने-अपने काम-धन्धे में लग सकें।

पिछले कुछ महीनों में, पाक जलडमरू मध्य में कुछ वारदातें हुई है जिनमें हमारे मछेरे मारे गए हैं, घायल हुए है या गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमने इसके बारे में श्री लंका की सरकार से सख्त से सख्त शब्दों में अपना विरोध प्रकट किया है और जान और माल के नुकसान के लिए उनसे मुआवजा मांगा है। अपने समुद्री क्षेत्र में हम अपने मछेरों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं और इसी उद्देश्य से तट-रक्षकों की और नौसेना की गश्त बढ़ा दी गई है। पिछले महीने से अतिरिक्त हवाई-निगरानी भी शुरू कर दी गई है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा का सुनिश्चय अवश्य करेगी।

श्री लंका की स्थिति हालांकि अभी अस्थिर ही बनी हुई है, लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण करना भी ठीक नहीं होगा। सभी पक्षों के लिए यह जरूरी है कि वे इस समस्या पर सृजनात्मक और सहानुभूति की भावना से सोच-विचार करें। हमारा अब भी यही विश्वास है कि श्री लंका की एकता, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता के दायरे के भीतर कोई ऐसा राजनीतिक समाधान ढूंढा जाना चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो, तभी यह जातीय समस्या सुलझ सकती है। हिंसा चाहे किसी भी ओर से हो, इसका जवाब नहीं हो सकता।

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि सरकार श्री लंका की सरकार से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं ताकि उन तमाम संभावनाओं की तलाश की जा सके जिनसे यह स्थिति शान्त हो सके और इसका कोई स्थायी समाधान निकलने में सहायता मिल सके। जैसा कि सदन को याद होगा, श्री लंका में राजनीतिक बातचीत फिर शुरू कराने में सहायता पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के सुझाव पर, व्यक्तिगत स्तर पर विचार-विमर्श के लिए श्री लंका के राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री अतुलत मुदाली को अपना दूत बनाकर पिछले महीने के शुरू में दिल्ली भेजा था। इन्होंने उपयोगी बातचीत की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने उनके सामने इस बात पर बल दिया था कि श्री लंका की सरकार को इस बात का कोई न कोई राजनीतिक समाधान खोजना होगा। हमने श्री लंका की सरकार से यह कह दिया है कि अगर वे चाहें तो हम किसी भी समुचित रूप में उनकी सहायता करने को तैयार रहेंगे।

बहुत से सुझाव दिए गए हैं। इन सभी सुझावों पर श्री लंका की स्थिति और हमारे ऊपर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसकी समग्रता में विचार करना होगा। हमारी जो बातचीत चल रही है, वह चूंकि गोपनीय है इसलिए मैं अभी उसका विवरण देने में असमर्थ हूं। लेकिन उपयुक्त समय आने पर मैं निःसन्देह सदन को विश्वास में लूंगा।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उन्होंने वायदा किया है······

श्री कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, यह वक्तव्य अत्यन्त अस्पष्ट है·········

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ! यह मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य है। अब आप भाषण नहीं दे सकते।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। जी नहीं। यह मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। अतः इस पर इस समय हम चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि : विरोध स्वरूप हम वाक आउट कर रहे हैं।

(इस समय डा० ए० कलानिधि तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

चीनी उद्योग के लिए तीसरे मंजूरी बोर्ड के गठन के बारे में वक्तव्य

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : भारत सरकार ने चीनी उद्योग के लिए पहले मजदूरी बोर्ड को 1957 में गठित किया और इसने 1960 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। चीनी उद्योग के लिए दूसरा मजदूरी बोर्ड 1965 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1970 में प्राप्त हुई थी। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। तीसरे मजदूरी बोर्ड का कई कारणों से गठन नहीं किया जा सका क्योंकि चीनी पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों ने राज्य स्तर पर हुए त्रिपक्षीय सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों के आधार पर अपने-अपने राज्यों में चीनी श्रमिकों के लिए मजदूरी की संशोधित दरें अधिसूचित कीं।

1980 में सत्ता में परिवर्तन के पश्चात, अभिवेदन प्राप्त हुए थे कि चीनी उद्योग के लिए तीसरे मजदूरी बोर्ड का गठन किया जाए। चीनी पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों के साथ परामर्श करके इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात, मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सरकार ने श्रमिकों, उद्योग तथा अर्थ व्यवस्था के हित में चीनी उद्योग के लिए तीसरे मजदूरी बोर्ड को गठित करने का अब निर्णय लिया है। इस निर्णय से चीनी उद्योग के श्रमिकों की बहुत समय से लम्बित पड़ी मांग पूरी हो जाएगी।

नए मजदूरी बोर्ड के गठन के लिए कार्यवाही की जा रही है और बोर्ड से अनुरोध किया जाएगा कि वह पहले गठन के पश्चात एक वर्ष के अन्दर अपना कार्य पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल सायं काल पांच बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.07 म०प०

तत्पश्चात लोकसभा शनिवार, 16 मार्च, 1985/

25 फाल्गुन, 1906 (शक) के सायंकाल पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रैस, 1867, चीराखाना, नई सड़क, दिल्ली-110006